S.No-777
00913

सत्यमेव जयते

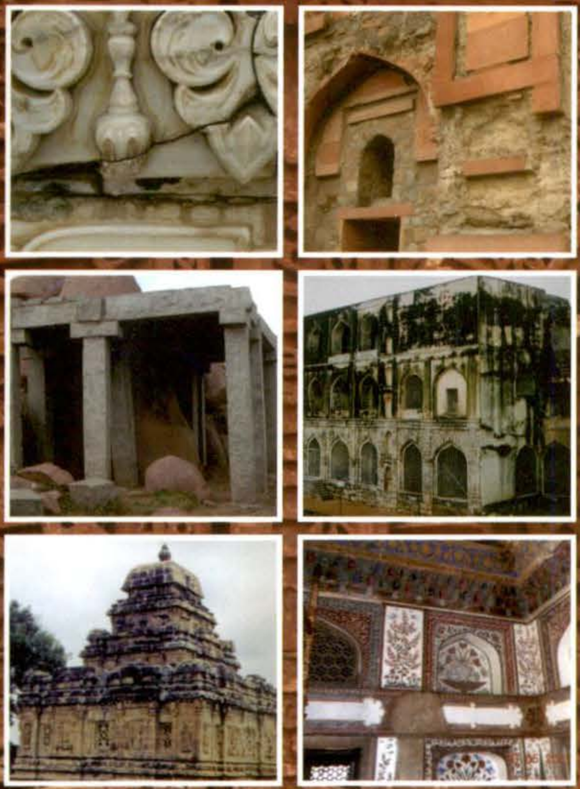

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

# स्मारकों तथा पुरावस्तुओं के परिरक्षण तथा संरक्षण की निष्पादन लेखापरीक्षा

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

## संघ सरकार (सिविल)
## संस्कृति मंत्रालय

2013 की प्रतिवेदन सं. 18
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

2013 की प्रतिवेदन सं. 18

संसद के दोनो सदनों के
पटल पर प्रस्तुत
दिनांक 23 AUG 2013
00913

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

# स्मारकों तथा पुरावस्तुओं के परिरक्षण तथा संरक्षण की निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार (सिविल)

संस्कृति मंत्रालय

2013 की प्रतिवेदन सं. 18

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

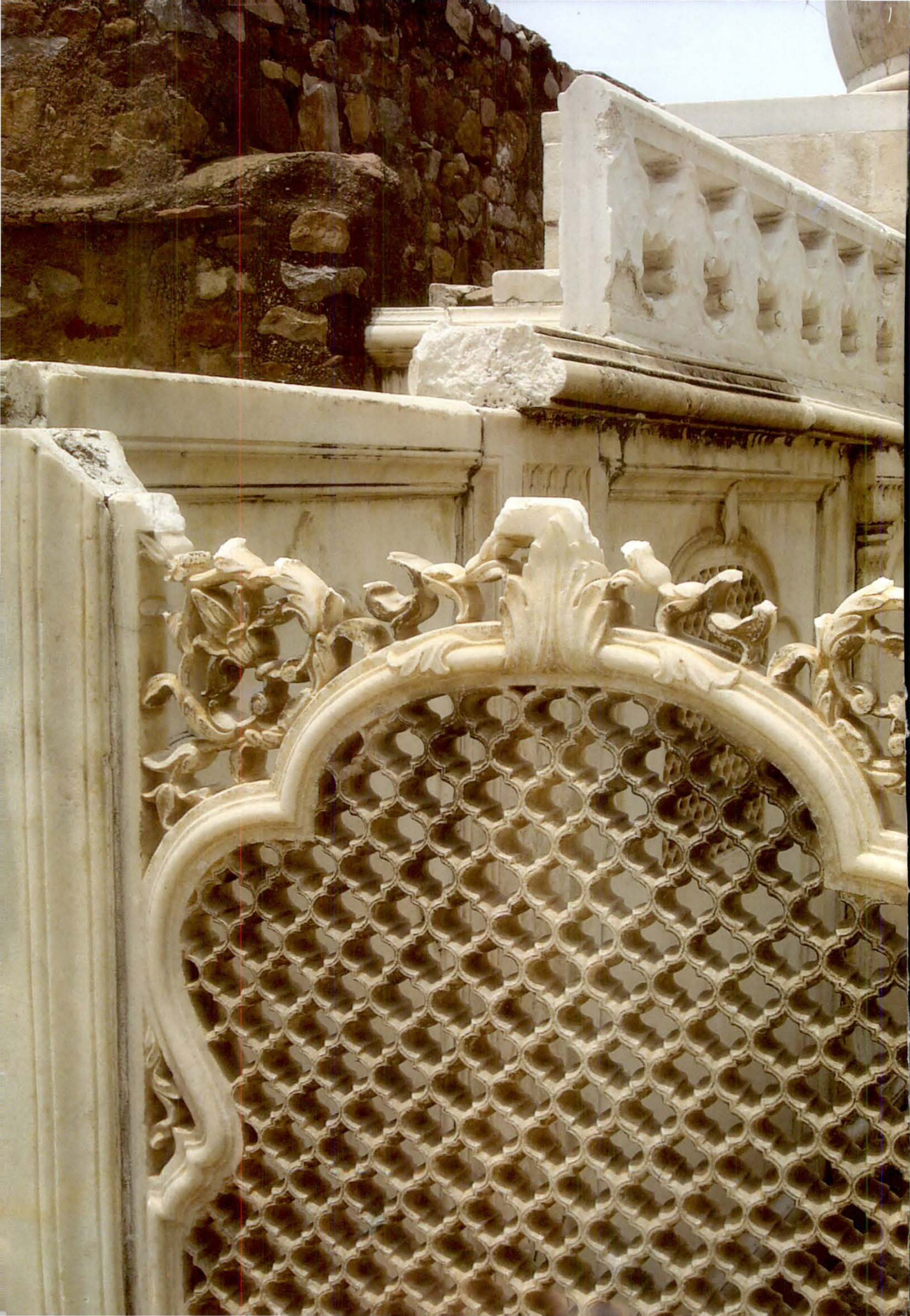

# विषय सूची



| | अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | प्राक्कथन | v |
| | कार्यकारी सारांश | vii-xiv |
| अध्याय – I | प्रस्तावना | 1 |
| अध्याय – II | स्मारकों की पहचान एवं सुरक्षा तथा उनका प्रलेखन | 9 |
| अध्याय – III | विश्व विरासत स्थलों का प्रबंधन | 37 |
| अध्याय – IV | परिरक्षण एवं संरक्षण कार्य | 69 |
| अध्याय – V | उत्खनन, पुरालेख तथा सर्वेक्षण | 109 |
| अध्याय – VI | पुरावस्तुओं का प्रबंधन | 139 |
| अध्याय – VII | वित्तीय प्रबंधन | 169 |
| अध्याय – VIII | श्रम शक्ति प्रबंधन | 183 |
| अध्याय – IX | स्मारकों तथा परावशेषों की सुरक्षा | 191 |
| अध्याय – X | जागरूकता, व्याख्या तथा सुविधाएँ | 209 |
| अध्याय – XI | शासन एवं चेतावनी संकेतों के प्रति असंवेदनशीलता | 221 |
| अध्याय – XII | निष्कर्ष | 237 |
| | अनुबंध | 243 |
| | शब्दावली | 301 |

# प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन जिसमें स्मारकों तथा पुरावस्तुओं के परिरक्षण एवं संरक्षण पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं, को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2012 से फरवरी 2013 के दौरान की गई थी। प्रतिवेदन, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद, इलाहाबाद संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई तथा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई से संबंधित फाईलों तथा दस्तावेजों से उद्भूत हुआ है।

# कार्यकारी सारांश



मौलिक कर्त्तव्यों के अंतर्गत, हमारा संविधान निर्धारित करता है कि सामासिक संस्कृति से समृद्ध विरासत को महत्व देना तथा उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा। इसलिए अपनी विरासत का संरक्षण हमारा एक विशेष उत्तरदायित्व है।

संस्कृति मंत्रालय, भारतीय विरासत तथा संस्कृति के संरक्षण तथा प्रोत्साहन हेतु उत्तरदायी है। मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा संग्रहालयों के माध्यम से, राष्ट्रीय महत्व के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों के उत्खनन, तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की कला वस्तुओं के संग्रहण तथा प्रदर्शन के कार्य में लगा है। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से, हमने अपने देश के स्मारकों तथा पुरावशेषों की अस्थाई विरासत की रक्षा, संरक्षण तथा बचाव के प्रति संस्कृति मंत्रालय के प्रयासों का मूल्यांकन किया।

## हमने यह विषय क्यों चुना?

विरासत संरचनाएं, स्थल तथा पुरावस्तुएं राष्ट्रीय परिसम्पत्ति हैं। विरासत की पहचान तथा संरक्षण पर कार्य स्वतंत्रता से काफी पहले उन्नसवीं सदी के मध्य में आरम्भ किया गया था। तथापि, स्वतंत्रता पश्चात् के वर्षों से की गई प्रगति की समाविष्ट रूप से समीक्षा नहीं की गई थी। भारत में विरासत तथा उसके संरक्षण के प्रति चेतना में वृद्धि हुई है। 2012 में, भा.पु.स. ने अपने अस्तित्व के 150 वर्ष पूरे किए। फिर भी, इसकी कई उत्खनन परियोजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। भा.पु.स. द्वारा प्रारम्भ की गई संरक्षण परियोजनाएं भी कई अपर्याप्तताओं तथा सीमाओं से ग्रसित हैं। संगठन में संरक्षण संबंधी कार्यकलापों हेतु निधियाँ एवं श्रमशक्ति की गम्भीर कमी है। देश में पुरावस्तुएं की चोरी तथा तस्करी की घटनाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई है। देश के प्रमुख संग्रहालयों में संग्रहित कला वस्तुओं के उचित रख-रखाव, सुरक्षा तथा प्रदर्शन हेतु संसाधनों तथा योजना की कमी है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से, हमारा उद्देश्य विरासत संरक्षण के क्षेत्र में मौजूद त्रुटिपूर्ण निष्पादन के पीछे कारणों की पहचान करने तथा प्रभावी परिशोधक कदम उठाने में कार्यकारिणी को सहायता प्रदान करना है।

## इस लेखापरीक्षा में क्या शामिल किया गया है?

निष्पादन लेखापरीक्षा में 24 भा.पु.स. परिमण्डलों के अंतर्गत देश भर में फैले 3678 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों में से 1655 स्मारकों तथा स्थलों को संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए शामिल किया गया है। इन स्मारकों तथा स्थलों का चयन उनके ऐतिहासिक महत्व तथा

भौगोलिक विस्तार के आधार पर किया गया। सात संग्रहालयों[1] को भी इस प्रत्यक्ष निरीक्षण में शामिल किया गया था। 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान भा.पु.स. एवं इसके कार्यालयों, संस्कृति मंत्रालय, संग्रहालयों तथा अन्य सहयोगी कार्यालयों तथा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि, के अभिलेखों की भी इस निष्पादन लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई।



## प्रतिवेदन कैसे संगठित किया गया है?

इस प्रतिवेदन का अध्याय I, पृष्ठभूमि सूचना, लेखापरीक्षा दृष्टिकोण तथा नमूना चयन के ब्यौरे प्रदान करता है। अध्याय II से X, पूर्वपरिभाषित लेखापरीक्षा उद्देश्यों जो स्मारकों तथा पुरावस्तुएं के बचाव तथा संरक्षण के विषयों, उत्खनन परियोजनाओं के प्रबंधन, निधीयन, मुख्य संग्रहालयों के संचालन तथा मॉनीटरिंग पर समग्र लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रदान करते हैं। अध्याय XI में हमने मंत्रालय द्वारा नियंत्रण की स्थिति तथा विभिन्न समितियों, न्यायालय के विनिर्णयों तथा पहले की नि.म.ले.प. के पूर्व प्रतिवेदनों द्वारा दी गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाहियों की जांच करने का प्रयास किया गया है। अध्याय XII, निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन में 61 अनुशंसाएं शामिल हैं।

## लेखापरीक्षा निष्कर्षों की मुख्य बातें

- हमने पाया कि मंत्रालय ने भा.पु.स. के साथ केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल करने हेतु राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की पहचान हेतु एक व्यापक सर्वेक्षण अथवा समीक्षा नहीं की थी। इसी प्रकार, ऐसे स्मारकों की पहचान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था, जो एक लंबी अवधि से राष्ट्रीय महत्व की महत्ता को खो चुके हैं।

  **(पैरा 2.1)**

- भा.पु.स. के पास अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों की सही संख्या का विश्वसनीय डाटा बेस नहीं था। इस प्राथमिक सूचना के अभाव में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने में असमर्थ थे कि क्या भा.पु.स. अपने मूल अधिदेश को पूरा करने में समर्थ था।

  **(पैरा 2.2)**

- संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि हमारे द्वारा चयनित 1655 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के नमूने में से 92 स्मारकों (6 प्रतिशत) का पता ही नहीं था। यह भा.पु.स. द्वारा संसद को बताई गई संख्या से काफी अधिक थे। यह कमजोर मॉनीटरिंग तथा निरीक्षण का परिणाम था।

  **(पैरा 2.5)**

[1] राष्ट्रीय सग्रहालय दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद तथा इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद।

- विश्व विरासत स्थलों की उपयुक्त देखभाल तथा सुरक्षा नहीं की जा रही थी। इन स्थलों में तथा इनके आसपास, अतिक्रमण तथा अप्राधिकृत निर्माण के कई मामले थे। हमने पाया कि संरक्षण निर्माण कार्यों, जो अपेक्षित थे, का समाविष्ट निर्धारण कभी भी नहीं किया गया था।

**(पैरा 3.4)**

- भा.पु.स. के पास संरक्षण तथा बचाव आवश्यकताओं के निपटान हेतु एक अद्यतन की गई तथा स्वीकृत संरक्षण नीति नहीं थी। हमने संरक्षण कार्यों की आवश्यकता वाले स्मारकों, की प्राथमिता निर्धारण हेतु, किसी भी निर्धारित मापदण्ड का अभाव पाया। परिणामस्वरूप, संरक्षण निर्माण कार्य करने हेतु स्मारकों का चयन मनमाने ढंग से किया गया था। इसके अतिरिक्त, संरचनात्मक संरक्षण की आवश्यकता के बावजूद कई स्मारकों में निर्माण कार्य पर विचार नहीं किया गया था।

**(पैरा 4.1.1)**

- भा.पु.स. के अधिकारियों द्वारा स्मारकों की स्थिति पर निरीक्षण टिप्पणियाँ तैयार नहीं की जा रही थी। संरक्षण निर्माण कार्यों का प्रलेखन खराब था। यहाँ तक कि मापन पुस्तिका, लॉग बुक, स्थल पंजिका जैसे आधारभूत अभिलेखों का भी उचित रूप से अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, हम यह निर्णय नहीं कर सके कि क्या संरक्षण कार्यों हेतु चयनित स्मारक आवश्यकता पर आधारित थे, न ही हम संरक्षण कार्यों पर किए गए व्यय के औचित्य तथा विश्वसनीयता का निर्धारण कर सके।

**(पैरा 4.1.1 एवं 4.1.2)**

- भा.पु.स. का एक मूल कार्य देश में अवशेषों की खोज एवं उत्खनन तथा उनका अध्ययन था। तथापि, हमने पाया कि भा.पु.स. खोज एवं उत्खनन कार्यों पर अपने कुल व्यय के एक प्रतिशत से भी कम व्यय कर रहा था।

**(पैरा 5.3)**

- हमने भा.पु.स. द्वारा किए गए उत्खनन कार्यों का खराब प्रलेखन पाया। भा.पु.स. मुख्यालय पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत 458 उत्खनन प्रस्तावों की स्थिति प्रदान नहीं कर सका। इसी प्रकार, लम्बित उत्खनन रिपोर्टों की स्थिति पर संपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं थीं। हमने प्रारम्भ न किए जा रहे अथवा अपूर्ण छोड़े उत्खनन प्रस्तावों के कई मामले भी पाए।

**(पैरा 5.4.1 एवं 5.8)**

- भा.पु.स. के पास इसके स्वामित्व वाले पुरावस्तुएं के प्रबंधन का निर्देशन करने वाली व्यापक नीति उपलब्ध नहीं थी। भा.पु.स. द्वारा अधिकृत वस्तुओं के अधिग्रहण, संरक्षण, प्रलेखन तथा निगरानी हेतु कोई मानक नहीं थे। प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान हमने उत्खननों के दौरान पाई गई कीमती पुरावस्तुओं को खराब स्थिति रखा पाया।

**(पैरा 6.1.1)**

- हमने अधिग्रहित कला वस्तुओं के अधिग्रहण, प्रलेखन तथा संरक्षण के संबंध में संग्रहालयों के कार्यों में भारी कमियां पाई। अधिकांश संग्रहालयों के पास प्राप्त वस्तुओं की मौलिकता को सत्यापित करने हेतु उनके मूल्यांकन के लिए प्रणाली स्थापित नहीं थीं। इसलिए, हम प्राप्त कलाकृतियों की वास्तविकता पर कोई आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ थे।

**(पैरा 6.2.3)**

- संग्रहालयों की वस्तुओं के लेखाओं का सही प्रकार से हिसाब रखने तथा उनकी सुरक्षा के लिए भी परिग्रहण पंजिका के उपयुक्त अनुरक्षण की आवश्यकता थी। तथापि, संग्रहालयों में परिग्रहण पंजिका के प्रणालीगत अनुरक्षण का बड़े पैमाने पर अभाव था। हमने संग्रहालयों द्वारा सूचित पुरावस्तुओं की संख्या तथा उनके डाटाबेस में उपलब्ध संख्या में उल्लेखनीय विसंगतियां पाई।

**(पैरा 6.5.1)**

- कलाकृतियों के प्रणालीगत संरक्षण तथा मरम्मत हेतु कोई निर्धारित नीति नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप उनका क्षरण होता गया।

**(पैरा 6.8)**

- भा.पु.स. ने अपने अधिकार में पुरावस्तुएं की कुल संख्या के डाटा बेस का अनुरक्षण नहीं किया था। केन्द्रीकृत सूचना के अभाव में, इन पुरावस्तुओं की चोरी अथवा हानि का भारी जोखिम था। यह इन पुरावस्तुओं के संरक्षक के रूप में भा.पु.स. की भूमिका को नजर अंदाज करती है। हमारे निरीक्षण के दौरान, हमने पाया कि 131 पुरावस्तुएं विभिन्न स्मारकों/स्थलों से तथा 37 पुरावस्तुएं स्थल संग्रहालयों से चोरी हुई थीं। तथापि, इन वस्तुओं की पुनः प्राप्ति हेतु भा.पु.स. के प्रयास पूर्णरूप से अप्रभावी थे।

**(पैरा 6.10.2 एवं 6.11)**

- संग्रहालयों ने गैलरियों में कलाकृतियों को प्रदर्शित करने हेतु आवर्तन नीति विकसित नहीं की थी। परिणामस्वरूप, कुछ लेखापरीक्षित संग्रहालयों में 95 *प्रतिशत* से अधिक वस्तुएं आरक्षित भंडार में पड़ी थीं। इन लेखापरीक्षित संग्रहालयों में से कुछ वस्तुओं को कभी भी प्रदर्शित नहीं किया गया था।

**(पैरा 6.14.1)**

- भा.पु.स. में सभी मुख्य पदों पर स्टाफ की भारी कमी थी। इसने प्रतिकूल रूप से स्मारकों की सुरक्षा तथा अनुरक्षण को प्रभावित किया। स्टाफ की कमी कुछ संग्रहालयों तथा रा.सं.प्रा. जैसे अन्य संगठनों में भी पाई गई थी।

**(पैरा 8.1.1 एवं 8.6)**

- इसमें नीति एवं विधान की पर्याप्तता, वित्तीय प्रबंधन, संरक्षण परियोजनाओं की मॉनीटरिंग तथा इन संगठनों हेतु मानव संसाधन के प्रावधान के पहलुओं के संदर्भ में संस्कृति मंत्रालय द्वारा नियंत्रण में लापरवाही तथा कमियां पायी गयी थी।

**(पैरा 11.1)**

- विगत वर्षों से भा.पु.स. तथा संग्रहालयों के कार्यों से संबंधित कमियों को विभिन्न विशेषज्ञ/संसदीय समितियों द्वारा उजागर किया गया था। तथापि, मंत्रालय सुधारात्मक उपायों को आरंभ करने में इन चेतावनियों का संज्ञान लेने में विफल रहा।

**(पैरा 11.1.4)**

## अनुशंसाओं का संक्षेप:

- संरक्षित स्मारकों की सूची को अद्यतन तथा इनका मिलान किया जाना चाहिए जिससे कि समग्र रूप में प्रत्येक उप-परिमण्डल, परिमण्डल तथा भा.पु.स. के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों की संख्या में कोई संदेह न हो।

- भा.पु.स. को उपयुक्त स्तरीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक संरक्षित स्मारक के आवधिक रूप से निरीक्षण हेतु प्रावधान करना चाहिए। भा.पु.स. का नियमित रूप से विस्तृत निरीक्षण टिप्पणी के आधार पर इसके द्वारा संरक्षित किए जा रहे प्रत्येक स्मारक की स्थिति तथा ऐसे निरीक्षण के दौरान एकत्रित फोटोग्राफिक प्रमाण को नियमित प्रकाशित करना चाहिए।

- भा.पु.स. के पास विवादास्पद स्वामित्व अथवा अधिवासी वाले स्थलों की अधिसूचना हेतु एक निर्धारित नीति होनी चाहिए। इन स्थलों को सभी विवादों को निपटाए जाने तक नामांकन हेतु अस्थायी सूची में डाला जा सकता है।

- प्रतिबंधित प्रवेश वाले स्थलों के प्रबंधन के साथ, आम आगंतुकों की इन स्थलों तक पहुँच का प्रावधान करने हेतु एक लिखित करार करने की अत्यंत आवश्यकता है। भा.पु.स. को ऐसे स्थलों के अनुरक्षण हेतु नीति विकसित करने की भी आवश्यकता है।

- यह निश्चित है कि संरक्षित स्मारकों में बदलाव किए ही जाएंगे अगर उनका उपयोग कार्यालयों तथा आवास हेतु भी किया जा रहा है। उन अपवादों के लिए भा.पु.स. को विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए तथा अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करना चाहिए।

- अधिसूचना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो न केवल केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों हेतु वैधानिक स्थिति प्रदान करता है, बल्कि स्थल के क्षेत्र को भी निर्धारित करता है। यह दस्तावेज स्थल पर अतिक्रमण अथवा अप्राधिकृत निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है। भा.पु.स. को स्थलों से संबंधित सभी अधिसूचनाओं तथा अभिलेखों का एक केन्द्रीकृत डाटा बेस तैयार करना चाहिए जो भा.पु.स. मुख्यालय के पास सुलभ रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

- स्मारकों से संबंधित वास्तविक सूचना में संदेह तथा भिन्नता हेतु कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भा.पु.स. को अपने परिमण्डलों से प्रत्येक संरक्षित स्मारक पर एम.आई.एस. डाटा एकत्रित करना चाहिए तथा विसंगतियों का समाधान करने के पश्चात इसे सार्वजनिक पटल पर रखना चाहिए।

- मंत्रालय को सभी संरक्षित स्मारकों हेतु विरासत उपनियमों के समयबद्ध तैयार करने तथा उनकी स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए।

- भा.पु.स. को अस्थाई सूची हेतु स्थलों के चयन तथा अस्थाई सूची से विश्व विरासत स्थल के अंतिम लेख हेतु उद्देश्य मापदण्ड तथा आवश्यकताओं को परिभाषित करना चाहिए क्योंकि इसी से ही नामांकन से पहले स्थलों की प्राथमिकता, योजना तथा स्थलों को तैयार करने में मदद मिलेगी।

- भा.पु.सं. को संरक्षण तथा स्थल प्रबंधन के माध्यम से अस्थाई विश्व विरासत स्थलों के विकास हेतु एक प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह अकेले ही स्थल के अंतिम नामांकन को सुनिश्चित कर सकता है।

- मंत्रालय को विश्व विरासत स्थलों के अनुरक्षण तथा सुरक्षा हेतु एक अलग परियोजना विकसित करनी चाहिए। निधि, सुरक्षा तथा संरक्षण आवश्यकताओं का समुचित आकलन होना चाहिए।

- मंत्रालय को समावेशों संरक्षण नीति विकसित करनी चाहिए, तथा अपनी नियम पुस्तिका एवं कार्य प्रणाली को अद्यतन रखना चाहिए। भा.पु.स. को अपने संरक्षित स्मारक हेतु सभी संरक्षण प्रयासों के विस्तृत प्रलेखन सहित लॉग बुक के अनुरक्षण को अनिवार्य करना चाहिए।

- प्रभावी बनने के लिए भा.पु.स. को रा.से.नि. के माध्यम से वित्तपोषण की माँग कर रही अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इसके लिए निधियों का एक समाविष्ट निर्धारण पहले ही किए जाने की आवश्यकता है।

- 'सजीव' स्मारकों के प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश होने चाहिए।

- 'निर्जीव' स्मारकों के अप्राधिकृत अधिग्रहण तथा उपयोग के अवसरों को नियंत्रित करने हेतु उपयुक्त रूप से अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

- मंत्रालय को त्वरित रूप में पुरातात्विक उत्खनन तथा खोज पर राष्ट्रीय नीति के अंतिम रूप को सुनिश्चित करना चाहिए।

- भा.पु.स. को स्थल के महत्व के आधार पर उत्खनन परियोजनाओं के लिए एक प्राथमिकता सूची तैयार करने हेतु क्रियाविधि विकसित करने पर विचार करना चाहिए। सूची को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जा सकता है।

- हानि हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व एवं जबावदेही सहित पुरावस्तुओं की सुपुदर्गी तथा अनुरक्षण के लिए एक लिखित प्रोटोकोल अपेक्षित है।

- भा.पु.स. उत्खनन किए गए पुरावस्तुओं तथा उनके स्थान की एक सूची तैयार करें तथा इसे सार्वजनिक डोमेन में डाले जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भ/ अनुसंधान हेतु इसके उपयोग की सुविधा प्रदान की जा सके।

- भा.पु.स. को आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने, अपने अधिकारियों की क्षमता बनाने तथा अपनी स्वयं की एक उन्नत काल-निर्धारण प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता है।

- विधान को अधिक सम-सामयिक एवं प्रभावी बनाने तथा अन्य देशों से चोरी हुई कला वस्तुओं को सुविधा/पुनः प्राप्ति हेतु पु.क.श्व. अधिनियम के प्रावधानों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधानों की समीक्षा की जानी चाहिए।

- मंत्रालय को पुरावस्तुओं का पंजीकरण करने तथा पंजीकृत पुरावस्तुओं की प्रमाणिकता को समय बद्ध तरीके से सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया तैयार करने के कार्य को शीघ्र निपटाना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप पर विचार किया जा सकता है।

- भा.पु.स. को विभिन्न स्थानों पर रखे पुरावस्तुओं के सभी विवरणों के अभिलेखन हेतु पुरावस्तुओं का एक केन्द्रीकृत तथा डिजिटाइज्ड डाटा बेस विकसित करना चाहिए।

- चोरी अथवा अन्य देशों को गैर कानूनी तरीके से निर्यात भारतीय कला वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति हेतु अधिक संगठित प्रयास की आवश्यकता है। भा.पु.स. को इस उद्देश्य हेतु, नोडल अभिकरण के रूप में अपने प्रयासों में और अधिक सक्रिय एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है तथा मंत्रालय को इसके लिए एक हमलावर नीति विकसित करने की आवश्यकता है।

- मंत्रालय को विभिन्न केन्द्रीय संग्रहालयों के स्वामित्व में पुरावस्तुओं के प्रबंधन हेतु एक समावेशी नीति तैयार करनी चाहिए।

- भा.पु.स. को स्थल संग्रहालयों के कार्य तथा स्थापना हेतु विस्तृत दिशानिर्देश विकसित करने की आवश्यकता है।

- संग्रहालयों को कलाकृतियों के प्रदर्शन हेतु एक आवर्तन नीति अपनानी चाहिए। इन्हें आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए उचित तथा आकर्षक तरीके से प्रदर्शन हेतु क्रियाविधि की रचना करनी चाहिए।

- आरक्षित संग्रहण को भी उचित रूप से अनुरक्षित तथा उपयुक्त भण्डारण परिस्थितियों में सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

- भा.पु.स. को प्रवेश टिकटों की बिक्री से राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने की दृष्टि से सशुल्क के रूप में एक विशिष्ट स्मारक को नामित करने हेतु स्पष्ट मापदण्ड तथा दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए।

- भा.पु.स. को राजस्व को एक पर्याप्त स्रोत बनाने हेतु फिल्म शूटिंग तथा टिकट की दरों को संशोधित करने की आवश्यकता है।

- मंत्रालय को विरासत स्थलों तथा संग्रहालयों से राजस्व सृजन के नए ढंग में परिवर्तन लाने तथा अन्वेषण करने की आवश्यकता है। सार्वभौमिक रूप से अपनाई उत्तम प्रक्रिया की दृष्टि से विकल्पों का अन्वेषण करना चाहिए।

- मंत्रालय को विशेष रूप से संरक्षण संबंधी कार्यों में लगे महत्वपूर्ण संवर्गों में, श्रमशक्ति की कमियों; के समाधान करने हेतु तुरंत कदम उठाने चाहिए।

- भा.पु.स. को जिला तथा पुलिस प्राधिकारियों की सहायता से अतिक्रमण के मामलों की जांच करने हेतु प्रत्येक परिमण्डल में संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक समन्वय निकाय गठित करना चाहिए।

- मंत्रालय द्वारा उच्चतम स्तर पर वर्तमान अतिक्रमण मामलों की नियमित मॉनीटरिंग होनी चाहिए। राज्य सरकारी अभिकरणों अथवा भारत सरकार के अन्य अभिरणों द्वारा अतिक्रमण के मामले को उच्चतर स्तर तक उठाकर समय बद्ध प्रकार से निपटान करना चाहिए।

- प्रत्येक स्मारक हेतु इसके स्थान, क्षेत्र, संरचना, आगंतुकों की संख्या एवं अन्य भेद्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षा योजना होनी चाहिए। यह प्रक्रिया आधारभूत वास्तविकताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु भा.पु.स. द्वारा आंतरिक रूप से निष्पादित की जानी चाहिए।

- संग्रहालयों को चोरी, क्षति तथा हानियों के प्रति सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपयुक्त सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। मंत्रालय को इसके नियंत्रण के अंतर्गत सभी संग्रहालयों हेतु समान मानकों सहित संग्रहालयों के लिए एक समावेशी सुरक्षा नीति विकसित करने में पहल करनी चाहिए।

- भा.पु.स. के पास जागरूकता, प्रदर्शन तथा संबंधित कार्यों हेतु विशेष रूप से निधियाँ प्रयोजित होनी चाहिए।

# अध्याय – I

# प्रस्तावना

हमारी विरासत हमारी पहचान का अभिन्न भाग है। विश्वभर में, विरासत संरक्षण को तथा अतीत के ज्ञान एवं कला के संरक्षण को राष्ट्रीय पहचान के संदर्भ में एक अति अहम विषय के रूप में देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनिस्को) के अनुसार, संस्कृति तथा विकास को आर्थिक वृद्धि के अनुसार अथवा एक संतोषजनक प्रज्ञात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिक स्थिति तक पहुँच के माध्यमों के रूप में अलग नहीं किया जा सकता। विकास में वे क्षमताएं शामिल हैं जो समूहों, समुदायों तथा राष्ट्रों को संपूर्ण एवं एकीकृत पद्धति में उनको भविष्य की योजना करने को अनुमत करती हैं। इस प्रकार विरासत संरक्षण को आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकास में एक अन्तर्विच्छेदी पहलू के रूप में देखा जा सकता है।

संस्कृति मंत्रालय (मंत्रालय) देश में कला एवं संस्कृति के सभी प्रकारों के परिरक्षण, संरक्षण, प्रोत्साहन तथा प्रचार हेतु उत्तरदायी है। मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के सभी केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा तथा ऐतिहासिक स्थलों के उत्खनन के कार्य में संलग्न है। विभिन्न संग्रहालयों के माध्यम से वह पुरावस्तुओं के संग्रहण, संरक्षण तथा प्रदर्शन को सुनिश्चित कर रहा है।

भा.पु.स., मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है जिसे केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण तथा अनुरक्षण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 1861 में स्थापित किया गया था। भा.पु.स. के अधिकार क्षेत्र में बड़े पत्थरों से बने स्थल, समाधियाँ, चट्टानों को काट कर बनाई गयी गुफाएं, स्तूप, मंदिर, मस्जिद, गिर्जाघर, किले, जल प्रणालियां, स्तंभ, शिलालेख, अवशेष, अखंड प्रतिमाएं, मूर्तियों जैसे विभिन्न 3678 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक तथा पुरातत्विक स्थल शामिल हैं। स्मारक अथवा स्थानों का संरक्षण एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा भा.पु.स. के परिमण्डलों द्वारा इसके लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

भा.पु.स. ने प्राथमिकताओं, वचनबद्धताओं तथा उपलब्ध श्रमशक्ति एवं वित्तीय संसाधनों के आधार पर संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा बागवानी कार्य हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ किए हैं। भा.पु.स. के पास अपनी सुरक्षा के अंतर्गत 19 विश्व विरासत स्थल हैं।

2011 में, भा.पु.स. ने 150 वर्ष पूरे किए। भारत में विरासत पहचान तथा परिरक्षण पर कार्य उन्नीसवीं सदी के मध्य में आरम्भ किया गया था, तथापि, सरकार के प्रयासों तथा विरासत संरक्षण के कार्य में लगे संगठनों के निष्पादन की कोई समाविष्ट स्वतंत्र संवीक्षा नहीं की गई है।

मंत्रालय के कुल बजट का लगभग 33 *प्रतिशत*[1] का उपयोग भा.पु.स. के कार्यों के लिए किया गया था। अन्य छः प्रतिशत देश के सात मुख्य संग्रहालयों को दिया गया था। कुल मिलाकर ये संस्थान हमारे देश की अमूल्य विरासत तथा खजाने के भण्डार हैं।

## 1.1 इस लेखापरीक्षा में शामिल संगठन

संस्कृति मंत्रालय अपने प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों के ढांचे के साथ कार्य करता है। चार्ट 1.1 मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना को दर्शाता है जो लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल संगठनों/निकायों को निरूपित करता है।

**चार्ट 1.1 : इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल संस्थाएं**

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों तथा संरक्षित स्थलों के बचाव के कार्य में लगा शीर्ष संगठन है। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों के अनुरक्षण के लिए पूरे देश को 24 परिमण्डलों तथा एक लघु परिमण्डल (लेह) में विभाजित किया गया है। परिमण्डल संरचनात्मक संरक्षण प्रभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष गतिविधियों हेतु 10[2] निदेशालय हैं।

---

[1] वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों के अनुसार

[2] बागवानी, विज्ञान, पुरालेख, उत्खनन, संग्रहालय, प्रकाशन, स्मारक, विश्व विरासत स्थल, संरक्षण तथा पुरावस्तु निदेशालय

भा.पु.स. की अध्यक्षता महानिदेशक द्वारा की जाती है, जिसे अतिरिक्त तथा संयुक्त महानिदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। स्मारकों के अनुरक्षण तथा संरचनात्मक संरक्षण हेतु उत्तरदायी परिमण्डलों की अध्यक्षता अधीक्षण पुरातत्वविद द्वारा की जाती है जिसे अभियन्ताओं तथा संरक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। परिमण्डल आगे उप-परिमण्डलों में विभाजित है जिनकी अध्यक्षता संरक्षक सहायक द्वारा की जाती है जो स्मारकों पर किए गए कार्यों हेतु प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं।

परिमण्डलों के अतिरिक्त, छः उत्खनन शाखाएं, दो मंदिर सर्वेक्षण परियोजनाएं, एक भवन सर्वेक्षण परियोजना तथा एक प्रागैतिहासिक शाखा भी इसके भाग हैं। पुरालेख महानिदेशलय के शाखा कार्यालय नागपुर, लखनऊ तथा मैसूर में हैं। बागवानी महानिदेशालय के आगरा, दिल्ली, मैसूर तथा भुवनेश्वर में चार परिमण्डलीय कार्यालय हैं। विज्ञान महानिदेशालय के तीन परिमण्डलीय कार्यालय तथा 11 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अप्रैल 2010 से भा.पु.स. ने संग्रहालय शाखा के क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए हैं जो दिल्ली, सारनाथ, गोवा तथा चेन्नई में थे। हमने देखा कि अक्तूबर 2012 में इन्हें परिमण्डलों में विलय करने का निर्णय लिया गया था।

मंत्रालय ने अपने अधीन अन्य संगठनों के माध्यम से भी कार्य किया जिसमें विभिन्न केन्द्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संस्कृति निधि (रा.सं.नि.) तथा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (रा.स्मा.प्रा.) शामिल है। इन संगठनों के ब्यौरे **अनुबंध-1.1** में दिए गए हैं।

## 1.2 कानूनी ढांचा

### 1.2.1 संवैधानिक अधिदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 51क (च) के अनुसार, 'हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत का आदर करना तथा रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा'।

**स्वतंत्र भारत में, संविधान ने इन स्मारकों तथा पुरात्विक स्थलों पर अधिकार क्षेत्र को निम्नानुसार विभाजित किया:**

- **संघ: प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्विक स्थल एवं अवशेष जिन्हें संसद ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया;**
- **राज्य: संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों के अतिरिक्त प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक**
- **इसके अतिरिक्त, संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित के अलावा पुरातत्विक स्थलों एवं अवशेषों पर दोनों, संघ तथा राज्यों, का समवर्ती अधिकार-क्षेत्र होगा।**

पुरातत्विक स्थलों की रक्षा बचाव हेतु प्रख्यापित महत्वपूर्ण अधिनियम निम्नानुसार हैं:

- भारतीय खजाना निधि अधिनियम, 1878 - भा.पु.स. की स्थापना के पश्चात प्रथम विधि जिसे इत्तफाफ से पाए परंतु पुरातत्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के खजाने की रक्षा तथा बचाव हेतु लागू किया गया।
- प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 - प्रभावी संरक्षण तथा स्मारकों, विशेष रूप में वे जो व्यक्तिगत अथवा निजी स्वामित्व की अभिरक्षा में थे, पर भा.पु.स. को प्राधिकार प्रदान करने हेतु लागू किया गया।
- प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्विक स्थल एवं अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम, 1951।
- प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 - 28 अगस्त 1958 में लागू, अधिनियम राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों के संरक्षण, पुरातत्विक उत्खनन के विनियमन तथा प्रतिमाओं, नक्काशियों तथा अन्य समान वस्तुओं की रक्षा का प्रावधान करता है। अधिनियम की अनुपालना प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. नियमावली 1959 से की गई थी।
- पुरावस्तुएं एवं बहुमूल्य कलाकृति (पु.ब.क.) अधिनियम 1972 - चल सांस्कृतिक सम्पदा, जिसमें पुरावस्तु तथा बहुमूल्य कलाकृति शामिल हैं, पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सितम्बर 1972 में लागू किया। पु.ब.क. अधिनियम की अनुपालना पु.ब.क. नियमावली 1973 से की गई थी जो 5 अप्रैल 1976 को लागू किए गए।
- प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. (संशोधन तथा मान्यता) अधिनियम 2010: अधिनियम प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम 1958 की धारा 20 का संशोधन करके स्मारक के आस-पास नियंत्रण एवं वर्जित क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करता है। इसमें राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की रचना का भी प्रावधान है।

प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम तथा पु.ब.क. अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान **अनुबंध 1.2** में दिए गए हैं।

## 1.3 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

### 1.3.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न पता लगाने के उद्देश्य से की गई थी:

- राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की पहचान, दस्तावेज, रक्षा संरक्षण तथा प्रदर्शन हेतु प्रयासों की पर्याप्तता।

- पुरावस्तुओं तथा उत्खनन स्थलों के उचित प्रलेखन, संरक्षण तथा रक्षा सहित उत्खनन परियोजनाओं का उचित प्रबंधन।
- विरासत संरक्षण को सुनिश्चित करने तथा इस क्षेत्र में नए मार्ग खोजने हेतु उपयुक्त सांस्थानिक तथा मॉनीटरिंग क्रियाविधि की मौजदगी।
- देश के मुख्य संग्रहालयों तथा भा.पु.स. के स्थल संग्रहालयों का उनके द्वारा संग्रहित की जा रही वस्तुओं के उचित अधिग्रहण, बचाव, संरक्षण तथा सुरक्षा सहित प्रभावी तथा दक्ष कार्य।
- संग्रहालय संचालन का पुरावस्तुओं के संग्रहण का प्रदर्शन करने तथा इसके माध्यम से लागों को शिक्षित करने के इसके कथित उद्देश्यों के संबंध में निष्पादन।
- संरक्षण परियोजनाओं, हेतु निधियों की प्राप्तियों का उपयोग, राजस्व सृजन, सरकारी खाते में राजस्व का प्रेषण तथा उसके लेखांकन सहित उचित वित्तीय प्रबंधन।



### 1.3.2 लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्त्रोत

भा.पु.स. के निष्पादन का मूल्यांकन दस्तावेजों के निम्नलिखित स्त्रोतों से उत्पन्न मापदण्ड के संदर्भ से किया था:

- स्मारकों तथा पुरावस्तुओं हेतु अधिनियम, नियम तथा विनियम;
- पुरावस्तुओं के अनुरक्षण तथा देखभाल के संबंध में विभिन्न दिशानिर्देश;
- पुरातत्विक निर्माण कार्य नियमावली तथा जॉन मार्शल की संरक्षण नियमावली जैसी स्मारकों तथा पुरावस्तुओं के संरक्षण से संबंधित नियमावली;
- पुरातत्विक निर्माण कार्य संहिता तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) नियमावली;
- अंतर्राष्ट्रीय घोषणापत्र अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद (अं.स्मा.स्थ.प.) तथा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा मरम्मत अध्ययन केन्द्र (अं.सां.स.स.म.के.); तथा
- केन्द्र सरकार के नियम एवं विनियम, जो लागू हों।

### 1.3.3 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा भा.पु.स. द्वारा संरक्षित एवं परिरक्षित राष्ट्रीय महत्व के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तक सीमित थी[3]। पुरावस्तुओं हेतु हमने मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन सात संग्रहालयों[4] तथा भा.पु.स. के नियंत्रण के अधीन 44 स्थल संग्रहालयों को शामिल किया। मंत्रालय द्वारा नियंत्रित अन्य संग्रहालयों के साथ तुलना करने हेतु छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुंबई, एक निजी संगठन[5] के कार्यों की भी जांच की गई थी। लेखापरीक्षा में शामिल अवधि की तिथि 2007-08 से 2011-12 तक थी। जहाँ कहीं निष्कर्ष तैयार करने में अवश्यकता पड़ी वहाँ पहले की अवधि तथा लेखापरीक्षा की तिथि लेखापरीक्षा के अभिलेखों की भी संवीक्षा की गई थीं।

निष्पादन लेखापरीक्षा में राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की लेखापरीक्षा को भी शामिल किया गया।



### 1.3.4 लेखापरीक्षा पद्धति

भारत सरकार (संस्कृति मंत्रालय) के सचिव के साथ 16 मई 2012 को प्रवेश सम्मेलन हुआ था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र तथा पद्धति को समझाया गया था। म.नि. भा.पु.स. तथा सभी सात संग्रहालयों के अध्यक्षों के साथ अलग प्रवेश सम्मेलन हुए थे।

लेखापरीक्षा दलों ने भा.पु.स. के विभिन्न अनुभागों/शाखाओं के साथ-साथ सात संग्रहालयों के अभिलेखों की संवीक्षा की। निष्पादन लेखापरीक्षा में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा दलों द्वारा स्मारकों तथा पुरावस्तुओं के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण को भी शामिल किया।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के उपरांत 3 जून 2013 को संस्कृति मंत्रालय, भा.पु.स. तथा अन्य संग्रहालयों के प्रमुखों के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेखा परीक्षित संस्थाओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर इस प्रतिवेदन को तैयार करते समय विचार किया गया है तथा इन्हें यथा संभव शामिल कर लिया गया है।

---

[3] इस लेखापरीक्षा में राज्य संरक्षित स्मारकों तथा अनारक्षित स्मारकों को शामिल नहीं किया था।

[4] राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली; भारतीय संग्रहालय, कोलकता; विक्टोरिया मैमोरियल हॉल, कोलकाता; इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद, सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद; एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता तथा एशियाटिक सोसाइटी, मुंबई

[5] संग्रहालय ने अपने आधुनिकीकरण परियोजना हेतु मंत्रालय से अनुदान प्राप्त की।

### 1.3.5 लेखापरीक्षा नमूना

भा.पु.स. के अधिकारियों के साथ संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण हेतु स्मारकों तथा स्थलों के नमूने का चयन उनके ऐतीहासिक महत्व तथा भौगोलिक प्रसार की दृष्टि से किया गया था। भा.पु.स. द्वारा अधिसूचित 3678 स्मारकों में से 1655 स्मारकों (45 प्रतिशत) का संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया था। परिमण्डल-वार ब्यौरे **अनुबंध-1.3** में दिए गए हैं।

### 1.3.6 लेखापरीक्षा सीमाएं

हमारे बार-बार अनुरोध के बावजूद, हमें निम्नलिखित सूचना तथा अभिलेख प्रदान नहीं किए गए थे:

| संगठन का नाम | प्रदान किए गए अभिलेखों/सूचना के ब्यौरे |
|---|---|
| **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण** | • बैंगलूरू भोपाल, चैन्नई, धारवाड़, हैदराबाद, लखनऊ पटना तथा श्रीनगर परिमण्डलों की अधिसूचना संरक्षण आदि सहित स्मारकों के ब्यौरे से संबंधित अभिलेख।<br>• विश्व विरासत स्थल को तैयार करने से संबधित फाईलें तथा अभिलेखः रानी-की-वाव, गुजरात तथा कुतुब शाही, हैदराबाद हेतु नामांकन फाईल[6]।<br>• चंपानेर, पावागढ़, गुजरात हेतु एकीकृत प्रबंधन योजना तैयार करने से संबंधित फाईलें तथा अभिलेख।<br>• मांजुली, असम के विश्व विरासत स्थल नामांकन हेतु 2002 तथा 2006 में सलाहकारों के चयन से संबंधित अभिलेख।<br>• 2012 में श्री प्रकाश चन्द्र, सलाहकार द्वारा भा.पु.स. की पुर्नसंरचना तथा पुनर्गठन हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट तथा उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई।<br>• 1965 की व्हीलर समिति की अनुशंसाए तथा भा.पु.स. द्वारा उस पर की गई कार्रवाई।<br>• सुरक्षा प्रबंधनों की जांच की समीक्षा तथा भा.पु.स. में निजी सुरक्षा गार्डों के निरूपादन का निर्धारण करने हेतु 2012 में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।<br>• आगरा परिमण्डल की कोस मीनार के संबंध में सूचना।<br>• स्मारकों पर तैनात पूर्ण कालिक सुरक्षा गार्डों के ब्यौरे। |

6 एक दस्तावेज जिसमें एक विश्व विरासत स्थल के रूप में किसी स्मारक/स्थल को अंकित करने हेतु यूनेस्कों द्वारा अपेक्षित सूचना शामिल है।

| | |
|---|---|
| राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण | • तकनीकी तथा प्रशासनिक कार्यों हेतु सलाहकारों की नियुक्ति तथा चयन से संबंधित फाईलें तथा अभिलेख।<br>• मामले, जनमें रा.स्मा.प्रा. ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र ने को अस्वीकृत करने की सिफारिश की थी, के संबंध में फाईलें तथा अभिलेख।<br>• मामले, जिनमें अधिक सूचना की मांग करते हुए आवेदन पत्र वापस किए गए थे, के संबंध में फाईलें तथा अभिलेख। |
| राष्ट्रीय संग्रहालय | • 'एए' वर्ग की वस्तुओं पर सूचना |



इन अभिलेखों के अभाव में हम यह आश्वासन देने में समर्थ नहीं थे कि इन मामलों में संबंधित विभागों द्वारा उचित प्रक्रिया का अनुपालन तथा लागू नियमों एवं विनियमों का पालन किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसने लेखापरीक्षा क्षेत्र में एक सीमा स्थापित की।

## 1.4 आभार

हम लेखापरीक्षा को पूरा करने के लिए संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा उसका फील्ड स्टाफ, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि, राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, विक्टोरिया मैमोरियल हॉल, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी, मुंबई तथा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय (छ.शि.म.वा.स.) के सहयोग तथा सहायता का आभार प्रकट करते हैं। संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान फील्ड स्तरीय स्टाफ द्वारा प्रदान योगदान को विशेष रूप से संरक्षण प्रक्रिया को समझने में काफी उपयोगी पाया गया।

# अध्याय – II

# स्मारकों की पहचान एवं सुरक्षा तथा उनका प्रलेखन



स्मारकों एवं स्थलों की समुचित सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु, पहला कदम उनकी पहचान करना था। प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम, 1958 केन्द्र सरकार को 'राष्ट्रीय महत्व के स्मारक' नामित करने के लिए प्राधिकृत करता है।

## 2.1 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक

प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अनुसार, सभी प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा सभी पुरातत्विक स्थलों एवं अवशेषों, जिन्हें प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातत्विक स्थल एवं अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम, 1951 द्वारा अथवा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 126 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया था उन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाएगा। अधिनियम में कहा गया कि **संरक्षित स्मारक** ऐतिहासिक, पुरातत्व अथवा कलात्मक अभिरूचि के प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष हों तथा जिनका अस्तित्व 100 वर्षों से कम नहीं होना चाहिए। तथापि, अधिनियम 'राष्ट्रीय महत्व' शब्द को निर्धारित मानदंडों के साथ वस्तुपरक दृष्टि से पारिभाषित नहीं करता था। यहां तक कि मंत्रालय ने भी अब तक किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए कोई विस्तृत मानदंड निर्धारित नहीं किये थे।

**हमने यह भी पाया है कि मंत्रालय ने भा.पु.सं. के माध्यम से केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के चिन्हित करने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण या समीक्षा नहीं करायी थी। भा.पु.स. परिमंडलों को भी नियमित आधार पर अधिसूचित करने के लिए, ऐसे असंरक्षित स्मारकों को ढूंढने और अनुशंसित करने के लिए कोई स्थायी निर्देश नहीं थे।**

**हमने पाया कि वे स्मारक जिन्हें स्वतंत्रता से पहले संरक्षित किया गया था तथा जो समय के साथ अपना महत्व खो चुके थे, उनकी अधिसूचना रद्द करने हेतु एक विस्तृत समीक्षा करने की आवश्यकता थी।**

मंत्रालय इससे सहमत था (मई 2013) कि राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित सभी प्राचीन स्मारकों एवं पुरातत्व स्थलों की समीक्षा और सर्वेक्षण करने की तत्काल आवश्कता है ताकि पता चल सके कि क्या वे अभी भी राष्ट्रीय महत्व के हैं।

## 2.2 संरक्षित स्मारक

प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम ने भा.पु.स. को किसी स्मारक को भारतीय राजपत्र में एक अधिनियम जारी करके राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए प्राधिकृत किया है। इसके पश्चात, स्मारकों की परिरक्षण और संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को आरंभ किया जाना था। हमने देखा कि भा.पु.स. ने संरक्षित स्मारकों की संख्या से संबंधित एक विश्वसनीय डाटाबेस का अनुरक्षण नहीं किया था।



इसके अतिरिक्त, भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा स्मारकों की संख्या के संबंध में प्रदान की गयी सूचना, परिमंडल/उप-परिमंडल कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से अलग थी। अंतरों को **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.1 संरक्षित स्मारकों की संख्या में अंतरों के विवरण**

| परिमंडल का नाम | भा.पु.स.मुख्यालय के अनुसार स्मारकों/स्थलों की संख्या | परिमंडल/उप-परिमंडल के अनुसार स्मारकों/स्थलों की संख्या | स्मारकों की संख्या में असंगति |
|---|---|---|---|
| बंगलूरू | 208 | 218 | 10 |
| भोपाल | 292 | 290 | 2 |
| चैन्नई | 410 | 411 | 1 |
| देहरादून | 44 | 42 | 2 |
| दिल्ली | 174 | 149 | 25 |
| धारवाड़ | 299 | 300 | 1 |
| जयपुर | 163 | 162 | 1 |
| कोलकाता | 136 | 137 | 1 |
| लखनऊ | 365 | 358 | 7 |
| पटना | 182 | 183 | 1 |
| रायपुर | 47 | 45 | 2 |
| रांची | 12 | 11 | 1 |
| त्रिस्सुर | 36 | 37 | 1 |
| वड़ोदरा | 214 | 213 | 1 |
| योग | | | **56** |

इसके अतिरिक्त, हमने भा.पु.स. द्वारा 2006 में वित्त मंत्रालय को और जून 2012 में संसद को संरक्षित स्मारकों के उपलब्ध कराये गये आंकड़ों में भी विसंगतियां देखी।

भा.पु.स. ने बताया (जुलाई 2012) कि स्मारकों की संख्या में विसंगतियां मुख्यतः नये परिमंडलों के गठन के कारण उपपरिमंडलों के विभाजन एवं परिमंडलों के अधिकार-क्षेत्र में परिवर्तनों के तत्काल बाद स्मारकों की सूची को अद्यतित नहीं करने के कारण आयी थी। मंत्रालय का उत्तर, परिमंडलों के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करता है क्योंकि इस आधारभूत सूचना का समय पर अद्यतन विभिन्न पणधारकों के लिए आवश्यक है।

भा.पु.स. के नियंत्रण के अधीन स्मारकों की यथार्थ संख्या के विवरण का अभाव इन राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के उचित संरक्षण, परिरक्षा एवं संरक्षण में व्यवधान का कारण बनेगा।

***अनुशंसा 2.1:*** *संरक्षित स्मारकों की सूची को अद्यतित एवं सुमेलित किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक उप-परिमंडल, परिमंडल एवं पूरे भा.पु.स. के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों की संख्या के संबंध में किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे।*



## 2.3 स्मारकों की अधिसूचना एवं स्मारकों की अधिसूचना को रद्द करने में कमियाँ

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, यदि केन्द्र सरकार का मत हो कि कोई प्राचीन स्मारक अथवा स्थल या अवशेष, जो धारा 3 में शामिल न हों, राष्ट्रीय महत्व का है, तो वह, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, ऐसे प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल एवं अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय के दो माह का नोटिस दे सकता है। ऐसी प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति स्मारक अथवा स्थल या अवशेषों के नजदीक किसी प्रमुख स्थान पर चिपकायी जाएगी। दो माह की कथित अवधि के उपरांत एवं आपत्तियों पर विचार करने के बाद, यदि कोई हो, प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल एवं अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाना था। इस प्रकार, अधिसूचना स्मारकों या स्थलों को "संरक्षित" होने की आधिकारिक स्थिति देता है। स्मारकों की अधिसूचना जारी करने और अधिसूचना को रद्द करने की व्यवस्था में निम्नलिखित कमियां उद्‌घटित हुई थीं।

### 2.3.1 अधिसूचना जारी करने के मामले

भा.पु.स. के अंतर्गत परिमंडलों के लिए स्मारकों की संरक्षा हेतु आवधिक रूप से अनुशंसाएं भेजने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं बनायी गयी थी। तथापि, कभी-कभार परिमंडल की पहल पर या किसी वी.आई.पी. संदर्भ के आधार पर, परिमंडलों से अधीक्षण पुरातत्वविद (परिमंडल के प्रभारी) के निरीक्षण नोट के साथ विस्तृत प्रस्ताव भा.पु.स. प्राप्त करता था।

इन प्रस्तावों की संयुक्त म.नि. की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक समिति (2006 में म.नि.भा.पु.स. द्वारा नियुक्त) के द्वारा संवीक्षा की जानी अपेक्षित थीं। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, मंत्री के अनुमोदन की आधिकारिक राजपत्र में एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी करना

आवश्यक था। हमने पाया कि समिति ने 2006 से केवल चार बैठकें आयोजित की थी। विभिन्न परिमंडलों द्वारा 1996 से लेकर अब तक स्मारकों को संरक्षण के लिए प्रस्तुत 78 प्रस्तावों में से केवल 53 को ही समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। अन्य प्रस्तावों को समिति द्वारा उन पर विचार करने के पूर्व ही अस्वीकृत कर दिया गया था, जिसके लिए अभिलेखों में कोई कारण दर्ज नहीं थे। समिति द्वारा संवीक्षित एवं अनुशंसित प्रस्तावों के विवरण इस प्रकार थेः-

**तालिका 2.2 संवीक्षा एवं अनुशंसित प्रस्तावों की अधिसूचना का विवरण**

| बैठक की तिथि | संवीक्षित प्रस्ताव | अनुशंसित प्रस्ताव |
|---|---|---|
| **30 मई 2007** | 6 | 2 |
| **11 जनवरी 2008** | 14 | 6 |
| **23 सितम्बर 2008** | 31 | 24 |
| **22 मई 2012** | 2 | 2 |
| **योग** | 53 | 34 |

तथापि, 2007 से समिति द्वारा 34 अनुशंसित स्मारकों में से केवल 2 ही अब तक अधिसूचित किये गये थे। हमने अधिसूचना हेतु मामलों को तैयार करने में, कुछ मामलों में 16 वर्ष से अधिक समय लंबित होने के साथ असामान्य विलंब पाया, क्योंकि परिमंडलों/कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 1996 से ही लंबित पड़े थे।

नौ मामलों में प्रारंभिक अधिसूचना प्रस्तावों को 2009 में प्रधानमंत्री (उस समय के संस्कृति मंत्री) द्वारा अनुमोदित किया गया था परंतु 2012 तक इन नौ में से केवल एक स्मारक ही अधिसूचित किया गया था।

मंत्रालय ने (मई 2013) बताया कि परिमंडलों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि ये अपूर्ण थे और औपचारिकताएं पूरी किये बगैर भेजे गये थे। बहुत से मामलों में दिया गया औचित्य तर्कसंगत नहीं था। उत्तर वैध नहीं है चूंकि हमने अभिलेखों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं देखा कि संबंधित परिमंडलों को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कथित कमियों को बताया गया था।

### 2.3.2 अधिसूचना रद्द करने के मामले

प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम 1958 की धारा 35 के अनुसार, केन्द्र सरकार का मत हो कि कोई प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक या पुरातत्व स्थल एवं अवशेष राष्ट्रीय महत्व का नहीं रहा तो उस मामले में, यह इसकी घोषणा कर सकती है।

हमने देखा कि पिछले 46 वर्षों से परिमंडलों ने स्मारकों की अधिसूचना को रद्द करने के लिए 26 प्रस्ताव मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किये कि ये खो गये या पता नहीं चल रहा है, जिसमें जनरल निकोल्सन प्रतिमा सम्मिलित थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 1960 में आयरलैण्ड सरकार को उपहार में दे दिया गया था तथापि, इन स्मारकों की अधिसूचना को दिसम्बर 2012 तक रद्द नहीं किया गया था।

हमने अधिसूचना रद्द करने के प्रस्तावों को भेजने में परिमंडल स्तर पर भी काफी विलंब देखे, इस बात को जानने के बावजूद कि स्मारक का कहीं पता नहीं है। उदाहरण के लिए, दिल्ली परिमंडल में कुदसिया बाग में दो 'शिलालेख युक्त परिवेष्ठित बैटरियां' जिनका 1971 से ही कोई पता नही चल रहा था। इन स्मारकों की अधिसूचना को रद्द करने का प्रस्ताव जुलाई 2012 में जाकर प्रस्तुत किया गया था।

अन्य मामलें में, दिल्ली परिमंडल द्वारा "सत्यनारायण भवन" स्मारक के लिए 2003 में जारी अधिसूचना को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था तथापि, स्मारक की अधिसूचना को रद्द नहीं किया गया था और वह संरक्षित स्मारकों की सूची में अभी भी मौजूद था। इस स्मारक के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण में उद्घाटित हुआ कि मालिकों ने भवन को ध्वस्त कर दिया था, परन्तु परिमंडल कार्यालय के पास इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी। स्मारक, भा.पू.स. के अभिलेखों में अभी भी संरक्षित था।

## 2.4 संरक्षित स्मारकों की अव्यवस्थिति एवं संरक्षित स्मारकों की वास्तविक अवस्था

चयनित स्मारकों के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान हमने देखा कि भा.पु.स. के अधिकारीगण संरक्षा हेतु उन्हें सुपुर्द स्मारकों के सटीक स्थान एवं वास्तविक अवस्था/प्रकृति से बहुधा अनभिज्ञ थे जैसे कि नीचे चर्चा की गयी है:-

- भोपाल परिमंडल में रेवा उप-परिमंडल में रेवा में **"गहिर फ्रेस्को पेंटिंग्स, रेवा"** नामक एक केन्द्र द्वारा संरक्षित एक रॉक पेंटिंग दिखायी थी। परिमंडल इस संरक्षित स्मारक के अस्तित्व एवं सटीक स्थान से अनभिज्ञ था।

- दिल्ली परिमंडल, कश्मीरी गेट उप-परिमंडल के अन्तर्गत, "1857 में मारे गये लेफ्टिनेंट एडवर्ड और अन्य के कब्रगाह के रूप में सूचीबद्ध संरक्षित स्मारकों" का हमारे साथ संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान, इन स्मारकों के सही स्थान का पता नहीं लगा पाया।

- संरक्षित स्मारक "चुम्मरी परिसर, तेजपुर, असम में मूर्तियों," में से एक मूर्ति को तेजपुर नगर बोर्ड द्वारा 1995-96 में पर्यावरण पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया था। गुवाहटी परिमंडल ने म.नि.भा.पु.सं. से स्मारक की अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध (1997)

किया, जबकि नगर निगम ने 1998 में म.नि.भा.पु.स. को स्थानांतरण हेतु अनुमति देने का अनुरोध किया था जिसके लिए अभी तक म.नि.भा.पु.सं. द्वारा सहमति नहीं दी गयी थी। गुवाहाटी परिमंडल ने जुलाई 2008 में निरीक्षण के बाद पाया कि संरक्षित क्षेत्र में एक विद्यालय भवन का निर्माण हुआ था।

उपर्युक्त मामले दर्शाते हैं कि भा.पु.स. द्वारा निरीक्षण का तंत्र पूरी तरह से अपर्याप्त था परिमंडल/उप-परिमंडल स्तर पर नियमित निरीक्षण के प्रतिमान अनुपस्थित थे, जो संरक्षित स्थलों की अव्यवस्थिति तथा स्थिति के बारे में अपर्याप्त सूचना में परिणत हुआ।

मंत्रालय ने (मई 2013) उत्तर दिया कि सूचना संभवतः उप-परिमंडल के कम जानकारी रखने वाले फील्ड स्टाफ से एकत्रित की गयी थी। इस प्रकार के पेचीदा मामलों पर संबंधित परिमंडल के अ.पु. के साथ चर्चा की जानी चाहिए थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उप-परिमंडलों का फील्ड स्टाफ ही स्मारकों की दैनंदिन आधार पर रख-रखाव करता है। इसके अतिरिक्त अ.पु. को हमारे द्वारा दौरा करने से पहले तथा बाद में सूचित किया गया था।

## 2.5 "गुम" स्मारकों की संख्या

भा.पु.स. ने (2006) मंत्रालय को सूचित किया कि केन्द्र द्वारा संरक्षित कुल स्मारकों में से 35 का पता नहीं चल रहा था। आंकड़ों की जानकारी उसी वर्ष संसद को भी दे दी गयी थी। यही सूचना फिर जून 2012 में दी गयी थी। तथापि भा.पु.स. के अधिकारीगणों के साथ किये गये संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण ने उजागर किया कि हमारे द्वारा चयनित 1655 (45 *प्रतिशत*) स्मारकों के नमूने में, 92 स्मारक (6 *प्रतिशत*) (**अनुबंध 2.1** में विवरण) का पता नहीं चल रहा था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:-

**तालिका 2.3 गुम स्मारकों की संख्या के विवरण**

| क्रं.सं. | राज्य | संसद को बताये गये"गुम" स्मारको की संख्या | संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन के अनुसार गुम स्मारकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | असम | 1 | 6 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 1 | |
| 3. | दिल्ली | 12 | 15 |
| 4. | गुजरात | 2 | 2 |
| 5. | हरियाणा | 2 | 2 |
| 6. | जम्मू एवं कश्मीर | 3 | 3 |
| 7. | कर्नाटक | 1 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | मध्य प्रदेश | - | 2 |
| 9. | राजस्थान | 2 | 3 |
| 10. | उत्तराखण्ड | 3 | 2 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 8 | 16 |
| 12. | आंध्र प्रदेश | - | 8 |
| 13. | पश्चिम बंगाल | - | 7 |
| 14. | महाराष्ट्र | - | 8 |
| 15. | तमिलनाडु | - | 3 |
| 16. | बिहार | - | 11 |
| | योग | 35 | 92 |



हमने पाया कि देहरादून परिमंडल (उत्तराखंड) में एक स्मारक, "**स्थानीय रूप से वैरतपत्तन के रूप में चिन्हित प्राचीन भवनों के अवशेष, घिकुलि, नैनीताल**" के लापता होने की सूचना म.नि.,भा.पु.स. द्वारा संसद को दी गयी थी। तथापि, यह स्मारक परिमंडल कार्यालय के अभिलेखों में अभी भी दिखाया जा रहा था। परिमंडल कार्यालय ने 2011-12 के दौरान स्मारकों के अनुरक्षण पर कथित रूप से व्यय भी किया गया था।

***अनुशंसा 2.2:*** *भा.पु.स. को प्रत्येक स्मारक को एक उपयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा आवधिक रूप से निरीक्षण के लिए एक प्रावधान बनाना चाहिए। भा.पु.स. को इसके द्वारा संरक्षित किये जा रहे प्रत्येक स्मारक का विस्तृत निरीक्षण नोट एवं ऐसे निरीक्षण के दौरान नियमित आधार पर एकत्रित फोटोग्राफिक साक्ष्यों के आधार पर स्थिति प्रकाशित करनी चाहिए।*

मंत्रालय ने (मई 2013) अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया और बताया कि संसद को सूचित गुम स्मारकों की संख्या अर्थात 35, 1998-99 में किये गये एक सर्वेक्षण पर आधारित थी। हमने पाया कि मंत्रालय के पास गुम स्मारकों की संख्या पर सही एवं अद्यतित स्थिति उपलब्ध नहीं थी। हम अभिलेखों में किसी प्रलेखीय साक्ष्य के अभाव में मंत्रालय के उत्तर को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।

मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि निरीक्षण के आधार पर, 35 स्मारकों में से नौ का ढूंढा जाना बताया गया है, परन्तु अंतिम सत्यापन एवं पुष्टिकरण अभी किया जाना बाकी है। तथापि, कराये गये सर्वेक्षण, यथा स्मारकों की वर्तमान स्थिति की तस्वीरों के साथ निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में कोई प्रलेखीय साक्ष्य हमें दावे के समर्थन में नहीं दिखाया जा सका।

## 2.6 अधिसूचना जारी करने में विसंगतियां

### 2.6.1 अधिसूचना जारी करने के मानदंड

भारत सरकार के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करने के बाद ही किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। तथापि, हमने पाया कि एक परिसर में एकल स्मारक के रूप में या स्वतंत्र स्मारक के रूप में स्मारकों की संख्या को अधिसूचित करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट मानदंड नहीं था। भा.पु.स. द्वारा एक ही परिसर में एक से अधिक स्मारक को अधिसूचित करने के मामले भी थे जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:-

**तालिका 2.4: मामलों के विवरण जहां एक से अधिक स्मारक एक ही परिसर में अधिसूचित किये गये थे**

| परिमंडल | परिसर जहां एक से अधिक स्मारक अधिसूचित किये गये थे | अधिसूचित स्मारकों की संख्या |
|---|---|---|
| दिल्ली | रोशनआरा बाग परिसर | 2 |
| | कुदसिया बाग परिसर | 2 |
| पटना | बाराबार एवं नागार्जुनी पहाड़ियां, जहांनाबाद | 7 |
| | कुरीसराय, गया | 5 |
| | राजगीर में प्राचीन संरचनाएं, नालंदा | 3 |
| | मनेर, पटना | 4 |
| | जौनपुर में शर्की स्मारक | 4 |
| धारवाड़ | महा दुर्गा मंदिर परिसर, बीजापुर | 8 |
| | ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर, बीजापुर | 6 |
| | मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर, बीजापुर | 4 |
| | गलगंथ मंदिर समूह, बीजापुर | 6 |
| | कोटीगुड़ी, बीजापुर | 2 |
| | हच्चप्पय्या माथा, बीजापुर | 2 |
| | त्र्यम्बकेश्वर मंदिर परिसर | 3 |
| देहरादून | जागेश्वर मंदिर परिसर, अलमोड़ा | 6 |

ऐसे भी मामले थे जहां एक परिसर के अंदर स्वतंत्र संरचनाओं को एक स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया था। ऐसे वर्गीकरणों के कुछ उदाहरण थे दिल्ली परिमंडल में लाल किला और कुतुब परिसर, धारवाड परिमंडल में बहमनी कब्रों का समूह, बंगलुरू परिमंडल में हेमकुंती पहाड़ियों पर मंदिरों के समूह।

किसी स्मारक को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में मान्यता देने के लिए किसी एकरूप मानक के अभाव में, हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि स्मारकों के सुरक्षा मामलों एवं बजटीय आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से निर्धारण तथा निपटान किया गया था।

***अनुशंसा 2.3:*** *एक परिसर में स्मारकों की संख्या को एक स्मारक के रूप में या स्वतंत्र स्मारक के रूप में अधिसूचित करने के लिए दिशानिर्देशों को स्पष्टतः निर्धारित करने की आवश्यकता है।*

मंत्रालय ने (मई 2013) सूचित किया कि अब भा.पु.स. परिसर में स्थित प्रत्येक स्मारक के लिए अलग अधिसूचना के बजाय पूरे परिसर के लिए केवल एक अधिसूचना जारी करने के मानदंड का पालन करता है।

हमने कुछ मामले देखे जहां स्मारक की पूरी संरचना को अधिसूचित करने की बजाय, स्मारक के सिर्फ कुछ हिस्सें को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया था और शेष हिस्से को असंरक्षित छोड़ दिया गया था। विवरण नीचे दिये गये है:-

**तालिका 2.5 विवरण जहां स्मारक के हिस्से संरक्षित घोषित नहीं किये गये थे**

| परिमंडल | संरक्षित स्मारक का नाम | संरक्षित स्मारक के रूप में परिभाषित नहीं किया गया क्षेत्र |
|---|---|---|
| दिल्ली | शाहजहांनाबाद, दरियागंज के शहर की दीवार | सड़क पार की दीवार के कुछ हिस्सों को असंरक्षित छोड़ दिया गया था। |
| धारवाड़ | चंद्रगिरि की पहाडियों पर बसदीस, श्रवणबेलागोला | 14 बसदीस में से, 11 को संरक्षित घोषित नहीं किया गया और असंरक्षित छोड़ दिया गया। |
| देहरादून | जगेश्वर मंदिर समूह | 124 मंदिरों में से, 118 मंदिरों संरक्षित घोषित नहीं किये गये थे। |
| चण्डीगढ़ | 63 कोस मीनारें | तरण-तारण में कोस मीनार संरक्षित नहीं थी। |
| त्रिस्सुर | चट्टानें काट कर बनायी गयी गुफा, विझीनजम | चारदीवारी के बाहर तरफ शिलाखंड का विस्तारित हिस्सा संरक्षित नहीं था। |
| त्रिस्सुर | कुडक्कल्लु परम्बु में कब्रगाह | संरक्षित क्षेत्र के बाहर उत्खनित न किये गये कब्रगाह। |

संबंधित परिमंडल ऐसे मामलों में अपनाए गये वर्गीकरण के लिए कोई प्रलेखित कारण उपलब्ध नहीं करा सके।

मंत्रालय ने (मई 2013) सूचित किया कि शाहजहांनाबाद के शहर की दीवार, दरियागंज का हिस्सा संरक्षित घोषित नहीं हुआ था क्योंकि यह अतिक्रमित किया हुआ था। देहरादून परिमंडल में छोटे मंदिर संरक्षित नहीं थे और चण्डीगढ़ परिमंडल में केवल महत्वपूर्ण कोस मीनारें ही संरक्षित थी। मंत्रालय ने अपने तर्क के समर्थन में कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रदान नहीं किया।

## 2.6.2 दोहरी अधिसूचनाएं

हमने पाया कि भा.पु.स. ने स्थलों एवं संरचनाओं के पूर्ण विवरण के साथ संरक्षित स्मारकों की किसी केन्द्रीकृत वस्तु सूची का अनुरक्षण नहीं किया था। इसी प्रकार, भा.पु.स. के पास विभिन्न राज्यों द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूचना भी नहीं थी। अतः अधिसूचना हेतु किसी नये प्रस्ताव की उनके द्वारा पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकेगा। परिणामस्वरूप, हमने पाया कि भा.पु.स. द्वारा कुछ स्मारकों को दो बार अधिसूचित किया गया था। उदाहरणार्थ, दिल्ली में हौज शम्सी[7] को शम्सी तालाब[8] के रूप में भी अधिसूचित किया गया था और कुतुब परिसर[10] को अधिसूचित करते समय लौह हिन्दू स्तंभ[9] को भी शामिल किया गया था। ऐसे मामले अधिसूचनाओं की समग्र समीक्षा की मांग करते हैं।

मंत्रालय ने (मई 2013) उत्तर दिया कि दोहरी अधिसूचनायों के मामले 1908 से 1925 के मध्य की गयी गलती का परिणाम था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि भा.पु.स. द्वारा सभी मामलों को मेरिट पर सुधारने के प्रयास किये जाएंगे।

## 2.6.3 सूची में सम्मिलित यद्यपि अंततः अधिसूचित नहीं किये गये स्मारक

प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम, की धारा 4 के अनुसार, भारत के राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत ही किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक कहा जा सकता है। हमने, तथापि ऐसे मामले पाए जहां भारत के राजपत्र में अंतिम अधिसूचना जारी नहीं

---

[7] 7485 ई.डी.यू. दिनांक 25.10.1918 के द्वारा "फील्ड सं. 157-81, 1586-97, 1614 एवं 1624 में महरौली में अवस्थित केन्द्रीय लाल पत्थर मंडप के साथ हौज शम्सी" के रूप में अधिसूचित।

[8] महरौली में प्लेटफॉर्म प्रवेश दवारों के साथ शमसीद तालाब के रूप में पंजाब अधिसूचना सं. 37 दिनांक 15.02.1908 के द्वारा अधिसूचित।

[9] अधिसूचना सं. पंजाब राजपत्र 849 दिनांक 09.12.1909

[10] अधिसूचना सं. 387 ई.डी.यू. दिनांक 16.01.1914

होने (फरवरी 2013) के बावजूद स्मारकों को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया था। विवरण **अनुबंध-2.2** में दिये गये हैं।

मंत्रालय ने (मई 2013) बताया कि सभी ऐसे मामलों को संरक्षित स्मारकों के प्रत्यक्ष सत्यापन के समय ध्यान रखा जाएगा।

## 2.6.4 जल्दी में की गयी अधिसूचनाओं के मामले



हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने ऐसे मामले पाए जहां अतिक्रमण वाले स्थल अथवा अनाधिकृत कब्जों को अधिसूचित किया गया था। ऐसे मामलों में, अधिसूचना के बाद मुकदमें शुरू हो गये। इसके फलस्वरूप, भा.पु.स. स्थलों पर किसी प्रकार के परिरक्षण कार्य शुरू करने में असमर्थ था कुछ उदाहरणमूलक मामले निम्नलिखित थेः

i. 2004 में भा.पु.स. ने कोलकाता परिमंडल में तमलुक राजबाटी के रूप में एक भवन की जगह के स्वामी की आपत्ति के बावजूद अधिसूचित किया। स्वामी ने दावा किया कि जीर्ण-शीर्ण भवन झुलान दालान (इमारत) था तमलुक राजबाटी नहीं। चूंकि स्मारक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था, परिमंडल ने मरम्मत के बाद इमारत के अंदर तमलुक स्थल संग्रहालय कों स्थानांतरित करने की योजना बनाई। 2004 में इमारत के मालिक अधिसूचना को चुनौती देते हुए अदालत में चले गये। फलस्वरूप, मामले विचाराधीन हो गये। दिसम्बर 2012 तक, अधिसूचना के बाद आठ वर्ष बीत जाने के बावजूद, भा.पु.स., सुरक्षा सूचना पट्ट भी नहीं लगा पाया था। मामलों के परिणाम लंबित होने से परिमंडल कार्यालय द्वारा कोई मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

ii. भा.पु.स. ने कोलकाता परिमंडल में जून 2011 में दो स्मारकों, नामतः "बड़ाकोठी के नाम से प्रसिद्ध क्लाइव हाऊस" मार्च 2004 में और "मोती झील मस्जिद" जून 2011 में, को अधिसूचित किया था। क्लाइव हाऊस 22 परिवारों के कब्जे में था, जबकि मोती झील मस्जिद एक इस्लामिक स्कूल (मदरसा) एवं कुछ परिवारों के कब्जे में थी। हमने पाया कि ये दोंनों ही स्मारक इन्हें संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित होने के पहले से ही कब्जे में थे। परिणामस्वरूप, भा.पु.स. स्मारक के अतिक्रमकों के रूप में अधिवासियों के विरूद्ध कार्रवाई करने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त, भा.पु.स. इन स्मारकों पर कोई संरक्षण/ परिरक्षण गतिविधियां आरंभ करने में भी असमर्थ था।

ऐसी स्थितियों में, स्थलों की अधिसूचना का कोई मतलब नहीं था।

***अनुशंसा 2.4:*** *भा.पु.स. के पास विवादास्पद स्वामित्व एंव अधिवासियों वाले स्थलों की अधिसूचना हेतु एक निर्धारित नीति होनी चाहिए। इन स्थलों को सभी विवादों के सुलझ जाने तक नामांकन हेतु अस्थायी सूची में रखा जा सकता है।*

मंत्रालय ने (मई 2013) बताया कि ऐसे कदम, अधिवासियों एवं राज्य सरकारों द्वारा, आश्वासन दिये जाने पर उठाये गये थे। तथापि, भा.पु.स. ने अब एक निर्णय लिया है कि किसी स्मारक अथवा स्थल को विशेषतः तभी संरक्षित घोषित किया जाएगा जब यह स्वामित्व अधिकारों के साथ सभी बाधाओं से मुक्त हो।

### 2.6.5 केन्द्र एवं राज्य दोनों द्वारा संरक्षित स्मारक



हमने ऐसे भी मामले देखे जहां एक स्मारक भा.पु.स. एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा अधिसूचित एवं संरक्षित था, उदाहरणार्थ, गुटुर में खंडहार धरणीकोटा में किला एवं समल्कोट में भीमेश्वर मंदिर, पूर्वी गोदावरी जिला। ये भा.पु.स., हैदराबाद परिमंडल एवं राजकीय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, आंध्र प्रदेश द्वारा अधिसूचित किये गये थे। भा.पु.स. ने इन स्मारकों को क्रमशः 1967 एवं 1964 में अधिसूचित किया था। भा.पु.स. ने बताया (सितम्बर 2012) कि राजकीय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग से इन स्मारकों को राज्य सूची से हटाने का अनुरोध किया जाएगा।

इसी प्रकार भा.पु.स. द्वारा संरक्षित जौनपुर में पटना परिमंडल के एक स्मारक "एक छोटे हाथी पर खड़े विशालकाय सिंह का पत्थर समूह" का एक हिस्सा (सिंह प्रतिमा), राज्य पुरातत्व विभाग, उत्तर प्रदेश की संरक्षित सूची में भी शामिल था।

ये मामले अधिसूचना प्रक्रिया, राज्य पुरातत्व विभाग के साथ समन्वय में अंतराल तथा अधिसूचना के समय अपूर्ण प्रलेखन को दर्शाते हैं।

### 2.6.6 पुनरावृत्त अधिसूचना तथा अधिसूचना रद्द करना

कुछ मामलें देखे गये जहां स्थलों को बिना कोई कारण दर्ज किये अधिसूचित, अधिसूचना को रद्द एवं दोबारा अधिसूचित किया गया था। उदाहरणार्थ पंजाब के फिरोजपुर में मुडकी, सबरांवए सारागढ़ी, फिरोजशाह एवं मिसरीवाला में 19 वीं शताब्दी में आंग्ल-सिख युद्धों के स्मरण में पांच स्मारक, नवम्बर 1918 में घोषित राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों की सूची में पहले से थे। तत्पश्चात भा.पु.स. द्वारा अलिखित कारणों से सं. 8181 दिनांक 13 अप्रैल 1927 एवं सं. 1693 दिनांक 22 मई 1962 के माध्यम से उनसे संरक्षण हटा लिया गया। तथापि 2006 में, भा.पु.स. ने इन पांच स्मारकों को एक बार फिर केन्द्र द्वारा संरक्षण हेतु चिन्हित किया गया परंतु आगे कोई कार्रवाई नहीं की। वर्तमान में (दिसम्बर 2012), ये स्मारक अभी भी राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किए जा रहे थे और जर्जर अवस्था में पाये गये।

### 2.6.7 100 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही संरक्षित स्मारक

प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम 1958 के अनुसार "प्राचीन स्मारक" है, कोई संरचना, निर्माण अथवा स्मारक या कोई स्तूप या नजरबंदी का स्थान, या कोई गुफा, शिला मूर्ति, शिलालेख या

एकल शिला स्तंभ, जो ऐतिहासिक पुरातत्व अथवा कलात्मक अभिरूचि का हो और जो 100 वर्ष से कम से अस्तित्व में न हो।

हमने कुछ ऐसे स्मारकों के भा.पु.स. द्वारा संरक्षित घोषित करने के मामले पाए जो अधिसूचनाओं के समय 100 वर्ष पूर्ण करने के मानदंड को पूरा नहीं करते थे। उदाहरणार्थ कोलकाता परिमंडल में "कूच बिहार पैलेस" 1982 में 100 वर्ष पूर्ण होने के पहले अधिसूचित किया गया था। कोलकाता परिमंडल ने सूचित किया कि यह एक विशेष मामला था। हम इस तर्क की सराहना नहीं कर सकते चूंकि ऐसी कोई छूट अधिनियम में उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार का एक मामला दिल्ली परिमंडल में देखा गया था जहां "सत्य नारायण भवन" नामक एक स्मारक 2003 में अधिसूचित किया गया था। तथापि, जब मालिक दावे पर लड़े, भा.पु.स. अदालत में सिद्ध नहीं कर पाया कि भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना था। अदालत ने अधिसूचना को 2007 मे खारिज कर दिया। स्मारक की अधिसूचना को रद्द करना अभी भी लंबित था।



## 2.6.8 स्मारकों के रूप में संरक्षित पुरावस्तुएं

**प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम, 1958 के अनुसार स्मारक की परिभाषा निम्नानुसार दी गयी थी:**

"प्राचीन स्मारक" का आशय है कोई संरचना, निर्माण अथवा स्मारक या कोई स्तूप या नजरबंदी का स्थान, या कोई गुफा, शिला-मूर्ति, शिलालेख या एकल शिला-स्तंभ, जो ऐतिहासिक, पुरातत्व अथवा कलात्मक अभिरूचि का हो और जो सौ वर्षों से कम से अस्तित्व में न हो, और वह सम्मिलित है:-

(i) किसी प्राचीन स्मारक के अवशेष

(ii) प्राचीन स्मारक का स्थल

(iii) किसी प्राचीन स्मारक के स्थल से जुड़ी हुई भूमि का ऐसा भाग जो घेराबंदी करने या आवृत करने या अन्य प्रकार से ऐसे स्मारक के संरक्षण हेतु आवश्यक हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन स्मारक तक पहुंचने या सुविधाजनक निरीक्षण के माध्यम";

हमने पाया कि भा.पु.स. अनेक ऐसे स्मारकों का संरक्षण कर रहा था जो अधिनियम के अनुसार स्मारक में सम्मिलित नहीं होते थे। कुछ उदाहरण तोप, बंदूकें, झूला, प्रतिमा आदि हैं जो भा.पु.स. द्वारा राष्ट्रीय महत्व के केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के रूप में संरक्षित किये जा रहे थे। इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं दिये गये कि इन्हें स्मारकों के रूप में संरक्षित क्यों किया गया था और पुरावस्तओं के रूप में क्यों नहीं। ऐसे स्मारकों की एक सूची **अनुबंध 2.3** में दी गयी है।

## 2.7 स्मारकों का वर्गीकरण

प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. (संशोधन एवं मान्यकरण) अधिनियम 2010 की धारा 4 के अनुसार, केन्द्र सरकार, प्राधिकरण की अनुशंसा पर, राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन स्मारकों या पुरातत्व स्थलों अथवा अवशेषों के संबंध वर्ग निर्धारित करेगी। केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (रा.स्मा.प्रा.) की अनुशंसा पर, सभी प्राचीन स्मारकों या पुरातत्व स्थलों तथा अवशेषों को उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित वर्गों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करेगी और उसके बाद इसे जनता के लिए उपलब्ध करायेगी और अपनी वेबसाइट पर तथा अन्य ऐसे मामलों में जिसे यह ठीक समझे, इसे प्रदर्शित करेगी।



भा.पु.स मुख्यालय ने 2011 में अधिसूचित किया कि सभी स्मारकों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाये:

**तालिका 2.6 विभिन्न वर्गों के स्मारकों के विवरण**

| वर्ग I | विश्व विरासत स्थल |
|---|---|
| वर्ग II | विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची |
| वर्ग III | विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल करने के लिए चिन्हित |
| वर्ग IV | टिकट वाले स्मारक (उपरोक्त के अलावा ) |
| वर्ग V | टिकट वाले स्मारकों के रूप में वर्गीकरण हेतु चिन्हित |
| वर्ग VI | प्रचलित स्मारक जहां बड़ी संख्या में आगंतुक/तीर्थयात्री आते थे |
| वर्ग VII | ग्रामीण/अर्द्ध ग्रामीण सीमाओं तथा अन्य सूदूर गांवों में अव्यवस्थित स्मारक |
| वर्ग VIII | अन्य वर्ग जैसा प्राधिकरण ठीक समझे |

हमने पाया कि वर्गीकरण का अनुपालन केवल गुवाहाटी परिमंडल द्वारा किया जा रहा था। किसी अन्य परिमंडल ने इस वर्गीकरण को अभी तक शुरू नहीं किया था। इस गतिविधि को पूर्ण करने के लिए कोई विस्तृत दिशानिर्देश या समयाविधि निर्धारित नहीं की गयी थी।

इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि आगंतुकों की संख्या पर कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था जैसा वर्ग VI के लिए आवश्यक था। वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु इस सूचना को एकत्रित करने के लिए कोई निर्देशन नहीं था।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि संरक्षित स्मारकों/स्थलों का वर्गीकरण रा.स्मा.प्रा. का उत्तरदायित्व था, भा.पु.स. का नहीं। तथ्य यह है कि स्मारकों/स्थलों को वर्गीकृत नहीं किया गया था और उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त चूंकि संरक्षित

स्मारकों का संरक्षक होने के कारण भा.पु.स. को प्रत्येक संरक्षित स्मारक/स्थल हेतु को रा.स्मा.प्रा. के अनुमोदनार्थ वर्गों को केवल प्रस्तावित करना चाहिए।

## 2.8 संरक्षित स्मारकों तक पहुंच

### 2.8.1 स्मारकों में अप्राधिकृत गतिविधियां

जॉन मार्शल की संरक्षण नियम पुस्तिका के पैरा 26 के अनुसार, सजीव स्मारक, वह संरचनाएं है जोकि अभी भी उसी उद्देश्य के लिए उपयोग में है जिसके लिए वह स्मारक की अधिसूचना के समय पर मूल रूप से डिजाइन की गई थी। इसका तात्पर्य था कि कोई भी गतिविधि, जैसे कि पूजा जो कि स्मारक में बाद में शुरू की गई थी, परंतु अधिसूचना के समय पर नहीं की जा रही थी, उसे अप्राधिकृत मान लिया जाएगा।

हमने पाया कि बहुत से स्मारकों में इस प्रकार की अप्राधिकृत गतिविधियां की जा रही थी। भा.पु.स. ने उत्तर दिया (मई 2012) कि इस समय 955 स्मारकों का उपयोग पूजा और प्रार्थना के लिए किया जा रहा था। तथापि, भा.पु.स. के पास अधिसूचना जारी किए जाने से पूर्व उन स्मारकों के विवरण नहीं थे जहां प्रार्थना/पूजा की जा रही थी। संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान, हमने पाया कि इन गतिविधियों के लिए स्मारकों में बिजली के प्वाइंट, लाउडस्पीकर, पंखे आदि अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा संस्थापित किए गए थे। दिल्ली परिमंडल में प्राचीन मस्जिद, पालम, मस्जिद कुदसिया वाटिका ऐसे ही कुछ उदाहरण थे।

इस प्रकार, भा.पु.स, वहां पर होने वाली अप्राधिकृत गतिविधियों को प्रतिबंधित न करके राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करने में विफल हुई।

### 2.8.2 भा.पु.स. महानिदेशक के अनुमोदन के बिना स्मारकों या उसके हिस्से को बन्द करना

वर्तमान नियमों[11] के अनुसार, मा.नि., भा.पु.स., निदेशित कर सकता है कि संरक्षित स्मारक या उसका काई विशिष्ट हिस्सा, आम जनता के लिए विशिष्ट अवधि के लिए या स्थायी रूप से खोला नहीं जाएगा।

आठ परिमंडलों में स्मारकों के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से पता चला कि भा.पु.स. महानिदेशक के अनुमोदन के बिना ही 23 स्मारकों के कुछ हिस्से आगंतुकों के लिए बंद कर दिए थे जिसका विवरण **अनुबंध 2.4** में दिया गया है। इस प्रकार के बंद के लिए वहां न तो कोई रिपोर्टिंग की आवश्यकता थीं और न ही स्मारकों के हिस्सों को बंद करने को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा पहले से ही कोई तंत्र अनुमोदित किया गया था।

[11] प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. नियमावली 1959 के नियम 4 के अनुसार

महानिदेशक, भा.पु.स. के अनुमोदन के अनुसार स्मारकों या उसके बंद किए गए हिस्सों की कोई सूचना दिल्ली परिमंडल प्रदान नहीं कर पाया था। परिमंडल ने सूचित किया कि कुछ हिस्से सुरक्षा कारणों से बंद किए गए थे। तथापि, भा.पु.स. या मंत्रालय को कोई भी सुरक्षा खतरों के बारे में सूचित या अभिलिखित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि भा.पु.स. ऐसे सभी मामलों की जांच करेगा तथा जहां आवश्यकता होगी वहां उपचारात्मक कदम उठाएगा।

## 2.8.3 स्मारकों में सीमित प्रवेश

प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम 1958 की धारा 18 ने सभी आगंतुकों को किसी भी संरक्षित स्मारक में प्रवेश का अधिकार प्रदान किया है। तथापि, यह पाया गया कि बहुत से स्मारक ऐसे थे जोकि सभी आगंतुकों के लिए खुले नहीं थे। कुछ संरक्षित स्मारक अन्य संगठनों के परिसर में स्थित थे तथा भा.पु.स. के नियंत्रण में नहीं थे, उनकी सूची नीचे दी गई है:-

**तालिका 2.7 अन्य अभिकरणों के परिसर में स्मारक**

| क्र.सं. | परिमंडल | स्मारक | क्षेत्र जिसके अंतर्गत स्मारक मौजूद है |
|---|---|---|---|
| 1. | दिल्ली | अप्रसिद्ध मकबरा | जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम |
| 2. | | शिकारगाह कुशक 11.327 | नेहरू तारा घर |
| 3. | | लाल बंगला | दिल्ली गोल्फ कोर्स |
| 4. | | कोस मीनार या मुगल मील का पत्थर | दिल्ली, चिड़ियाघर |
| 5. | | गाजूद्दीन मकबरा | एंग्लो अरबी विद्यालय |
| 6. | पटना | धम्मेख स्तूप, सारनाथ के निकट नारोख्सर टैंक की सीमा तक बौद्ध स्थल | वन विभाग, उत्तर प्रदेश |
| 7. | | लेफ्टिनेंट कर्नल पोगसन्स मकबरा, वाराणसी | छावनी क्षेत्र, सैन्य स्कंध |

भा.पु.स. ने इन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में आगंतुको को अनुमति देने के लिए इन संगठनों के प्रबंधन के साथ कोई भी करार/स.ज्ञा. नहीं किया था। इस प्रकार, वास्तव में यह स्मारक आम जनता के लिए नहीं खुले थे, जो कि अधिनियम का उल्लंघन था।

मंत्रालय ने (मई 2013) उत्तर दिया कि भा.पु.स. जहां भी संभव होगा मालिकों के साथ लिखित व्यक्तिगत अनुबंध करने की कोशिश करेगा।

यह भी देखा गया कि कुछ केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में, कुछ श्रेणी/धर्म के लोगों के स्मारक में प्रवेश करने पर प्रतिबंध थे। कुछ निर्देशों उदाहरण निम्न है:-

**तालिका 2.8 स्मारक जहां आगंतुकों का प्रवेश प्रतिबंधित था**

| क्र.सं. | परिमंडल | स्मारक | कारण |
|---|---|---|---|
| 1. | लखनऊ | सिकंदर बाग भवन | गैर-मुस्लिमों को अनुमति नहीं थी |
| 2. | | तहसीन अली मस्जिद | |
| 3. | | दरगाह हजरत अब्बास | |
| 4. | | गाजीउद्दीन हैदर का मकबरा | |
| 5. | | इमामबारा अमीनुद-दौला | |
| 6. | | हुस्सैनाबाद, लखनऊके निकट जामा मस्जिद | |
| 7. | | असफ उद दौला के साथ मस्जिद जोड़ | |
| 8. | हैदराबाद | खुला मुल्ला मस्जिद | |
| 9. | | थुम्मला मस्जिद | |
| 10. | धारवाड़ | असर महल | महिलाओं को अनुमति नहीं थी |
| 11. | | मक्का मस्जिद, बीजापुर | पुरूषों को अनुमति नहीं थी |



***अनुशंसा 2.5: सीमित प्रवेश वाले स्थानों के प्रबंधन के साथ लिखित अनुबंध करने की शीघ्र आवश्यकता है, ताकि आगंतुकों द्वारा इन स्थानों में प्रवेश को संभव किया जा सके। भा.पु.स. को ऐसे स्थानों के अनुरक्षण के लिए नीति बनाने की भी आवश्यकता है।***

मंत्रालय (मई 2013) ने बताया कि यह प्रतिबंध सदियों पुरानी परंपरा के कारण लगाए गए थे तथा भा.पु.स. धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

## 2.8.4 भा.पु.स. द्वारा अन्य उद्देश्यों हेतु स्मारकों का उपयोग

कोई भी व्यक्ति, संरक्षित स्मारक के भीतर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कि स्मारक के किसी भी भाग को हानि या क्षति पहुंचे या उसका कारण बने। प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. (संशोधन एवं मान्यता) अधिनियम 2010 संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के भीतर निर्माण को भी प्रतिबंधित करता है। तथापि, हमने पाया कि भा.पु.स. स्वयं भी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था।

भा.पु.स. के परिमण्डल कार्यालय तथा उप-परिमण्डल कार्यालय केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के भीतर मौजूद थे। विज्ञान शाखा के प्रभागीय एवं क्षेत्रीय कार्यालय तथा बागवानी शाखा के प्रभाग भी संरक्षित स्मारकों में स्थित थे। उन्होंने स्मारक की संरचना में परिवर्तन किए अर्थात् एयर कंडीशनर, बिजली की फिटिंग, पानी के पाइप आदि लगाए थे। इन कार्यालयों के लिए स्मारकों में शौचालयों में सेरेमिक टाइलें लगाई गई थी। यह परिवर्तन इन स्मारकों के मूल स्वरूप के साथ मेल नहीं खाता था। हमने यह भी पाया कि राष्ट्रीय पुरातत्व संस्थान, स्मारकों एवं प्राचीन वस्तुओं

मिशन, के.औ.सु.ब. कमांडेंट के कार्यालय, रसायन शाखा के क्षेत्रीय कार्यालय एवं बागवानी शाखा एवं उनके भंडार लाल किले, दिल्ली में स्थित थे, जोकि एक विश्व विरासत स्थल है।

कुछ विश्व विरासत स्थलों (लाल किला, दिल्ली एवं फतेहपुर सीकरी, आगरा) में आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस वी.आई.पी./अतिथि कमरे थे। सैंसर लगे नल, हाथ ड्रायर, आदि लगाए गए थे जोकि स्मारकों की सौंदर्यात्मक मानकों से मेल नहीं खाते थे।

मंत्रालय (मई 2013) ने अनुशंसा को माना एवं बताया कि कभी-कभी स्मारक को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत का अनुसरण पूर्ण रूप से कर पाना कठिन हो जाता है।

हमने यह भी पाया कि लाल किला, दिल्ली में भा.पु.स. महानिदेशक, दिल्ली परिमंडल के अ.पु. एंव उप. अ.पु. तथा संबंधित स्मारक के संरक्षण सहायक के निवास स्थान शामिल थे। इसके अलावा, लाल किला, दिल्ली एवं पुराना किला, दिल्ली जैसी स्मारकों में भा.पु.स. द्वारा काम पर लगाई गई निजी सुरक्षा कम्पनी के सुरक्षा गार्ड भी निवास कर रहे थे।

मंत्रालय (मई 2013) ने सूचित किया कि भा.पु.स. अधिकारियों के निवास स्थान एवं सुरक्षा गार्ड के रहने की जगह संरक्षित स्मारक में न होकर आधुनिक बैरक में थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भा.पु.स. संरक्षित स्मारक के रूप में पूरे परिसर के लिए व्यय कर रहा है।

**अनुशंसा 2.6:** *यह अपरिहार्य है कि संरक्षित स्मारकों में परिवर्तन लाए जाएगें यदि उन्हें कार्यालयों और निवास स्थलों के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। इन अपवादों के लिए, भा.पु.स. को विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए तथा अधिनियम का उचित रूप से संशोधन करना चाहिए।*

मंत्रालय (मई 2013) ने अनुशंसा को माना और सूचित किया कि इस संदर्भ में परिमंडलों को सख्त अनुपालन हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

## 2.8.5 स्मारकों में सांस्कृतिक समारोह

प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. नियमावली 1959 के नियम 7 के अनुसार, किसी भी संरक्षित स्मारक को केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में प्रदान की गई अनुमति के अनुसार एवं अंतर्गत के अलावा बैठक करने, स्वागत कक्ष, पार्टी, सम्मेलन या मनोरंजन हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा। 2005 में भा.पु.स. महानिदेशक ने, 120 स्मारकों की सूची अनुमोदित की थी जिसमें सांस्कृतिक समारोह/कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिदिन ₹25,000/- से लेकर ₹50,000/- तक का निर्धारित शुल्क एवं ₹50,000/- की वापसी योग्य प्रतिभूति जमा देकर किया जा सकता है। तथापि यह अनुमति कुछ शर्तों के अंतर्गत दी जा सकती थी जैसे किः

आयोजनकर्ता:

- उत्सव के लिए टिकट नहीं बेचेंगे।
- उत्सव के दौरान व्यापारिक गतिविधियां नही करेंगे।
- स्मारक को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगें।

इस संदर्भ में दिशानिर्देशों के उल्लंघन या स्मारक को किसी भी प्रकार की क्षति के मामलें में भा.पु.स. द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। भा.पु.स. ने केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में सांस्कृतिक समारोह के आयोजन द्वारा ₹ 1.39 करोड़ तक की राशि का राजस्व कमाया। तथापि, हमने पाया कि कई मामलों में निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था।

- ऐसे स्मारक थे जहां केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना उत्सवों का आयोजन किया गया था उदाहरण स्वरूप, शिमला परिमंडल में नुर्पुर के विध्वंस किले में दशहरा उत्सव/इसकी अनुमति भा.पु.स. महानिदेशक द्वारा नहीं दी गई थी। भा.पु.स. को उत्सव के आयोजनकर्ताओं से कोई शुल्क प्राप्त नहीं हुआ था।

- 2011 में भा.पु.स., महानिदेशक के अनुमोदन के बिना ही लखनऊ परिमंडल खुसरोबाग (इलाहाबाद) में एक सांस्कृतिक उत्सव को आयोजन किया गया था। यह स्मारक उन 120 स्मारकों की सूची जहां सांस्कृतिक उत्सव किए जा सकते थे, का भाग नहीं था जिसे कि भा.पु.स. द्वारा अधिसूचित किया गया था।

- उसी रूप से, दिल्ली परिमंडलों में लाल किले में, प्रत्येक वर्ष रामलीला का आयोजन किया जा रहा था। दिल्ली परिमंडल कार्यालय ने आयोजनाकर्ताओं से इस कारणवश कोई शुल्क नहीं लिया क्योंकि यह एक धार्मिक उत्सव था। हमें भा.पु.स., महानिदेशक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में धार्मिक उत्सव हेतु कोई भी विनिर्दिष्ट अनुदेश दस्तावेज या छूट-पत्र नहीं मिला। यह भी पाया गया कि अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में आयोजनकर्ता व्यापारिक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे।

स्पष्टरूप से, भा.पु.स., केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में सांस्कृतिक उत्सवों के आयोजन हेतु अपेक्षित शर्तों को प्रभावी रूप से लागू करने में विफल हुआ।

मंत्रालय (मई 2013) ने सूचित किया कि प्रथागत प्रथाओं के अनुसार धार्मिक उत्सवों को अनुमति थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि धार्मिक उत्सवों हेतु निर्धारित शुल्क की छूट हेतु नियम अनुमति प्रदान नहीं करते है।

## 2.9 स्मारकों का निरीक्षण

जॉन मार्शल संरक्षण नियमावली के अनुसार, स्मारकों का नियमित एवं व्यवस्थित निरीक्षण वार्षिक रूप से या फिर और अधिक बार किया जाना चाहिए।

भा.पु.स. के महानिदेशकों समेत भा.पु.स. के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की काफी पुरानी प्रथा रही है। भा.पु.स. के संग्रहों में, निरीक्षण अधिकारियों द्वारा लिखे गए, विस्तृत निरीक्षण नोट उपलब्ध थे। यह नोट संरक्षण एवं परिरक्षण आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते थे तथा एक तिथि पर स्मारक/स्थल की स्थिति के दस्तावेज भी थे। हमने पाया कि हाल के कुछ वर्षों में निरीक्षण की प्रथा को पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया था। लेखापरीक्षा के अंतर्गत आवृत्त अवधि के दौरान म.नि., अ.म.नि. एवं निदेशक (संरक्षण) एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों का विस्तृतीकरण/अभिलेखों पर निरीक्षण नोट उपलब्ध नहीं थे। उसी प्रकार, परिमंडल स्तर पर अधीक्षण पुरातत्वविद (अ.पु.), उप. अधीक्षण पुरातत्व (उ.अ.पु.) के दौरों पर निरीक्षण नोट उपलब्ध नहीं थे। केवल संरक्षण कार्यों के विस्तृत अनुमानों के प्रस्तावों के संबंध में उप-परिमंडल प्रभारी तथा कभी-कभी अ.पु. द्वारा निरीक्षण नोट, अभिलेख में उपलब्ध थे।

भा.पु.स. ने (अगस्त 2012) उत्तर दिया कि भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा स्मारकों के निरीक्षण हेतु कोई निर्धारित तंत्र/प्रणाली नहीं थी।

निरीक्षण अभिलेखों की अनुपस्थिति में, हमारे लिए उस तिथि का पता लगाना जिसमें एक विशेष स्थल का पिछली बार दौरा किया गया था, असंभव था। स्मारकों के पता न लगने एवं अनाधिकार प्रवेश करने के संदर्भ में, यह दस्तावेजीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण था।

***अनुशंसा 2.7:*** *भा.पु.स. को स्मारकों की नियमित तरीके से निरीक्षण हेतु विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करना चाहिए। किसी भी अधिकारी द्वारा किए गए प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात निरीक्षण नोट के प्रस्तुतीकरण हेतु लिखित नीति होनी चाहिए।*

मंत्रालय (मई 2013) ने बताया कि नियमित आधार पर इन्हें निरीक्षित किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए स्मारकों के निरीक्षण पर दिशानिर्देश पहले से ही मौजूद थे। उप-परिमंडल प्रभारी को एक माह में एक बार दौरा करना चाहिए जबकि अ.पु. को वर्ष में एक बार दौरा करना चाहिए। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान भा.पु.स. के किसी भी परिमंडल में निरीक्षण के ऐसे कोई भी विशिष्ट अभिलेख नहीं पाए गए थे।

## 2.10 स्मारकों के संबंध में सूचना का अनुरक्षण

### 2.10.1 अधिसूचनाओं से संबंधित डाटा का संकलन

राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक को भा.पु.स. द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाना था। इस प्रकार प्रत्येक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक को एक विशिष्ट अधिसूचना संख्या सौंपी गई थी। अधिसूचना ने स्थल पर भा.पु.स. को हस्तक्षेप हेतु कानूनी प्राधिकार प्रदान किया था। यह पाया गया कि भा.पु.स. ने अपने मुख्यालय में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की अधिसूचना की तिथि एवं संख्या, अधिसूचना से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था।

भा.पु.स. ने बताया (जुलाई 2012) कि तिथि/अधिसूचना की संख्या के साथ स्मारकों की सूची अनुरक्षित नहीं की गई थी और इसलिए उपलब्ध नहीं थी। परिमंडल कार्यालयों से सूचना एकत्रित करने के पश्चात, भा.पु.स. महानिदेशक ने जुलाई 2012 में 10 परिमंडलों की सूची और अगस्त 2012 में आगे के पांच परिमंडलों की सूची प्रदान की थी। लेखापरीक्षा के समापन (दिसम्बर 2012) तक शेष नौ परिमंडलों से संबंधित सूचना एकत्रित नहीं की जा सकी थी। यह भा.पु.स. महानिदेशक के स्तर पर सूचना प्रबंधन प्रणाली (सू.प्र.प्र.) की कमी एवं संगठन में दस्तावेजीकरण की निराशाजनक स्थिति का प्रदर्शन करता है।

परिमंडल कार्यालयों की लेखापरीक्षा से पता चला कि परिमंडल स्तर पर अधिसूचनाओं से संबंधित सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है:

**तालिका 2.9 स्मारक जिनसे संबंधित सूचना परिमंडल कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थी**

| क्र.सं. | परिमण्डल का नाम | स्मारकों की संख्या | स्मारकों की संख्या जिनके लिए विवरण उपलब्ध हैं |
|---|---|---|---|
| 1. | धारवाड़ | 299 | 110 |
| 2. | रांची | 12 | 10 |
| 3. | देहरादून | 42 | 41 |
| 4. | गुवाहाटी | 69 | 59 |
| 5. | हैदराबाद | 137 | 115 |
| 6. | शिमला | 40 | 0 |
| 7. | गोवा | 21 | 5 |

***अनुशंसा 2.8:*** *अधिसूचना ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो न केवल केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के लिए कानूनी दर्जा प्रदान करता है बल्कि स्थल के क्षेत्र को भी परिभाषित करता है। यह दस्तावेज स्थल पर अप्राधिकृत निर्माण या अनाधिकार प्रवेश करने को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भा.पु.स. को सभी अधिसूचनाओं का एक केन्द्रीकृत डाटाबेस तथा स्थलों से संबंधित अभिलेख अनुरक्षित करना चाहिए जो भा.पु.स. मुख्यालय के पास आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।*

मंत्रालय (मई 2013) ने यह तथ्य माना कि भा.पु.स. के पास सूचना प्रबंधन प्रणाली (सू.प्र.प्र.) नहीं थी। उन्होंने सूचित किया कि परिमंडलों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों से संबंधित मूल अधिसूचनाओं की फोटो प्रतियों को एकत्रित करने तथा उन्हें किताब के रूप में संकलित करने की नवीन पहल की जायेगी।

### 2.10.2 स्मारकों पर सूचना में विसंगतिया

यह पाया गया कि संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (इं.गा.रा.क.के. ), "कला संपदा" नामक एक परियोजना चला रहा है इस परियोजना के अंतर्गत, स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों का डिजिटल दस्तावेजीकरण एकत्रित किया जा रहा था और उनको वेबसाइट पर अनुरक्षित किया जा रहा था। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि इं.गा.रा.क.के. द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रदान की गई सूचना, परिमंडल कार्यालयों द्वारा उनके स्मारकों से संबंधित प्रदान की गई सूचना से मेल नहीं खाती थी। उदाहरण के लिए निम्न मामलों में, उन्ही स्मारकों के लिए इं.गा.रा.क.के और भा.पु.स. द्वारा प्रदान की गई सूचना में विसंगतियां पाई गई थी:-

**तालिका 2.10 भौगोलिक स्थान में विसंगतियों का विवरण**

| क्र.सं. | स्मारक | राज्य | भा.पु.स. अक्षांश | भा.पु.स. देशात्तर | इं.गा.रा.व.के. अक्षांश | इं.गा.रा.ब.के. देशांत्तर | वर्तमान स्मारक स्थान पर होने वाला प्रभाव[12] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मंदिरों का गुनवती समूह | त्रिपुरा | 23.31 उ | 91.09 पू | 23.32 उ | 91.30 पू | उत्तर से 1.85 कि.मी. अधिक एवं पूर्व से 38.85 कि.मी. अधिक |
| 2. | रंगनाथडोल | असम | 26.58 उ | 94.41 पू | 26.58 उ | 94.37 पू | पूर्व से 7.40 कि.मी. कम |
| 3. | सिवाडोल | असम | 26.56 उ | 94.34 पू | 26.57 उ | 94.32 पू | उत्तर से 1.85 कि.मी. अधिक एवं पूर्व से 3.70 कि.मी. कम |
| 4. | पत्थरों के मंदिर दाह परबतियां का टीला एवं खंडहर | असम | 26.37 उ | 92.47 पू | 26.38 उ | 92.45 पू | उत्तर से 1.85 कि.मी. अधिक एवं पूर्व से 3.70 कि.मी. कम |

इस प्रकार, एक ही मंत्रालय के अंतर्गत दो संगठनों ने स्मारकों के लिए निर्देशांकों के विभिन्न सेट का अनुरक्षण किया था। सार्वजनिक डोमेन में रखे जाने से पूर्व दोनों संगठनों के मध्य सूचना का समन्वय एंव मिलान नहीं था।

---

[12] एक डिग्री अक्षांश/देशांतर=111 किलोमीटर, 1 सेकेन्ड=111/60=1.85 कि.मी., उ.=उत्तर एवं पू.=पूर्व, अं.=अक्षांश एवं देशा.=देशांतर; उदाहरणार्थ 91.30पू.-91.09पू.=21 सेकेंड, 38.85 कि.मी.=21X1.85 कि.मी.

रांची परिमण्डल में विसंगतियों के ऐसे मामले पाए गए, जहां अधिसूचनाओं में परिभाषित क्षेत्र, परिमण्डल कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए क्षेत्रों से भिन्न थे।

**तालिका 2.11 अधिसूचना में परिषाषित क्षेत्रों में विसंगतियों का विवरण**

| क्र.सं. | स्मारक/स्थल का नाम | अधिसूचना के अनुसार क्षेत्र | भा.पु.स. परिमण्डल के अनुसार | अंतर एकड़ में |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सर्वेक्षण प्लॉट सं. 322 में मूर्ति एवं मंदिर के अवशेष तथा बेंनीसागर टैंक | 76.73 | 49.02 | (-) 27.71 |
| 2. | शिवलिंग के साथ अवशेष तथा बेंनीसागर टैंग | 0.015 | 3.97 | (+) 3.81 |
| 3. | संभावित तहखाने के साथ बरदारी भवन | 0.03 | 3.84 | (+) 3.61 |
| 4. | असुर स्थल, कुंटी | 49.76 | 49.79 | (+) 0.03 |

***अनुशंसा* 2.9:** *स्मारकों से संबंधित तथ्यात्मक सूचना में अंतर एवं असपष्टता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भा.पु.स. को अपने परिमंडलों से प्रत्येंक संरक्षित स्मारक पर सू.प्र.प्र. डाटा एकत्रित करना चाहिए और उसे विसंगतियों का मिलान करने के पश्चात उसे सार्वजनिक डोमेन में रखना चाहिए।*

मंत्रालय (मई 2013) ने अनुशंसा को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि अस्पष्टता को हटाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

## 2.10.3 स्मारकों की सूची

भा.पु.स को सभी संरक्षित स्मारकों को शामिल करते हुए अद्यतित सूची का अनुरक्षण[13] करना अपेक्षित है। सूची में स्मारक के बारे में अधिसूचना संख्या, स्थल योजना, संक्षिप्त इतिहास एवं तस्वीरें जैसे विवरण होने चाहिए। इन सूचियों का समय-समय पर अद्यतन किया जाना था ताकि नवीनतम और सही जानकारी प्रदान की जा सके।

यह पाया गया कि 24 परिमंडलों में से, केवल औरंगाबाद परिमंडल सही तरीके से स्मारकों की सूची को अनुरक्षित एवं अद्यतन कर रहा था।

[13] ए.डब्ल्यू. कोड के पैरा 11.3.1 के अंतर्गत नोट के अनुसार

भा.पु.स. ने सभी परिमंडलों की सूचियों को संपादित एवं प्रकाशित करने के लिए एक परियोजना शुरू की (1997)। परियोजना के चार वर्षों के पश्चात, केवल पांच परिमंडलों की सूचियां प्रकाशित हुई थीं। परियोजना को अचानक बंद कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रकाशित सूचियों का अद्यतन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सूचियों से संबंधित सटीक डाटा अनुपलब्ध रहे जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:-

**तालिका 2.12: सूची के गैर अद्यतन के विवरण**

| क्र.सं. | परिमण्डल का नाम | भा.पु.स. की वर्तमान सूची के अनुसार स्मारक | प्रकाशित सूची के अनुसार स्मारक |
|---|---|---|---|
| 1. | दिल्ली | 174 | 154 |
| 2. | चण्डीगढ़ | 123 | 118 |
| 3. | जयपुर | 163 | 156 |

इसके अतिरिक्त, कार्यालय परिमंडल स्तर पर सूची विवरण न तो उचित रूप से तैयार किए गए थे और न ही नियमित रूप से अद्यतित किए गए थे। उदाहरणस्वरूप, कोलकाता परिमंडल मौजूदा 136 स्मारकों में से केवल 129 स्मारकों की सूची अनुरक्षित कर रहा था। चैन्नई परिमंडल कुल 411 में से 351 स्मारकों की सूची प्रस्तुत कर पाया था। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत 351 में से, 215 परिमंडल प्रभारी द्वारा प्रमाणित नहीं थे। गुवाहाटी परिमंडल इन्वेंटरी सूची में चार केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के विवरण शामिल नहीं थे।

धारवाड़ एवं बंगलुरू परिमंडल में, क्रमशः 2000 एवं 1992 में तैयार की गई सूची, भा.पु.स. मुख्यालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी।

***अनुशंसा 2.10:*** *हमारे सुझाव में, स्मारकों की सूची के प्रकाशन को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाना चाहिए।*

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए सूचित किया (मई 2013) कि 2006-07 से कुछ सूचियां प्रकाशित होने के लिए लगभग तैयार हो चुकी थी परंतु कर्मचारियों की भारी कमी के कारण उन्हें प्रकाशित करने के लिए कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकी थी।

## 2.10.4 राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण

अधिसूचित स्मारक के सटीक क्षेत्र का पता लगाने के लिए परिमंडल कार्यालयों से अपेक्षित था कि वह राज्य सरकार के राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण का संचालन करें। हमने पाया कि 3678 संरक्षित स्मारकों में से केवल 409 स्मारकों का भा.पु.स. के साथ संयुक्त सर्वेक्षण

किया गया था। इस कार्य को पूरा करने के लिए न तो कोई समय सीमा थी और न ही इस संदर्भ में भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा प्रगति की सामयिक मॉनीटरिंग या परिमंडलों द्वारा किसी भी प्रकार से सूचना मांगी गई।

## 2.11 स्मारकों तथा पुरावस्तुओं का राष्ट्रीय मिशन

पुरातात्विक स्थल एवं अवशेषों को केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्रबंधित किया जाना था। तथापि, हजारों स्मारक एवं स्थल असंरक्षित थे तथा उपेक्षा की हालत में थे। अभिलेखों के अनुसार, भारत में विभिन्न स्थानों पर लगभग पांच लाख असंरक्षित स्मारक एवं 70 लाख प्राचीन वस्तुएं उपलब्ध थी। इनमें से अधिकतर तो किसी भी पंजीकरण निकाय की अनुपस्थिति में पंजीकृत भी नहीं थी।

निर्मित विरासत एवं स्थलों तथा पुरातात्विक अवशेषों पर उपयुक्त डाटाबेस के सृजन एवं दस्तावेजीकरण हेतु, अगस्त 2003 में प्रधानमंत्री ने भारतीय मूर्त विरासत पर राष्ट्रीय डाटाबेस को तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने की घोषणा की थी।

स्मारकों एवं पुरावस्तुओं पर राष्ट्रीय मिशन (स्मा.प्रा.व.रा.मि.) को भा.पु.स. में पांच वर्ष की अवधि के लिए 2007 में काफी विलंब के पश्चात औपचारिक रूप से शुरू किया गया था।

### 2.11.1 मिशन का निष्पादन

व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स) ज्ञापन के अनुसार, मिशन को 2010 तक लगभग 70 लाख प्राचीन वस्तुओं एवं पांच लाख असंरक्षित स्मारकों का दस्तावेजीकरण करना था। जबकि 2012 तक, स्मा.प्रा.व.रा.मि. केवल 80,000 स्मारकों एवं आठ लाख प्राचीन वस्तुओं के दस्तावेजीकरण पूरा कर पाया था। इन आठ लाख प्राचीन वस्तुओं में से, तीन लाख पहले से ही भा.पु.स. के साथ पंजीकृत था। स्मा.प्रा.व.रा.मि. वेबसाईट पर 8.80 लाख प्रविष्टियों में से केवल 2823 प्रविष्टियों को अपलोड कर पाया था।

हमने पाया कि ₹ 90 करोड़ के अनुमोदित बजट में से मंत्रालय द्वारा केवल ₹ 34.03 करोड़ ही जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इस राशि में से केवल ₹ 14.12 करोड़ का (16 *प्रतिशत*) ही स्मा.प्रा.व.रा.मि. द्वारा उपयोग किया जा सका जोकि निधियों के काफी कम उपयोग को दर्शाता है।

₹ 53.28 लाख का व्यय करने के पश्चात स्मा.प्रा.व.रा.मि. सबसे पहले तिलक मार्ग, नई दिल्ली पर स्थापित किया गया था। तथापि, फरवरी 2010 में स्मा.प्रा.व.रा.मि. को लाल किले में स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान स्मा.प्रा.व.रा.मि. ने मूल्यांकन डाटा खो दिया। इसके अतिरिक्त, लाल किले पर निराकरण एवं पुनः संस्थापन आदि के लिए स्मा.प्रा.व.रा.मि. को ₹30.52 लाख का व्यय करना पड़ा।



## 2.11.2 दस्तावेजीकरण हेतु सहायक स्त्रोत

स्मा.प्रा.व.रा.मि के मिशन दस्तावेज में मूलतः ₹ 400.00 करोड़ की बजटीय आवश्यकता के साथ स्मारकों पर सूचना एकत्रित करने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण हेतु एक प्रस्ताव शामिल था। 2004 में समय और बजट की कमी को देखते हुए, महानिदेशक भा.पु.स. ने निर्णय लिया कि ₹ 90.00 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ अन्य प्रकाशित संदर्भों एवं परियोजना कार्यों, सूची, संस्मरण, अन्वेषण/उत्खनन रिपोर्टों जैसे सहायक स्त्रोंतों से डाटा एकत्रित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, मिशन ने बिना किसी स्वतंत्र सत्यापन के ही डाटा को अपनाया था।

हमने पाया कि सहायक स्त्रोतों के माध्यम से प्राप्त डाटा अधूरा, पूरी तरह से विश्वसनीय या प्रमाणक नहीं था। हमने अभिलेख में यह भी पाया कि विभिन्न कार्यशालाओं एवं बैठकों में विशेषज्ञों ने प्राचीन वस्तुओं एवं स्थलों, निर्मितविरासतों पर विश्वसनीय राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण को शुरू करने की अनुशंसा की। अंततः जून 2010 में, सहायक स्त्रोतों के माध्यम से डाटा एकत्रित करने में तीन वर्षों के प्रयास के पश्चात, स्मा.प्रा.व.रा.मि. ने भा.पु.स. से प्रारंभिक सर्वेक्षण को संचालित करने की अनुमति मांगी। हालांकि इस कार्य को शुरू करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया था (नवम्बर 2012)।

हमने पाया कि मंत्रालय को भी अभी तक एकत्रित डाटा की विश्वसनीयता की कमी की जानकारी थी। दिसम्बर 2011 में, इसने स्मा.प्रा.व.रा.मि. को वेबसाइट पर डाटा को अपलोड करते हुए यह दर्शाने का निर्देश दिया कि डाटा मान्यकरण के तहत था। मिशन ने डाटा को विशेषज्ञों द्वारा मान्य करवाने का प्रयास किया, हालांकि, जब तक स्मा.प्रा.व.रा.मि. की अवधि 2012 में समाप्त हो चुकी थी। अतः मिशन अपने उद्देश्य को निर्धारित समय में प्राप्त करने में विफल रहा। उसने अब अगले पांच वर्षों के दौरान अर्थात 2017 तक ₹ 99.00 करोड़ की लागत पर कार्य को पूरा करने हेतु विस्तार योजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

### 2.11.3 मिशन की मॉनीटरिंग

2007 से वित्त समिति की केवल पांच तथा मॉनीटरिंग समिति की चार बैठकें हुई थीं।

33 राज्य स्तर कार्यान्वयन समिति (रा.स्त.का.स.) में से, सात राज्यों/सं.शा.प्र.[14] में किसी समिति का निर्माण नहीं हुआ था। इसे अतिरिक्त, 26 राज्यों में, जहां रा.स्त.का.स. निर्मित थी, वहां पांच राज्यों[15] में कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

उपयुक्त मॉनीटरिंग तंत्र हेतु, विभिन्न स्तरों पर मिशन की विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन की मॉनीटरिंग हेतु सू.प्र.प्र. बनाया जाना था। मिशन द्वारा रा.स्त.का.स. को मॉनीटर करना भी अपेक्षित था। तथापि, हमने पाया कि लेखापरीक्षा के अंत तक भी सू.प्र.प्र. की शुरूआत नहीं की गई थी। अतः हमने पाया कि मंत्रालय की मॉनीटरिंग अपर्याप्त थी।

**प्राचीन वस्तुओं एवं स्मारकों हेतु राष्ट्रीय मिशन की स्थापना, कार्यकरण एवं निष्पादन योजना की कमी और विलम्ब द्वारा चिन्हित किए गए थे। भा.पु.स. का अपने संरक्षित स्मारकों को भी आधारभूत दस्तावेजीकरण को पूरा न कर पाना, इस मिशन को प्रोत्साहन प्रदान नहीं कर पाया।**

## 2.12 विरासत उपनियम

प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. (संशोधन एवं मान्यकरण) अधिनियम 2010 के अनुसार केन्द्र सरकार से प्रत्येक संरक्षित स्मारक एवं संरक्षित क्षेत्र से संबंधित विरासत उपनियमाओं को तैयार करना अपेक्षित था। विरासत उपनियमों में निर्माण सामग्री का उपयोग, इमारत का मुहार, छत का स्वरूप, रंग, लम्बाई निर्मित क्षेत्र, प्रयोग स्टिल्ट पार्किंग, भूमिगत निर्माण, जलनिकास, प्रणाली, सडकें तथा बिजली के खंभे, जल, नाला, उत्खनन जैसी सेवा अवसंरचनाए एवं ऐसे अन्य कारक जो कि संरक्षित क्षेत्रों एवं संरक्षित स्मारकों के विनियमित क्षेत्रों तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर आवश्यक होते हैं, भी विरासत उपनियमों में शामिल होगें। इन उपनियमों को उनके अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (रा.स्मा.प्रा.) को प्रस्तुत करना था तथा सक्षम प्राधिकरी से अपेक्षित था कि वह अपनी वेबसाइट के माध्यम से उन्हें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध करवाएं। प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. (सक्षम प्राधिकरण के अन्य कार्यों तथा विरासत उपनियमों के निर्धारण) नियमावली 2011 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सक्षम प्राधिकरण प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र एवं संरक्षित स्मारक के निर्धारित क्षेत्र या प्रतिबंधित क्षेत्र हेतु विरासत उपनियमों की तैयारी के लिए **समयबद्ध कार्यक्रम** तैयार करेगा।

[14] छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, नागालैंड, पांडीचेरी, लक्षद्वीप तथा दमन एवं दीव
[15] दिल्ली, गोवा, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा

रा.स्मा.प्रा. से अपेक्षित था कि वह संरक्षित क्षेत्र या संबंधित संरक्षित स्मारकों के संबंध में विरासत उपनियमों को ध्यान में रखते हुए निर्माण/नवीनकरण (विनियमित/प्रतिबंधित क्षेत्र में) के प्रभाव को, सक्षम प्राधिकारी को सूचित करें बशर्ते कि, सक्षम प्राधिकारी, अपवादात्मक मामलों में, भा.स्मा.प्रा. के अनुमोदन के साथ, आवेदक को अनुमति प्रदान कर सकता है जब तक कि उपनियम तैयार नहीं किए जाते।



**3678 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से केवल दो स्मारकों के लिए विरासत उपनियम तैयार किए गए थे। यह मसौदा उपनियम अनुमोदित थे। विरासत उपनियमों के अनुमोदन एवं तैयारी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी (जुलाई 2012)।**

फलस्वरूप, ऐसे क्षेत्रों में निर्माण/नवीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के लिए सभी आवेदनों को अपवाद माना जाता था जोकि प्रत्येक मामलें में फैसले त्रुटि की गुंजाइश छोड़ता है।

***अनुशंसा 2.11:*** *मंत्रालय को सभी संरक्षित स्मारकों एवं उनके शीघ्र अनुमोदन हेतु विरासत उपनियमों के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यनीति बनानी चाहिए।*

निर्गम सम्मेलन (जून 2013) में भा.पु.स. ने सूचित किया कि चयनित स्मारकों हेतु उपनियमों के नमूनों की तैयारी के लिए कार्य शुरू किया जा चुका था।

# अध्याय – III

# विश्व विरासत स्थलों का प्रबंधन



**1972 में, यूनेस्को की सामान्य सभा ने विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित परिपाटी अपनाई। परिपाटी का उद्देश्य मानवता के लिए विशिष्ट महत्व के रूप में समझी जाने वाली पूर्ण विश्व की सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विरासत की पहचान, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण को प्रोत्साहित करना है। भारत ने इस परिपाटी का नवम्बर 1977 में अनुसमर्थन किया।**

**भा.पु.स. यूनेस्को को विश्व विरासत स्थलों (वि.वि.स्थ) का नामनिर्देशन हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भा.पु.स. के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भी 19 सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल हैं।**

विश्व विरासत स्थल, एक प्राकृतिक, सांस्कृतिक या एक मिश्रित स्थल हो सकता है। भारत में, फरवरी 2013 तक, कुल 29 स्थलों का वि.वि.स्थ. के रूप में अनुमोदन किया गया था। इनमें से 19 स्थल (सभी सांस्कृतिक) वर्तमान में भा.पु.स. के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। दो स्थल रेल मंत्रालय, एक राजस्थान राज्य सरकार, छः पर्यावरण तथा वन मंत्रालय तथा एक बिहार में मंदिर प्रबंधन समिति बोधगया के पास है।

## 3.1 विश्व विरासत स्थल (वि.वि.स्थ.)

विश्व विरासत स्थलों के संबंध में यूनेस्को की 1972 की परिपाटी निम्नलिखित उद्देश्यों से विकसित की गई थी -

- सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक दोनों पहलुओं में विश्व विरासत को परिभाषित करना,
- सदस्य देशों, जो संरक्षण के अपवादित हित तथा सार्वभौमिक महत्व के थे तथा जिनका समस्त मानवजाति से संबंध था, से स्थलों तथा स्मारकों के नाम लिखना, तथा

भावी पीढ़ी के लिए इन अखंड सार्वभौमिक खजानों के संरक्षण हेतु योगदान देने के लिए सभी राष्ट्र तथा लोगों के बीच सहयोग बढ़ाना।

**विश्व विरासत स्थलों को यूनेस्को द्वारा नामादिष्ट किया जाता है तथा अपनायी गई प्रकियाएं इस उद्देश्य हेतु तैयार किए गए यूनेस्को के संचालनात्मक दिशानिर्देशों में प्रदर्शित है। नामनिर्देशन के बाद भी प्रत्येक स्थल के लिए यूनेस्को द्वारा आवधिक मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन करने का प्रावधान है।**

किसी देश के लिए विश्व विरासत सूची में उनका स्थल सूचीबद्ध होना प्रतिष्ठा की बात है। यह उल्लेख पर्यटन को बढ़ावा देता है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में खुशहाली लाने में सहायता देता है। विश्व विरासत सूची में दर्ज किए गए स्थल वर्तमान में 962 हो गए हैं, जिनमें 745 सांस्कृतिक सम्पत्तियां, 188 प्राकृतिक सम्पत्तियां तथा 29 मिश्रित सम्पत्तियां शामिल हैं। इस क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी के बावजूद वि.वि.स्थ. सूची में भारत के अभी तक केवल 29 स्थल (विवरण **अनुबंध 3.1** में दिए गए हैं) शामिल किए गए हैं। इटली (47), स्पेन (44) तथा चीन (43) जैसे देशों मे तुलनात्मक रूप से स्थलों की अधिक संख्या थी।

## 3.1.1 स्थल का वि.वि.स्थ. के रूप में शिलालेख हेतु प्रक्रिया

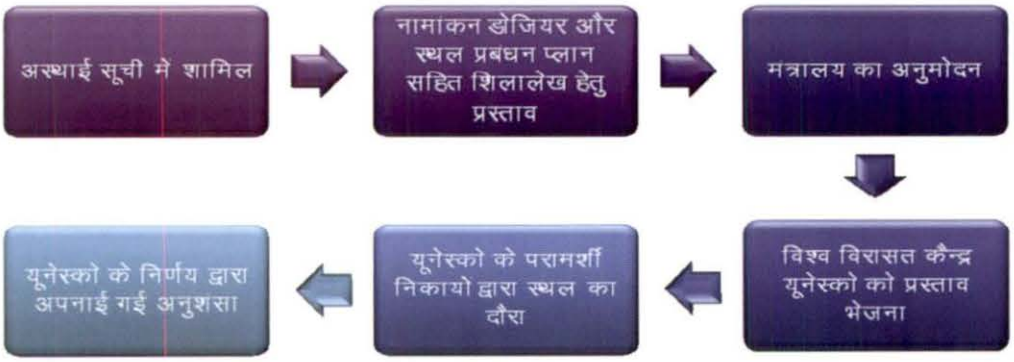


**चार्ट 3.1 *स्थल का वि.वि.स्थ. के रूप में शिलालेख हेतु प्रक्रिया***

- सर्वप्रथम स्थल को, यूनेस्को की अंतरिम सूची, जो भारत में भा.पु.स. द्वारा अनुरक्षित की जा रही है, में लिया जाता है। वे स्थल जो एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि तक अस्थाई सूची में रहते हैं उनको अंतिम नामांकन हेतु अग्रेषित किया जाए।
- अंतिम नामांकन हेतु नामांकन डोजियर, जिसमें स्थल तथा उसके संरक्षण योजना के सभी विवरण अंतर्विष्ट हो, सहित एक प्रस्ताव भेजा जाता है। वर्ष 2008 से, नामांकन डोजियर हेतु स्थल प्रबंधन योजना (स.प्र.यो.) अधिदेशात्मक था।
- मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, डोजियर को और मूल्यांकन तथा अनुमोदन हेतु विश्व विरासत केन्द्र (वि.वि.के.) यूनेस्को पेरिस भेजा जाता है।
- इसके पश्चात मूल्यांकन यूनेस्को की परामर्श निकाय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्मारक तथा स्थल परिषद (अं.स्मा.स्थ.प.) अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ (अ.प्रा.सं.स.)[16] द्वारा मूल्यांकन हेतु स्थल का निरीक्षण किया जाता है।

[16] प्राकृतिक स्थलों हेतु

- इस स्थल - निरीक्षण के आधार पर "अस्वीकरण", "आस्थगन" (आस्थगित) "उल्लेखन" अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता अथवा शिलालेख के लिए अनुशंसा की जाती है। तब यूनेस्को अंतिम निर्णय देता है। यदि विश्व विरासत केन्द्र, नामांकन डोजियर में दिए गए विशिष्ट सार्वभौमिक महत्व (वि.सा.म.) के मानदण्ड तथा औचित्य के बारे में संतुष्ट हो जाता है तो सूची में स्मारक का नाम दर्ज कर देता है।

## 3.2 विश्व विरासत स्थलों हेतु नोडल एजेंसी

भा.पु.स. ने हमें सूचित किया कि सभी विश्व विरासत से संबंधित मामलों के लिए मंत्रालय, नोडल मंत्रालय था तथा भा.पु.स., भारत सरकार की ओर से नोडल एजेंसी थी। हमने पाया कि भा.पु.स. के पास इस आशय के कोई लिखित आदेश नहीं थे। इन मूल आदेशों के अभाव में, हम भा.पू.स. को निर्दिष्ट किए गए कार्य तथा कार्यनिष्पादन के संबंध में पूर्ण आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ थे। भा.पू.स. के कार्य पर हमारी समझ अभिलेखों में पाई गई पद्धतियों के अनुसार थी।

### 3.2.1 भा.पु.स. का गिरता कार्यनिष्पादन

अभी तक (2012), भारत सरकार ने यूनेस्को को 53 प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनमें से 16 के नाम दर्जवार लिए गए थे। इनमे से 19 भा.पु.स. संरक्षित स्मारकों से संबंधित थे। 1993 तक, भा.पु.स. ने अपने स्मारकों के संदर्भ में 16 वि.वि.स्थ. के नाम लिखे थे। इन स्मारकों के 16 डोजियर्स भा.पू.स. द्वारा स्वयं तैयार किए गए थे। तदन्तर, यह कार्य अधिकतर बाहरी परामर्शदाओं से बाह्य रूप से कराया गया था। परामर्शदाओं के उपयोग में वृद्धि होने के साथ ही हमने प्रस्तावों की स्वीकृति में निरन्तर गिरावट भी पायी। हमने पाया कि पिछले पांच वर्षों (2007-12) के दौरान भा.पु.स. ने केवल तीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनमें से कोई स्वीकार नहीं किया। इनमें से, दो कार्य ₹ 79.84 लाख की लागत पर बाह्य रूप से परामर्शदाताओं से कराए गए थे।

हमने पाया कि मंत्रालय ने विश्व विरासत स्थलों के शिलालेख से संबंधित मामलों में सुधार लाने तथा परामर्श देने के लिए विश्व विरासत मामलों पर एक सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति की उसके प्रारम्भ होने के समय से सात बैठकें हुई थीं। तथापि, नवम्बर 2012 तक विश्व विरासत सूची में कोई संयोजन नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2013) कि सलाहकार समिति ने राजस्थान के पश्चिमी घाट तथा हिल फोर्ट के पिछले नामांकनों का समर्थन तथा उन्नयन किया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि हिल फोर्ट राजस्थान के अं.स्मा.स्थ.प. मूल्यांकन में तथ्यात्मक त्रुटियां थी जिसे बाद में अं.स्मा.स्थ.प. द्वारा विश्व विरासत सत्र में स्वीकार कर लिया गया था। तथापि, इसके लिए कोई प्रलेखित प्रमाण नहीं दिया गया तथा तथ्य यह रहा कि विश्व विरासत स्थल सूची में कोई नया स्थल जोड़ा नहीं गया था।

### 3.2.2 अंतरिम सूची हेतु स्थलों के चयन का मानदण्ड

एक अंतरिम सूची उन सम्पत्तियों, जिसका प्रत्येक राज्य पार्टी, नामांकन हेतु विचार करने का इरादा रखता है, की एक सूची है। यह किसी स्थल का अंतिम रूप से नामांकन हेतु विचार करने के पूर्व यह एक अधिदेशात्मक आवश्यकता थी। 2011-12 में, यूनेस्को की अस्थायी सूची (ब्यौरे **अनुबंध 3.2** में) पर भारत के 34 स्थल थे जिसमें से 14 स्मारक भा.पु.स. द्वारा संरक्षित हैं। राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठन तथा न्यासों आदि द्वारा अंतरिम सूची हेतु भेजे गए प्रस्तावों को विश्व विरासत मामलों की सलाहकार समिति की सलाह के अनुसार भा.पु.स. द्वारा संसाधित किए गए थे। अंतरिम सूची के अपेक्षित फॉर्मेट को भरने के पश्चात यह मंत्रालय को अनुमोदन हेतु भेजा गया था तथा तत्पश्चात यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि (भा.स्था.प्र.) को, जिसने इसे और मूल्यांकन तथा अनुमोदन हेतु वि.वि.स. को प्रस्तुत किया।



अंतरिम सूची हेतु स्मारक/स्थल के चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड नहीं थे। प्रत्येक अंतरिम स्थल या अंतिम नामांकन हेतु अस्थायी सूचीबद्ध स्थलों के बीच प्राथमिकीकरण अपनाने के लिए कोई मानक प्रक्रिया नहीं थी।

### 3.2.3 अंतरिम सूची का संशोधन न करना

यनेस्को के दिशानिर्देशों के अनुसार यह विचार किया गया था कि प्रत्येक दस वर्षों में अस्थायी सूची की समीक्षा तथा उसका अद्यतन किया जाए।

भा.पु.स. के अभिलेखानुसार 2002, 2004 तथा 2009-10 में अंतरिम सूची में संशोधन करने के प्रयास किए गए थे। लेकिन भा.पु.स. विभिन्न पणधारियों से इनपुट प्राप्त करने के बावजूद सूची अद्यतन करने में विफल रहा। अब अंतरिम सूचियों में संशोधन करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही थी, लेकिन इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई थी। नियमित संशोधन न होने की दशा में, हमने अंतरिम सूची में असंगतियां तथा अतिव्यापत्तियां देखीं। उदाहरणार्थ " हैदराबाद का गोलकोंडा किला " अंतरिम सूची में दो बार दर्शाया गया है। वैसे ही श्री हरमिन्दर साहिब, अमृतसर का नामांकन डोजियर वापस ले लिया गया था, हांलाकि यह अभी तक अंतरिम सूची में दर्शाया जाता है।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि भारत में अंतरिम सूची का संशोधन 2012 से चल रहा है।

## 3.3 स्थायी नामांकन हेतु तैयारी

अंतरिम सूची से, नामांकन डोजियर बनाए गए थे। नामांकन दस्तावेज प्रारंभिक आधार थे जिस पर समिति ने, विश्व विरासत सूची पर सम्पत्तियों के शिलालेख करने पर विचार किया। हमने पाया कि -

- भा.पु.स. ने अंतरिम सूची से नामांकित किए जाने वाले स्थलों के चयन हेतु कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित नहीं किए थे। अस्थायी सूची में 1998 के बाद से प्रस्ताव थे लेकिन स्थलों को स्थायी नामांकन हेतु डोजियरों की तैयारी के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जा रहा था। कुछ नामांकनों को अंतरिम सूचियों से लिया जा रहा था, जबकि अन्यों जैसे जन्तर मन्तर को अंतिम नामांकन हेतु अस्थायी सूची के बिना चुना गया था।

- स्थल का चयन करने के पश्चात एक नामांकन डोजियर बनाया गया था। अंतरिम सूची में चयनित स्थलों को अंतिम नामांकन हेतु तैयार करने के लिए उनके विकास हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं थे। भा.पु.स. में हमने पाया कि स्थायी शिलालेख हेतु तैयारी करने की गतिविधियों ने केवल नामांकन डोजियर हेतु परामर्शदाताओं का चयन तथा स्थल प्रबंधन योजना शामिल थे। स्थल को विकसित करने के लिए कोई परियोजना नहीं थी अथवा कोई संगठित प्रयास नहीं किए गए थे।

***अनुशंसा 3.1:*** *भा.पु.स. को अंतरिम सूची के लिए स्थल तथा अस्थायी सूची से अंतिम शिलालेख के चयन हेतु प्रयोजन मानदण्ड तथा अपेक्षाएं निर्धारित करनी चाहिए क्योंकि इससे नामांकन से पूर्व स्थल को प्राथमिकता देने, नियोजन करने तथा तैयार करने में सहायता मिलेगी।*

***अनुशंसा 3.2:*** *भा.पु.स. को संरक्षण तथा स्थल प्रबंधन के द्वारा अंतरिम विश्व विरासत स्थलों के विकास हेतु एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह अकेला ही स्थल के स्थायी नामांकन को सुनिश्चित कर सकता है।*

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि विश्व विरासत मामले परामर्श समिति (वि.वि.मा.प.स.) अंतरिम सूची अद्यतन करने के प्रक्रिया में थी तथा यह भी सुनिश्चित कर रही थी कि विश्व विरासत समिति को डोजियर भेजने से पहले प्रबंधन प्रक्रियां उचित थी। इसके अतिरिक्त भा.पू.स. बहुत अच्छे संरक्षण की स्थिति में भावी विश्व विरासत स्थल का अनुरक्षण करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास कर रहा था।

### 3.3.1 नामांकित डोजियरों के लिए परामर्शदाताओं का चयन

हमने पाया कि भा.पु.स. द्वारा वि.वि.स्थ. के नामांकित डोजियर की तैयारी तथा स्थल प्रबंधन योजना के लिए बाह्य परामर्शदाता नियुक्त किए गए थे। चयन प्रक्रिया हर एक मामले में भिन्न थी। कुछ मामलों में, भा.पु.स. ने परामर्शदाता नियुक्त किए तथा अन्यों में राज्यों ने हमारी संवीक्षा से पारदर्शिता की कमी, अनियमितताएं होना तथा परामर्शदाताओं को अदेय लाभ पहुंचाना, इत्यादि प्रकट हुआ। भा.पु.स. द्वारा प्रस्तावित सभी पांच[17] मामलों में कई प्रयासों तथा परामर्श

[17] शांतिनिकेतन, माजुली, हड़प्पा स्थलों का क्रमिक नामांकन, पट्टड़कल एवं रानी की वाव का विस्तार

कार्यों[18] के प्रति ₹ 1.76 करोड़[19] की संविदात्मक देयता के बावजूद स्थलों के दिसम्बर 2012 तक विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया था जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

### शान्तिनिकेतन, पश्चिम बंगाल (2009):

**नामांकन डोजियर हेतु कार्य** - यह कार्य सुश्री आभा नारायण लाम्बा और श्री मनीश चक्रवर्ती को संयुक्त रूप से ₹ 35 लाख की लागत पर मई 2009 में सौंपा गया था।

**प्रस्ताव की स्थिति**: नामांकन जनवरी 2010 में प्रस्तुत किया गया लेकिन अं.स्मा.स्थ.प. के मूल्यांकन के बाद वापस ले लिया गया था। पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए नहीं लिया गया।

**लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमिताएं:**

- स्थल का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया।
- खुली निविदाएं आमंत्रित करने की बजाय आठ परामर्शदाओं से सीमित उद्धरण मंगाए गए थे। इस कम सूची के लिए अभिलेख में कोई मानदण्ड नहीं थे।
- अपूर्ण होने के बावजूद एक बोलीदाता द्वारा दी गई बोली को अस्वीकार नहीं किया गया था तथा एल-1 को दे दिया गया था।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके कार्य एल-1 तथा एल-4 बोलीदाता को संयुक्त रूप से दिया गया था।

### मांजुली (2004, 2008, 2012)

**नामांकन डोजियर हेतु कार्यः**

1. 2004 में सुश्री नलिनी ठाकुर तथा श्री सुरोजित जराधरा को कार्य सौंपा गया था।
2. 2008 में, सुश्री पूनम ठाकुर तथा श्री रोहित जिज्ञासु को ₹ 16.84 लाख की लागत पर कार्य सौंपा गया था।
3. 2012 में, श्री सूर्यनारायण मूर्ति (मै. क्षेत्रा) को ₹ 28 लाख के भुगतान वाला कार्य सौंपा गया था।

**प्रस्ताव की स्थितिः**

अं.स्मा.स.प. द्वारा तीन प्रस्ताव क्रमशः अतिरिक्त सूचना हेतु भेजे, आस्थगित तथा तकनीकी रूप से अपूर्ण पाए गए थे। स्थल का अभी तक शिलालेख नहीं कराया जा सका।

[18] जिसमें से ₹ 1.05 करोड़ की राशि दी गई है।

[19] रानी-की- वाव का नामांकन डोसियर अंतर-कार्यालयी तैयार किए गए थे।

**लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमिताएं:**

- स्थल विश्व की सबसे अधिक लम्बी नदी के द्वीप पर था तथापि इसको सांस्कृतिक स्थल के रूप में प्रस्तुत किया गया न कि मिश्रित या प्राकृतक स्थल के रूप में।
- भा.पु.स. ने तीन विभिन्न परामर्शदाओं से काम कराया था। तथापि, उनमें से किसी ने भी संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं किया था।
- तीन मामलों में से एक में विश्व विरासत मामले परामर्श समिति (वि.वि.मा.प.स.) द्वारा डोजियर का मूल्यांकन करके अनुमोदन किया गया जो तकनीकी रूप से अपूर्ण पाया गया था। यह वि.वि.मा.प.स. द्वारा अनुचित जांच को दर्शाता है।
- सभी तीन मामलों में उन पराशर्मदाताओं जिन्होंने डोजियर तैयार किए, को डोजियर अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था।

## हड़प्पा स्थलों पर क्रमिक नामांकन (2008)

**नामांकन डोजियर हेतु कार्यः**

यह कार्य मार्च 2009 में श्री रानेश रे को ₹ 65 लाख की लागत पर सौंपा गया था।

**प्रस्ताव की स्थितिः**

भा.पु.स. द्वारा, डोजियर पूर्ण होने से पूर्व 2010 में प्रस्ताव अस्थगित कर दिया गया था।

**लेखापरीक्षा ने पाया कि;**

- धोलावीरा के अलावा, और कोई स्थल अस्थायी सूची में शामिल नहीं था।
- परामर्शदाता का चयन अपारदर्शी था तथा इनका नामांकन निविदाएं आमंत्रित किए बिना किया गया था।
- कार्य निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर अगस्त 2009 में ₹ 38 लाख का भुगतान जारी किया गया था।
- कार्य निष्पादन गारंटी की शर्त को औचित्य के बिना छोड़ दिया गया था।
- शुल्क में अनुपातिक कमी किए बिना दो स्थलों (राखीगढ़ी तथा भिर्राना) को हटाकर कार्य की मात्रा को मध्य में घटा दिया गया था।
- भा.पु.स., स्थलों की उत्खनन रिपोर्टें उपलब्ध कराने में विफल रहा जिसके कारण अंतिम नामांकन तैयार नहीं किया जा सका।
- उत्खनन रिपोर्टों के अनुपलब्धता के बावजूद ठेका दोषपूर्ण था, भा.पु.स. ने उन रिपोर्टों को उपलब्ध कराने में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया है।

**पट्टाडकल स्मारक समूह में बदामी तथा आइहोल हेतु प्रस्ताव - विस्तारण (2002-03, 2010-12)**

**नामांकन डोजियर हेतु कार्य**

1. यह कार्य श्री ए. रामानाथन तथा श्री रनेश रे को ₹ 14 लाख की लागत जिसे 2003 में ₹ 24 लाख तक बढ़ा दिया गया था, पर सौंपा।
2. मै. एडी द्रोणा को ₹ 31.56 लाख की कुल लागत (2011) पर कार्य दिया गया था डोजियर अभी तक तैयार नहीं किए गए थे (नवम्बर 2012)

**लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमितताएं:**

- अनुमान 2002 में ₹ 14 लाख से बढ़ कर 2011 में ₹ 31.56 लाख हो गए थे तथा कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया था।
- 2003 में पराशर्मदाताओं को नामांकन के माध्यम से एक अपारदर्शी ढंग से चुना गया था।
- 2010 में, धारवाड़ परिमंडल ने परामर्शदाताओं के चयन हेतु एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट (ई.ओ.आई.) जारी किया। ई.ओ.आई. में एक प्रतिबंधित शर्त थी जिसके परिणामस्वरूप केवल वे परामर्शदाता जिन्होंने वि.वि.स्थ. परियोजनाओं पर पहले कार्य किया हुआ था, ही पात्र थे। भारत में आरंभ की गई कुछ परियोजनाओं में उसने केवल पहले चयनित परामर्शदाताओं को ही प्रतिबंधित किया।
- 2011 में, एडी द्रोणा को स.वि.वि. तथा मंत्रालय के अनुमोदन के बिना कार्य सौंपा गया था।
- एडी द्रोणा का चयन किया गया था क्योंकि वह कर्नाटक का परामर्शदाता था। हांलाकि, ऐसे स्थान निर्धारण को पहले किसी परामर्श के लिए अपनाया नहीं गया था।
- विलम्ब के मामले में दण्ड के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

## 3.3.2 स्थल प्रबंधन योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन

स्थल प्रबंधन योजना वह दस्तावेज है जो स्थल के संरक्षण तथा प्रबंधन पर एक पवित्र परिप्रेक्ष्य देता है। यूनेस्को के 2008 के संचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार स्थल प्रबंधन योजना[20] का

[20] स्थल प्रबंधन स्थल के आवश्यकताओं पर निर्भर स्थल प्रबंनधन योजना विस्तृत संरक्षण प्रबंधन योजना (वि.सं.प्र.प्ला.), स्थल प्रबंधन योजना (स्थ.प.प्ला.) या एकीकृत प्रबंधन योजना (स.प्र.प्ला.) के रूप में हो सकता है।

प्रस्तुतिकरण अनिवार्य था। हमने पाया कि भा.पु.स. के 19 स्थलों में से 15 मामलों में ये योजना तैयार नहीं थी। यहां तक कि जहां पर ये योजना बनाई गई थी, वहां स्थल पर इनको कार्यान्वित नहीं किया गया था।

हमने पाया कि भा.पु.स. ने चार स्थलों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना (ए.प्र.प्ला. /विस्तृत संरक्षण प्रबंधन योजना (वि.सं.प्र.प्ला./स्थल प्रबंधन योजना (स्थ.प्र.प्ला. की तैयारी हेतु चार परामर्शदाता ₹2.92 करोड़ की राशि पर नियुक्त किए, जिसमें से ₹ 2.59 करोड़ का भुगतान परामर्शदाताओं को पहले ही कर दिया गया था। तथापि कार्य अभी तक अधूरा था क्योंकि भा.पु.स. द्वारा वि.सं.प्र.प्ला./ए.प्र.प्ला/स्थ.प्र.प्ला. को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

**तालिका 3.1 स्थ.प्र.प्ला./ए.प्र.प्ला./वि.सं.प्र.प्ला की स्थिति**

| स्थल | स्थ.प्र.प्ला. परामर्शदाता | पारिश्रमिक (₹ लाख में) | कार्य को आरंभ करना | स्थ.प्र.प्ला./ए.प्र.प्ला./वि.सं.प्र.प्ला. को अंतिम रूप देना | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| हम्पी कर्नाटक | नलिनी ठाकुर | 14.25 | 2004-05 | अंतिम रूप नहीं दिया गया | अभी कार्यान्वित नहीं किया गया[21] |
| लाल किला दिल्ली | गुरमीत राय | 91.46 | 2005 | 2007 | कार्यान्वित नहीं किया गया |
| अजन्ता गुफाएं महाराष्ट्र | आभा नारायण लाम्बा | 92.13 | 2007 | अंतिम रूप नहीं दिया गया | कार्यान्वित नहीं किया गया |
| एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र | गुरमीत राय | 94.60 | 2007 | अंतिम रूप नहीं दिया गया | कार्यान्वित नहीं किया गया |

चम्पानेर पावागढ़ के लिए ए.प्र.प्ला., भा.पु.स. की आन्तरिक टीम द्वारा तैयार किया जा रहा था। ताजमहल, आगरा किला तथा फतेहपुर सीकरी के लिए स.प्र.यो. की तैयारी की प्रक्रिया 2012 से आरम्भ की गई। तथापि ई.ओ.आई. 2012 में अपने आप ही रद्द हो गया था तथा अभी पुनः आरंभ किया जाना था।

हमने पाया कि स्थल प्रबंधन योजना खराब ढंग से बनाए जा रहे थे इसलिए कार्यान्वित नहीं किए जा सके। योजना में स्थल के वास्तविक प्रबंधन के बारे में संरक्षण सहायकों तथा अन्य

[21] मंत्रालय ने सूचित किया (मई 2013) कि हम्पी की समेकित प्रबंधन योजना पहले से ही इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्मित विश्व विरासत प्राधिकरण द्वारा उप-क्षेत्रीय योजनाएं कार्यान्वयन से भिन्न भिन्न स्तरों में हैं तथा मास्टर योजना में समेकित प्रबंधन योजना के औपचारिक समावेशन की प्रक्रिया चल रही है।

क्षेत्रीय स्टाफ के लिए कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं था। यह स्थल के प्रबंधन हेतु पहलुओं तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण की चर्चा करने के लिए, मुख्यतः एक शैक्षिक प्रलेख मात्र था।

अतः भा.पु.स., स्थल प्रबंधन योजना के प्रस्तुतीकरण हेतु यूनेस्को की अधिदेशात्मक आवश्यकता का पालन करने में असमर्थ था।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि एकीकृत प्रबंधन योजना या स्थल प्रबंधन योजना गतिदायक दस्तावेज थे जो कई वर्षों तक चरणबद्ध कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित हैं।

## 3.4 विश्व विरासत स्थलों पर स्थल निरीक्षण

विश्व विरासत स्थिति में, इन स्थलों के लिए निधियन, स्टाफ तथा बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता अभिव्यक्त नहीं की। संरक्षण, सुरक्षा तथा अनुरक्षण के सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए भा.पु.स. ने विश्व विरासत स्थलों तथा अन्य स्थलों के बीच कोई अंतर नहीं किया था। इन वि.वि.स्थ. से 2007-12 की अवधि के दौरान कुल ₹ 320.03 करोड़ का राजस्व संग्रहीत हुआ जिसके प्रति ₹ 243.96 करोड़ का व्यय किया गया था भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 887.08 लाख थी।

इन वि.वि.स्थ. से जनित राजस्व पर विचार करते हुए हमारी राय में भा.पु.स. को, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इन स्मारकों का बेहतर संरक्षण तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। पर्यटकों, राजस्व तथा संरक्षण पर किए गए व्यय के संबंध में सूचना **अनुबंध 3.3** में है। संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि विभिन्न स्थलों पर अलग-अलग मुद्दे थे जो सुरक्षा, जन सुविधाओं, अतिक्रमण तथा अनाधिकृत निर्माण, श्रव्य मार्गदर्शक सेवा (विवरण **अनुबंध 3.4** में) से संबंधित थे।

## 3.5 विश्व विरासत स्थलों पर सुविधाओं की स्थिति

संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान पाई गई जन सुविधाओं की स्थिति की कुछ विशिष्टताएं निम्न प्रकार हैं: (विवरण **अनुबंध 3.4** में)

- खजुराहो, मध्य प्रदेश, फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश तथा चम्पानेर गुजरात के विश्व विरासत स्थलों पर अनाधिकृत निर्माण के क्रमशः 628 मामले, 194 मामले तथा 107 मामले पाए गए थे।
- पांच स्थलों, लाल किला, कुतुब मीनार, भीमबेटका, हम्पी तथा चम्पानेर पर अतिक्रमण देखा गया था।

- यह पाया गया था कि 19 विश्व विरासत स्थलों में से 9 स्मारक जनता के लिए आंशिक रूप से बन्द किए गए थे। इनमें ताजमहल, आगरा, लाल किला दिल्ली तथा कुतुब मीनार दिल्ली शामिल हैं।[22]
- 19 विश्व विरासत स्थलों में से 14 में कोई आडियो गाइड सेवा उपलब्ध नहीं थी। इनमें अजन्ता, एलोरा, खजुराहो तथा लाल किला शामिल हैं।
- 19 विश्व विरासत स्थलों में से 7 में सुरक्षा उपकरण जैसे हाथ से पकड़ने वाला मैटल डिटेक्टर, स्कैनर्स आदि उपलब्ध नहीं थे तथा 19 स्थलों में से 16 में सी.सी.टी.वी. प्रतिस्थापित नहीं किए गए थे।
- 19 विश्व विरासत स्थलों में से 6 जैसे हुमायूँ का मकबरा, भीमबेटका आदि में असाधारण पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।

***अनुशंसा 3.3:*** *मंत्रालय को विश्व विरासत स्थलों के अनुरक्षण तथा सुरक्षा के लिए एक पृथक परियोजना तैयार करनी चाहिए। वहां निधियों, सुरक्षा तथा संरक्षण आवश्यकताओं का उचित मूल्यांकन होना चाहिए।*

मंत्रालय ने अनुशंसा स्वीकार कर ली है (मई 2013)



[22] आडियो गाइड सेवा लाल किला, दिल्ली में जुलाई 2012 से शुरू की गई है।

## मामला अध्ययन 1: ताजमहल, आगरा

ताजमहल, आगरा मुगल बादशाह, शाहजहां द्वारा बनाया गया एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। वह अपने अद्वितीय अभिन्यास, प्रतिसाम्य में आदर्श तथा जड़ाऊ कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक 17 वर्षों के भीतर लगभग रू. 4.0 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया था। ताजमहल को दिसम्बर 1920 मे राष्ट्रीय महत्व का एक केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। विश्व के सात आश्चर्यों में से इसे एक मानते हुए इसको 1983 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था।

पिछले पांच वर्षों के दौरानः

- **0.31 करोड़ विदेशी तथा 1.73 करोड़ भारतीय पर्यटक ताजमहल घूमने आए जिसके द्वारा भा.पु.स. ने राजस्व रूप में ₹ 84.90 करोड़ अर्जित किए।**
- **ताजमहल के प्रतिरक्षण तथा संरक्षण पर किया गया कुल व्यय ₹ 7.55 करोड़ था।**
- **ताजमहल के अनुरक्षण तथा सुरक्षा के लिए भा.पु.स. के 128 कर्मचारी तथा के.औ.सु.ब. के 275 जवान तैनात किए गए थे।**

तथापि, समस्त भा.पु.स. के स्मारकों में अधिकतम संसाधन होने के बावजूद स्थल का अनुरक्षण अपर्याप्त था जिसकी अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है। स्थल प्रबंधन योजना को अभी अंतिम रूप देकर कार्यान्वित किया जाना शेष था।

## जन सुविधाओं की स्थिति

ताजमहल में पर्याप्त जन सुविधाएं जैसे पेय जल, शौचालय, शारीरिक दृष्टि से अक्षम पर्यटकों के लिए रैम्प तथा व्हील चेयर उपलब्ध थे। तथापि ताजमहल में ब्रैल में कोई सूचना पट्ट उपलब्ध नहीं था। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर अमानती सामानघर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, हांलाकि अधिकांश भारतीय पर्यटक इसी गेट से प्रविष्ट होते हैं। पार्किंग सुविधा, प्रवेश द्वारों से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

हमने पाया कि यद्यपि काउंटर पर उल्लेख किया गया था, तथापि कोरिया, जापानी, चीन तथा गुजराती भाषाओं में श्रव्य गाइड सुविधा उपलब्ध नहीं थी। भा.पु.स. ने जनवरी 2010 में, ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेटों पर सुरक्षा के लिए छतदार पंक्ति लगाने के क्षेत्र, सामान घर, सूचना क्षेत्र, प्रतीक्षा कक्ष तथा शौचालय आदि सहित प्रवेश टिकट काउंटर की सुविधा देने के लिए पर्यटक केन्द्रों का निर्माण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्ताव किया। व्याख्या केन्द्र की स्थापना करने का भी प्रस्ताव था। हमने पाया कि भा.पु.स. द्वारा वास्तविक निर्माण हेतु कार्य योजना को अभी प्रस्तुत किया जाना था।

## ताजमहल में तथा उसके आस पास अतिक्रमण तथा अनाधिकृत निर्माण

हमने पाया कि खान-ए-आलम के बाग के निकट ताजमहल के परिसर में अतिक्रमण किया हुआ था। भा.पु.स. के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही सभी केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा दी गई 249 अतिक्रमणों की सूची में इसका उल्लेख किया गया था।

हमने यह भी पाया कि ताजमहल के आसपास 24 अनाधिकृत निर्माणों में से केवल एक नष्ट किया गया था। हमने आगे पाया कि पूर्वी गेट की बाहरी चारदीवारी के आगे एक पुराने मंदिर का प्राधिकार के बिना निर्माण किया गया था। भा.पु.स. ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही इन अनाधिकृत निर्माणों पर संबंधित प्राधिकारियों के पास शिकायत लिखवाई।

## ताजमहल का परिरक्षण तथा संरक्षण

हमने पाया कि परिमंडल कार्यालय ताज परिसर की बाहरी चारदीवारी का उचित ढंग से संरक्षण करने में विफल रहा। पूर्वी गेट पर बायीं तरफ की चारदीवारी की दीवार खराब स्थिति में थी। परिमण्डल कार्यालय द्वारा इस दीवार पर कोई संरक्षण कार्य नहीं किया गया था। 400 वर्ष पुरानी

दीवार में बड़े-बड़े कील ठोके हुए थे तथा नियमित रूप मे उनसे पशुओं को खूंटे से बांधा जाता था।

ताजमहल परिसर की बायीं तरफ



हमने बाहरी दीवारों में दरार, दीवारों में जड़े हुए टूटे पत्थर, लापता डिजाइन, दीवार में सीमेंट का उपयोग, रिसाव, प्लास्टिक पाइपों को लगाना तथा टूटी जालियां भी देखीं।

दीवार में लगाई गई प्लास्टिक पाइप

बाहरी दीवार की टूटी जालियां

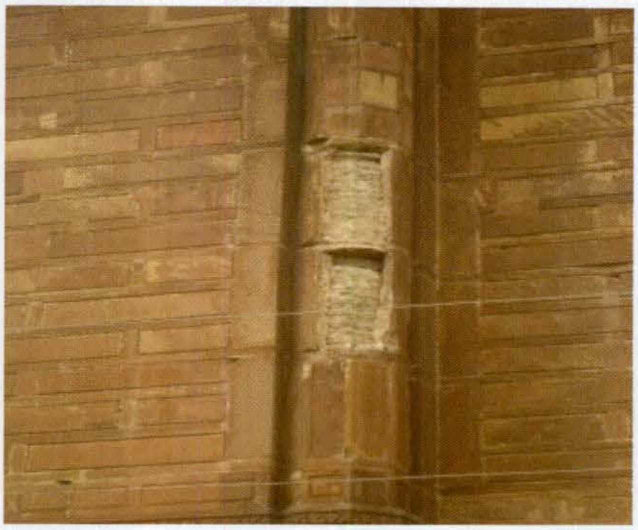

लापता पत्थर और प्लास्टर

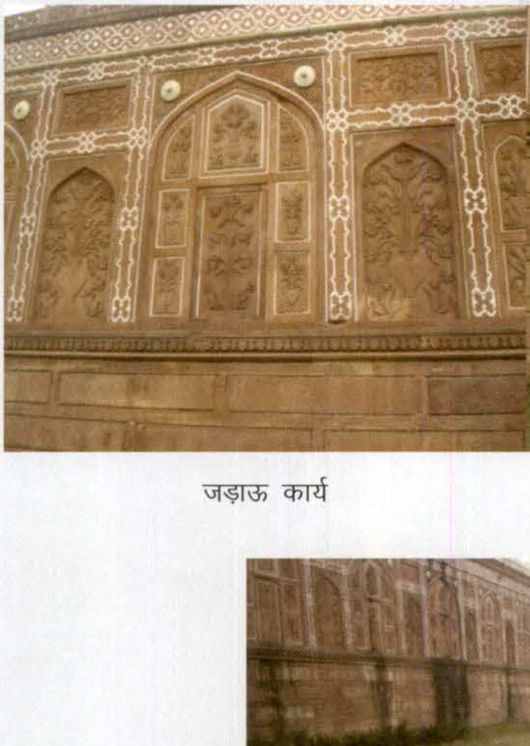

जड़ाऊ कार्य

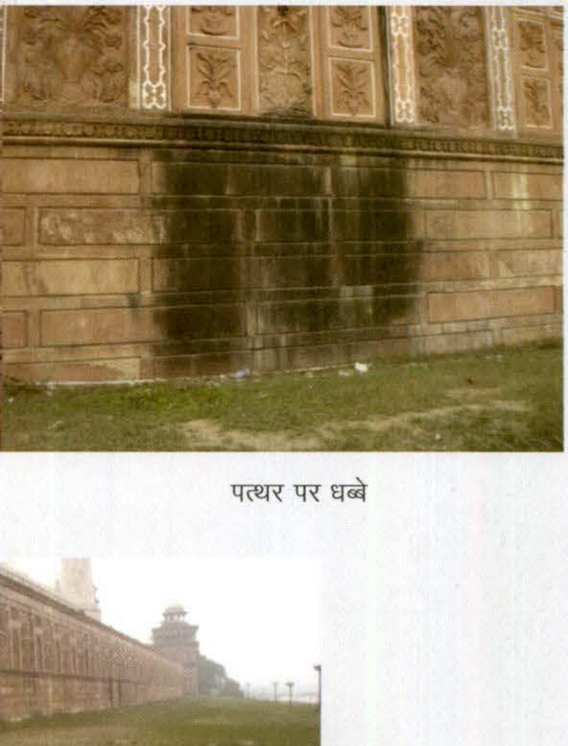

पत्थर पर धब्बे

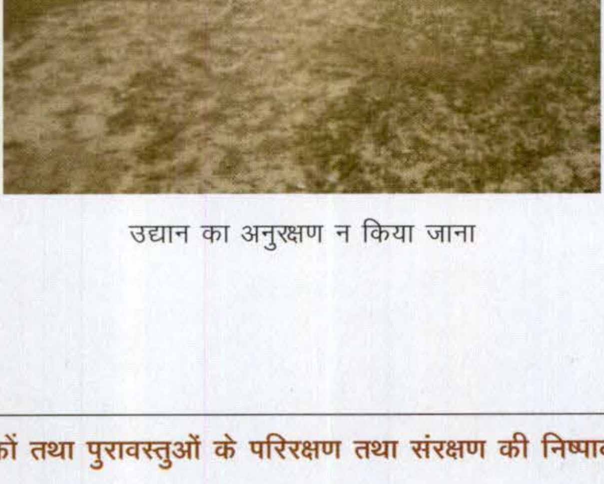

उद्यान का अनुरक्षण न किया जाना

स्मारक के भीतर संरक्षण तथा परिरक्षण के कार्य भी संतोषजनक नहीं थे। स्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्लास्टर का रंग फीका पड़ रहा था। उसमें जड़ाऊ डिजाइनों के लापता होने तथा रिसाव के कई उदाहरण थे। यहां तक कि उद्यानों का भी उचित ढंग से रख-रखाव नहीं किया गया था।

उद्यान में कूड़ाकरकट

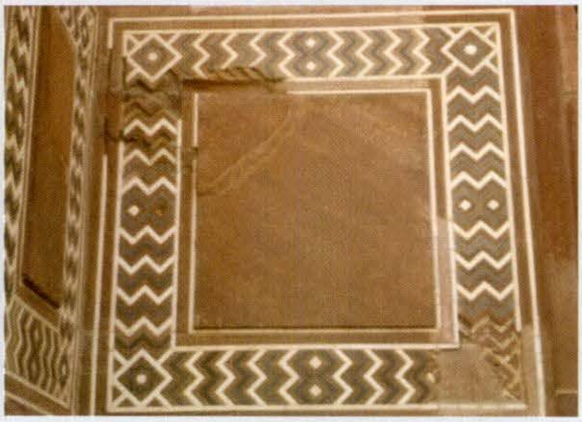

अधूरा डिजाइन

छत का रिसाव

मुख्य मकबरे के पूर्वी तथा पश्चिमी तरफ क्रमशः मस्जिद तथा मेहमान खाना था। हमने पाया कि इन भागों के अनुरक्षण पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया था जो हटे हुए प्लास्टर, लापता डिजाइनों तथा रिसाव में प्रदर्शित होता था।

मस्जिद की दीवारों पर सीमेंट का कार्य

मस्जिद में मिटे हुए डिजाइन

मस्जिद की टूटी हुई छत

मेहमान खाना में रिसाव और दरारें

मेहमान खाना में मिटे हुए डिजाइन

मेहमान खाना में हटता हुआ प्लास्टर कार्य

## मुख्य मकबरा

ताजमहल का मुख्य मकबरा स्मारक का मुख्य आकर्षण तथा दिल है। यह वास्तविक अर्द्ध कीमती संगमरमर का पत्थर के जड़ाऊ काम वाला शुद्ध सफेद ढांचा है। हमने देखा कि यद्यपि इस क्षेत्र का परिरक्षण तथा संरक्षण करने के लिए परिमंडल कार्यालय द्वारा प्रयास किए गए थे, तथापि, उसमें कुछ कमियां थी। भा.पु.स. ने बताया कि चूंकि ताजमहल में काफी संख्या में पर्यटक आते हैं, इसलिए उन्हें स्मारक के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। परिमंडल कार्यालय निर्माण क्षेत्र में सफाई कैमिकल ट्रीटमेंट के बीच समन्वय की कमी भी देखी गई थी। मुख्य लोहे के गेट से डिजाइन मिटा हुआ था। हमने पाया कि पत्थर गायब थे, सफेद पुष्पी डिजाइन काले पड़ गए थे तथा डिजाइन में दरारें भी देखी गई थी।

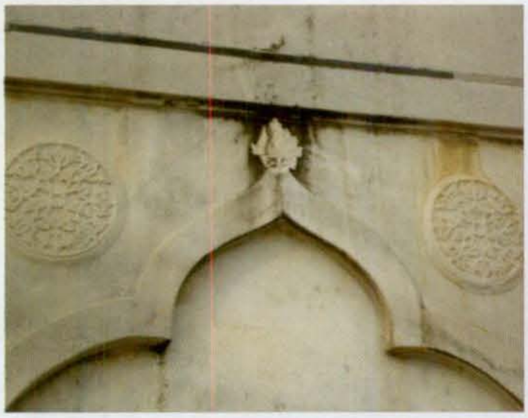

संगमरमर डिजाइनों पर काले धब्बे

संगमरमर डिजाइन पर पैबंदकारी कार्य

टूटे हुए पुष्पीय डिजाइन

जड़ाऊ कार्य में पैबंदकारी कार्य

यूनेस्को की सहायता से विज्ञान शाखा ने, आगरा में नवम्बर 2006 में एक पत्थर संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की। प्रयोगशाला का कार्य पत्थर को निर्माणकार्यों में उपयोग करने से पूर्व उनकी गुणवत्ता की जांच करना था। हमने पाया कि 2007-08 से 2011-12 के दौरान परिसर में पत्थर का फर्श बनाने के प्रति ₹ 1.35 करोड़ का व्यय किया गया था। तथापि पत्थर संरक्षण प्रयोगशाला में पत्थरों के उपयोग की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई थी।

# मामला अध्ययन 2: लाल किला, दिल्ली

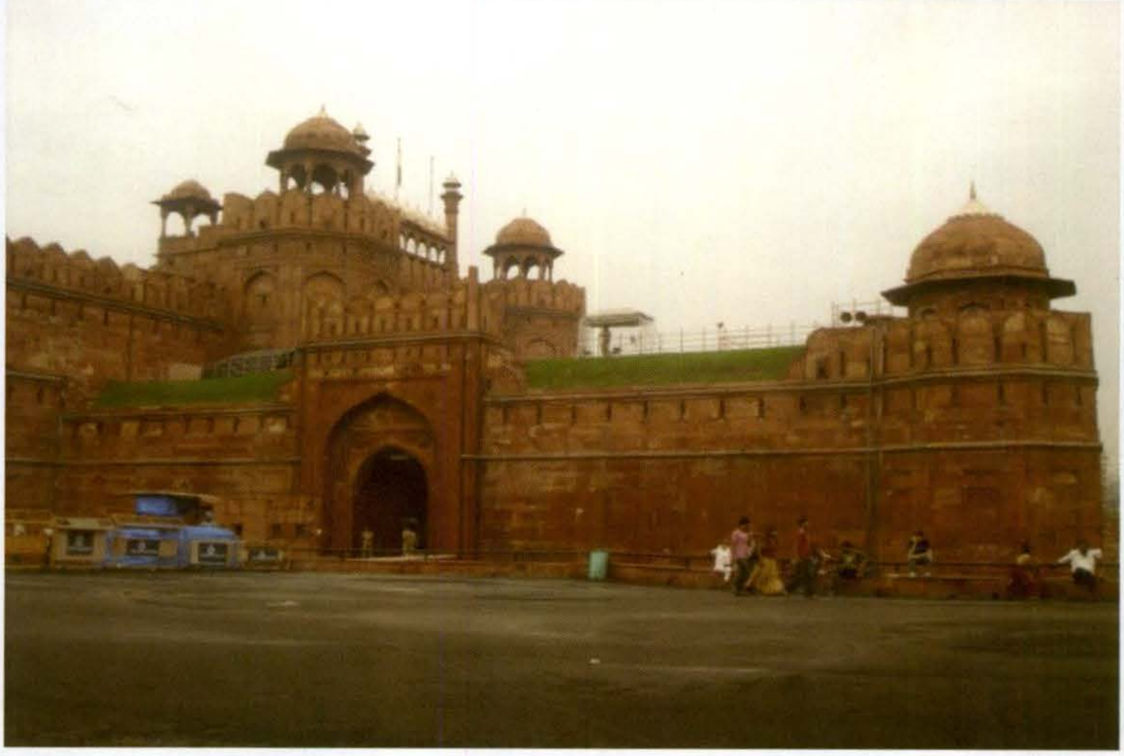

लाल किला, दिल्ली



## संक्षिप्त इतिहास

लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1648 में एक करोड़ रूपए की लागत पर निर्मित किया गया था। लाल किले में व्यापक सेना किलेबन्दी, बादशाह के प्रशासनिक मुख्यालय तथा शाही महलों में भी होती थी। किले में कला का कार्य भारतीय, पार्शियन तथा यूरोपीय कला का मिश्रण है। यह मुगल वास्तुकारों की पराकाष्ठा को भी निरूपित करता है। 2007 में विश्व विरासत समिति ने लाल किला, दिल्ली का नाम विश्व विरासत स्मारक के रूप में लिखा।

**पिछले पांच वर्षों के दौरान,**

- सात लाख विदेशी तथा 1.17 करोड़ भारतीय पर्यटकों ने लाल किले का भ्रमण किया जिसके द्वारा भा.पु.सं. ने राजस्व के रूप में ₹ 25.59 करोड़ अर्जित किए।
- लाल किले के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए किया गया कुल व्यय ₹ 15.77 करोड़ था।
- लाल किले की सुरक्षा के लिए 119 निजी सुरक्षा गार्डों तथा 317 के.औ.सु.ब. कार्मिक तैनात किए गए थे।

## अधिसूचना

स्मारक को फरवरी 1913 में अधिसूचित किया गया था, तथा इसमें किले के कुछ भाग[23] शामिल किए गए थे। बाद में किले के कुछ अतिरिक्त भाग[24] शामिल करने के लिए जुलाई 2002 में एक अन्य अधिसूचना जारी की गई थी।

अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप लाल किले को भा.पु.स. द्वारा मुख्यालय तथा परिमंडल कार्यालय (दिल्ली परिमंडल में 174 स्मारकों की सूची के अनुसार) दो विभिन्न स्मारकों के रूप में माना गया था, जबकि भा.पु.स. द्वारा प्रकाशित दिल्ली परिमंडल की सूची में लाल किले को एक स्मारक के रूप में तथा दूसरी अधिसूचना का प्रथम अधिसूचना के अनुपूरक के रूप में उल्लेख किया गया है।

## स्मारक या उसके भागों को अनाधिकृत रूप से बन्द करना

लाला किले में हमाम, मोती मस्जिद तथा बावली को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना पर्यटकों के लिए स्थायी रूप से बन्द कर दिया था। यह भी पाया गया था कि आम जनता का मुमताज महल, खास महल, दीवान-ए-खास आदि में जाना वर्जित था। यहां तक कि पर्यटकों को दीवान-ए-आम तथा दीवान-ए-खास में तख्त को निकट से देखने की भी अनुमति नहीं दी गई थी।

## अतिक्रमण तथा अनाधिकृत निर्माण

यह पाया गया था कि लाल किले के कुछ भागों का भा.पु.स. के कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा आवासीय उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा रहा था। भा.पु.स. के महानिदेशक दिल्ली परिमंडल के उपाधीक्षण पुरातत्वविद् तथा सहायक संरक्षण किले के अन्दर रह रहे थे। के.औ.सु.ब. तथा निजी सुरक्षा एजेंसी दोनों के सुरक्षा गार्ड भी स्मारक के अन्दर रह रहे थे। लाल किला परिसर में कई कार्यालय जैसे पुरातत्व संस्थान, छात्रावास, राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावस्तु मिशन, विज्ञान शाखा कार्यालय, बागवानी शाखा, सं.स. कार्यालय तथा कमांडेंट, के.औ.सु.ब. का कार्यालय स्थित थे।

संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया था कि लाल किला परिसर में मन्दिर तथा मजार भी विद्यमान थे तथा उनका नियमित प्राथनाओं के लिए उपयोग किया जाना प्रतीत हो रहा था हांलाकि यह प्राधिकृत नहीं था। इसके बारे में परिमंडल /म.नि. कार्यालय को सूचित नहीं किया गया था तथा स्मारकों, जिनमें अनाधिकृत प्रार्थनाएं की जा रही हैं, की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

---

[23] नौबत खाना, दीवान-ए-आम, मुमताज महल, रंग महल, बैठक मुसामम बुर्ज, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद, सावन एवं भादों पावेलियन, शाह बुर्ज, बगीचों, रास्तों, छज्जों एवं जल कार्य (लाल किला) सहित हमाम।

[24] दिल्ली का लाल किला, असद बुर्ज, जल द्वार, लाहोरी गेट, किले की दीवार, छत्ता बाजार एवं बावली

लाल किले में भा.पु.स. म.नि. का निवास स्थान

के.औ.सु.ब. को मुहैया कराया गया आवास

लाल किले के भीतर मज़ार

लाल किले के भीतर मंदिर

## जन सुविधाएं

- जुलाई 2012 में केवल दो भाषाओं अर्थात अंग्रेजी तथा हिन्दी में आडियो गाइड सुविधा आरंभ की गई।
- आगन्तुकों को टिकट कांउटर पर पहुंचने के लिए या तो नजदीकी बस स्टॉप से या प्राधिकृत पार्किंग स्थल से एक किलोमीटर से अधिक चलना पड़ता था।
- लाहौरी गेट पर कोई सी सी टी वी कैमरे नहीं लगाए गए थे। दिल्ली गेट पर कोई सी सी टी वी कैमरा तथा मेटल डिटेक्टर प्रतिस्थापित नहीं किए गए थे। लाल किले परिसर में प्रवेश के समय वाहनों की सुरक्षा हेतु कोई प्रणाली नहीं थी।
- स्मारक में दृष्टि संबंधी विकलांग लोगों के लिए कोई ब्रैल सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

## विस्तृत स्थल प्रबंधन योजना (वि.स्थ.प्र.यो.)

भा.पु.स. ने 2007-08 में ₹ 91.46 लाख की कुल लागत पर एक परामर्शदाता के माध्यम से वि.स्थ.प्र.यो. तैयार किया था। तथापि, सहायक संरक्षक ने सूचित किया कि वि.स्थ.प्र.प्ला. व्यावहारिक नहीं था तथा कार्यान्वित करना कठिन था। महत्वपूर्ण मुद्दा जैसे ऊपरी तार लगाने के कार्य का वि.स्थ.प्र.प्ला. में उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार व्यय निष्फल हो गया था।

## राजस्व की प्राप्ति न होना

लाल किले में पार्किंग का प्रबंध करने का ठेका सितम्बर 2010 में अपात्र ठेकेदार[25] को सौंपा गया था। ठेकेदार ने जुलाई 2011 से धनराशि जमा कराना बन्द कर दिया था तथा 31 मार्च 2012 को ठेकेदार के प्रति बिजली प्रभारों तथा अर्थदण्ड सहित ₹ 1.14 करोड़ की राशि बकाया थी।

## सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना

लाल किले के उद्यान में सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन करने की अनुमति की शर्तों का वार्षिक राम लीला[26] के आयोजकों द्वारा सख्ती से पालन नहीं किया गया था। भा.पु.स. ने उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी। भा.पु.स. ने रू. 50,000/- प्रतिदिन का निर्धारित शुल्क भी यह बताते हुए छोड़ दिया कि यह एक धार्मिक कार्य है (**पैरा 2.8.5 देखें**)।

## स्मारकों की प्रत्यक्ष स्थिति

परिसर के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्रकट हुआ कि उसमें बहुत अधिक संरक्षण/ परिरक्षण की आवश्यकता है; इसके अतिरिक्त कुछ भाग जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे तथा उनकी ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। विवरण निम्नानुसार है:-

लाहौरी गेट पर दीवारों, पत्थरों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था पर अनुपयुक्त संरक्षण निर्माण कार्य।

लाहौरी गेट का मुख्य प्रवेश

छत्ता बाजार के निकट बंद दुकान

25 फर्म से संबंधित क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव नहीं था।

26 मैसर्स लवकुश रामलीला समिति तथा मैसर्स नव/श्री धार्मिक लीला समिति।

## नौबत खाना तथा दीवान -ए-आम

नौबत खाना के प्रवेश द्वार पर कई पत्थर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा गेट पर किए गए अनुपयुक्त संरक्षण निर्माण कार्य के निशान प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे। पुष्पीय डिजाइन को विभिन्न रंगों के साथ बदला गया था तथा किया गया कार्य भी एक पैबंदकारी कार्य था। स्मारक पर सीमेंट का कार्य भी देखा गया था। तख्त को कबूतरों तथा चमगादड़ों से बचाने के लिए एक जाली से ढका हुआ था। तथापि, कबूतर जाली के अंदर प्रविष्ट हो गए जिससे इसका उद्देश्य विफल हो गया। जाली उस स्थान की सारी सुन्दरता के प्रभाव को बिगाड़ रही थी। दीवान-ए-आम की छत पर बहुत अधिक सीलन देखी गयी थी। पिछली दीवार में कई दरारे थीं तथा उनकी कैमिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। ढांचे को पकड़ने वाले ब्रैकेट भी गिर रहे थे तथा उनको तत्काल संरक्षित करने की आवश्यकता थी।

उतरा हुआ प्लास्टर

लुप्त हुआ पुष्पीय डिजाइन

कैमिकल सफाई की आवश्यकता वाला दीवान-ए-आम का पिछला भाग

## दीवान-ए-खास

दीवारों के डिजाइन को उसके वास्तविक आकार में पुनः लाने के प्रयास किए गए थे तथापि निर्माणकार्य बीच में ही छोड़ दिया था। इस क्षेत्र में भी उचित कैमिकल संरक्षण करने की आवश्यकता है।

दीवार पर लुप्त डिजाइन

एक स्तम्भ पर किया गया नमूना कार्य

## सावन तथा भादो मंडप

सभी क्षेत्रों में कैमिकल संरक्षण निर्माणकार्य एकरूपता से नंही किए गए थे। इन दो मंडपों के बीच हयात बक्श उद्यान के अनुरक्षण में कमी पायी गयी। हमने पाया कि वहां बहुत अधिक खरपतवार थी तथा जल स्त्रोत क्षतिग्रस्त स्थिति में थे। रास्तों का भी पुनरूद्धार करने की आवश्यकता है।

सावन मंडप में किया गया जड़ाऊ कार्य

हयादत बक्श उद्यान का अनुचित अनुरक्षण

## जफर महल और बॉवली

जफर महल, एक लाल बलुआ पत्थर का ढांचा पानी भरने में उपयोग किया जाता था। जालियां टूटी हुई पाई गई थी, बहुत अधिक खरपतवार, सीलन तथा सीमेंट का कार्य भी देखा गया था। वहां कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पत्थर लुप्त थे; ईंटों पर कोई प्लास्टर नहीं था फर्श पर पानी इकट्ठा हो रहा था। किले में बॉवली के परिरक्षण हेतु तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बॉवली की दीवार के पत्थर तथा कुछ भाग टूटा पाया गया था तथा बहुत अधिक खरपतवार देखी गई थी। बॉवली से आगे का उद्यान पूरी तरह बेढंगी स्थिति में था।

जफर महल में लुप्त पत्थर तथा पानी का इकट्ठा होना

बॉवली मे स्थिर पानी

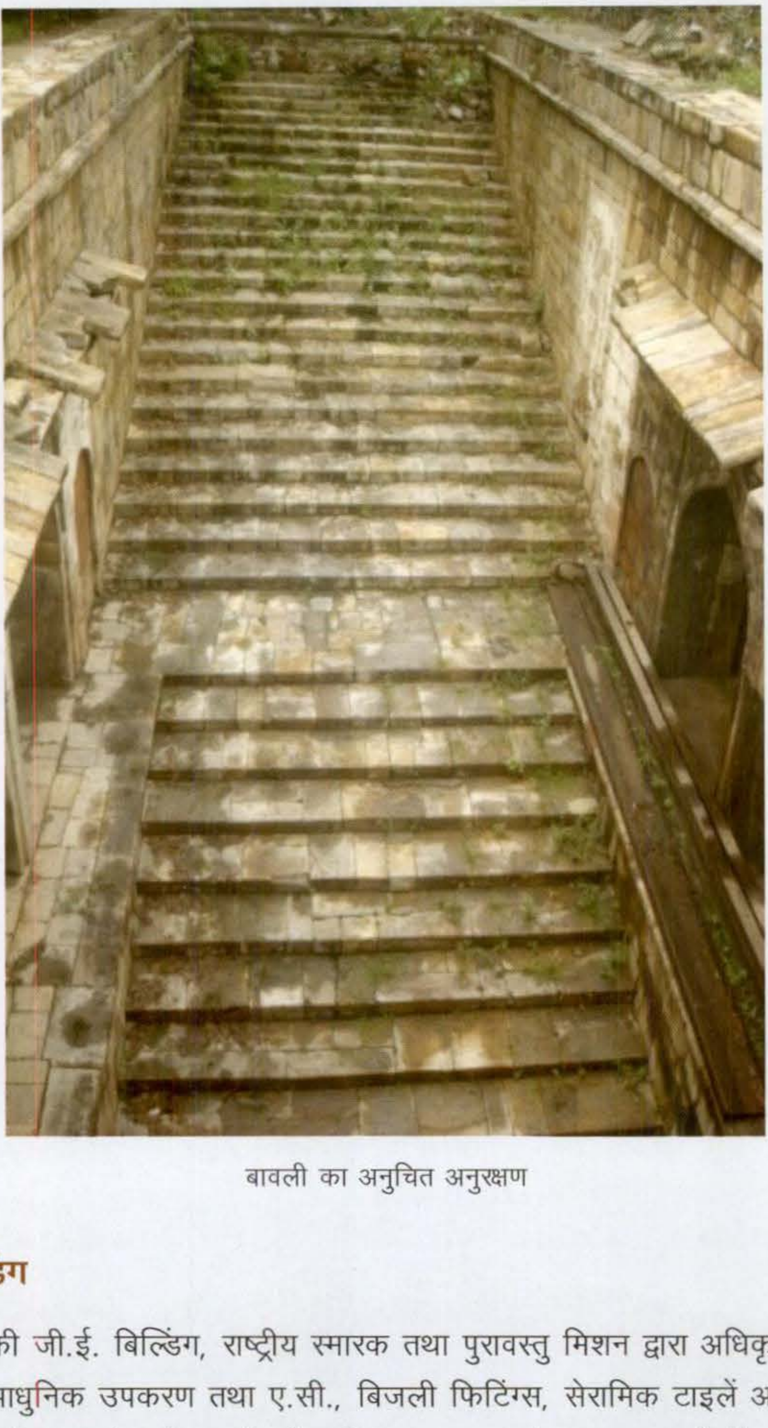

बावली का अनुचित अनुरक्षण

## जी.ई. बिल्डिंग

ब्रिटिश काल की जी.ई. बिल्डिंग, राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावस्तु मिशन द्वारा अधिकृत की गई थी। वहां पर कई आधुनिक उपकरण तथा ए.सी., बिजली फिटिंग्स, सेरामिक टाइलें आदि प्रतिष्ठापित की गई थी। मार्ग घास से ढके हुए थे जो घटिया अनुरक्षण को उजागर करते हैं।

लाल किले में ब्रिटिश काल की बिल्डिंग

मार्गों तथा उद्यानों का अनुपयुक्त अनुरक्षण



उपर्युक्त अभ्युक्तियां यह स्पष्ट करती हैं कि हमारे देश के गौरव का प्रतीक तथा एक विश्व विरासत स्थल की देखभाल तथा संरक्षण जिसकी आवश्कता थी, की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। भा.पु.स. कर्मचारियों ने निधियों तथा मानवशक्ति की अल्पता के मुद्दे को उजागर किया था। तथापि, हमने पाया कि निधियों की आवश्यकता तथा संरक्षण निर्माण कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन कभी नहीं किया गया था। राष्ट्रीय संस्कृति निधि (रा.सं.नि.) या किसी अन्य वैकल्पिक साधन के माध्यम से निधियां प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। स्मारक के व्यापक संरक्षण हेतु पृथक निधियों के आबंटन के लिए कोई प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किया गया था। मंत्रालय स्वयं इस दिशा में कोई कार्रवाई प्रारंभ करने में विफल रहा।

## मामला अध्ययन 3: अजंता गुफाएं, औरंगाबाद

### संक्षिप्त इतिहासः

अजंता के निकट चट्टान काट गुफाओं में भारतीय ग्रामीण चित्रकलाओं के श्रेष्ठ नमूने अंतर्विष्ट है। इनकी ब्रिटिश अधिकारियों ने शिकार पर जाते समय 1819 में खोज की थी। उनकी ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी तथा ईसा की सातवीं शताब्दी के बीच खुदाई की गई थी। उनके कम घुमावदार तंग घाटी को अनदेखा करते हुए सेमी सरकुलर स्क्रैप में खुदाई की गई थी। अजंता गुफाओं में चित्रकारी का कुल क्षेत्र लगभग 2994 वर्गमीटर था। गुफाओं को नवम्बर 1951 में अधिसूचित किया गया तथा 1984 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था।

**पिछले पांच वर्षों के दौरानः**

1.17 लाख विदेशी तथा 15.4 लाख भारतीय पर्यटकों ने अजंता गुफाओं में भ्रमण किया जिसके द्वारा भा.पु.स. ने ₹ 4.97 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

अजंता की गुफाओं के परिरक्षण तथा सरंक्षण पर किया गया कुल व्यय ₹ 7.19 करोड़ था।

तैनात किए गए निजी सुरक्षा गार्डों की संख्या में 2011 में 22 से 42 तक की वृद्धि की गई थी। राज्य-पुलिस ने भी अजंता गुफाओं में गश्त लगाई थी।

## स्थल प्रबंधन योजना

स्थल प्रबंधन योजना एक बाहरी परामर्शदाता द्वारा तैयार किया जा रहा था तथा उस पर ₹ 81.10 लाख का व्यय किया जा चुका था।

## सुरक्षा

हमने पाया कि निजी सुरक्षा गार्ड प्रवेश टिकटों की बिक्री में भी लगाए गए थे। स्थल पर कोई स्कैनर तथा सी.सी.टी.वी. उपलब्ध नहीं थे।

## जन सुविधाओं की स्थिति

- शारीरिक दृष्टि से अक्षम व्यक्तियों के लिए कोई शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- स्थल पर कोई श्रव्य गाइड सुविधा नहीं थी।
- आगन्तुकों के लिए कोई अमानती सामानघर उपलब्ध नहीं था।

## संरक्षण

अजंता गुफाओं की चित्रकारी तथा अन्य स्मारकों की पहचान तथा कैमिकल संरक्षण की परियोजनाओं का निष्पादन करना साइंस ब्रांच के अधीन "अजंता की क्षेत्रीय प्रयोगशाला" की जिम्मेदारी थी। अजंता में चित्रकलाओं पर किए गए कैमिकल संरक्षण तथा परिरक्षण विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआः

1) दोषपूर्ण कार्य निष्पादन के प्रति सफाई तथा उत्तरदायित्व नियत करने के परिणामों का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करने की कोई तंत्रविधि नहीं थी।
2) चित्रकारी के कैमिकल सफाई/संरक्षण हेतु कोई प्रलेखित नीति निर्धारित नहीं की गई थी।
3) चित्रकलाओं की सूची नहीं बनाई गई थी।

## अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु जापान बैंक (अं.स.जा.बै.) से वित्तीय सहायता

भारत सरकार (भा.स.) ने 1992 में चरण-। के लिए तथा 2003 में चरण-।। के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु जापान बैंक (अ.स.जा.बै. के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया। दोनों चरणों के दौरान ₹ 17.03 करोड़ का व्यय किया गया था। परियोजना का उद्देश्य " स्मारकों तथा आस पास के प्राकृतिक स्त्रोतों को संरक्षित तथा परिरक्षित करना और अवसंरचना तथा आगन्तुक प्रबंधन को सुधारना, पर्यटन विकास गतिविधियों को कार्यान्वित करना तथा महाराष्ट्र, अजंता में

प्रबल वाली स्थानीय जनता के जीवन को उच्च श्रेणी का बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना था।



## वर्तमान स्थिति

- गुफाओं में अस्थिर माइक्रो जलवायु स्थितियों ने भित्ति चित्रों के संरक्षण को प्रभावित किया। आर्द्रता के संबंध मे अंतर के प्रभाव के कारण मिट्टी सहित चित्रित प्लास्टर का भाग उसके पत्थर के खांचे से नीचे गिर गए थे। गुफा संख्या 2 की छत से सफेद धब्बे गिरना भी देखा गया था।
- पिछले जीर्ण उद्धारकों द्वारा चित्रों पर उपयोग की गई संरक्षित परत का मोटा लेप लगाना, संचित धूल-मिट्टी, कालिख, चमगादड़ों आदि के बीट पड़े हुए थे जिससे भित्ति चित्र धुंधले हो गए थे।
- सफाई के लिए उपयोग किए गए विलायक द्रव्यों कैमिकलों आदि में बार-बार परिवर्तन किया गया था तथा विलायक द्रव्यों का अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण चित्रकला खराब हो गई।

गुफा सं. 17 पूर्वी दीवार, सफेदी धुल जाना

## आगन्तुकों का प्रभाव

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (रा.प.इ.अ.सं.) नागपुर को गुफाओं की क्षमता अध्ययन कराने के लिए पहचान की थी (जुलाई 2012) तथा परियोजना प्रगति पर थीं। गुफाओं के अंदर आगन्तुकों की प्रविष्टि 40 तक ही होनी थी लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था जिसके कारण सापेक्ष आर्द्रता में छः से सात प्रतिशत तक की वृद्धि सूचित की गई थी।

गुफा सं. 2 में आगन्तुकों की भीड़



गुफा के भीतर आगन्तुकों के प्रभाव से कार्बन डायोक्साइड सान्द्रत में भी बढ़ोतरी हुई। यह गुफाओं मे एक ही समय पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता को उजागर करता है। आज की तिथि तक कोई आपातकालीन निकासी योजना तैयार नहीं किया गया है।

पर्यटकों के अधिक अंतर्वहन तथा गुफाओं नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (म.प.वि.नि.) ने अगस्त 2012 में विदेशी तकनीकी की सहायता तथा आ.अं.स.अ. से वित्तीय सहायता से इन गुफाओं की प्रतिकृति सृजित करने की परियोजना आरंभ की।

# अध्याय – IV

# परिरक्षण एवं संरक्षण कार्य



**प्राचीन स्मारकों का परिरक्षण[27] तथा संरक्षण[28] एक बहु-आयामी प्रक्रिया है जिसके लिए शोधकर्ताओं, तकनीशियनों, वास्तुविदों तथा इतिहासकारों की सहायता आवश्यक है।**

**प्राचीन भवनों के परिरक्षण तथा पुनरूद्धार हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य तथा निर्धारित किये जाने चाहिए जिसमें प्रत्येक देश अपनी संस्कृति तथा परम्पराओं के ढांचे के भीतर योजना लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा।[29]**

**इसके लिए परिरक्षण तथा संरक्षण कार्यों की योजना तथा क्रियान्वयन के मानक बनाए जाना आवश्यक है। भा.पु.स. तथा मंत्रालय, नीति निर्धारण मानक तय करने, निगरानी तथा संरक्षण कार्यों के दस्तावेजीकरण में कमतर पाये गये।**

स्मारकों के संरक्षण तथा पुनरूद्धार को सभी उन विज्ञानों तथा तकनीकों का आश्रय प्राप्त होना चाहिए जो वास्तु विरासतों[30] के अध्ययन तथा सुरक्षण में योगदान दे सकें।

## 4.1 नीति, दिशानिर्देशों तथा निगरानी की पर्याप्तता

### 4.1.1 संरक्षण नीति का अभाव

भा.पु.स. के पास परिरक्षण तथा संरक्षण की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक अद्यतन तथा अनुमोदित संरक्षण नीति नहीं थी। मंडलों के लिए कोई संकलित अनुदेश नहीं थे। भा.पु.स. ने बताया कि वह सर जॉन मार्शल के संरक्षण मैनुअल का अनुरक्षण कर रहा है जो 1923 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त भा.पु.स. 1923 में प्रकाशित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मैनुअल तथा पुरातत्व कार्य संहिता का भी पालन कर रहा है जो 30 वर्षों से अधिक पुराने हैं।

एक व्यापक संरक्षण नीति के अभाव में इन संस्थाओं का प्रदर्शन मूल्यन काफी व्यक्तिनिष्ठ पाया गया। मैनुअल तथा कार्य संहिता के संशोधन की प्रक्रिया, जो 2011 में आरम्भ हो चुकी थी, का दिसंबर 2012 तक कोई परिणाम नहीं निकल पाया था।

---

27 परिरक्षणः किसी स्मारक को क्षति अथवा संकट से बचाने की प्रक्रिया

28 संरक्षणः स्मारक के उसकी वर्तमान स्थिति में रख-रखाव से संबंधित प्रक्रिया

29 स्मारको एवं स्थलों के संरक्षण तथा पुनरुधार हेतु अंतर्राष्ट्रीय घोषणापत्र ((वेनिस घोषणापत्र 1964)

30 संरक्षण तथा पुनरूद्धार हेतु अं.स्मा.स्थ.प. के अंतराष्ट्रीय घोषणपत्र

### 4.1.2 भा.पु.स. मुख्यालय की अप्रभावी निगरानी

जैसा पहले बताया गया है, परिमंडलीय कार्यालय स्मारकों के परिरक्षण तथा संरक्षण हेतु कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। भा.पु.स. कार्य संहिता के अनुसार, परिमंडलीय अधीक्षण पुरातत्वविद कार्य निष्पादन के दौरान पायी गयी अनियमितताओं को सूचित करने तथा दस्तावेजों के रखरखाव हेतु उत्तरदायी था। महानिदेशक, भा.पु.स. मंडलीय प्रमुख के निष्पादन की निगरानी हेतु समग्र रूप से उत्तरदायी थे।

संरक्षण कार्य किये जाने में हमने निम्न अनियमितताएँ देखीं : -

- ✓ अधीक्षण पुरातत्वविद द्वारा परीक्षण की कोई अनिवार्य आवश्यकता निर्धारित नहीं की गयी थी;
- ✓ स्थल निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण टिप्पणियों का न बनाया जाना;
- ✓ कार्य अनुमानों के समग्र दस्तावेजीकरण का अभाव;
- ✓ संरक्षण कार्यों की त्रुटिपूर्ण बजटीकरण के कारण अतिरिक्त मद का शामिल होना;
- ✓ कार्य पूर्ण होने में विलम्ब; तथा
- ✓ संरक्षण के उपरांत फोटोग्राफ सहित समापन रिपोर्टों का तैयार न किया जाना।

### 4.1.3 संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के अनुसार स्मारकों की स्थिति

हमने 1655 (45 प्रतिशत) स्मारकों का संबंधित स्मारकों के उपपरिमंडलीय कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों के साथ संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। निरीक्षण से संरक्षण के कई मुद्दे तथा चिंताएं सामने आई। इनमें से कुछ निम्नानुसार थे :-

- ✓ 63 स्मारकों में प्लास्टर उतर रहा था।
- ✓ 78 स्मारकों में उपमंडलीय कार्यालयों द्वारा खर पतवार समुचित रूप से नहीं हटाई गई थी।
- ✓ 33 स्मारकों में, दीवारों में बड़ी दरारें आ चुकी थीं जिन्हें तुरंत मरम्मत की आवश्यकता थी।
- ✓ 64 स्मारकों को तत्काल रसायनिक उपचार/सफाई की आवश्यकता थी। इन स्मारकों में बैंगलूरू परिमंडल में हंपी के मंदिर, औरंगाबाद परिमंडल में लक्ष्मी नारायण मंदिर, धारवाड़ परिमण्डल में बीदर किला तथा दिल्ली परिमंडल में जंतर मंतर शामिल थे।
- ✓ मान्य संरक्षण सिद्धान्तों के अनुसार, भा.पु.स. के स्मारकों में सीमेंट का प्रयोग प्रतिबंधित था। यहाँ तक कि जॉन मार्शल का संरक्षण मैनुअल भी यही निर्देश देता है। तथापि, 64 स्मारकों में प्रमुख ढाँचे पर सीमेंट का प्रयोग पाया गया। इसमें आगरा परिमंडल में

ताजमहल, फतेहपुर सीकरी तथा झाँसी दुर्ग; भोपाल परिमंडल में गुलारा महल तथा देहरादून परिमंडल में बैजनाथ मंदिर शामिल थे।

- ✓ 63 स्मारकों में सीलन देखी गयी।
- ✓ 33 स्मारकों में या तो स्मारक की बनावट/संरचना में बदलाव किया गया था या बेलबूटों को मिटा दिया गया था।
- ✓ तीन स्मारकों में आधुनिक टाइलों का प्रयोग किया गया था जिससे स्मारकों का मौलिक स्वरूप बदल गया था।
- ✓ 40 स्मारकों में दीवार अथवा स्मारक के गुबंदों के कुछ हिस्से काफी समय से टूटे हुए थे। फिर भी, भा.पु.स. द्वारा इनकी मरम्मत पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
- ✓ 16 स्मारकों में मौलिक पत्थर तथा टाईलें स्मारक से गायब थीं।
- ✓ 12 स्मारकों में स्मारक में कचरा/मलबा पड़ा हुआ था।
- ✓ तीन स्मारक ऐसे थे जहाँ स्मारक की छत क्षतिग्रस्त पायी गई थी जहां बड़ी दरारें देखी गयीं। उदाहरण के तौर पर शिमला परिमंडल में वाइस रीगल लॉज के ऊपरी तथा निचले तहखाने की गुबंदाकार छत।

ऊपर उजागर किये गये मामलों ने भा.पु.स. द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार संरक्षण नीति कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता दर्शायी।

## 4.2 संरक्षण दस्तावेजीकरण

### 4.2.1 संरक्षण कार्यों की कार्यदैनिकी का रख-रखाव

**"सांस्कृतिक विरासत का अभिलेखन निर्माण कार्यों तथा सांस्कृतिक विरासतों में किये गये बदलावों के सोचे समझे प्रबंधन तथा नियंत्रण हेतु तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विरासत का रखरखाव तथा संरक्षण उसकी भौतिक अवस्था, उसकी बनावट सामग्री, निर्माण तथा उसकी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्ता के प्रति संवेदनशील है"**[31]

किसी स्थल पर समुचित संरक्षण किये जाने के लिए पूर्व में किये गये संरक्षण प्रयासों पर पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक था जैसे उपयुक्त सामग्री, किये गये बदलाव, वास्तुचित्र इत्यादि। हमने देखा कि पहले भा.पु.स. प्रत्येक स्मारक के लिए कार्य दैनिकी रखता था जिसमें स्मारक पर किये गये कार्यों के बारे में सारी जानकारी होती थी। परंतु हमने पाया कि इस प्रथा का पालन अब नहीं किया जा रहा था।

[31] अक्तूबर 1996 के 11 वें अं.स्मा.स्थ.प. सोफिया महाधिवेशन में अनुमोदित किये गये स्मारकों, भवन समूहों तथा स्थलों के अभिलेखन के सिद्धांत (1996)

संरक्षण के विभिन्न पहलुओं की उद्देश्यपूर्ति के लिए भा.पु.स. में तीन पृथक शाखाएँ थीं- परिमंडल (संरचनात्मक संरक्षण), बागवानी (पर्यावरणीय) तथा विज्ञान (रसायनिक सफाई तथा उपचार)। इन शाखाओं के बीच समन्वय के अभाव तथा भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा निगरानी की बेहद खराब स्थिति के कारण एक विशेष स्मारक पर किये गये व्यय तथा संरक्षण प्रयासों का ब्यौरा विस्तृत रूप में उपलब्ध नहीं था।

खराब अभिलेखीकरण का प्रमाण बागवानी शाखा में भी स्पष्ट था जहाँ हमने पाया कि बागवानी निदेशालय के पास उद्यानों तथा मौलिक विरासत उद्यानों की कुल संख्या की पर्याप्त जानकारी नहीं थी। बागवानी निदेशालय ने सूचित किया कि उद्यानों की कुल संख्या 504 थीं जबकि उसके चारों प्रभागों से प्राप्त समेकित संख्या 525 थी। इसी प्रकार निदेशालय कार्यालय के अनुसार, मौलिक रचना वाले उद्यानों की कुल संख्या 60 थी। परंतु यह संख्या उसी के प्रभागीय कार्यालय से प्राप्त सूचना से मेल नहीं खाती थी।

किसी प्रामाणिक अभिलेखीकरण के अभाव में किसी क्षतिग्रस्त हिस्से, मरम्मत के अधूरे कार्य इत्यादि के लिए जबावदेही तय कर पाना कठिन था। उदाहरण के लिए संरक्षित स्मारकों में सीमेंट का प्रयोग निषिद्ध था। हमने ऐसे कई मामले देखे जहाँ सीमेंट का प्रयोग किया गया था। परन्तु दस्तावेजीकरण के अभाव में जबावदेही तय करना अथवा अनियमितता का कोई ब्यौरा निर्धारण कर पाना मुश्किल था।

**हमने पाया कि 1984 में मिर्धा समिति ने भी यह कहकर ऐसे अभिलेखीकरण की आवश्यकता पर बल दिया था कि किये गये कार्य के पूर्ण ब्यौरे सहित स्मारक की कार्य दैनिकी भविष्य के संदर्भों के लिए रखी जानी चाहिए। परन्तु भा.पु.स. ने मिर्धा समिति के इस सुझाव पर कोई कार्यवाही नहीं की।**

## 4.2.2 कार्य संबंधी अभिलेखों का रख-रखाव

पुरातत्वीय कार्य संहिता किसी स्मारक पर किये गए संरक्षण कार्य के अभिलेखीकरण हेतु निम्न अभिलेख निर्धारित करती है:-

1. रोकड़ पुस्तिका (फार्म टी आर 4)
2. माप पुस्तिका (फार्म के.लो.नि.वि.-92)
3. निविदा तथा अनुबंध अभिलेख जैसे, ठेकेदार बहीखाता, निविदा बिक्री तथा निविदा खोलने के पंजिका, अनुबंध तथा प्रर्तिपूति पंजिका
4. अनुमान जिसमें पेशगी कार्यों का पंजिका तथा संस्वीकृत अनुमान शामिल हैं।
5. अन्य निर्माण कार्य संबंधी अभिलेख जैसे उपकरण तथा सयंत्र, अदत्त मजदूरी, सीमेंट भण्डार इत्यादि की पंजिका,

इसके अतिरिक्त श्रमिक ब्यौरे का श्रम पंजिका, दैनिक श्रम रिपोर्ट इत्यादि के रूप में अभिलेखीकरण भी रखा जाना अपेक्षित था।

हमने पाया कि कई परिमंडलों जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ तथा भुवनेश्वर, ने निर्माणकार्य पंजिका नहीं रखी थी जिससे अनेक संरक्षण कार्यों पर वर्ष-वार ब्यौरे तथा मद-वार खर्च सुनिश्चित नहीं किये जा सके।

***अनुशंसा 4.1:*** *मंत्रालय को एक व्यापक संरक्षण नीति विकसित करनी चाहिए तथा इसकी नियमपुस्तिकाओं तथा कार्य संहिता को सामयिक बनाना चाहिए। भा.पु.स. द्वारा प्रत्येक संरक्षित स्मारक के लिए कार्यदैनिकियाँ रखी जानी अनिवार्य की जानी चाहिए जिसमें सभी संरक्षण प्रयासों का विस्तृत अभिलेखीकरण हो।*

***अनुशंसा 4.2:*** *निर्माण कार्य संबंधी अभिलेखों का रखरखाव परिमंडल/प्रभाग प्रमुख का उत्तरदायित्व किया जाना चाहिए जिसकी भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से नमूना जाँच आधार पर परिवीक्षा की जानी चाहिए।*

मंत्रालय (मई 2013) ने अनुशंसाओं को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि आवश्यक अनुदेश जारी किये जा रहे हैं।

## 4.3 संरक्षण कार्यों की योजना में अनियमितताएँ

**तालिका 4.1 संरक्षण कार्यों की योजना में अनियमितताएँ**

| क्र.सं. | अनियमितता | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | संरक्षण हेतु स्मारकों के चयन के मापदण्ड | • भा.पु.स. द्वारा जॉन मार्शल के संरक्षण मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था।<br>• परिमंडलों/शाखाओं में विभिन्न कार्यों में प्राथमिकताएँ निर्धारित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।<br>• निर्माण कार्य कर्मचारियों के व्यक्तिपरक आंकलन के अनुसार मुख्यतः तदर्थ रूप में किये जा रहे थे। |
| 2. | विशेष मरम्मत कार्य/वार्षिक रखरखाव कार्य के बिना स्मारक | • संरक्षण कार्यों हेतु योजना तथा स्मारकों के प्राथमिकीकरण हेतु कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं था |

| | | |
|---|---|---|
| | | • भा.पु.स. विशेष मरम्मत तथा वार्षिक मरम्मत की स्मारक-वार सूचना नहीं दे पाया<br>• 765 स्मारकों में कोई विशेष मरम्मत नहीं की गयी तथा 691 स्मारकों में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई वार्षिक मरम्मत कार्य नहीं किया गया। |
| 3. | संशोधित सरंक्षण कार्यक्रम (सं.स.का.) की प्रस्तुति में विलंब | • परिमंडलों/शाखाओं द्वारा महानिदेशक भा.पु.स. को सं.स.का. प्रस्तुत करने में 69 दिनों तक का विलम्ब था जिसे फरवरी माह में प्रस्तुत किया जाना था तथा अगले वित्त वर्ष में कार्यान्वित करना था।<br>• संरक्षण कार्यों के प्रथम चरण में विलम्ब के प्रपातन प्रभाव से अगले चरणों में और विलंब होता गया। |
| 4. | सं.स.का की भा.पु.स. मुख्यालय पर संवीक्षा | • भा.पु.स. मुख्यालय सभी मंडलों/शाखाओं से नियमित रूप से व्यय विवरण प्राप्त नहीं कर रहा था।<br>• वास्तव में प्राप्त किये गये व्यय विवरणों की कोई संवीक्षा नहीं की जा रही थी।<br>• उदाहरण के तौर पर, दिल्ली परिमंडल के हौज खास परिसर पर अनुमानित व्यय की राशि 2010-11 के सं.स.का. में ₹ 14.63 लाख दिखाई गयी थी तथा 2010-11 तथा 2011-12 के लिए अतिरिक्त आवश्यकता क्रमशः ₹ 83.81 तथा ₹ 10.00 लाख दर्शाई गयी थी। |
| 5. | संस्वीकृत निर्माण कार्य जिन्हें कराया नहीं गया | • पाँच मंडलों[32] में महानिदेशक भा.पु.स. द्वारा स्वीकृत ₹ 5.37 करोड़ के 103 निर्माण कार्य वर्ष के दौरान नहीं आरंभ किये जा सके।<br>• महानिदेशक भा.पु.स. द्वारा स्वीकृत कार्यों को आरंभ न किए जाने के अभिलेखों में कोई कारण नहीं पाए गये। |
| 6. | आकलन बिना अनुमान | • दिल्ली, श्रीनगर तथा जयपुर परिमंडलों में स्वीकृत बजट तथा कार्यों पर वहन किये गये खर्चों का मिलान नहीं हुआ। |

[32] शिमला, राँची, गोवा, गुवाहाटी तथा दिल्ली

| | | |
|---|---|---|
| | | • स्वीकृत बजट तथा व्यय में अंतर 266 प्रतिशत तक था।<br>• महानिदेशक भा.पु.स. ने अनुमोदित बजट तथा वास्तविक बजट के बीच काफी भिन्नता के कारणों का पता लगाना सुनिश्चित नहीं किया। |
| 7. | संशोधित संरक्षण कार्यक्रम में शामिल कराए बिना निर्माण कार्य किया जाना | • दिल्ली तथा गोवा परिमंडलों में क्रमशः ₹ 4.34 करोड़ के 30 कार्य तथा ₹ 23.29 लाख के 8 कार्य सं.स.का. में शामिल किये बिना आरंभ कराये गये। वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय इन कार्यों का नियोजन नहीं किया गया था। |
| 8. | योजना बजट शीर्षों में गैर-योजना मदों का समावेश | • चार परिमंडलों[33] में संशोधित संरक्षण कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत ₹ 10.37 करोड़ के विशेष मरम्मत के कार्य आवर्ती कार्य में शामिल थे जैसे पेड़-पौधों की छँटाई, जालीदार बाड़, पगडंडियों पर कार्य जिन्हें वार्षिक मरम्मत की सूची में शामिल किया जाना चाहिए था।<br>• विश्व विरासत स्थलों तथा टिकट लगाए गये स्मारकों से संबंधित उद्यानों के रखरखाव पर व्यय को गलत तरीके से योजनागत शीषों के अंतर्गत बुक किया गया।<br>• विज्ञान शाखा में, 2007-08 के दौरान ₹17.97 लाख की राशि का व्यय प्रभागीय/आंचलिक कार्यालयों द्वारा प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद, विज्ञान प्रयोगशाला के चलन, उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध इत्यादि पर किया गया। |
| 9. | योजनागत मदों का गैर-योजना शीर्षों में समावेश | • दिल्ली परिमंडल के फ्लैग स्टाफ टावर के 2011-12 के दौरान किये गये संरक्षण कार्य पर ₹ 7.04 लाख की लागत आई। कार्य की मदों में पुराने गले हुए प्लास्टर उखाड़ना, स्मारक पर गाढ़ा चूना प्लास्टर लगाना तथा |

[33] दिल्ली, भोपाल, राँची तथा श्रीनगर

| | | |
|---|---|---|
| | | छत पर मोटी कंक्रीट बिछाना शामिल थे।<br>• उल्लेखनीय है कि विशेष मरम्मत कार्यों के लिए महानिदेशक का अनुमोदन आवश्यक था जबकि वार्षिक मरम्मत कार्य परिमंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद द्वारा अनुमोदित थे। |
| 10. | संरक्षण बजटीय शीर्षों के द्वारा कार्यालयी व्यय | • 176 उप-परिमंडलीय कार्यालयों में कम्प्यूटर, प्रिंटर और कार्ट्रिज, वाटर कूलर खरीदने तथा यात्रा आदि पर किये गये व्यय की पूर्ति लघु कार्य (गैर-योजना) के बजटीय शीर्ष से की गई थी जो विशेष रूप से संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए नियत किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन उप-परिमंडलीय कार्यालयों को कार्यालय व्यय शीर्ष के अंतर्गत कोई बजट नहीं दिया गया था। |
| 11. | अपूर्ण कार्य | • ऐसे मामले पाए गए जहॉ विशेष मरम्मत कार्यों को पूरा किये बिना छोड़ दिया गया जैसे बैंगलूरू परिमंडल में विट्ठल मंदिर का संरक्षण कार्य जिसे 1999-2000 में आरंभ कर बीच ही में छोड़ दिया गया। |
| 12. | असंरक्षित स्मारकों पर अप्राधिकृत व्यय | • कई मामले पाये गये जहाँ मंडल ऐसे स्मारकों पर व्यय कर रहे थे जिन्हें प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित नहीं किया गया था।<br>• दिल्ली मंडल ने जामा मस्जिद, जो एक असंरक्षित स्मारक है, पर ₹ 18.67 लाख खर्च किये। देहरादून परिमण्डल ने असंरक्षित मंदिरों पर व्यय किया। राँची मंडल ने 2008-09 में कोल्हन विश्रामगृह पर ₹ 2.30 लाख खर्च किए जिसका स्वामित्व झारखंड सरकार के पास है। इसी प्रकार हैदराबाद, बेंगलूरू तथा त्रिसूर मंडलों ने ऐसे स्मारकों पर व्यय किया जो केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में शामिल नहीं थे। |

हम्पी विश्व विरासत स्थल में मंडप में पड़े स्तंभ

अनन्थाशयाना मंदिर, हम्पी, कर्नाटक में स्मारक के अंदर बिखरे हुए पत्थर

मिर्धा समिति ने समन्वित विकास आधार पर पर्यावरणीय संरक्षण सहित विस्तृत संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्मारकों की पहचान किये जाने की प्रबल अनुशंसा की थी। इस उद्देश्यपूर्ति के लिए यह आवश्यक था कि बहु-विधा टीमों को स्मारकों की सभी समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनके संरक्षण हेतु दिशानिर्देश तय करने को कहा जाना चाहिए। केवल तब संरचनात्मक स्थिरता, चित्रों/मूर्तिकलाओं के रासायनिक परिरक्षण परिवेश विकास, भूनिर्माण, इत्यादि के संबंध में स्मारकों की आवश्यकताओं की पूर्ण रूपेण पूर्ति हो सकेगी।

***अनुशंसा 4.3:*** *प्रत्येक संरक्षित स्मारक की विशेष मरम्मत तथा रखरखाव की प्राथमिकता हेतु मापदण्ड होने चाहिए। इसे व्यापक संरक्षण नीति का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए।*

***अनुशंसा 4.4:*** *विभिन्न परिमंडलों से महानिदेशक भा.पु.स. के कार्यालय में प्राप्त अनुमानों की संवीक्षा में सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश विकसित किये जाने चाहिए।*

मंत्रालय ने (मई 2013) में अनुशंसा स्वीकार की तथा सूचित किया कि मसौदा संरक्षण नीति में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

## 4.4 त्रुटिपूर्ण सरंक्षण कार्य

ऐसे कुछ उपेक्षित स्मारकों की नीचे चर्चा की जा रही है जिन्हें तत्काल संरक्षण कार्यों की आवश्यकता है:-

**1. सरस्वती मंदिर, सिंगनाथनहल्ली, बेंगलूरू परिमंडल**

यह मंदिर एक सुदूर क्षेत्र में स्थित था जहाँ पहुँचने के लिए कोई समुचित मार्ग नहीं था। यह जीर्णशीर्ण अवस्था में था तथा इसे संरक्षण तथा समुचित प्रवेशमार्ग की अत्यंत आवश्यकता थी।

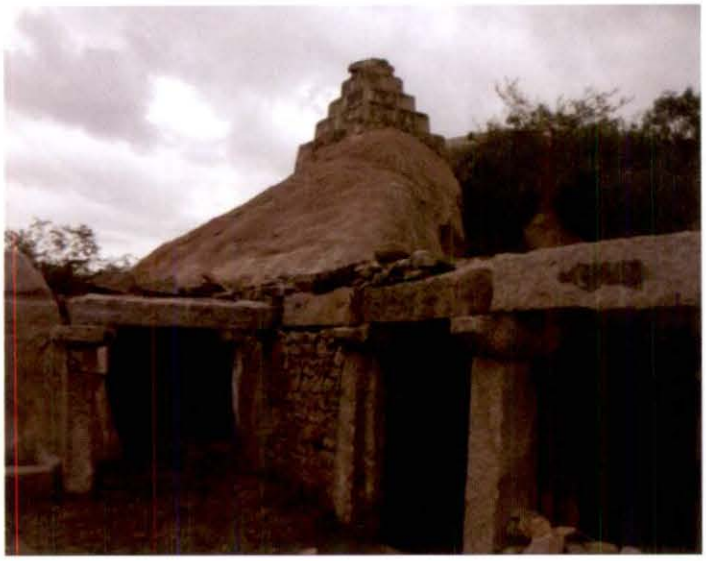

सरस्वती मंदिर, बेंगलुरू परिमंडल की जीर्ण शीर्ण दशा

### 2. कृष्ण परिसर, हम्पी, बेंगलूरू परिमंडल

मंदिर के महाद्वार (मुख्य प्रवेश द्वार) तथा पत्थर की दीवार पर दरारें आ गयी थीं तथा परिसर के भीतर अन्य ढाँचों सहित तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता थी। कृष्ण परिसर के अगले भाग में स्थित बाजार मंडप को भी संरक्षण की आवश्यकता थी।

हंपी, बंगलूरू परिमंडल स्थित कृष्ण मंदिर में दरारें

### 3. भूमिगत शिव मंदिर, हंपी, बैंगलूरू परिमंडल

हंपी में स्थित भूमिगत शिव मंदिर में जलभराव पाया गया जो निकटवर्ती खेतों से पानी के मंदिर में प्रवेश करने से हो गया था। अतः आगन्तुक मंदिर में प्रवेश करने में असमर्थ थे।

भूमिगत शिव मंदिर हंपी, बैंगलूरू परिमंडल में जलभराव

### 4. बटाकोट्टाई का किला, चेन्नई परिमंडल

चेन्नई परिमंडल ने कन्याकुमारी के बटाकोट्टाई किले में, चार साधारण स्तंभ वाले मंडपों में से एक मंडप को दीवारें तथा एक दरवाजा बनवाकर बंद कर दिया गया था। भा.पु.स. इसे एक भंडारगृह की तरह प्रयोग कर रहा था जिससे उसका मौलिक स्वरूप पूरी तरह बदल गया था।

मंडप का मूल रूप तथा गोदाम के लिए रूपांतरण के पश्चात्

### 5. फतेहपुर सीकरी, आगरा परिमंडल

आगरा परिमंडल ने फतेहपुर सीकरी में स्थित टकसाल के संरक्षण हेतु संस्वीकृत ₹15.72 लाख की लागत के प्रति 2005-06 तक ₹7.45 लाख का व्यय किया। संरक्षण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं किया गया था। मंडल के सहायक अधीक्षण पुरातत्व अभियंता द्वारा असंतोषजनक कार्य घोषित किये जाने पर कार्य को अवमानक घोषित कर बीच ही में रोक दिया गया। तब से कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

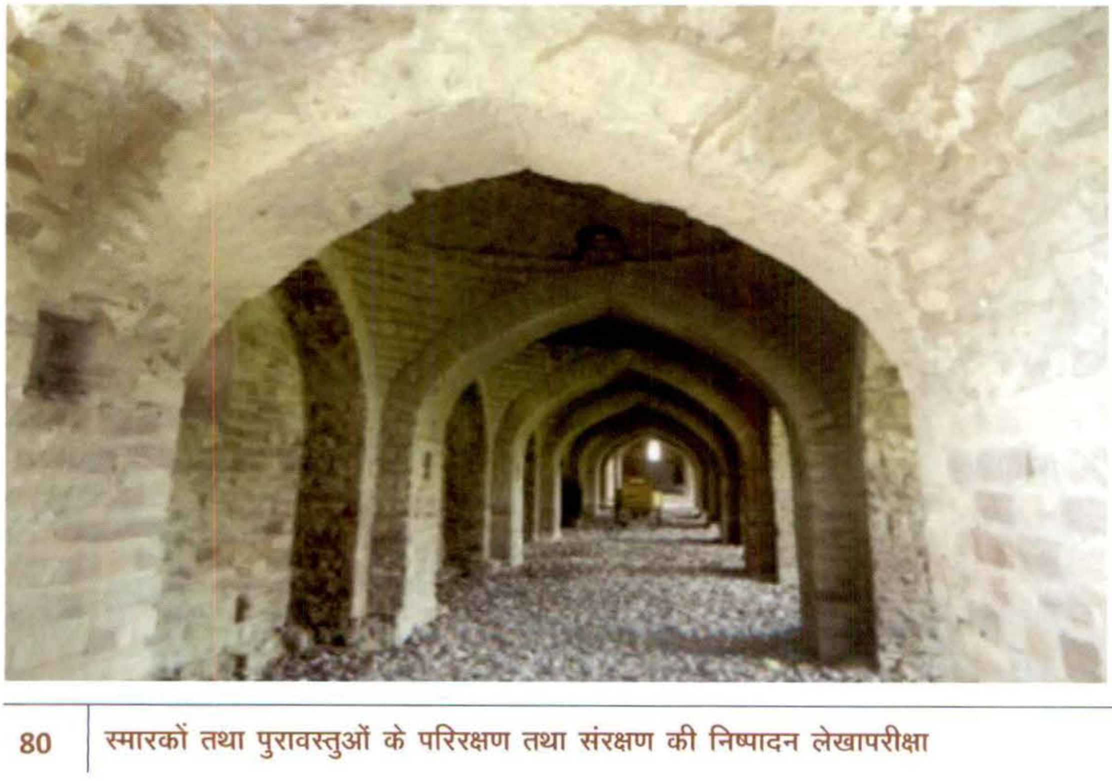

टकसाल घर फतहपुर सीकरी, आगरा

## 6. संगागिरि किला, चेन्नई परिमंडल

सालेम उपमंडल के चिन्नकावन्दानूर में स्थित संगागिरि किले में गढ़/दुर्ग की दीवार तथा पुश्ते की दीवार के पुनर्निर्माण का कार्य वर्ष 2006-10 के दौरान किया गया। कार्य की इन दो मदों पर कुल व्यय ₹ 13.61 लाख का हुआ। संयुक्त निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि दोनों गढ़/दुर्ग की दीवार तथा मंदिर की टंकी के पुश्ते की दीवारें, कार्य निष्पादन के उपरांत भी क्षतिग्रस्त अवस्था में थीं।

चिन्नकावन्दानूर, संगागिरी-क्षतिग्रस्त हालत में किले का गढ

चिन्नकावन्दानूर, संगागिरी- में निचली टंकी की क्षतिग्रस्त पुश्ते की दीवार

### 7. हैदराबाद परिमंडल में डोंका के एक हिस्से में स्थित गोपुरम सहित कृष्ण मंदिर, कल्याणमंडप स्थित कल्याणमंडपम तथा चिनाई द्वारा निर्मित टंकी

कल्याण मंडप में सिकुड़न तथा झुकाव के स्पष्ट संकेत भा.पु.स. द्वारा 1977 में ही सूचित किये गये थे जो पूर्ण मरम्मत तथा संरक्षण की ओर इशारा करते थे। ढाँचे को ढहाने का कार्य (2003-04 में ₹ 60.00 लाख पर संस्वीकृत) मार्च 2006 में पूरा किया गया। महानिदेशक भा.पु.स. के द्वारा मंडप के पुनर्निर्माण हेतु ₹ 3.48 करोड़ के अनुमान की संस्वीकृति (जुलाई 2006) दी गयी। नींव डालने का कार्य, जो जुलाई 2006 तक पूरा किया जाना था, वास्तव में अगस्त 2009 में पूरा हो पाया। तत्पश्चात् कार्य को विभागीय रूप से निष्पादित किया गया जिस पर मार्च 2012 तक ₹ 3.55 करोड़ खर्च हो चुके थे।

अतः समुचित योजना के अभाव तथा नींव की रचना में बदलाव से पुनर्निर्माण के कार्य में भारी व्यय तथा कार्य समाप्ति में विलंब हुआ।

ढहाने से पहले

ढहाने के पश्चात

पुनर्निर्माण के दौरान

## 8. बैसग़ाजी दीवार, मालदा, कोलकाता परिमंडल

संरक्षण कार्य से पहले दीवार पर नियमित अंतराल पर कोटरिकाएँ थीं। परन्तु भा.पु.स. ने दीवार के उत्तरी हिस्से का जीर्णोद्धार करते समय भीतरी दीवार पर कोई कोटरिका नहीं छोड़ी। परन्तु दीवार के पश्चिमी हिस्से का जीर्णोद्धार करते समय कोटरिकाएँ बना दी गई। अतः संरक्षण कार्य से स्मारक का मूल रूप परिवर्तित हो गया।

दीवार में मूल कोटरिका

फिर से बनाई गई दीवार में कोई कोटरिका नहीं

फिर से बनाई गई दीवार में कुछ हिस्से में कोटरिका

## 9. जोर बंगला, बिश्नूपुर, कोलकाता परिमण्डल

पूरी चारदीवारी सजावटी ईंटों से बनाई गयी थी जबकि चकती लगाने का काम प्रत्यक्ष रूप से साधारण ईंटों से पूरा किया गया जिससे स्मारक की दिखावट बिगड़ गई।

जोर बंगला, बिश्नूपुर कोलकाता में किया गया चकती का कार्य

### 10. पीली मस्जिद, मुर्शिदाबाद, कोलकाता परिमंडल

पीली मस्जिद का नाम इसके रंग के कारण पड़ा था; परन्तु भा.पु.स. द्वारा अनुपयुक्त संरक्षण किये जाने से इसका मूल स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया। हमने पाया कि अब मस्जिद को सफेद रंग दिया गया था।

पुराने दृश्य

वर्तमान दृश्य

### 11. राजा सुचेत सिंह का प्राचीन महल, श्रीनगर परिमंडल

रामनगर में राजा सुचेत सिंह के प्राचीन महल के दाहिनी ओर के मेहराबदार बरामदे को एक बैठक में तबदील कर दिया गया था जिसके साथ स्नानगृह तथा रसोई बनाई गई थी तथा एक हिस्से को कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था।

### 12. अमरावती का महास्तूप, हैदराबाद परिमंडल

अमरावती में महास्तूप अथवा "महाचैत्य" भारत के विशालतम बौद्धिक स्तूपों में गिना जाता था। खुदाई के दौरान चार आधारभूतों में प्रलंबित आयताकार चबूतरों सहित सहित ईंट निर्मित गोलाकार वेदिका अथवा ड्रम निकाला गया। हमने देखा कि भा.पु.स. ने (2006) एक वर्तमान वेदिका पर ही एक अतिरिक्त गोलाकार वेदिका अथवा ड्रम निर्मित कर दिया। इससे खुदाई के उपरांत निकले स्थल की मूल पहचान परिवर्तित हो गई।

गोलाकार वेदिका बिना महास्तूप का दृश्य

अतिरिक्त गोलाकार वेदिका सहित महास्तूप का सामान्य दृश्य

**13. सेंट एंजेलो किला त्रिशूर परिमंडल**

2000-01 में किये गए संरक्षण कार्य के दौरान घोड़ों के अस्तबल की मूलतः मखराली मिट्टी की बनी हुई तिकोनी छत को सीमेंट कंक्रीट की बेलनाकार आकृत्ति की छत में बदल दिया गया। परम्परागत वायु छिद्रों को बदल दिया गया तथा उनकी मूल आकृत्ति तथा दिखावट को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया गया। ऐसा स्मारकों पर सीमेंट कंक्रीट के प्रयोग पर निषेद्ध के बावजूद किया गया।

**14. त्रिपोलिया गेट, दिल्ली परिमण्डल**

त्रिपोलिया गेट के विशेष मरम्मत कार्य के लिए कार्य आदेश मेसर्स ए.आई.सी. बिल्डिंग साल्यूशन लिमिटेड को ₹ 21.97 लाख की लागत पर जुलाई 2010 में दिया गया जिसकी कार्यसमाप्ति की तिथि 8 नवम्बर 2010 रखी गई।

4 नवम्बर 2011 को एक स्थल निरीक्षण के दौरान उप-अधीक्षण पुरातत्व अभियंता ने देखा कि ठेकेदार द्वारा किया गया प्लास्टर कार्य मूल प्लास्टर से मेल नहीं खा रहा था क्योंकि द्वार की महराबों के उपर मूल प्लास्टर में पुष्पाकृतियों के अतिरिक्त अनेक ब्लॉक, ढलवाँ तथा अलंकृत डिजाइन बने थे। ठेकेदार ने सजावटी डिजाइन के स्थान पर सादा प्लास्टर कर दिया जिससे संरक्षण तथा जीर्णोद्धार का मूल उद्देश्य हासिल नहीं हो सका। इसके बावजूद, भा.पु.स. ने ₹ 8.17 लाख का भुगतान किया। परिमंडल ने ठेकेदार को सूचित किया कि उसके द्वारा निष्पादित कार्य ने स्मारक के मूल स्वरूप को ही परिवर्तित कर उसकी सजावट को बिगाड़ दिया जिसे इस पड़ाव पर ठीक कर पाना कठिन होगा। मंडल ने, ठेकेदार को कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार कार्य समाप्त करने को कहा जिसके उपरांत उपअधीक्षण पुरातत्वविद द्वारा कार्य का सत्यापन किया जाना था। इस कार्य को अब तक ठीक नहीं किया जा सका था। अतः मंडल द्वारा निगरानी के अभाव से ठेकेदार द्वारा अनुपयुक्त संरक्षण कार्य किया गया। कार्य 32 महीनों के विलंब के पश्चात भी पूरा नहीं किया जा सका था।

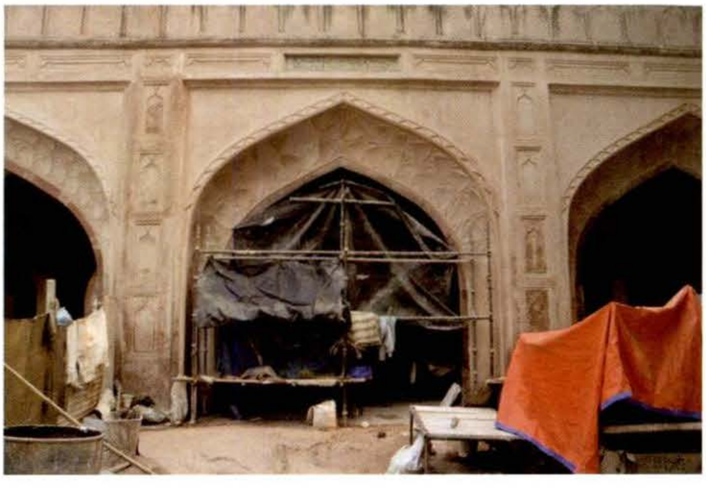

संरक्षण से पहले त्रिपोलिया गेट

संरक्षण के पश्चात त्रिपोलिया गेट (लुप्त डिजाइन)

## 4.5 बाह्य संस्थाओं द्वारा परिरक्षण तथा संरक्षण कार्य

संरक्षण एक विशिष्ट तकनीकी कार्य है। दिल्ली परिमंडल के अतिरिक्त भा.पु.स. के सभी अन्य परिमंडल संरक्षण तथा परिरक्षण कार्य विभागीय रूप से ही कराते थे। भा.पु.स. कार्य संहिता अथवा भा.पु.स. मैनुअल में से किसी में भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में संरक्षण कार्य बाह्य संस्थाओं के माध्यम से कराने का कोई प्रावधान नहीं पाया गया। कार्य संहिता तथापि संरक्षण कार्य हेतु बाह्य संस्थाओं से संरक्षण कार्य हेतु वित्तीय पोषण प्राप्त करने की अनुमति देता था। परन्तु हाल के वर्षों में बाह्य संस्थाओं जैसे इंटैक, आगाखान ट्रस्ट, इत्यादि को संरक्षण तथा परिरक्षण कार्यों हेतु स्मारक दे दिये गये थे। दिल्ली परिमंडल अपने सभी कार्य बाह्य संस्थाओं द्वारा करा रहा था।

### 4.5.1 बाह्य संस्थाओं की निगरानी

भा.पु.स. के पास संरक्षण कार्य कराये जाने के लिए बाह्य संस्थाओं के चयन हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं थे। भा.पु.स. द्वारा योग्यता तथा संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव के संबंध में कोई निर्धारित मापदण्ड तय नहीं किये गये थे। किसी निर्धारित मापदण्डों के अभाव में संस्था का चयन मामले दर मामले के आधार पर किया जा रहा था। बाह्य संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यों की निगरानी की कमी के संबंध में निम्न उदाहरण देखे गये;

(i) भा.पु.स. ने दिल्ली परिमंडल में हमायुँ के मकबरे के उद्यान के नवीकरण के अतिरिक्त संरक्षण, शोध अभिलेखीकरण, जल व्यस्थाओं की बहाली तथा रोशनी हेतु रा.सां.नि. के द्वारा आगा खान ट्रस्ट के साथ अप्रैल 1999 में एक अनुबंध किया। आगा खान संस्कृति ट्रस्ट ने भा.पु.स. के साथ हमायुँ मकबरे के परिसर के भीतर के संरक्षित स्मारकों के

संरक्षण हेतु जुलाई 2007 में एक और अनुबंध किया। आगा खान संस्कृति ट्रस्ट को भा.पु.स. पर कोई वित्तीय प्रतिबध्यता लाये बिना निधियों का प्रबंध घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ताओं द्वारा करना था। हमायुँ मकबरे के उपमंडलीय प्रभारी ने सूचित किया (जनवरी 2013) कि वे अनुबंध के निबंधन और शर्तों अथवा आ.ख.सं.न्या. द्वारा किये जा रहे कार्य की समय सारणी से अवगत नहीं थे तथा, इस प्रकार, उनकी निगरानी की कोई भूमिका नहीं थी। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार भा.पु.स. ने अनुबंध के अनुसार अपना उत्तरदायित्व त्याग दिया है।



(ii) लोधी गार्डन परिसर में पाँच स्मारकों का संरक्षण कार्य भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास (इंटैक) ने 2006 में किया। यह कार्य इंटैक को इसलिए दिया गया क्योंकि भा.पु.स. स्वयं को राष्ट्रमंडल खेल 2010 से संबंधित कार्यों को लेकर आधिभारित पा रहा था। इंटैक के साथ न कोई औपचारिक अनुबंध किया गया और न ही संस्था को कोई कार्य आदेश जारी किया। दिल्ली मंडल को कार्य संचालित करना था। तथापि, अक्तूबर 2009 में जाकर पता चल पाया कि इंटैक ने दोषपूर्ण तथा तुच्छ स्तर का संरक्षण कार्य किया था। महानिदेशक भा.पु.स. द्वारा जुलाई 2011 में नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने कार्य की समीक्षा की तथा कार्य को खराब गुणवत्ता का तथा अस्वीकार्य पाया। समिति ने खराब कारीगरी, निम्नस्तरीय सामग्री, खराब निगरानी तथा कार्य के प्रबंधन की कमजोरी का वर्णन किया। समिति ने संदेह व्यक्त किया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र में वर्णित 'सपाट छत की मरम्मत' का कार्य किया भी गया था या नहीं। नवम्बर 2012 तक न ही इंटैक ने कोई सुधारात्मक कार्यवाही की थी और न ही भा.पु.स. ने संस्था पर प्रतिबंध लगाने या जुर्माना लगाने की कोई कार्यवाही की।

(iii) हमने यह भी पाया कि भा.पु.स. ने 'उग्रसेन की बावली' जो दिल्ली परिमंडल का एक केन्द्रीय संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, के रख-रखाव हेतु नवम्बर 2009 में वैश्विक वैश्य संगठन के साथ एक अनुबंध किया।

## मामला अध्ययन 4: उग्रसेन की बावली

भा.पु.स. ने 2009 में उग्रसेन की बावली, दिल्ली के रखरखाव के लिए वैश्विक वैश संगठन (वै.वै.सं.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा कानूनी पुनरीक्षण नहीं किया गया था। हमने पाया कि समझौता ज्ञापन का प्रस्ताव मूलतः दिल्ली प्रादेशिक अग्रवाल सम्मेलन (दि.प्रा.अ.स.) की ओर से आया था पर समझौता ज्ञापन अंततः वैश्विक वैश संगठन के साथ किया गया था। इस परिवर्तन के संदर्भ में कोई कारण दर्ज नहीं पाए गए।

आरंभिक प्रस्ताव राष्ट्रीय संस्कृति निधि (रा.सं.नि.) योजना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था, तथापि, समझौता ज्ञापन करते समय राष्ट्रीय संस्कृति निधि को एक पक्ष नहीं बनाया गया था। किसी भी स्तर पर मंत्रालय से कोई अनुमति नहीं माँगी गई थी।

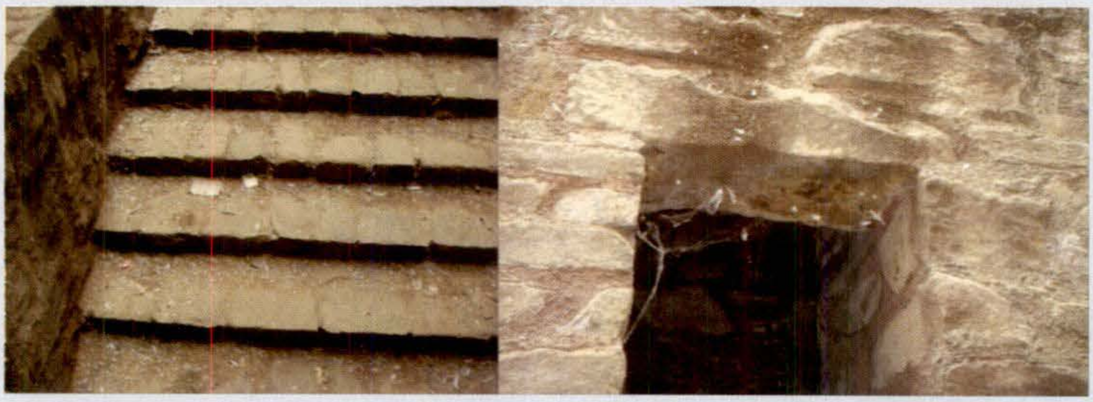

वैश्विक वैश संगठन द्वारा स्मारक का गैर रख-रखाव

समझौता ज्ञापन के अनुसार, कार्यक्षेत्र निर्धारित करने, लक्ष्य तिथि तथा समय सारणी तय करने, इत्यादि के लिए परियोजना कार्यान्वयन समिति गठित की जानी थी। परियोजना कार्यान्वयन समिति 2012 तक गठित नहीं की गई थी।

वैश्विक वैश संगठन द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को स्मारकों के लिए दिये गये सहयोग का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं था, जैसा कि समझौता ज्ञापन में परिभाषित है।।

वैश्विक वैश संगठन द्वारा पुस्तकें, पत्रिकाएँ, पर्चे, विवरणिकाएँ इत्यादि छपवानी तथा वितरित की जानी थीं फिर भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था। वैश्विक वैश संगठन किसी बैठक, पूजा अथवा धार्मिक गतिविधियों के लिए स्मारक का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। हमने ऐसे मामले देखे जिनमें स्मारक में बैठकें की गई थीं परंतु भा.पु.स. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। वैश्विक वैश संगठन के निष्पादन का आकलन किए बिना जनवरी 2011 में समझौता ज्ञापन का पाँच वर्षों के लिए नवीकरण कर दिया गया था।

चौकीदार द्वारा स्मारक का निवास के रूप में उपयोग

वै.वै.सं. द्वारा बनावाया गया पोर्टा केबिन

संयुक्त प्रत्यक्ष/भौतिक स्थल निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि वैश्विक वैश संगठन ने परिसर में एक पोर्टा केबिन में कार्यालय खोला हुआ था जिसमें साहित्य, लेखन-सामग्री, कम्प्यूटर आदि जमा किये गये थे। चौकीदार स्थाई रूप से स्मारक में रह रहा था। स्मारक बुरी हालत में था तथा बावली में अब पानी भी नहीं था।

अतः भा.पु.स. ने केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण तथा संरक्षण हेतु लगाई गई बाह्य अभिकरणों को नियुक्त करने, नियंत्रित करने अथवा उनके कार्य की मॉनीटरिंग करने हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की थीं।

### 4.5.2 बाह्य संस्थाओं द्वारा अनधिकृत संरक्षण कार्य

हमने ऐसे कई मामले पाये जहाँ स्मारकों अथवा उनके हिस्से पर भा.पु.स. के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं ने भा.पु.स. की अनुमति बिना संरक्षण कार्य किया। इनमें से कुछ मामले नीचे दिये गए हैं -

**तालिका 4.2 अन्य संस्थाओं द्वारा किये गये संरक्षण कार्य**

| क्र.स. | स्मारक का नाम | कार्य का ब्यौरा | कार्य निष्पादन संगठन | किया गया व्यय | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | महाराजा रणजीत सिंह का ग्रीष्म महल, अमृतसर | जीर्णोद्धार कार्य | पंजाब विरासत तथा पर्यटन संवर्धन बोर्ड | ₹ 2.17 करोड़ | भा.पु.स. द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई |
| 2. | किरात सागर तथा विजय सागर की झीलें तथा बरूआ सागर की टंकी, झाँसी | संरक्षण कार्य | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार | -- | राज्य सरकार की संस्थाओं ने अनधिकृत रूप से एक पिकनिक स्थल विकसित किया तथा पानी को सिंचाई तथा पेयजल के उद्देश्य से प्रयोग किया। |
| 3. | अमीनुद्दौला, लखनऊ मंडल जामा मस्जिद, इमामबाड़ा | काष्ठ एवं काँच का कार्य, विद्युतीकरण तथा लकड़ी का चौखट कार्य | हुसैनाबाद न्यास, उत्तर प्रदेश | -- | स्मारकों को आधुनिक रूप देने के लिए कार्य किये गये |

उपरोक्त सभी मामलों में भा.पु.स. ने केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर अन्य संस्थाओं द्वारा की गई अनधिकृत गतिविधियों का कोई संज्ञान नहीं लिया।

## 4.6 ठेकेदारों का पंजीकरण

भा.पु.स. मैनुअल के अनुच्छेद 3 के अनुसार ठेकेदारों का भा.पु.स. में पंजीकरण परिमंडल/ शाखा कार्यालय में किया जाएगा यदि वे उस परिमंडल/शाखा के अधिकार क्षेत्र में कार्य करने में इच्छुक हैं। यदि कोई ठेकेदार/फर्म एक से अधिक परिमंडल अथवा शाखाओं में कार्य करने का इच्छुक है तो उनके नाम महानिदेशक, भा.पु.स. के पास पंजीकृत होने चाहिए। पंजीकृत ठेकेदारों के ब्यौरे का एक अर्धवार्षिक विवरण महानिदेशक, भा.पु.स. को प्रस्तुत किया जाना था।

भा.पु.स. मुख्यालय ने सूचित किया कि वे किसी भी ठेकेदार का पंजीकरण नहीं कर रहे थे जबकि ऐसे ठेकेदार थे जो एक से अधिक परिमण्डलीय कार्यालय के लिए कार्य कर रहे थे।

भा.पु.स. अपने 24 परिमंडलों में से किसी से भी भा.पु.स. मैनुअल में निर्धारित मंडलों में पंजीकृत ठेकेदारों के अर्ध वार्षिक विवरण प्राप्त नहीं कर रहा था।

दिल्ली परिमंडल में ठेकेदारों का पंजीकरण उनकी साख की पुष्टि किए बिना किया जा रहा था।

### 4.6.1 ठेकेदारों से श्रमिक उपकर की गैर वसूली

दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्तें) नियम, 2002 के अनुसार निर्माण कार्य की लागत के एक प्रतिशत की दर पर उपकर वसूल किया जाना है तथा वसूली पर व्यय को काटकर दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा किया जाना है। दिल्ली परिमंडल ने ठेकेदारों द्वारा संरक्षण तथा रख-रखाव कार्य कराया परन्तु उपकर न वसूल किया और न ही बोर्ड को जमा कराया। 2007-12 के दौरान प्राचीन स्मारकों के संरक्षण पर कुल व्यय ₹ 64.64 करोड़ था। उपश्रम आयुक्त, श्रम विभाग दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार से आये पत्र के उत्तर में दिल्ली परिमंडल ने कहा (नवम्बर 2012) कि वे श्रमिक कल्याण उपकर की कटौती के प्रावधान से अवगत नहीं थे। चूंकि सारे कार्य समाप्त किए जा चुके हैं, उपकर वसूल कर पाना कठिन होगा।



## 4.7 राष्ट्रीय संस्कृति निधि से कराये गये संरक्षण कार्य

राष्ट्रीय संस्कृति निधि का एक प्रमुख उद्देश्य अपनी निधियों का प्रबंध तथा संरक्षित अथवा अन्यथा स्मारकों के संरक्षण, रखरखाव, संवर्धन, सुरक्षा, परिरक्षण तथा कोटिउन्नयन हेतु सदुपयोग करना है।

भा.पु.स. ने 2000 तथा 2007 में क्रमशः 36 तथा 100 चुनिंदा केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की दो सूचियां रा.सं.नि. को भेजी जिनके लिए रा.स.नि. द्वारा दानकर्ताओं से वित्तीय पोषण का आग्रह किया गया। **रा.सं.नि. को भा.पु.स. द्वारा भेजी गयी सूची में से ही स्मारकों का चयन करना था।** हमने पाया कि इन चयनित स्मारकों में कोई प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई थी। हमने यह भी देखा कि दानकर्ता परियोजनाओं हेतु रा.सं.नि. द्वारा दोनों सूचियों में शामिल स्मारकों से अलग स्मारक भी चुने गये उदाहरणतः जंतर मंतर, दिल्ली तथा ताजमहल, आगरा। भा.पु.स. द्वारा दी गई सूचियों के बाहर स्मारकों का चयन करने के कोई अभिलिखित कारण नहीं थे।

यह भी देखा गया कि रा.सं.नि. कुछ अतिमहत्वपूर्ण स्मारकों जैसे लाल किला, दिल्ली, आगरे का किला, सफदरजंग मकबरा, रणथंभोर किला, इत्यादि के लिए दानकर्ता जुटाने में विफल रहा। रा.सं.नि. द्वारा इन स्मारकों के संरक्षण हेतु संभावित दानकर्ता ढूंढने के लिए सार्वजनिक तथा निजी संगठनों के बीच इन स्मारकों को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं पाये गये। भावी दानकताओं के साथ हुई बैठकें अभिलेखित नहीं की गई तथा सभी सूचीबद्ध स्मारकों (भा.पु.स. द्वारा बताए गये) को एक निर्धारित समयावधि में संरक्षित किये जाने हेतु कोई व्यवस्थित योजनाएं नहीं थीं।

1999 से रा.सं.नि. ने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ 19 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये। हमने पाया कि इन अनुबंधों के सहमति पत्र सही तरह से तैयार नहीं किये गये थे तथा ऐसे मामले देखे गये जहां परियोजना की समाप्ति की समय सीमाएं तक दर्शाई नहीं गई थी। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा इन अनुबंध पत्रों की कानूनी पुनरीक्षण नहीं किया गया।

मंत्रालय ने (मई 2013) सूचित किया कि अनुबंध के सहमति पत्रों के नमूने तैयार कर विधि मंत्रालय के विमर्श से उनकों अंतिम रूप दिया जा रहा था।

प्रत्येक परियोजना पर मदवार व्यय के पूरे विवरण रा.सं.नि. में नहीं रखे जा रहे थे। इस सूचना के अभाव में, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि किसी परियोजना पर किया जा रहा व्यय उस उद्देश्य हेतु किया गया जिसके लिए अनुबंध किया गया था अथवा वह केवल प्रशासनिक खर्चों/परामर्श सेवाओं पर था। दानकर्ताओं तक को यह आश्वासन दिये जाने के संबंध में कोई अभिलेखीकरण नहीं था।

मंत्रालय ने (मई 2013) सूचित किया कि  प्रगति की निगरानी रखने के लिए कार्य क्षेत्र का विवरण बजट तथा समय सीमा को अनुबंध में शामिल किया जा रहा है।

हमने पाया कि केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए शुरू की गई 19 परियोजनाओं में से रा.सं.नि. के पास निधियों की उपलब्धता के बावजूद नवम्बर 2012 तक केवल दो पूरी की गई थी। परियोजनाओं के विवरण हमारी टिप्पणियों सहित **अनुबंध 4.1** पर रखे गए हैं।

***अनुशंसाः 4.5: प्रभावशाली बनने के लिए भा.पु.स. को रा.सं.नि. द्वारा वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाली परियोजनाओं का प्राथमिकीकरण करना चाहिए। इसके लिए निधियों का एक व्यापक आंकलन पहले से किये जाने की आवश्यकता है।***

## 4.8 सजीव स्मारकों के रखरखाव में भा.पु.स. की भूमिका

जॉन मार्शल के संरक्षण मैनुअल के अनुच्छेद 26 के अनुसार सजीव स्मारक वे हैं जो अधिसूचना के समय प्रयोग में थे। इनमें मंदिर, मस्जिद इत्यादि शामिल थे। प्रा.स.पु.स.अ. अधिनियम 1958 की धारा 6 के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्मारक के स्वामी के साथ इसके रख-रखाव का अभिरक्षा हेतु एक अनुबंध कर सकती है तथा स्वामी को स्मारक को ध्वस्त करने, हटाने, परिवर्तित करने अथवा विकृत करने या स्मारक पर या उसके समीप कोई निर्माण करने से रोक सकती है। परन्तु हमने पाया कि भा.पु.स. ऐसे सभी स्मारकों के स्वामियों के साथ औपचारिक अनुबंध करने में विफल रहा।

चूँकि स्मारक का वास्तविक अधिकार स्वामियों के पास था, उन्होंने स्मारक के ऐतिहासिक तथा कलात्मक मूल्य का हमेशा विचार किये बिना उसकी मरम्मत तथा रखरखाव अपनी समझ तथा आवश्यकता के अनुसार किये। कई मामलों में इससे स्मारक का सौंदर्यात्मक मूल्य एवं मूल

स्वरूप नष्ट हो गये। भा.पु.स. ऐसे स्मारकों पर पूर्ण प्राधिकार लागू नहीं कर पाया तथा इन गतिविधियों को रोकने में विफल रहा। कई सजीव धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों, गोम्पा तथा मस्जिदों में प्रबंधन ने भा.पु.स. के अनुमोदन के बगैर ही परिवर्तन कर दिये थे। भा.पु.स. के पास अपनी ओर से यह ध्यान में रखते हुए कि यह सजीव भवन थे जिनमें विस्तार आदि की विकासशील आवश्यकताएं होती हैं, अनुमति योग्य बदलावों पर कोई दिशानिर्देश नहीं थे। वर्तमान नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार के विस्तार/परिवर्तन निषिद्ध थे जो व्यावहारिक रूप में लागू नहीं किये जा सकते थे।

ऐसे उदाहरण देखे गये जहाँ इन स्मारकों का प्रबंधन न्यासों/व्यक्तियों के पास था जिन्होंने आधुनिक इनैमल पेंट से दीवारें रंगने, चीनी मिट्टी की टाईलें तथा विद्युत उपकरण लगाने आदि कार्य किये जिनसे स्मारक का सौंदर्यात्मक गुण परिवर्तित हो गया। कुछ उदाहरणों में दिल्ली परिमंडल में कुतुब मीनार में मस्जिद, पालम में प्राचीन मस्जिद, लेह लघु मंडल में शे मठ, हैमिस मठ, लखनऊ परिमंडल में बड़ा ईमामबाड़ा तथा छोटा ईमामबाड़ा तथा गोवा परिमंडल में चर्च शामिल थे।

***अनुशंसा 4.6:*** *सजीव स्मारकों के प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश होने चाहिए।*

***अनुशंसा 4.7:*** *निर्जीव स्मारकों पर अभिलेखीकरण उचित प्रकार से रखा जाना चाहिए ताकि अनधिकृत कब्जे तथा प्रयोग को रोका जा सके।*

मंत्रालय ने (मई 2013) अनुशंसा स्वीकार करते हुए सूचित किया कि इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश मसौदा संरक्षण नीति में सम्मिलित किये जा रहे हैं।

## 4.9 पर्यावरणीय संरक्षण

ऐतिहासिक उद्यान की वास्तु रचना में निम्न शामिल थेः

- इसकी योजना तथा स्थलाकृति
- इसकी वनस्पति जिसमें उसकी प्रजाति, अनुपात, रंग पद्धति, अंतराल तथा तत्संबंधी ऊंचाईयां शामिल हैं।
- इसकी संरचनात्मक तथा अलंकरण विशिष्टताए
- आकाश को प्रतिबिंबित करता इसका पानी, बहता अथवा रूका हुआ

ऐतिहासिक उद्यानों का निरंतर रख-रखाव नितांत आवश्यक है। अपरिवर्तित परिस्थिति में उद्यान के परिरक्षण के लिए तत्कालिक प्रतिस्थापन तथा नियमित नवीकरण का एक दीर्घकालिक कार्यक्रम (कटाई द्वारा सफाई तथा व्यस्क प्रतिरूपों द्वारा आरोपण) दोनों आवश्यक हैं।[34]

[34] फ्लोरेंस चार्टर 1981

भा.पु.स. के मैनुअल के अनुसार स्वाधीनता तक केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में बागवानी कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा देखे जा रहे थे। 1952-53 में पूर्ण रूप से पुरातत्व सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करने के लिये एक पृथक उद्यान शाखा की स्थापना की गयी। भा.पु.स. में बागवानी कार्यो में स्थाकृतिक क्षेत्र, परिदृश्य, ऐतिहासिक पार्क तथा उद्यान, नए उद्यान लगाना, मौजूदा उद्यानों का रखरखाव तथा जीर्णोधार, जो पुरातत्व, ऐतिहासिक अथवा सौंदर्यात्मक मूल्य रखते हैं, शामिल हैं। इसमें मशीनरी, उपकरण, पशुधन तथा ऐसे कार्य निष्पादित करने के लिए आवश्यक अन्य सहायक वस्तुओं की आपूर्ति, मरम्मत, अभिग्रहण तथा ढुलाई शामिल थे।

भा.पु.स. की बागवानी शाखा के मुख्य कार्य उद्यानों की रूपरेखा बनाना, बिछाना अथवा नवीकरण तथा रखरखाव करना तथा विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों की घेराबंदी के अतिरिक्त प्रभावशाली प्रवेश तथा निकासी उपलब्ध कराना इत्यादि थे।

भा.पु.स. का बागवानी निदेशालय आगरा में था तथा चार बागवानी प्रभाग थे जिनके अधिकारक्षेत्र में विभिन्न राज्य आते थे तथा जिनमें से प्रत्येक बड़ी संख्या में उद्यानों का रख-रखाव देखता था। विवरण निम्नानुसार हैः

**तालिका 4.3 बागवानी शाखा के प्रभागों का ब्यौरा**

| प्रभाग | प्रभाग की स्थिति | उद्यानों की कुल संख्या | प्रभाग द्वारा देखे जा रहे राज्य |
|---|---|---|---|
| I. | आगरा | 81 | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा महाराष्ट्र |
| II. | दिल्ली | 186 | दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, दमन एवं दीव तथा जम्मू कश्मीर |
| III. | मैसूर | 126 | आन्ध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु |
| IV. | भुवनेश्वर | 132 | ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, आसम, सिक्किम, त्रिपुरा तथा मणिपुर। |

हमने देखा कि उपलब्ध श्रमशक्ति के साथ बागवानी प्रभागों द्वारा उद्यानों का रख-रखाव तथा इन उद्यानों में किए गए कार्यो का निरीक्षण कर पाना बहुत कठिन था क्योंकि सम्मिलित क्षेत्र व्यापक था। आगरा प्रभाग के प्रमुख प्रधान उद्यान विशेषज्ञ थे जो अधीक्षण पुरातत्वविद की रैंक के थे परन्तु अन्य तीन प्रभागों की अध्यक्षता उपाधीक्षण उद्यान विशेषज्ञ कर रहे थे। अतः प्रत्येक उपाधीक्षक उद्यान विशेषज्ञ आठ राज्यों तक विस्तृत उद्यानों के लिये उत्तरदायी थे। एक अकेले अधिकारी के लिये इतने बड़े क्षेत्र में विस्तृत उद्यानों की निगरानी कर पाना व्यवहारिक रूप से असंभव था।

हमारे द्वारा देखी गई एक अन्य असंगति हैदराबाद के उद्यान प्रमुख की थी जिन्हें लगभग 592 कि.मी. दूर स्थित विशाखापट्टनम में संकरम के बौद्ध भग्नावशेषों का प्रभारी बनाया गया था। इसी प्रकार प्रभाग-II के उपाधीक्षण उद्यान विशेषज्ञ जम्मू तथा कश्मीर से लेकर दमन एवं दीव के सभी उद्यानों के लिए उत्तरदायी थे। परिणामतः, अधिकांश उद्यानों में निगरानी अप्रभावशाली थी। उद्यानों का या तो रखरखाव नहीं किया जा रहा था अथवा उन्हें बिना पर्यवेक्षण के मालियों/श्रमिकों के सहारे छोड़ दिया गया था।



## 4.9.1 विरासत उद्यानों का रख-रखाव

कुछ संरक्षित स्मारकों की मौलिक रूपरेखा के अनुसार, उद्यान उनका एक अभिन्न अंग थे। इन स्मारकों के अभिन्न अंग के तौर पर, इन विरासत उद्यानों से हमें स्मारकों की उचित संदर्भ में विवेचना करने एवं उन्हें समझने में सहायता मिलती है। बागवानी शाखा, संबंधित स्मारक की पद्धति, आयु तथा स्वभाव के अनुरूप विरासत उद्यान का रखरखाव करने की उत्तरदायी थी तथा उसे स्थल का मूल स्वरूप बनाने रखने के लिए काल विशेष पेड़ पौधों का प्रयोग करना अपेक्षित था।

हमने पाया कि मूल रूपरेखा के अनुरूप उद्यानों वाले स्मारकों की जानकारी प्राप्त करने हेतु मंडलीय कार्यालय, प्रभागों से परामर्श नहीं लेते थे। परिणामस्वरूप प्रभाग, संरक्षित स्मारकों के आसपास के उद्यानों एवं विरासत उद्यानों को पृथक कर पाने में विफल रहे।

**बागवानी शाखा के पास ऐतिहासिक उद्यानों की वास्तविक संरचना, वनस्पति तथा प्राणीसमूह तथा अन्य अलंकारिक विशेषताओं के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। मुगल स्मारकों के आसपास कई ऐसे उद्यान थे जिनका नक्शा तथा अन्य विशिष्टताएं भली-भांति अभिलेखित थे। परन्तु हमने ऐसे किसी भी उद्यान का रखरखाव उसकी मूल रूपरेखा के अनुरूप होते नहीं देखा।**

कई स्मारकों में भा.पु.स. फव्वारों तथा नहर-ए-बहिश्त (पानी की नालियों) में जल संचार भी सुनिश्चित करने में अक्षम था जो मुगलिया उद्यानों की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता थे। इनमें ताजमहल, आगरा, लाल किला, दिल्ली तथा इतमाद्दुला, आगरा इत्यादि शामिल थे।

हमने उचित शोध द्वारा विरासत उद्यानों को अभिलेखित करने या विकसित करने के भा.पु.स. के प्रयासों का कोई साक्ष्य नहीं पाया।

हुमायुं का मकबरा, दिल्ली में बंद पानी की नालियां

## 4.9.2 उद्यानों का गैर-रखरखाव

उद्यानों को दैनिक आधार पर रख-रखाव की आवश्यकता होती है। इसमें पौधों तथा घास को पानी देना, पौधों की छटाई तथा सफाई शामिल होते हैं। बागवानी शाखा ने लघु शीर्ष गैर योजना के अंतर्गत उद्यानों का वार्षिक रख-रखाव तथा देख-रेख किया। प्रभाग-II द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, दिल्ली में 174 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों (जिनमें महानिदेशक भा.पु.स., रा.स.प्रा., रा.स.मु.मि. तथा बाल संग्रहालय इत्यादि के कार्यालयों में स्थित उद्यान शामिल थे) के प्रति 50 उद्यान थे। तथापि पिछले पाँच वर्षो के दौरान वार्षिक रखरखाव के लिए चुने गए उद्यानों की संख्या 25 से 37 के बीच थी।

स्पष्ट है कि बागवानी प्रभाग वर्तमान उद्यानों का भी रखरखाव करने में विफल रहे।

इसके विपरीत, हमने देखा कि शाखा ऐसे उद्यानों का रखरखाव कर रही थी जो उनके अधिकारक्षेत्र से संबंधित नहीं थे। उदाहरण के तौर पर प्रभाग-III, कमलापुर, हंपी में चन्द्रशेखर उद्यान नामक एक उद्यान का रख-रखाव कर रहा था जहाँ एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक तक नहीं था।

बिना स्मारक के चन्द्रशेखर उद्यान - कमलापुर, हंसी

संरक्षित स्मारकों में तथा उनके आस पास के उद्यानों के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से पता चला कि उद्यानों का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं हो रहा था। दिल्ली परिमंडल के कुछ उद्यानों की स्थिति निम्न चित्रों में दर्शायी गई है:

अंधाधुध खुदाई; सफदरजंग मकबरे में उद्यान

हमायुं के मकबरे में उद्यान में पड़ा मलबा

पुराना किले में गंदा पड़ा उद्यान

लाल किला दिल्ली में गंदा पड़ा उद्यान

यहाँ तक कि विश्व विरासत स्थलों उदाहरणतः दिल्ली परिमंडल के लाल किला तथा हुमायुँ के मकबरे में स्थित उद्यानों का भी रख-रखाव बागवानी शाखा द्वारा उचित रूप से नहीं किया जा रहा था। शाखा ने खराब रख-रखाव के पीछे मानवीय तथा वित्तीय संसाधनों की कमी को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि निदेशक (बागवानी) ने महानिदेशक भा.पु.स. को शाखा की कर्मचारी संख्या बढ़ाने का कई बार आग्रह किया परन्तु भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा कोई ठोस उपाय नहीं किये गये।

***अनुशंसा 4.8:*** *भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा बागवानी शाखा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बजट एवं श्रमशक्ति की पूर्ति करनी चाहिए।*

## 4.10 रासायनिक संरक्षण तथा विज्ञान शाखा की कार्यपद्धति

भा.पु.स. की विज्ञान शाखा 1917 में स्थापित की गई थी जिसका प्रमुख कार्य संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं तथा पुरावस्तुओं का रासायनिक उपचार तथा परिरक्षण है। स्मारकों का रासायनिक संरक्षण द्वारा परिरक्षण विज्ञान शाखा का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप बन चुका था। विज्ञान शाखा की अध्यक्षता देहरादून, उत्तराखण्ड स्थित निदेशक (विज्ञान) कर रहे थे। शाखा के तीन प्रभागीय कार्यालय भुवनेश्वर, हैदराबाद तथा इंदौर में स्थित थे तथा, देहरादून, आगरा और अजंता में प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त, देशभर में फैले 11 आंचलिक कार्यालय थे।

### 4.10.1 रासायनिक उपचार के मापदण्ड

इसी प्रकार रासायनिक उपचार हेतु स्मारकों के चयन के मुख्य मापदण्ड निम्न पर आधारित थेः

- स्मारकों के निरीक्षण के दौरान क्रियान्वयन स्टाफ तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई अभ्युक्तियाँ

- स्मारक जिनका 5-6 वर्षो से अधिक से रासायनिक उपचार नहीं किया गया।
- अतिविशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमणों से प्राप्त संदर्भ

हमने पाया कि रासायनिक उपचार की आवश्यकता का आकलन करने के लिये स्मारकों के नियमित भौतिक निरीक्षण हेतु कोई व्यवस्था नहीं बनाई गयी थी। रासायनिक उपचार हेतु स्मारकों के चयन हेतु किसी भी विशिष्ट दिशानिर्देश तथा मापदण्डों के अभाव में कई स्मारक, जिन्हें रासायनिक उपचार की आवश्यकता थी, चुने नहीं जा सके। 2009-10 के लिये व्यय विवरण से पता चला कि केवल 149 स्मारक ही चुने गये जो कुल संरक्षित स्मारकों का मात्र चार प्रतिशत था। उपचार हेतु स्मारकों के चयन का कोई औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया था। अतः रासायनिक सफाई हेतु स्मारकों का चयन बिना किसी वस्तुनिष्ठ आंकलन, प्राथमिकीकरण तथा अभिलेखन के किया जा रहा था।।

धारवाड़ परिमंडल में 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान रासायनिक उपचार किये जाने के यद्यपि 19 प्रस्ताव अनुमोदित किये, 31 मार्च 2012 तक केवल चार कार्य ही आरंभ किये जा सके थे। बाकी को छोड़ने के कोई कारण अभिलेखित नहीं थे।



## 4.10.2 कार्य तथा व्यय की निगरानी

भा.पु.स. के मैनुअल के अनुच्छेद 4.1 के अनुसार विज्ञान प्रादेशिक आंचलिक तथा क्षेत्र प्रयोगशालाओं के क्रिया कलाप तथा रासायनिक परिरक्षण कार्यो के निष्पादन हेतु निदेशक (विज्ञान), महानिदेशक, भा.पु.स. के अनुमोदन से, नीति तय करता है। रासायनिक शाखा के प्रशासनिक प्रमुख के नाते वित्तीय अनुदान का प्रबंधन करने तथा इस उद्देश्यपूर्ति के साथ व्यय की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखना उसका उत्तरदायित्व था।

हमने पाया कि कार्य वार ब्यौरे, जिसमें भौतिक तथा वित्तीय प्रगति शामिल थे, न आंचलिक/प्रभागीय कार्यालय और न ही निदेशक (विज्ञान) कार्यालय द्वारा रखे जा रहे थे और न ही उनकी निगरानी की जा रही थी।

## 4.10.3 संरचनात्मक संरक्षण के साथ समन्वय

स्मारकों के पुर्नरूद्धार में संरचनात्मक संरक्षण को रासायनिक संरक्षण से पहले होना चाहिए। तथापि हमने ऐसे मामले पाये जहाँ संरचनात्मक संरक्षण रासायनिक उपचार के पश्चात किया गया था। इसने रासायनिक उपचार की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। उदाहरणतः दिल्ली परिमंडल में लाल किले के सावन मंडप का रासायनिक उपचार आंचलिक कार्यालय द्वारा 2010-11 में ₹ 3.98 लाख के व्यय सहित किया गया था जबकि मंडल कार्यालय द्वारा सावन मंडप का संरचनात्मक संरक्षण 2011-12 में ₹ 21.63 लाख की लागत पर किया गया।

***अनुशंसा 4.9:** भा.पु.स. को किसी स्मारक पर कोई संरक्षण कार्य करने से पूर्व इन तीनों शाखाओं के मध्य एक समुचित समन्वय रखने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।*

मंत्रालय ने (मई 2013) में अनुशंसा स्वीकार करने के साथ सूचित किया कि मसौदा संरक्षण नीति में आवश्यक दिशानिर्देश प्रस्तावित किये गये हैं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश भी जारी किये जा रहे हैं।

### 4.10.4 प्रयोगशालाओं का क्रियाकलाप

नवम्बर 2006 में आगरा किले में एक शिला संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संरक्षण कार्यो में सही गुणवत्ता के पत्थर प्रयुक्त किये जा रहे हैं। प्रत्येक शिला को प्रयोग से पूर्व भौतिक गुणों जैसे रंग, जल अवशोषण, कठोरता, संरध्रता तथा संपीड़न शक्ति के आकलन हेतु परीक्षण से गुजरना होता था।

**हमने पाया कि आगरा परिमंडल में 2007-08 से 2011-12 की अवधि में ₹ 3.44 करोड़ की लागत के 13 संरक्षण कार्यो में प्रयुक्त पत्थरों का शिला संरक्षण प्रयोगशाला में कभी परीक्षण नहीं किया गया। इस उल्लंघन के कोई कारण अभिलेखों में नहीं थे।**

पुरातत्व कार्य संहिता के अनुच्छेद 8.3.2 ने रासायनिक प्रयोगशाला में प्रयोग में आने वाले रासायनिक तथा अन्य उपभोज्य भंडारों के लिए एक पृथक पंजिका रखे जाने पर जोर दिया है। परन्तु, प्रत्येक कार्यालय के प्रमुख द्वारा सभी रसायनों का ठीक तथा न्यायोचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाना था।

हमने पाया कि श्री गुरू राम राय दरबार देहरादून में भित्ति चित्रों के कार्य तथा गोपेश्वर, देहरादून में त्रिशूल के परिरक्षण कार्य हेतु रसायन खरीदे गए। तथापि, भित्ति चित्रों के मामले में लगभग 45 प्रतिशत रसायन तथा त्रिशूल के कार्य हेतु 95 प्रतिशत से अधिक रसायन अप्रयुक्त बचे रहे जिन्हें सीलनदार भंडारगृहों में रखा गया था।

भोपाल मंडल में 2005 से 2009 के दौरान ₹ 3.66 लाख के मूल्य के रसायन खरीदे गये जिन्हें समय पर प्रयोग न किये जाने से उनकी स्वयं आयु समाप्त हो गई।

इसके अतिरिक्त निम्न कमियाँ भी देखी गईः

- देहरादून में नौ प्रयोगशालाओं (लैबों) में से चार[35] पिछले दस वर्षों से गैर-कार्यात्मक पड़ी हुई थीं।

---

[35] चार प्रयोगशालाएं जो कार्यात्मक नहीं हैः 1.भू-कालानुक्रमिक प्रयोगशाला, 2. सतती जाँच प्रयोगशाला (इलैक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी) 3. रेडियोग्राफिक प्रयोगशाला तथा 4. पर्यावरणीय प्रदूषण तथा निवारकों के उपयोग के अध्ययन हेतु प्रयोगशाला

- प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक उपकरणों तथा रसायनों के लिए भण्डार पंजिका नहीं रखे जा रहे थे।
- इन लैबों में किये गये विश्लेषणात्मक अथवा रासायनिक उपचार कार्यों के विस्तृत विवरण जैसा कि भा.पु.स. मैनुअल में निर्धारित है, नहीं रखे गए।
- महानिदेशक भा.पु.स. को अप्रैल 2008 में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बावजूद इन प्रयोगशालाओं में दो दशकों से भी पुराने उपकरण बदले नहीं गए थे।
- निदेशक (विज्ञान) अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को रसायनों की आपूर्ति हेतु फर्मो को चुनने तथा उनकी दरें तय करने के लिए उत्तरदायी था। परन्तु बिना कोई कारण बताए अप्रैल 2011 से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई।
- निदेशक (विज्ञान) ने उन फर्मो के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी जिन्होंने दर-अनुबंध होने पर भी रसायनों की आपूर्ति नहीं की।



### 4.10.5 रासायनिक उपचार के खराब संरक्षण के प्रकरण

हैदराबाद परिमंडल में लेपाक्षी मंदिर अपने भित्ति चित्रों के लिए सबसे अधिक प्रख्यात था। चित्रों से स्मारक का इतिहास पता चलता था तथा वे स्मारक की सौंदर्यात्मक विशिष्टता भी बढ़ाते थे। हमने पाया कि श्री वीरभद्र स्वामी के मंदिर के चित्रों पर रसायनिक उपचार के बावजूद वे नहीं दिख रहे थे क्योंकि छत से रिसाव था तथा कपूर, तेल तथा अगरबत्तियों के जलाने से कालिख बन गई थी।

उत्तराखण्ड परिमंडल के गोपीनाथ मंदिर के अहाते में स्थित प्राचीन त्रिशूल व फरसा का रासायनिक संरक्षण कार्य ₹ 0.79 लाख हेतु संस्वीकृत किया गया था। संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्रकट हुआ कि जैसा निम्नलिखित चित्रों से स्पष्ट है, कार्य सही ढंग से नहीं किया गया था तथा जंग दिखाई दे रहा था।

लेपाक्षी मंदिर हैदराबाद में क्षतिग्रस्त भित्ति चित्र

इसी प्रकार के उदाहरण हैदराबाद परिमंडल के श्री रामप्पा मंदिर तथा दिल्ली परिमंडल के गियासुद्दीन मकबरें में देखे गए।

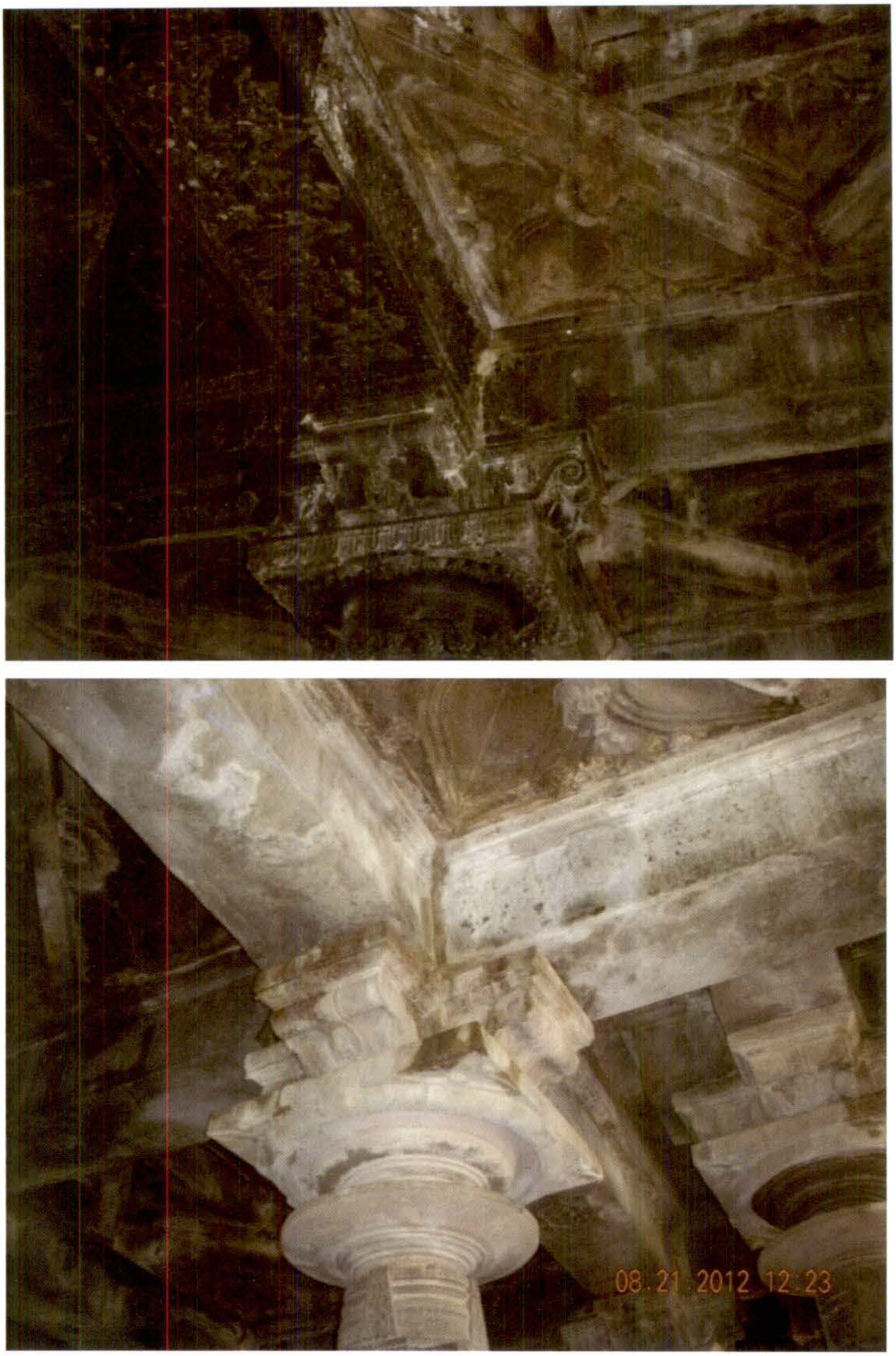


रसायन संरक्षण के पश्चात रामअप्पा मंदिर में जल का रिसाव

गियासुद्दीन का मकबरा, दिल्ली में धब्बे

उत्तराखण्ड परिमंडल के गोपीनाथ मंदिर के अहाते में स्थित प्राचीन त्रिशूल व फरसा का रासायनिक संरक्षण कार्य ₹ 0.79 लाख हेतु संस्वीकृत किया गया था। संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्रकट हुआ कि जैसा निम्नलिखित चित्रों से स्पष्ट है, कार्य सही ढंग से नहीं किया गया था तथा जंग दिखाई दे रहा था।

त्रिशूल पर लगा जंग

फरसे पर लगा जंग

## मामला अध्ययन 5 : कोस मीनारें

कोस मीनारें अथवा 'मील स्तंभ' मध्ययुगीन मील के पत्थर थे जिन्हें अफगान शासक शेरशाह सूरी ने तथा तत्पश्चा मुगल बादशाहों द्वारा निर्मित किया गया। इन मीनारों को मुगल साम्राज्य के आर-पार प्रमुख राजमार्गो पर दूरी सूचित करने (3.2 किलोमीटर अर्थात एक कोस की दूरी पर) हेतु खड़ा किया गया। एक कोस मीनार आम तौर पर एक ठोस गोल स्तंभ थी जिसकी ऊँचाई 30 फीट थी तथा जो ईटों से चिनाई किए गये चबूतरे पर खड़ी की जाती थी और उसे चूने से पलस्तर किया जाता था। मुगलकाल में ये संचार तथा यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग थे। भा.पु.स. ने पाँच परिमंडलों में स्थित 110 कोस मीनारों अर्थात 63 चण्डीगढ़ में, आठ जयपुर में, 15 आगरा में, 23 लखनऊ में तथा एक दिल्ली परिमंडल में, को सुरक्षित किया। हमारी संवीक्षा ने दिखाया कि कोस मीनारों का स्मारकों की एक विशिष्ट श्रेणी के तौर पर भा.पु.स. द्वारा शोध एवं विश्लेषण नहीं किया गया। हमारे संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षणों में हमने 40 कोस मीनारें (कुल कोस मीनारों का 36 *प्रतिशत*) चुनी तथा पाया कि उनमें से कई पर अतिक्रमण किया गया था, कई गायब थीं तथा कई को परिरक्षण की तत्काल आवश्यकता थी। (**अनुबंध 4.2** में ब्यौरा दिया गया है)।

i) हमने भा.पु.स. द्वारा सुरक्षित किये जाने हेतु कोस मीनारों के चयन में कोई व्यवस्था नहीं पायी। कई कोस मीनारों की पहचान एक विशिष्ट संख्या द्वारा की गई थी जैसे कोस मीनार संख्या 13, कोस मीनार संख्या 16,17,24 इत्यादि। परन्तु भा.पु.स. के पास गायब संख्याओं पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। कुछ मामलों में विभिन्न कोस मीनारें एक एकाकी संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित थीं उदाहरणतः चण्डीगढ़ परिमंडल में तरफ उनसर, पानीपत में स्थित दो कोस मीनारें एक पृथक स्मारक के तौर पर अधिसूचित थीं। भा.पु.स. दिल्ली में एक कोस मीनार की सुरक्षा

कर रहा था जबकि तीन कोस मीनारें दिल्ली सरकार के राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा भी सुरक्षित की जा रही थी।

ii) मुजेस्सर, बल्लभगढ़ हरियाणा में कोस मीनार नं. 13, तथा चण्डीगढ़ मंडल के शाहबाद, कुरूक्षेत्र में कोस मीनार गायब पायी गई। जिला प्राधिकारियों ने भा.पु.स. को (जनवरी 1984) सूचित किया कि कोस मीनार 13 की भूमि एक निजी कंपनी को आबंटित कर दी गई थी तथा कोस मीनार को कंपनी द्वारा ढहा दिया गया था। कंपनी के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई थी।

2004-05 में कोस मीनार, शाहबाद, कुरूक्षेत्र की भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी तथा भूखंड निजी पार्टियों को बेच दिए गए। वर्तमान में वहाँ कई भवन निर्मित किये जा चुके थे। राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक का कोई चिन्ह नहीं था। भा.पु.स. के पास कोई जानकारी नहीं थी कि स्मारक कब और कैसे गायब हो गया।



iii) भौतिक निरीक्षण की गई 40 कोस मीनारों में से, यह पाया गया कि 20 कोस मीनारें बिना किसी सुरक्षा सूचना पट्ट के थीं तथा 36 में उनकी महत्ता तथा इतिहास समझाने हेतु सांस्कृतिक सूचना पट्ट नहीं थे।

iv) 17 कोस मीनारों तक कोई पहुँच मार्ग नहीं थे। दिल्ली परिमंडल में कोस मीनार दिल्ली चिडियाघर के भीतर स्थित थी तथा चिड़ियाघर प्राधिकारियों की अनुमति के बिना उस तक नहीं पहुँचा जा सकता था।

**दिल्ली, लखनऊ तथा आगरा परिमंडलों ने 2007-12 के दौरान कोस मीनारों के संरक्षण तथा परिरक्षण पर कोई व्यय नहीं किया। चण्डीगढ़ परिमंडल ने इन कोस मीनारों के संरक्षण पर ₹ 36.20 लाख की राशि का व्यय किया। चण्डीगढ़ परिमंडल के कुल स्मारकों का 51 *प्रतिशत* कोस मीनारें थीं। परन्तु इन 51 *प्रतिशत* स्मारकों पर पिछले पाँच वर्षो में किये गए कुल व्यय का केवल 0.65 *प्रतिशत* व्यय किया गया। जयपुर मंडल ने एक कोस मीनार पर ₹ 0.41 लाख तथा 5 कोस मीनारों पर ₹ 0.17 लाख का व्यय किया। 2 कोस मीनारों पर कोई संरक्षण कार्य नहीं किया गया।**

v) संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि हरियाणा परिमंडल के पलवल जिले में बंचारी स्थित कोस मीनार सं. 24 जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी। कोस मीनार आस पास के किसानों द्वारा अतिक्रमण किये गये एक खेत में स्थित थी। स्थल तक पहुँचने का कोई प्रवेश मार्ग नहीं था तथा जालीदार चार दीवारी हटा दी गई थी।

मीनार संख्या 24, बंचारी की जीर्ण-शीर्ण अवस्था

vi) लगभग 21 कोस मीनारों के समीप निषिद्ध/नियमित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण कार्य देखे गये। सात कोस मीनारों में किसानों तथा स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था।

जयपुर तथा चंडीगढ़ परिमंडलों में कोस मीनारों में अतिक्रमण के मामले देखे गए। अजमेर रोड, जयपुर स्थित कोस मीनार को पुलिस अधीक्षक (एस.पी) के आवास द्वारा ढक दिया था तथा चंडीगढ़ परिमंडल के होडल में कोस मीनार सं. 26 एक निजी आवास के भीतर स्थित थी जहाँ कोस मीनार के चारों तरफ एक दीवार निर्मित कर दी गई थी जिससे उसका लगभग आधा हिस्सा ढक गया था।

कोस मीनार सं. 26, होडल स्थित
निजी आवास द्वारा अतिक्रमण

कोस मीनार जयपुर–अजमेर रोड जयपुर स्थित
कोस मीनार का पुलिस अधीक्षक आवास द्वारा अतिकमण

इन कोस मीनारों के समुचित रख-रखाव तथा संरक्षण पर स्मारक परिचर तथा सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किये गये थे।

**हमारे मतानुसार कोस मीनारों की सुरक्षा समान रूप से एक पृथक परियोजना के रूप में की जानी चाहिए। मिर्धा समिति ने भी ऐसी कार्यवाही की अनुशंसा की थी। परन्तु भा.पु.स. द्वारा इन स्मारकों के संरक्षण हेतु ऐसी कोई परियोजना आरंभ नही की गई थी।**

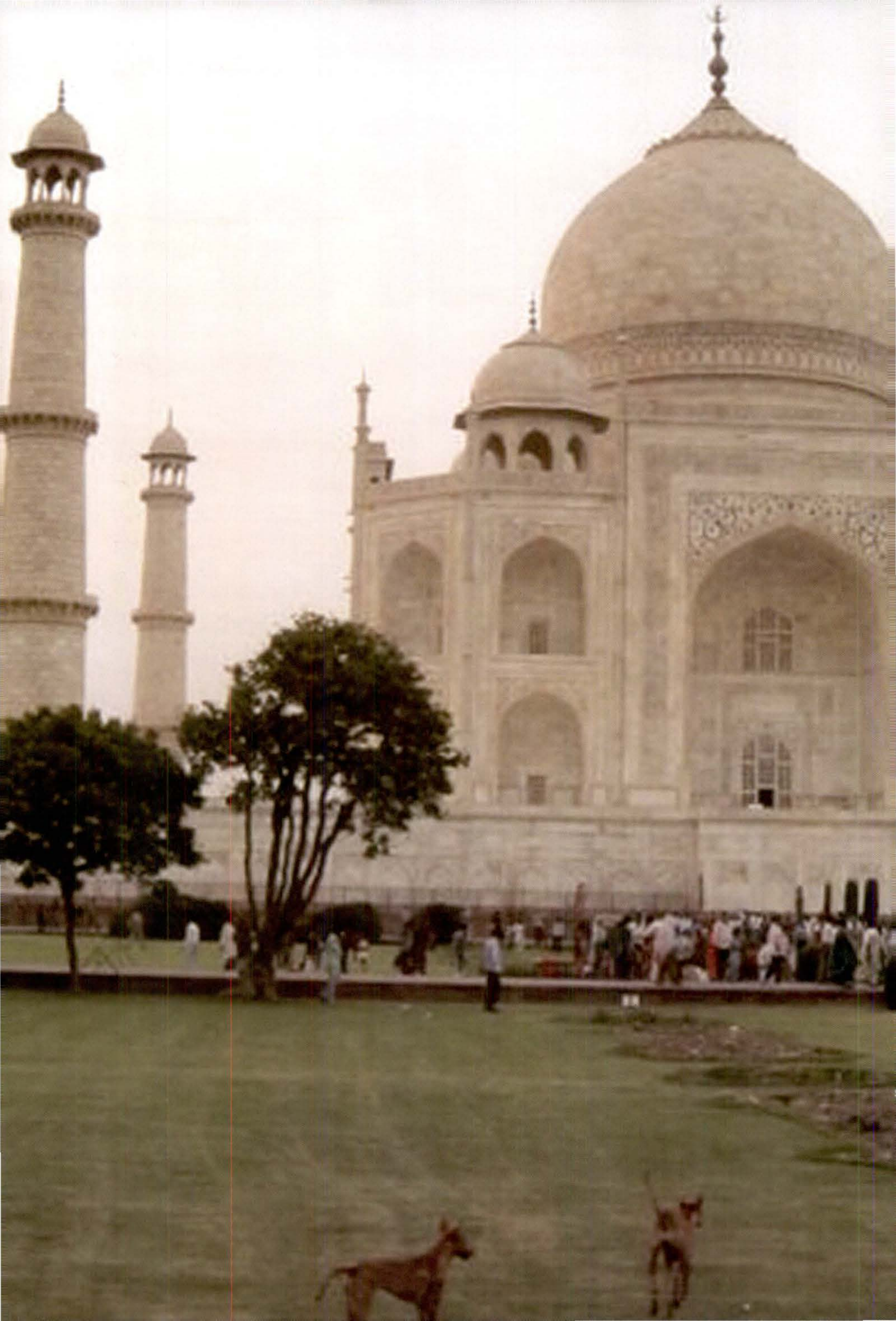

# अध्याय – V

# उत्खनन, पुरालेख तथा सर्वेक्षण



**"पुरातात्विक प्रकृति की वस्तुओं की खोज के उद्देश्य से किया गया अनुसंधान पुरातात्विक उत्खनन कहलाता है, इस अनुसंधान चाहे धरती की खुदाई या उसकी सतह की व्यवस्थित खोज की गयी हो, या इसे एक सदस्य राज्य के या प्रादेशिक जल के तल या अधोभूमि में किया गया हो।"[36]**

उत्खनन में खुदाई, खोज, वैज्ञानिक अनुज्ञापन, भवन सर्वेक्षण, मंदिर सर्वेक्षण, प्रागैतिहासिक जलगत पुरातत्वविज्ञान, गांव गांव सर्वेक्षण के कार्य सम्मिलित हैं। पुरातात्विक अवशेषों का उत्खनन भा.पु.स. का प्रमुख उत्तरदायित्व रहा है। प्रा.पु.स्मा.पु.स्थ.अ.अ. 1958 की धाराओं 21 व 24 के अनुसार एक पुरातत्व अधिकारी या उसकी ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी अथवा अधिनियम के अन्तर्गत इसके लिए प्रदान किए गए लाइसेन्स धारक व्यक्ति किसी भी संरक्षित या असंरक्षित क्षेत्र में उत्खनन कार्य कर सकता है।

भा.पु.स. के द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न अभिकरणों जैसे भा.पु.स. परिमंडलों, शाखाओं, विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उत्खनन के लाइसेन्स प्रदान किए गए। इन प्रस्तावों की जाँच की गई तथा संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता विशेषज्ञों की स्थायी समिति द्वारा सहायता प्रदान किए जाने वाले पुरातत्वशास्त्र केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड (के.पु.प.बो.)[37] द्वारा सिफारिशें की जाती हैं। हमने भा.पु.स. द्वारा उत्खनन के कर्त्तव्य के निर्वाह में निम्नलिखित कमियां पाईं।

## 5.1 अपर्याप्त दस्तावेजीकरण तथा सू.प्र.प्र.

भा.पु.स. मुख्यालय में के.पु.प.बो. की कार्यप्रणाली लाइसेन्स प्रदान करने के प्रस्तावों को अस्वीकार करने के कारण तथा स्वीकृत प्रस्तावों की स्थिति संबंधी कोई केन्द्रीकृत सूचना प्रणाली नहीं थी। के.पु.प.बो. की बैठकों के कुछ ही अभिलेख उपलब्ध थे।

---

[36] यूनेस्को, दिल्ली घोषणापत्र 1956

[37] केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड, भारत में पुरातत्व से संबंधित मामलों पर सलाह एवं अनुशंसाएं देता है।

## 5.2 पुरातात्विक उत्खनन तथा खोजों की राष्ट्रीय नीति

प्रधानमंत्री ने (दिसम्बर 2009) 'उत्खनन तथा अन्वेषण की राष्ट्रीय नीति' निर्धारित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया। भा.पु.स. की कार्यप्रणाली तथा इन क्षेत्रों में नीति निर्धारित करने के संबंधी विशिष्ट मुद्दों की जांच करने के लिए पांच उप-समितियाँ बनाई गई।

पुरातात्विक उत्खनन एवं खोज उप-समिति ने पुरातात्विक उत्खनन एवं खोज हेतु राष्ट्रीय नीति हेतु मसौदे को अंतिम रूप प्रदान किया और 23 दिसम्बर 2009 को अनुमोदन हेतु महानिदेशक, भा.पु.स. को प्रस्तुत किया।



हमने पाया कि ये दिशानिर्देश अभी तक मसौदा स्तर पर ही थे (नवम्बर 2012) तथा इस पर प्राप्त मंत्रालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों की फाइल भा.पु.स. से गायब थी। कोई निर्धारित नीति न होने के कारण उत्खनन कार्य मापनीय निष्पादन मानदण्ड व दिशानिर्देश तैयार किए बिना किए जा रहे थे। इस नीति को अंतिम रूप दिए जाने के लिए कोई नियत समयावधि नहीं थी।

### 5.2.1 अनिवार्य पुरातात्विक प्रभाव आंकलन का प्रावधान

हमने पाया कि भा.पु.स. अप्राधिकृत उत्खनन को प्रभावी ढंग से रोकने में असफल था। पुरातात्विक अवशेषों के बड़े भण्डारों वाले कई स्थलों को विकासात्मक गतिविधियाँ प्रारंभ करने से पहले सांस्कृतिक संसाधन प्रबंध अथवा पुरातात्विक प्रभाव निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं था। हमने पाया कि 2007 में संसद को आश्वासन देने के पाँच साल बाद भी इस मामले में प्रगति नहीं हुई।

***अनुशंसा 5.1:*** *मंत्रालय को त्वरित गति से पुरातात्विक उत्खनन एवं खोज की राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिए।*

मंत्रालय ने (मई 2013) सिफारिश को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाएगी।

## 5.3 खोज एवं उत्खनन गतिविधियों पर व्यय

खोज एवं उत्खनन भा.पु.स. की प्राथमिक गतिविधि थी। हमने पाया कि भा.पु.स. इन गतिविधियों पर अपने कुल व्यय के एक *प्रतिशत* से कम खर्च कर रहा था। 2009 में के.पु.प.बो. द्वारा इस मामले पर बल देने के बावजूद राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि से प्राप्त करने के विकल्प की खोज नहीं की गई।

## 5.4 उत्खनन का नियोजन तथा आयोजन

### 5.4.1 स्थलों का चयन तथा उत्खनन लाइसेन्सों का प्रदान किया जाना

भा.पु.स. के पास उत्खनन स्थलों के चयन हेतु कोई निर्धारित नीति या दिशानिर्देश नहीं थे। एक निर्धारित समयावधि के भीतर परिप्रेक्ष्य योजना नहीं थी। हमने पाया कि उत्खनन लाइसेंस सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक विवादों या देश के विभिन्न प्रान्तों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए नहीं दिए जा रहे थे। भा.पु.स. में उप-अधीक्षण पुरातत्वशास्त्री (उ.अ.पु./अधीक्षण पुरातत्वशास्त्री (अ.पु.) तथा इससे ऊपर के पद के अधिकारी उत्खनन के लिए लाइसेन्स हेतु आवेदन करने हेतु पात्र नहीं थे। हमने पाया कि भा.पु.स. के अपने प्रस्ताव भी किसी सम्पूर्ण विभागीय परिप्रेक्ष्य पर नहीं, बल्कि अ.पु./उ.अ.पु. की व्यक्तिगत पहल पर ही निर्भर थे।



निम्न तालिका लेखापरीक्षा की अवधि में प्राप्त तथा स्वीकृत उत्खनन प्रस्तावों का विवरण दर्शाती है:

**तालिका 5.1: प्राप्त उत्खनन प्रस्तावों का विवरण**

| क्षेत्र सत्र | प्राप्त उत्खनन प्रस्तावों की सं. | स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | भा.पु.स. अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित | अन्य (विश्वविद्यालयों पुरातत्व विभाग, इत्यादि) द्वारा प्रस्तावित |
| 2007-08 | 141 | 22 | 85 |
| 2008-09 | 142 | 21 | 93 |
| 2009-10 | 159 | 40 | 92 |
| 2010-11 | 149 | 23 | 88 |
| 2011-12 | 137 | 24 | 100 |
| | **728** | **130** | **458** |

यह पाया गया कि भा.पु.स. के पास अन्य द्वारा प्रस्तावित 458 उत्खनन कार्यों के प्रारंभ/ समाप्ति के संबंध में सूचना नहीं थी। यह भा.पु.स. द्वारा उत्खनन कार्य की खराब निगरानी को दर्शाता है।

उत्खनन कार्यो के लाइसेंस प्रदान करने तथा के.पु.प.बो. द्वारा भा.पु.स. को की गई सिफारिशों में अपारदर्शिता के मामले भी पाए गए। उदाहरण के लिए, 32[38] प्रस्तावों में, उन्हें अस्वीकृत करने के कारण दर्ज नहीं थे। भा.पु.स. ने इस लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (नवम्बर 2012)।

[38] भा.पु.स. के 17 तथा अन्य अभिकरणों के 15, ब्यौरे **अनुबंध 5.1** में

**यह पाया गया कि कुछ स्थलों को पिछले उत्खननों की रिपोर्ट उपलब्ध हुए बिना ही उन पर पुर्न उत्खनन प्रारंभ कर दिया गया। इस प्रकार दुबारा उत्खनन के कारण अभिलेखों से स्पष्ट नहीं हो पाए।**

**2011-12 के दौरान भा.पु.स. ने रोपड़ में एक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया जिस पर पहले 1950 के दशक में उत्खनन किया गया था। इसी प्रकार, पटने तथा वैशाली में राजा विशाल का गढ़ के स्थलों को भी पहले उत्खनित किया गया था तथा भा.पु.स. द्वारा प्रस्तावित उत्खननों के कोई कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं पाए गए।**

**प. बंगाल में चन्द्रकेतुगढ़ पुरातत्व स्थल की छः बार खुदाई की गई। चार बार कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा तथा दो बार राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा। तथापि, इन छः उत्खननों का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। यह पाया गया कि इस स्थल पर पुनः 2010-11 में खुदाई आरंभ की गई, परंतु इसे बीच में ही छोड़ दिया गया । इसके अतिरिक्त पिछले उत्खननों के दौरान प्राप्त की गई पुरावशेषों की सूची तथा ठिकाने का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया, जिससे तस्करी तथा गुम होने का खतरा उत्पन्न होता है।**

## 5.4.2 अधिसूचित स्थलों पर उत्खनन न होना

केन्द्रीय सरंक्षण हेतु कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के मिलने पर भा.पु.स. द्वारा अधिसूचित ऐसे स्थल पाए गए जिन पर हमारी लेखापरीक्षा के अंत तक (फरवरी 2013) उत्खनन कार्य शुरू नहीं किया गया। भा.पु.स. के संरक्षित स्मारकों की सूची में कई प्राचीन स्तूप तथा स्थल थे जिनपर कभी उत्खनन नहीं हुआ। कुछ मामले नीचे दिए जा रहे हैं:

- ✓ कोलकाता में भा.पु.स. ने पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होने पर 1920 से 1963 के बीच चार स्थल[39] अधिसूचित किए, परंतु इन पर उत्खनन कार्य नहीं किया गया। बानगढ़ स्थल पर 1938 में इसके अधिसूचित होने के 70 वर्ष बाद 2008-09 में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया।
- ✓ पटना परिमण्डल में पश्चिमी चम्पारण जिले के चंकीगढ़ संरक्षित स्थलों पर काई उत्खनन कार्य नहीं हुआ।
- ✓ त्रिसूर परिमण्डल में राज्य के एर्नाकुलम जिले के उत्तर परूर के पास कब्र अस्थिकलश का सबसे बड़ा स्थल इलांथीकारा हाई स्कूल के मैदान में पाया गया। भा.पु.स. को इस स्थल के बारे में 2002 से ही जानकारी थी, परंतु 2012 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह पाया गया कि स्कूली बच्चे प्राचीन कब्रों के अस्थिकलश के बिखरे टुकड़ों के बीच खेल रहे थे। स्थल को न संरक्षित किया गया था न इस पर बाड़ लगाई गई थी।

---

[39] i) शैतान का टीला तथा राजा कर्ण का महल ii) बारहा मिहिर दिप्पी नाम के रूप से जाना जाने वाला प्राचीन टीला, iii) नाधिया, वर्धवान, iv) वीरभूम के दो टीले और बार्कुरा दिउल टीला

यह भी पाया गया कि प्रस्तावों पर पूर्व में कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए बिना वी.आई.पी. अभिनिर्देश के कारण उत्खनन किए गए। उन्हें वैज्ञानिक अनुमति दी गई। उदाहरण के लिए हैदराबाद परिमण्डल के ज्योति कुडप्पा पर किया गया वैज्ञानिक अनुमति वहाँ किसी पुरातात्विक साक्ष्य मिलने के उचित कारण के बिना दी गई।

***अनुशंसा 5.2:*** *मंत्रालय को पुरातात्विक उत्खनन करने हेतु एक परदर्शी प्रक्रिया सूत्रबद्ध करनी चाहिए और सभी मामलों में उत्खनन कार्यों के विस्तृत निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए।*

***अनुशंसा 5.3:*** *भा.पु.स. स्थलों की महत्ता के आधार पर उत्खनन परियोजनाओं के लिए एक प्राथमिकता के लिए एक प्राथमिकता सूची तैयार करने हेतु प्रणाली निर्मित करने पर विचार करें। सूची को वार्षिक रूप से उद्यतन किया जाए।*

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि उत्खनन प्रारंभ करने के लिए एक स्थापित प्रणाली है और उत्खनन निष्कर्षों को नियत प्रक्रिया के अनुसार ही दर्ज किया जाता था। तथापि यह तथ्य शेष रहता है कि ऐसे अनेक संरक्षित स्थल थे जिन पर दशकों पूर्व पुरातात्विक साक्ष्यों की पहचान किए जाने के बावजूद उत्खनन प्रारंभ किया जाना शेष था। मंत्रालय ने आगे बताया (मई 2013) कि भा.पु.स. एन.एम.एम.ए. के लिए नियत संपूर्ण कार्यक्रम के भाग के रूप में प्राचीन स्थलों की संस्कृति-वार सूची तैयार करने के लिए कदम उठाएगा (मई 2013)। तथापि किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया।

## 5.4.3 अनुमोदित उत्खनन प्रस्तावों का प्रारंभ न होना या अपूर्ण छोड़ दिया जाना

ऐसे मामले पाए गए जिनमें भा.पु.स. से अनुमोदित प्रस्ताव प्रारंभ नहीं किए गए या अपूर्ण छोड़ दिए गए इसके कारण समान्यतः तकनीकी कर्मचारियों व श्रमिकों की कमी तथा निधियों की कमी होना था। तथापि अनुवर्ती वर्षों में इन समस्याओं का हल करने तथा अनुमोदित परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु कोई प्रयत्न नहीं किए गए।

### 5.4.3.1 शुरू नहीं किए गए उत्खनन

i. चण्डीगढ़ परिमण्डल में 2007-08 के दौरान उत्खनन कार्य[40] का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया परंतु श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण प्रारंभ नहीं हो सका। यह पाया गया कि तथापि उत्खनन नहीं किया गया, परंतु कम्प्यूटर कैमरा, फोटो सामग्री, लेखन सामग्री तथा उत्खनन हेतु आवंटित निधियों में से रसोई का सामान इत्यादि की प्राप्ति में ₹14.98 लाख का व्यय हुआ।

[40] बौद्ध स्तूप, असंद, हरियाणा

ii. मोदीकुप्पम, चैन्नई परिमण्डल पर उत्खनन हेतु लाइसेंस 2009-10 के दौरान प्रदान किया गया। यद्यपि तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। कार्य के प्रारंभ करने हेतु तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था करने का कोई प्रयत्न किए जाने के प्रमाण नहीं मिले।

### 5.4.3.2 अपूर्ण उत्खनन



i. गुवाहाटी परिमण्डल में, 2009 में अम्बारी पुरातात्विक स्थल से सीढ़ियों के आठ चरण खोद कर निकाले गए। 2003 में अपूर्ण छोड़ा गया उत्खनन समुचित जल निकासी योजना के न हाने के कारण 2009 तक पूर्ण नहीं हो सका। भा.पू.स. ने समस्या हल करने और उत्खनन कार्य पूर्ण करने के काई उपाय नहीं किए।

ii. 2008 में गुवाहाटी परिमण्डल में, गढ़गांव में अहोम राजा के महल में उत्खनन 17 दिनों तक किया गया और सुरक्षा खतरों के कारण बीच में छोड़ दिया गया। तथापि राज्य में कानून व्यवस्था की बहाली के बाद भी इस पुनः आरंभ करने का प्रयत्न नहीं किया गया।

iii. रांची परिमंडल में, 2003-05 के दौरान सरिडकेल में प्रारंभ किए गए उत्खनन कार्य स्थानीय विरोध के कारण छोड़ दिये गये। इसके बाद इसे पुनः आरंभ नहीं किया गया।

iv. रांची परिमंडल में बेनीसागर में 2006-07 और 2007-08 में वैज्ञानिक अनुमति करने का प्रयत्न किया गया परंतु संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण में पता चला कि इसे भी अधूरा छोड़ दिया गया। कार्य को पूर्ण न करने के कोई कारण दर्ज नहीं पाए गए।

धोलावीरा में अपूर्ण उत्खनन

**हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल, धोलावीरा में उत्खनन 1990 में प्रारंभ किया गया। उत्खनन के प्रभारी अधिकारी 2002 में सेवानिवृत हो गए और उन्होनें अभी तक उत्खनन की स्थिति के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त न होने पर आगे उत्खनन नहीं किया गया।**

## 5.5 प्राचीन टीलों का संरक्षण

भा.पु.स. ने 221 प्राचीन टीलों को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया था। तथापि इन टीलों के रखरखाव और उत्खनन की कोई विशिष्ट नीति नहीं थी। इन टीलों की देखभाल परिमंडल (जो संरचनात्मक संरक्षण) किया करता था और इनका अनुरक्षण उत्खनन प्रभाग नहीं करता था। संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षणों में पाया गया कि इनमें से कई टीलों को बाढ़ से घेरा नहीं गया था तथा इन पर खेती होती थी। भा.पु.स. द्वारा इन स्थलों के संरक्षण और अनुरक्षण हेतु कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई।

निकुठी टीले पर भू-क्षरण

**कोलकाता परिमंडल में निकुठी टीला, मालदा में दयुल स्थल, बानगढ़ स्थल में यह पाया गया कि संरक्षित स्थलों को बाड़े से नहीं घेरा गया था और सीमांकित व रक्षित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप वारकोना दयुल स्थल और बानगढ़ स्थल पर अप्राधिकृत कृषि कार्य हो रहा था।**



पटना परिमण्डल में एक अन्य संरक्षित स्थल-प्राचीन टीला, बक्सर अप्राधिकृत निर्माण के कारण भूमि की एक पट्टी के रूप में ही बचा रह गया था। पटना परिमंडल के पश्चिमी चम्पारन में चार वैदिक कब्र के टीलों में मिट्टी खोदी गई पाई गई जिससे उत्खनित क्षेत्र को क्षति हुई थी।

पश्चिमी चंपारन में चार वैदिक कब्र के टीलों में की गई मिट्टी की खुदाई के फोटो

भा.पु.स. ने बताया (नवंबर 2012) कि उत्खनन के पश्चात् स्थल का अनुरक्षण पर प्रति मामले के आधार पर निर्णय किया गया और उत्खनन के बाद यदि किसी असंरक्षित स्थल पर संरक्षण हेतु विचार किया जाता है तो आम तौर पर इसे बाड़े से घेर दिया जाता है। यद्यपि कोलकाता परिमण्डल के उपरोक्त मामलों में यह पाया गया कि संरक्षित स्थलों पर भी बाड़ नहीं लगाई गई थी तथा समुचित रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

## 5.6 उत्खनित स्थलों की स्थिति

जॉन मार्शल की संरक्षण नियमावली में प्रावधान किया गया था कि सभी उत्खननों को प्रतिकूल जलवायु से बचाया जाना अपेक्षित था। उत्खनित स्थलों का संरक्षण स्पेन व चीन सहित कई देशों में किया जाता था। गुजरात सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनित स्थल के ऊपर एक संरक्षण आवरण (लोहा/पीवीसी/एक्रिलिक) को अधिष्ठापित किया। भा.पु.स. के उत्खनित स्थलों पर इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं पायी गयी।

**उत्खनित स्थलों के अनुरक्षण हेतु अपनाये गये अच्छे (अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय) अभ्यास**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| ग्रान डालिना, ऐटाप्यूरका, पर्वत, स्पेन | टेराकॉटा आर्मी, चीन | बौद्ध विहार, वाडनगर, गुजरात |

तथापि, भा.पु.स. के उत्खनित स्थलों का अनुरक्षण तथा समुचित रखरखाव नहीं हो रहा था जिससे कुछ स्थल गुम हो गए और उन्हें ढूढ़ा नहीं जा सकता । उत्खनन स्थलों के अनुचित रखरखाव और संरक्षण के कुछ मामले निम्नोक्त हैं:

i. असम के शिवसागर जिले में नजीरा में चार मैडम्स के समूह पर 2001-2003 के दौरान उत्खनन किया गया और 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 23.85 लाख का नवीकरण कार्य प्रारंभ किया गया। इस नवीकरण को पूर्ण नहीं किया गया और स्थल मौसम की विषम परिस्थितियों से असुरक्षित था।

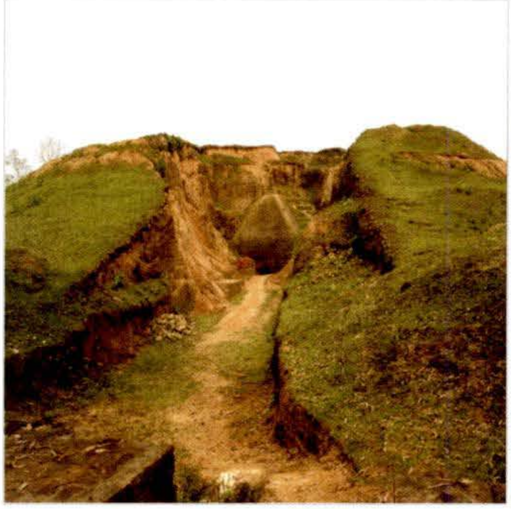

**चराईदेओ, शिवसागर, असम में उत्खनित मैडम्स 05/05/2010**

**10.06.2012 को चराईदओ शिवसागर, असम में उत्खनित मैडम्स का अद्यतन दृश्य**

ii. लखनऊपरिमंडल में सांदी-खेड़ा, पाली, शाहबाद नामक संरक्षित स्थलों का पता नहीं लग पा रहा।

iii. धारवाड़ परिमंडल में कानागानाहल्ली, सन्नाती के उत्खनित स्थल का रखरखाव एवं संरक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई स्थल दौरे किए जाने व वीआईपी निर्देशों के बावजूद समुचित रखरखाव तथा संरक्षण नहीं किया गया। स्थल के दोषपूर्ण संरक्षण के मामले भी पाए गए। (मामला अध्ययन 6 देंखें)

iv. बड़ौदरा परिमण्डल में 1951 से 1954 के बीच संरक्षित घोषित किए गए सात उत्खनित स्थल[41] पूर्णतः नष्ट/अधिक्रमित हो गए थे क्योंकि उनका समुचित संरक्षण नहीं किया गया था। वेनीवदर का टीला जलमग्न हो गया व बाकी छः स्थल पर कृषि हो रही थी और उन पर आवास बना लिए गए थे।

---

[41] i) प्राचीन टीला स्थल, वैनीवदार, ii) सेजक पुर में प्राचीन (टीला) स्थल, iii) ऐतिहासिक स्थल, अकोटा, वड़ोदरा प्राचीन स्थल, iv) गोहिलवाड़ टीम्बो, जिला अम्रेली, v) अमरापुरा में माइक्रोलीथिक स्थल, vi) सिहोर में प्राचीन स्थल तथा vii) कामरेज में प्राचीन स्थल

अमरेली, गुजरात में प्राचीन स्थल जिस पर घर बने हुए हैं

v. औरंगाबाद परिमण्डल में पाँच स्थल[42] का पता नहीं चल पा रहा।

vi. संरक्षित उत्खनित स्थल के कुप्रबंधन का सबसे चकित करने वाला मामला हड़प्पा सभ्यता के विश्व विख्यात स्थलों का पाया गया जिनके लिए भा.पु.स. विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान करने की माँग कर रहा है। (विवरण मामला अध्ययन 7 में)

vii. हालेबीडू, कर्नाटक में 1984-87 में एक बड़ा मंदिर परिसर उत्खनित हुआ। यह पाया गया कि उत्खनित मूर्तियों तथा पुरावशेष बिखरे पड़े थे और मंदिर के चारों ओर बाड़े 20 वर्ष बीत जाने पर 2008-09 में ही लगाए गए।

[42] अर्थात जोरवे, अहमदनगर में जरासंघ नगरी ii) अरसोदा, गढ़चिरोली में पत्थर वृत iii) गढचिरोली में बीस पुरासमाधियों का समूह iv) निलदहो में पत्थर वृत v) पत्थर वृत, तुगलकघाट नागपुर

# मामला अध्याय 6: कनगनहल्ली, सन्नाती (धारवाड़ परिमण्डल) में उत्खनन

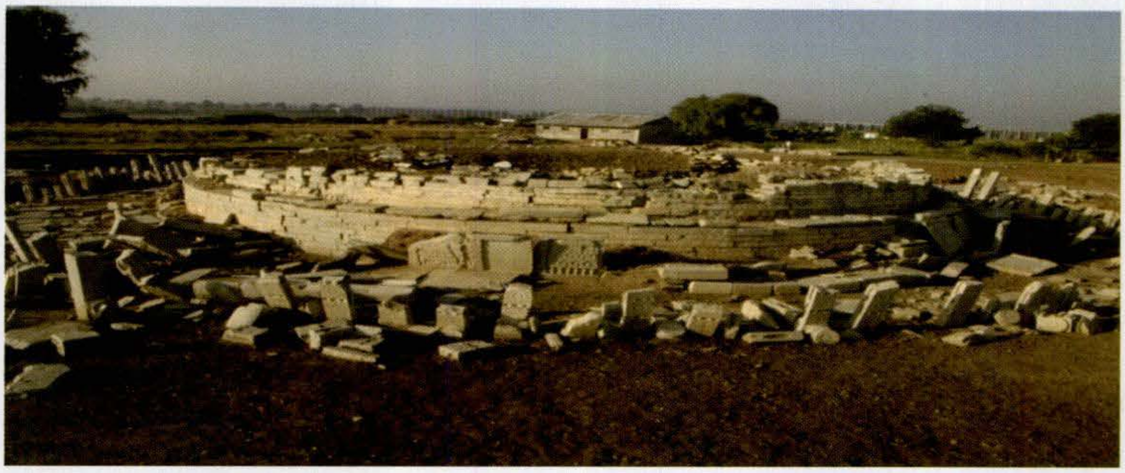

कनगनहल्ली का उत्खनित स्थल

1993-94 में कर्नाटक सरकार के सन्नाती में भीमानदी पर एक बांध के निर्माण हेतु पुरातात्विक अनुमति हेतु भा.पु.स. के बेंगलुरू परिमण्डल के पास गई। इस प्रयोजन से की गई खोज के दौरान इस क्षेत्र में कई प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ, संरचनात्मक अवशेष और प्राचीन अवशेष पाए गए। 1996-2002 में भा.पु.स. द्वारा किए गए विस्तृत उत्खननों के बाद कनगनहल्ली के पास सन्नाती में एक अनोखे महास्तूप (बृहद स्तूप) के अवशेष खोजे गए। इस स्थल को विशेषज्ञों ने एक दुर्लभ बौद्ध स्थल होने का दावा किया। अन्य पट्टिकाओं में एक अनोखी पट्टिका है जिस पर राजा अशोक का नामोल्लेखयुक्त मूर्ति चित्र है, जैसा विश्व में दूसरा नहीं है। इस 23 एकड़ के स्थल को 2003 में संरक्षित स्थल घोषित किया गया।

**स्थल की स्थिति:**

प्लास्टिक से ढ़की गई पट्टिकाओं पर नमी

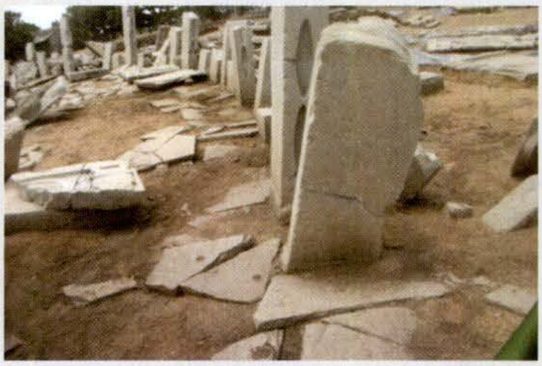

स्थल पर बिखरी पडी पट्टिका

इस स्थल पर ₹1.42 करोड़ का व्यय करने बाद भी संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण में यह पाया गया कि स्तूप के उत्खनित और पट्टिकांए खुले में मौसमी विषमताओं के बीच बिखरी पड़ी थी। कई भागों में पानी जमा हो गया था और पट्टिकाओं पर काले धब्बे हो गए थे। कुछ पट्टिकाओं को बारिश के पानी से बचाने के लिए प्लास्टिक की पर्तों से ढ़ंका गया था। तथापि नमी जमा होकर ये पट्टिकाएं नष्ट हो रही थीं।

जून 2012 में म.नि., भा.पु.स. ने निर्देश दिया कि अशोक पट्टिका और स्तूप के अन्य उत्खनित भागों के लिए अस्थायी आश्रय प्रदान किए जाएं। परंतु ऐसा नहीं किया गया (दिसंबर 2012)। केन्द्रीय मंत्री श्री जयराम रमेश के दौरे के बाद (अगस्त 2012) अशोक पट्टिका के लिए मात्र एक कपड़े की आवरण प्रदान की गई।

कपड़े के आवरण में अशोक पट्टिका

यह भी पाया गया कि स्थल पर गतिविधियाँ समुचित सावधानीपूर्वक नहीं की जा रही थीं। पट्टिकाओं पर बिना समुचित जांच किए हुए अचुंबकीय स्टील छड़ और इपॉक्सी रेसिन का प्रयोग कर मरम्मत का निष्फल कार्य किया गया। भा.पु.स. ने अशोक पट्टिका की मरम्मत की जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई।

स्थल पर दोषपूर्ण मरम्मत कार्य



स्थल पर भागों की सूची उपलब्ध नहीं थी। यह भी पाया गया कि 2012 में कुछ पट्टिकाओं की नकल बनाते समय भा.पु.स. ने सांचों के रूप में रबर जैसे अधिक नर्म विकल्पों को न चुनकर फाइबर के शीशे का प्रयोग किया गया। इस सांचे से कुछ शीशे के टुकड़े टूट कर मूर्तिचित्र के कोनों में फसे रह गए तब भा.पु.स. अधिकारियों ने उन्हें हटाने के लिए रसायन और उसके बाद तेल का प्रयोग किया जिससे संगमरमर की पट्टिकाएं बदरंग और क्षतिग्रस्त हो गईं।

ग्राम विकास मंत्री श्री जयराम रमेश के एक अभिनिर्देश के उत्तर में संस्कृति मंत्रालय के आश्वासनों (मई 2012) के बावजूद स्थल अनावृत और उपेक्षित ही पड़ा रहा।

## 5.7 उत्खननों की निगरानी

उत्खनन सख्त पर्यवेक्षण और निगरानी में किए जाने होते हैं। उचित न होने से मूल्यवान सामग्री की क्षति हो सकती है। भा.पु.स. मुख्यालय ने सूचित किया (मई 2012) कि निदेशक (उत्खनन) जब जब उत्खनन स्थलों का दौरा करते थे, तो समुचित ढंग से उत्खनन हेतु स्थल पर निर्देश देते थे।

तथापि भा.पु.स. मुख्यालय में कोई निरीक्षण रिपोर्ट दर्ज नहीं पाई गई। उत्खनन स्थल पर भी निदेशक या अन्य किसी उच्चतर अधिकारी के कोई निर्देश दर्ज नहीं पाए गए। भा.पु.स. ने स्वीकार किया (नवम्बर 2012) कि ऐसे कोई अभिलेख नहीं थे क्योंकि निदेशक मुख्यालय में कार्य की व्यस्तता के कारण स्थलों का दौरा नहीं कर पाए थे।

***अनुशंसा 5.4:** भा.पु.स. को निदेशक (उत्खनन) द्वारा चालू उत्खनन स्थलों पर निरीक्षण के दस्तावेजीकरण को अनिवार्य बनाकर एक प्रभावी निगरानी प्रणाली निर्मित करनी चाहिए।*

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि प्राचीन स्थलों के अनौपचारिक निरीक्षण विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाना एक समान्य प्रथा है। यह उत्तर भा.पु.स. द्वारा औपचारिक ढ़ंग से निरीक्षण तथा इन निरीक्षणों के निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता को बल प्रदान करती है।

## 5.8 रिपोर्ट तैयार करने का कार्य

उत्खनन पर रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसी भी पुरातात्विक उत्खनन का अनिवार्य अंग है। किसी उत्खनन अथवा अन्वेषणों का समुचित दस्तावेजीकरण या रिपोर्टिंग न की जाए तो वह कार्य निष्फल हो जाता है क्योंकि इससे आगे शोध करने और निष्कर्षों के विश्लेषण हेतु इनपुट प्राप्त नहीं होगें। यूनेस्को की सिफारिशों में भी सदस्य राज्यों/उत्खनिकों को उत्खनन कार्य के परिणामों को बंधपत्र में निर्धारित समयावधि के भीतर, या जिन मामलों में यह निर्धारित न हो, तर्कसम्मत समयाविधि में प्रकाशित करने का आग्रह किया गया था।

### 5.8.1 रिपोर्ट तैयार करने में विलंब

पूर्ण कर लिए गए उत्खनन की रिपोर्ट तैयार करने मे अत्याधिक विलम्ब पाए गए। 2005 में 24 माह की समयावधि के भीतर लम्बित उत्खनन रिर्पोटों को पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, भा.पु.स. ने 56 लम्बित उत्खनन रिपोर्टों को चिन्हित किया जिन्हें 2007 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु सितम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार तक केवल 25 रिपोर्ट ही प्रस्तुत की गई थीं (**अनुबंध 5.2**)।

कुछ मामलों में रिपोर्ट 57 वर्षों से लम्बित पाई गई। जैसे मथुरा, श्रावस्ती और रोपड़ जैसे प्रमुख उत्खननों के क्रमशः 1954-55, 1958-59 और 1953-54 में किए गए उत्खननों की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पूर्ण किया जाना अभी शेष है। इतने विलंबपूर्ण स्तर पर पुनः उत्खनन किए

बिना सही रिपोर्ट तैयार करना संभव नहीं था। भा.पु.स. में दस्तावेजीकरण और नियंत्रणों की दशा को देखते हुंए स्थल के प्रारंभिक रिकॉर्ड अपूर्ण थे उनका पता नहीं चल रहा था।

भा.पु.स. ने सूचित किया (अप्रैल 2010) कि दो उत्खननों अर्थात कुनट्टर तमिलनाडु तथा नालंदा (बिहार) के संबंध में रिपोर्ट तैयार करना संभव नहीं था क्योंकि उत्रवनिक सामग्री निर्जीव रूप में थी और पहचानी नहीं जा सकती थी। इसके अतिरिक्त उत्खनित मर चुके थे। इससे रिकार्डो उत्खनित स्थलों से प्राप्त सामग्री को सुरक्षित रखने हेतु पालन किए जा रहे नियमों पर बड़ा गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

लम्बित रिपोर्टों की अद्यतन समेकित रिपोर्ट रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी। **अनुच्छेद 5.8.1** में दिए गए 56 मामलों के अतिरिक्त भा.पु.स. द्वारा 2007-08 से 2011-12 में प्रारंभ किए गए 113 उत्खनन/खोज कार्य हेतु रिपोर्टों में से केवल 12 मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिनमें से केवल एक रिपोर्ट को भारतीय पुरातत्वविज्ञान एक समीक्षा (आई ए आर) में प्रकाशित किया गया। विवरण **अनुबन्ध 5.3** में दिए गए हैं।

यह भी पाया गया कि राखीगढ़ी की विस्तृत उत्खनन रिपोर्ट के न होने के कारण इस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अभिलेखन हेतु नामांकन के दस्तावेज़ के कार्य में सम्मिलित किए जाने से हटा दिया गया।

भा.पु.स. ने बताया (नवम्बर 2012) कि रिपोर्ट लेखन कार्य की आवधिक निगरानी 2005 से प्राप्त भा.पु.स. द्वारा सतत रूप से की गई तथा रिपोर्ट लेखकों को रिपोर्ट के शीघ्र पूर्ण करने की सुविधा हेतु सभी प्रकार की उपस्कर सहायता प्रदान की गई तथापि लम्बित रिपोर्टों की स्थिति से भा.पु.स. के उत्तर को प्रमाणित नहीं करती।

लम्बित रिपोर्टों के कुछ प्रमुख मामले प्रस्तुत हैः

**तालिका 5.2 उत्खनन के लम्बित रिपोर्ट के मामले**

| स्थल | उत्खनन किए जाने का वर्ष |
|---|---|
| रोपड़ | 1953-54, 1954-55 |
| मथुरा | 1954-55, 1973-74 से 1976-77 |
| हुलास | 1978-79 से 1982-83 |
| ढ़ोलावीरा | 1989-93, 1994 -95, 1996 से 2004 |
| सांगोल | 1986-87 से 1990-91 |
| राखीगढ़ी | 1997-98 से 1999-2000 |
| चिचाली | 1998-99; 1999-2000 |
| हम्पी | 1975-76,1976-77,1978-79 से 2001-02 |
| श्रावस्ती | 1958-59, 1986-87, 1998-99, 2000-01, 2001-02 |
| रामापुरम | 1980-81 से 1983-84 |
| बानावाली | 1983-84 से 1986-87 |
| हर्ष का टीला | 1987-88 से 1989-90 |

### 5.8.2 रिपोर्ट लिखने में विलम्ब के कारण

यह पाया गया कि उत्खनन करने वाले भा.पु.स. के अधिकारियों को रिपोर्ट लिखने के लिए अलग से कोई समय नहीं दिया गया और ऐसा कोई निर्दिष्ट समयावधि नहीं थी। रिपोर्ट लिखने का कार्य उत्खनन के काफी समय बाद प्रारंभ किया जाता था और भा.पु.स. के अपने उत्खननों के लिए कभी-कभी इस प्रमुख उत्खनिकों के सेवानिवृत होने के बाद भी प्रारंभ किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप रिपोर्ट लिखने का कार्य लम्बित होता था और सेवानिवृत अधिकारियों के वेतन पर अतिरिक्त व्यय होता था । यह पाया गया कि रिपोर्ट लिखने के कार्य में ऐसे विलम्ब के लिए ₹ 63.75 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

यह भी पाया गया कि 10 उत्खनिक जिनकी रिपोर्ट लम्बित थी, मर गए अथवा खराब स्वास्थ्य और वृद्धावस्था के कारण अशक्त हो गए थे और एक उत्खनिक भा.पु.स. को छोड़कर किसी अन्य संगठन में जा चुका था। भा.पु.स. अपने ही अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट लिखने में की जानेवाली देरी के विरूद्ध उपाय करने में असफल रहा।

भा.पु.स. ने बताया (मई 2012) कि भा.पु.स. द्वारा अधिकारियों के विरूद्ध सख्त उपाय करने को न्यायसंगत नहीं माना जा सकता था क्योंकि अधिकारियों पर अन्य प्रशासकीय क्रियाकलापों का अत्यधिक भार था और असामयिक स्थानांतरणों के कारण विलम्ब हो जाता था। भा.पु.स. का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उत्खनिकों द्वारा रिपोर्ट लेखन की प्राथमिकता के उत्तरदायित्व से समझौता नहीं किया जा सकता।

***अनुशंसा 5.5:*** *उत्खनन के प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय रिपोर्ट प्रस्तुत तथा प्रकाशित किए जाने की समय सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए ओर उसका सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। भा.पु.स. को रिपोर्ट लेखन कार्य को प्रभावित करने वाले कारणों का समाधान करने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए।*

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि अंतिम तिथि और समय सीमा निश्चित करने के बावजूद 30 उत्खनन रिपोर्टों को प्रकाशन हेतु प्रस्तुत करना बाकी था। मंत्रालय ने बताया कि भा.पु.स. ऐसी प्रणाली का निर्माण करने की संभावना की खोज करेगी जिसमें उत्खनन पर रिपोर्ट लिखने का कार्य परियोजना प्रणाली से किया जाए जिससे उत्खननों के निदेशकों को सहायता प्रदान की जा सके और तर्कसंगत समय सीमा के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

## 5.9 उत्खनित सामग्री की स्थिति

रिपोर्ट लेखन में देरी से उत्खनन में खोजे गए पुरावशेषों की दशा और गणना पर भी प्रभाव पड़ा। जब तक अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित होती थी, कई वस्तुएं भा.पु.स. को समुचित रिकार्ड उपलब्ध कराए बगैर उत्खनन करने वाले के संरक्षण में रहती थीं।

कुछ मामलों में जब उत्खनन करने वालों को स्थानांतरित किए जाने पर उन्हें इन पुरावशेषों को एक से अन्य स्थान पर ले जाने की आज्ञा दे दी गई-जैसे धोलावीरा, वड़ोदरा परिमण्डल और सिरपुर, रायपुर परिमण्डल के स्थल पर उत्खनन कार्य। धोलावीरा में उत्खनित सामग्री को 12 वर्षों के बीत जाने के बाद भी सौंपा नहीं गया। ऐसी स्थिति में बिना समुचित बीमा और सुरक्षा के उत्खनन करने वाले के पास पड़े हुए पुरावशेषों की क्षति या खो जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।



यह पाया गया कि भा.पु.स. में अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रूप से उत्खनन, खोजों और गांव-गांव सर्वेक्षणों में खोजी और संग्रहित की गई कलाकृतियों, पुरावशेषों तथा मूर्तियों का रिकार्ड रखने हेतु माल-सूची नहीं रखी जा रही थी। कई मामलों में, जैसा कि अध्याय 6 में विस्तार से बताया गया है, उत्खनित पुरावशेषों को दर्ज नहीं किया गया था और उन्हें भा.पु.स. परिमण्डल के कार्यालयों स्मारकों तथा भण्डार गृहों में फेंका पड़ा हुआ पाया गया था।

***अनुशंसा 5.6:*** *पुरावशेषों की सुपुर्दगी तथा रखरखाव हेतु एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है जिसमें उत्तरदायित्व तथा हानि की जवाबदेही तय की जा सके। इन पुरावशेषों के भण्डारण हेतु समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।*

***अनुशंसा 5.7:*** *भा.पु.स. को उत्खनित पुरावशेषों तथा उनके ठिकानों की सूची तैयार करनी चाहिए और इस सार्वजनिक क्षेत्र में डाला जाना चाहिए जिससे शोधार्थियों द्वारा इनका संदर्भ/शोध हेतु प्रयोग किया जा सके।*

मंत्रालय ने (मई 2013) इस सिफारिश को सहर्ष स्वीकार करते हुए बताया कि भा.पु.स. उत्खनिक द्वारा उत्खनन के तीन माह के भीतर खोद कर निकाले गए पुरावशेषों की वस्तु सूची तैयार कर उसे संगठन की वेबसाइट पर, सामान्य जन की जानकारी हेतु प्रस्तुत करेगा।

## 5.10 उत्खनन तथा खोज संबंधी अन्य गतिविधियाँ

अन्य गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

| क्र.सं. | भा.पु.स. की गतिविधियां | टिप्पणी |
|---|---|---|
| **1** | गांव गांव सर्वेक्षण | • पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज का एक अन्य तरीका<br>• श्रम शक्ति के अभाव के कारण आजकल नहीं किए जा रहे। |
| **2** | जलगत पुरातत्वशास्त्र | • जलगत पुरातत्वशास्त्र की एक विशेषज्ञता शाखा की स्थापना 2001 में की गई।<br>• जलगत पुरातत्वशास्त्र की कोई परिप्रेक्ष्य योजना या नीति नहीं थी। |

| | | |
|---|---|---|
| | | • मई 2011 तक 17 परियोजनाएं प्रारंभ की गई थीं।<br>• 2011 में इस क्षेत्र के एकमात्र प्रशिक्षित अधीक्षक पुरातत्वविद को असम विश्वविद्यालय पर प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दी गई।<br>• एक अन्य स.अ.पु. व फाटोग्राफर को क्रमशः पुरातात्विक संग्रहालय तथा रसायन शाखा, जयपुर विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया।<br>• शाखा श्रम शक्ति के अभाव में लगभग निष्क्रिय हो गई। |
| 3 | भवन सर्वेक्षण परियोजना | • 1977 में 16वीं से 19वीं सदी के घरेलू और धर्मनिरपेक्ष भवनों का चयन करने और उनके विवरण का दस्तावेजीकरण करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया।<br>• दस्तावेजीकरण के बाद यदि उचित समझा जाए तो रिपोर्ट को भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा (आई ए आर) में प्रकाशित किया जाए। भवन सर्वेक्षण परियोजना नई दिल्ली में स्थित थी।<br>• पिछले पांच वर्षों में इसके द्वारा मात्र दो परियोजनाएं प्रारंभ की गई और इसके पहले की परियोजनाओं की रिपोर्ट निदेशक (उत्खनन) को भेजी गई। इनमें से कोई भी आईएआर में प्रकाशित नहीं की गई।<br>• रिपोर्ट प्रकाशन योग्य न पाए जाने के कोई कारण दर्ज नहीं किए गए। अतः किसी ठोस परिणाम के न प्राप्त होनें पर इस परियोजना को कार्यन्वित करने के कारण पता नहीं किए जा सकते थे।<br>• निदेशक (उत्खनन) द्वारा परियोजनाओं की नियमित निगरानी नहीं की जा रही थी।<br>• परियोजना के लिए भवनों का चयन करने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं था। |
| 4 | मंदिर सर्वेक्षण परियोजनाएं भोपाल और चैन्ने | • इसका उद्देश्य देश के अमूल्य प्राचीन मंदिर कला तथा स्थापत्य कोष का दस्तावेजीकरण करना था।<br>• मंदिर सर्वेक्षण की रिपोर्ट के प्रकाशन में बड़े विलम्ब<br>• 1984 से 2011 की कालावधि की पाँच परियोजना रिपोर्ट म.नि., भा.पु.स. को प्रकाशन हेतु प्रस्तुत की गई। तथापि अब तक इनमें से किसी का भी प्रकाशन नहीं हुआ। |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | पूर्व-इतिहास शाखा | • प्राक्-इतिहास के क्षेत्र में शोध किया।<br>• एक क्षेत्र विशेष में प्रागैतिहासिक अवशेषों को जानने अथवा उस प्रागैतिहासिक संस्कृति की संपूर्ण बसावट व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने हेतु क्षेत्रों की खोज की गई।<br>• 2007-08 से 2011-12 के दौरान प्राक-इतिहास पर 14 रिपोर्ट आई.ए.आर में प्रकाशन हेतु प्रस्तुत की गई, जिनमें से नौ को के.पु.प.बो. द्वारा अनुमोदित किया गया परंतु इनमें से किसी को भी प्रकाशित नहीं किया गया।<br>• वर्ष 2003-04 तक के कार्यों के बकायों का ढ़ेर वर्ष 2011 में प्रकाशित हो पाया। |



### 5.10.1 आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से पुरातात्विक जाँच

पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक वैज्ञानिकी प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे भू-बेधी राडार (जीपीआर), चुम्बकीय व प्रतिरोधकता सर्वेक्षण वैश्विक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और स्थिति-निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) जैसी अनेक नई प्रौद्योगिकी उत्खनन हेतु उपलब्ध थी। भा.पु.स. के पास स्वयं कोई असवरंचना/उपकरण नहीं थे और उत्खनन पारम्परिक विधि से किए जाते थे। भा.पु.स. के अधिकारियों की क्षमता निर्माण हेतु भा.पु.स. ने 2007 में भा.प्रौ.स., कानपुर के साथ पुरातत्वविज्ञान में वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग संबंधी एक स.ज्ञा.पर हस्ताक्षर किए। सामान्य सर्वेक्षण और जीपीएस, जीआईएस के लिए कानपुर में दो प्रशिक्षण ₹11.60 लाख की लागत पर आयोजित किए गए और 30 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

यह पाया गया कि वास्तव में प्रशिक्षित अधिकारियों में से मात्र दो ही भा.पु.स. के 2007-08 के बाद किए गए उत्खननों में उपरोक्त प्रणाली के प्रयोग में सम्मिलित थे।

## 5.11 पुरालेखी अध्ययन

पुरालेख पुरातत्वशास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध मिट्टी, पत्थर या धातु की टिकियों या शिलाओं पर उकेरे गए लेखों को पढ़नें और समझने से है। यह लेख अधिकांशतः प्राचीन भाषाओं/लिपियों में लिखे होते हैं, जो अब लुप्त हो गई होंगी। पुरालेख शाखा का प्रमुख प्रकार्य भारत के अनेक राज्यों के पुरालेखी सर्वेक्षण प्रारंभ करने और संस्कृत, द्रविड़ और अन्य भाषाओं में पत्थर, ताम्र पत्र व अन्य पदार्थों पर लिखे गए पुरालेखों की नकल करना था। पढने और अनुलेख करने के बाद शिला लेखों को भारतीय पुरालेखन के वार्षिक प्रतिवेदन में सूचीबद्ध किया जाता है। तथापि पुरालेखन शाखा के संबंध में कोई अधिनियम/नियम/दिशानिर्देश नहीं थे।

### 5.11.1 पुरालेखी अध्ययन के तथा मानवशक्ति की स्थिति

भा.पु.स. के पुरालेखन कार्य का प्रबंधन करने वाले पुरालेख निदेशालय का मुख्यालय मैसूर में था और चैन्नै, नागपुर और लखनऊ में इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय थे। निम्न तथ्य पाए गए:

i. अक्तूबर 2006 से कोई निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था।

ii. अधीक्षण पुरातत्वविद् के दो पद क्रमशः 1998 और 2004 से रिक्त थे। पदस्थ कार्मिकों की संख्या 45 की अनुमत संख्या के विपरीत 25 थी।

iii. यह पाया गया कि 2007-08 से 2011-18 के दौरान 1725 पुरालेखी वस्तुएं पायीं गईं। तथापि भारतीय पुरालेखन पर मात्र 1997-98 तक वार्षिक प्रतिवेदन का निर्माण और प्रकाशन किया जा चुका था। अनुचित अनुमान और प्रचार की कमी के कारण मार्च 2012 तक इस प्रतिवेदन के 43464 प्रतियों की सीमा तक न बेची जा सकी पुस्तकें थी जिनका मूल्य रु 53.14 लाख आंका गया।

iv. 1955 तक संग्रहित किए गए शिलालेखों पर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में दक्षिण भारतीय शिलालेख के खण्ड प्रकाशित हुए। शेष अभिलेखों का प्रकाशन होना बाकी था। 1995 से 2011 के दौरान छः विभागीय विद्वानों को और 2009 में तीन बाह्य विद्वानों को सौंपे गए कार्य लम्बित थे। इसने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण उत्तर भारतीय अभिलेखों (संस्कृत) पर कोई कार्य नहीं किया गया।

v. विभिन्न कालों/राजवंशों के अभिलेखों पर विभिन्न लेखकों द्वारा रचित कार्पस इन्स्क्रिप्टियोनम इण्डीकेरम[43] के मात्र सात खण्ड प्रकाशित हुए थे। इन खण्डों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य या योजना नहीं बनाई गई थी।

vi. चैन्नै क्षेत्र की पुरालेख शाखा में 1991-92 से 2011-12 के दौरान 5440 पुरालेखी सामग्री संग्रहित की गई। तथापि 1998-99 तक संग्रहित मात्र 2383 शिलालेखों का अनुलेखन किया जा चुका था और शेष 3057 (57 *प्रतिशत*) का अनुलेखन होना बाकी था।

वर्ष 1936-38 के दौरान संग्रहित तेलुगु शिलालेखों और वर्ष 1939-45 के तेलुगु शिलालेखों का संपादन का अनुलेखन और प्रकाशन होना अभी बाकी था। 1916 और 1905 के वर्षों में संग्रह किए गए दक्षिण भारतीय शिलालेखों का अनुलेखन और प्रकाशन होना बाकी था। पुरालेखन शाखा, नागपुर जो अरबी और फारसी के शिलालेखों को पढ़ने और प्रकाशित कराने हेतु उत्तरदायी था, ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान संग्रहित किए गए 367 संख्या में अभिलेखों में से 297 (80 *प्रतिशत*) को पढ़ लिया था।

---

[43] कॉर्पस इंसक्रिपटियोनम इंडिकेरम एक विशेष प्रयोजन की पुस्तक है, जिसमें एक विशेष राजवंश या एक अवधि के इतिहास से संबंधित अभिलेखों पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी का विस्तार से वर्णन है।

**क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 1.04 करोड़ का व्यय करने के बावजूद किसी शिलालेख को अनुवादित किया, पढ़ा, समझा और भारतीय पुरालेख के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित नहीं किया गया।**

### 5.11.2 अभिलेखों का प्रकाशित न होना

1997-98 से 2011-12 की अवधि में चैन्नै शाखा से कुल 644 अनुलिखित शिलालेख और पुरालेखन शाखा, नागपुर से 31 शिलालेखों को महानिदेशक, नई दिल्ली को पुरालेख पर वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशन हेतु अग्रेषित किया गया। तथापि अब तक कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है। भारतीय पुरालेख पर वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन में 12 वर्षों की सीमा का अत्यधिक विलम्ब हुआ। 1997-98 से संबंधित कार्य 2011 की पुरालेख पर वार्षिक प्रतिवेदन मे प्रकाशित किए गए थे।

#### 5.11.2.1 छापों/मुद्रांकनों को सुरक्षित रखना

मुद्रांकन पत्थर या ताम्र पत्रों के लेखों की कागज पर छाप होते हैं जिन्हें क्षति से बचाने के लिए नियंत्रित वातावरण में सुरक्षित रखा जाता है। पुरा-लेख निदेशालय में 72000 मुद्रांकन थे जिनमें से 3105 मुद्रांकन पुरालेख शाखा, चैन्नै के संरक्षण में थे। चैन्नै शाखा के ये मुद्रांकन बंद अलमारियों/डिब्बों/रैको पर समान्य वातावरण में रखे गए थे। तापमान कम होने और आर्द्रता के नियंत्रण के कारण इनमें से कई मुद्रांकन टूटने योग्य अवस्था में आ गए थे। मुद्रांकन को और क्षति से बचाने के लिए आवश्यक निधियों हेतु चैन्नै शाखा द्वारा भा.पु.स. को प्रस्ताव भेजे जाने को अभिलेखों में दर्ज नहीं पाया गया। दस लेख और दस मुद्रांकन के अक्षर पुरालेखन शाखा, नागपुर में मिट गए/क्षतिग्रस्त हो गए थे। क्षतिग्रस्त होने का कारण और ऐसा होने का समय ज्ञात नहीं हो सका।

## 5.12 भा.पु.स. में क्षमता निर्माण और अनुसंधान

भा.पु.स. के पास देहरादून में विज्ञान शाखा और विज्ञान शाखा की क्षेत्र कार्यालयों में प्रयोगशाला सुविधाएं हैं। उत्खनित सामग्री का वैज्ञानिक विश्लेषण विज्ञान शाखा और विभिन्न बाह्य संस्थानों की मदद से किया जा रहा था।

**अत्यधिक विलम्ब के मामले पाए गए, जिन्हे बीरबल साहनी संस्थान और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और ताम्र नमूनों को भा.प्रौ.सं. कानपुर को भेजा गया था। बड़ोदरा परिमण्डल में जुनीकरण उत्खनन से प्राप्त छः नमूने जून 2005 और जुलाई 2006 में भुवनेश्वर के भौतिकी संस्थान को परीक्षण हेतु भेजा गया परंतु परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे। अगस्त 2004 में दक्कन कॉलेज, पुणे को भेजे गए अस्थियों के नमूनों के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए थे।**

पुरातात्विक सामग्री के काल-निर्धारण और विश्लेषण के लिए आधुनिक उपकरण प्राप्त और प्रयोग करने और अपनी प्रयोगशाला निर्मित करने में भा.पु.स. की असफलता से इसकी क्षमता निर्माण और अनुसंधान गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

***अनुशंसा 5.8:*** *भा.पु.स. को आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्यागिकी के प्रयोग में वृद्धि करनी चाहिए, इसके कर्मिकों की क्षमता का निर्माण करना चाहिए और स्वयं की एक उन्नत काल निर्धारण प्रयोगशाला स्थापित करनी चाहिए।*

मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार किया (मई 2013)।

इस प्रकार उत्खनन के कार्य को कार्यान्वित करने में भा.पु.स. की कार्यप्रणाली में उत्खनन हेतु नीति और मानदण्डों का अभाव उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त, उत्खनन कार्यों का प्रतिवेदन लिखने एवं प्रकाशित करने में विलंब से खोजों और उत्खनन गतिविधियों में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हुई।

## मामला अध्ययन 7 : हड़प्पा स्थल

**1947 में सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल अर्थात् हड़प्पा और मोहन जोदड़ो, जो पिछले दो दर्शकों में भा.पु.स. के प्रयत्नों की प्रदर्शनीय वस्तुएं थी, पाकिस्तान में रह गईं । स्वतंत्रता के बाद प्रथम दो दर्शकों में भा.पु.स. ने अपने प्रयत्न नए हड़प्पा स्थलों की खोज करने में केन्द्रित कर दिए जिससे उल्लेखनीय खोजें हुई अर्थात लोथल, कालीबंगां और रोपड़। अनुवर्ती खोजों जैसे ढोलावीरा, राखीगढ़ी इत्यादि ने इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को आगे समझने में और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकाशित करने में सहायता की। इस प्रकार ये स्थल भारतीय इतिहास और पुरातत्व के सबसे महत्वपूर्ण संकेत चिन्हत हैं।**

**इस लेखापरीक्षा के दौरान, हड़प्पा सभ्यता के इन स्थलों का दौरा किया गया और यह पाया कि पश्च-उत्खनन अनुरक्षण संलेख के न होने के कारण इनका रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था।**



**तालिका 5.3 उत्खनन रिपोर्टों की स्थिति**

| स्थल | उत्खनन की स्थिति | उत्खनन रिपोर्ट की स्थिति |
|---|---|---|
| धोलावीरा, गुजरात | 1989-93, 1994-95, 1996-2004<br>अपूर्ण | अपूर्ण |
| रंगपुर, गुजरात | 1935,1947, 1953-56<br>अपूर्ण | अब तक किए गए उत्खनन की रिपोर्ट पूर्ण हो गई है। |
| राखीगढ़ी, हरियाणा | 1997-98 से 1999-2000<br>अपूर्ण | अपूर्ण |
| रोपड़, हरियाणा | 1953-54, 1954-55 2011-12<br>अपूर्ण | अपूर्ण |
| सांगोल, पंजाब | 1986-87 से 1990-91<br>अपूर्ण | अपूर्ण |
| लोथल, गुजरात | 1955-62<br>अपूर्ण | अब तक किए गए उत्खनन की रिपोर्ट पूर्ण हो गई है। |
| कालीबंगां, राजस्थान | **1961-69**<br>अपूर्ण | अब तक किए गए उत्खनन की रिपोर्ट पूर्ण हो गई है। |

**अपूर्ण उत्खनन कार्य के अतिरिक्त यह पाया गया कि अब तक किए गए कार्य का उचित ढंग से संरक्षण और प्रदर्शन नहीं किया गया था। नियमित निरीक्षण न होने के कारण ये स्थल अतिक्रमण और क्षय की अवस्था में थे।**

### तालिका 5.4 हड़प्पा स्थलों की स्थिति और प्राप्त पुरावशेष

| स्थल | स्थल की स्थिति | प्राप्त पुरावशेषों की स्थिति |
|---|---|---|
| **धोलावीरा गुजरा**<br> <br>**धोलावीरा का उत्खननित स्थल** | ▪ स्थल उचित ढंग से बाड़े से घेरा नहीं गया था।<br>▪ मृदाभांड के टुकडे, मिट्टी के कंगन, गोलाकार बटन, बहुमूल्य पत्थर स्थल पर बिखरे पड़े थे और वहां आने वालों के उसके ऊपर चलने से नष्ट हो रहे थे।<br>▪ उत्खनित स्थल के पास पाए गए तांबें के और मोतियों के कारखानों दोनों पर स्थानीय किसान अप्राधिकृत कृषि कार्य कर रहे थे ।<br>▪ गाईड की कोई सुविधा नहीं थी। | एक स्थल संग्रहालय का रखरखाव किया जा रहा है, जिसमें एक 'व्याख्या-सह सूचना केन्द्र' है और पुरावशेषों के 61 फोटो और 295 वस्तुएं हैं। बताया गया है कि बाकी पुरावशेष रिपोर्ट लेखन कार्य के लिए दिल्ली में उत्खनन दल के पास हैं। |
| **रंगपुर, गुजरात**<br>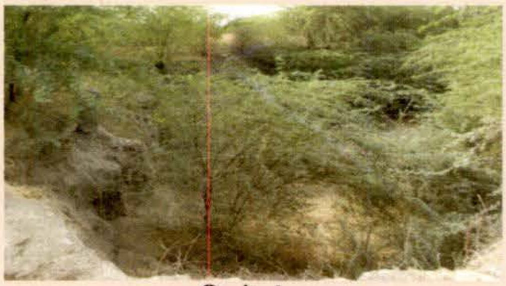<br>**वनस्पति से ढंका स्थल**<br> <br>**स्थल पर निर्मित भवन**<br> <br>**स्थल पर पुरातात्विक अवशेष** | इस स्थल का सर्वेक्षण मापन, सीमांकन और बाड़े से घेराव नहीं किया गया ।<br>यद्यपि यह एक संरक्षित स्थल है, संरक्षण सूचना पट्ट, संस्कृति सूचना पट्ट नहीं पाया गया।<br>स्थल पर घर निर्मित हो गये थे।<br>स्थल वनस्पति के नीचे ढंका हुआ था।<br>स्थानीय लोग स्थल के एक भाग को घड़े बनाने के लिए, मिट्टी निकालने और गड्ढे खोदने के लिए प्रयोग कर रहे थे। | पुरावस्तुओं को संग्रह कर संरक्षा में नहीं रखा गया। उत्खनन के समय संग्रहित पुरावशेषों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं थी। |

| स्थल | स्थल की स्थिति | प्राप्त पुरावशेषों की स्थिति |
|---|---|---|
| **राखीगढ़ी, हरियाणा**<br> <br>स्थल को गोबर के ढेर और टूटे बाड़े<br> <br>संरक्षित स्थल पर श्मशान भूमि | स्थल पर लगाए गए बाड़े कई स्थानों पर टूटे गए थे। गोबर के ढेर थे।<br>इस टीले का प्रयोग श्मशान भूमि और सार्वजनिक शौचालय के रूप में हो रहा था।<br>स्थल पर अप्राधिकृत निर्माण किए गए थे। | उत्खनित संग्रहण भा.पु.स. के पास था। |
| **रोपड़ हरियाणा**<br> <br>रोपड़ हरियाणा<br> <br>स्थल के चारों ओर निर्माण | स्थल पर अप्राधिकृत निर्माण किए गए थे और टीले के तीन ओर घनी आबादी थी।<br>स्थल का महत्व बताने के लिए कोई संस्कृति सूचनापट्ट नहीं था। टीले की नालागढ़ कोठी का एक भाग भा.पु.स. द्वारा कार्यालय, अतिथिगृह और भण्डारगृह के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए परिवर्तित कर दिया गया था। | 1992 में पुरावशेषों के भण्डारण के लिए एक स्थल संग्रहालय बनाया गया। इसे जनता के लिए 1998 में खोला गया। |

| स्थल | स्थल की स्थिति | प्राप्त पुरावशेषों की स्थिति |
|---|---|---|
| **सांगोल, पंजाब**<br> <br>**सांगोल के उत्खनित स्थल का खराब रख-रखाव** | ▪ स्थल पर उचित ढंग से बाडे नहीं लगाए गए थे और स्थल को ग्रामीण श्मशान घाट के रूप में और शौच के लिए प्रयोग कर रहे थे।<br>▪ स्थल पर अप्राधिकृत निर्माण किए गए थे। | उत्खनित संग्रहण भा.पु.स. और राज्य सरकार के पास थे। |
| **लोथल, गुजरात**<br> <br>**उत्खनित स्थल, लोथल** | स्थल बिना किसी बाडे या संरक्षण के पड़ा था।<br>दीवारे से कुछ ईंटें गिर गई थी।<br>ईंट की दीवारें क्षतिग्रस्त पाई गईं। | उत्खनित संग्रहण को स्थल संग्रहालय में रखा गया था। |
| **कालीबंगां, राजस्थान**<br> <br>**उत्खनित स्थल, कालीबंगां** | स्थल को पूरी तरह बाडे से घेरा नहीं गया था। स्थल पर अप्राधिकृत निर्माण किए गए थे। स्थल का उचित ढंग से विकास और रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। | स्थल संग्रहालय में मात्र 267 उत्खनित संग्रहण रखे गए थे। बाकी पुरावशेष भा.पु.स. दिल्ली ले जाए गए थे। |

## मामला अध्ययन 8: अशोक के शिलालेख

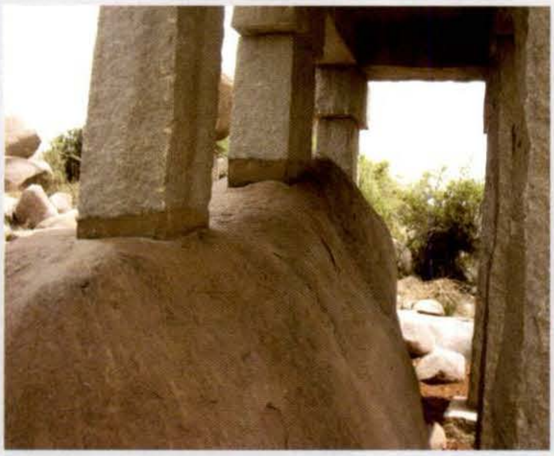

धारवाड़ परिमंडल में उडैगोलाम में अशोक का शिलालेख

दिल्ली में अशोक का शिलालेख

### संक्षिप्त इतिहास

राजा अशोक, मानव इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। 261 ई.पू. में कलिंग युद्ध जीतनें के उपरांत वह पूर्ण रूप से बदल गया। अपने शेष सारे जीवन उसने, बुद्ध का संदेश विश्वभर में फैलाने में अपने सारे संसाधन लगाने का निर्णय लिया। अशोक ने पत्थरों पर उकेरे गए धार्मिक संदेश जारी किए। अशोक के शिलालेख बौद्ध शिक्षाओं से संबंधित संदेश और भारत के सबसे प्राचीन शिलालेखों के रूप में महत्वपूर्ण हैं। इन्हें कई भाषा व लिपियों में लिखा जाता था, परंतु भारत में पाए गए अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करके प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ये शिलालेख दो प्रकार के थे अर्थात स्वस्थाने शिलालेख और स्तंभलेख। शिलालेख को पुनः उनके काल के आधार पर दो श्रेणियों, "मुख्य" शिलालेख और "गौण" शिलालेख में बांटा गया है। गौण शिलालेख सबसे पुराने हैं, जिसके बाद मुख्य शिलालेख आते हैं। गौण शिलालेख को पुनः शिलालेख-I और शिलालेख-II में बांटा गया है। मुख्य शिलालेख भारत भर में पाए गए जिनमें से 14 अशोक की व्यक्तिगत उद्घोषणाएं हैं। इन शिला व स्तम्भलेखों को पूरे उपमहाद्वीप में राजमार्गों, व्यापार मार्गों और तीर्थ स्थलों पर प्रमुख स्थानों पर शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए लगाया जाता था।

### वर्तमान स्थिति

भा.पु.स. अपने विभिन्न परिमंडलों अर्थात धारवाड़, वडोदरा, दिल्ली, देहरादून, इत्यादि के माध्यम से 12 अशोक शिलालेखों का संरक्षण कर रहा था। इन शिलालेखों को विशेष सावधानी और देखभाल की आवश्यकता थी क्योंकि इन्हें उनके स्थान पर यथावत बनाए रखना था और मौसम में खुले पड़े थे, इसलिए इन्हें समुचित संरक्षण तथा सफाई की आवश्यकता थी। यह पाया गया कि भा.पु.स. ने इन 2000 वर्षों से अधिक पुराने शिलालेखों के लिए विशेष रूप से कोई नीति

तैयार और लागू नहीं की। इन शिलालेखों में से पांच[44] का संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण करने पर निम्न अनियमितताएं उजागर हुईः



## गुमशुदा स्मारक

भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, रांची परिमंडल में 12 स्मारक थे, जिनमें से एक अशोक शिलालेख था। तथापि परिमंडल कार्यालय ने यह सूचित किया कि स्मारक 11 ही थे और कोई अशोक शिलालेख नहीं था। नहीं भा.पु.स. मुख्यालय, ना ही रांची परिमंडल ने स्मारकों की सूची से इस विसंगीत को हल किया ।

## वर्गीकरण

यद्यपि यह स्पष्ट था कि अशोक के शिलालेखों को मुख्य और गौण शिलालेखों में बांटा गया, परंतु भा.पु.स. ने केन्द्र द्वारा संरक्षित अशोक शिलालेखों के मुख्य और गौण शिलालेखों में वर्गीकृत नहीं किया। स्थल पर शिलालेखों में वर्गीकरण के विवरण में दी गई सूचना में इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी कि वह शिलालेख मुख्य शिलालेख है, या गौण।

## संरक्षण

संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण में पता चला कि भा.पु.स. इन अशोक शिलालेखों की उचित ढ़ंग से सुरक्षा एवं संरक्षण नहीं कर रहा था। खराब संरक्षण का सबसे स्पष्ट मामला धारवाड़ परिमंडल में उदैगोलाम के अशोक शिलालेख का पाया गया जहां शिलालेख को बचाने के लिए शिला पर ही बड़े स्तम्भ खड़े किये गए जिससे शिलालेख क्षतिग्रस्त हो गया।

इसी प्रकार शिलालेखों को खराब मौसम से बचाने के लिए जूनागढ़, गुजरात के शिलालेख के चारों और एक बड़ा हॉल और निट्टूर धारबाड़ परिमंडल के शिलालेख पर एक पत्थर की पटरियों का आश्रय बनाया गया। तथापि यह पाया कि दोनों शिलालेखों पर बारिश का पानी आ रहा था और इन बहुमूल्य पत्थरों को क्षति पहुंच रही थी।

---

44 दिल्ली परिमंडल, वडोदरा परिमंडल, जनागढ़, गुजरात देहरादून परिमंडल में कल्सी और निटटेर और उडगोलाम के अशोक शिला संदेश

निट्टूर, धारबाड़ में अशोक शिलालेख पर पानी के रिसाव से पड़े धब्बे,

जूनागढ़ गुजरात में अशोक शिलालेख के शिलालेख पर धब्बे



दिल्ली[45] में शिलालेख पर लोहे की छडों की बाड़ लगाई गई थी। तथापि यह पाया गया कि आगंतुक शिलालेख को न केवल छू रहे थे बल्कि उस पर धार्मिक क्रियाएं कर रहे थे। यह भी पाया गया कि इस स्थान के आस-पास स्थित उद्यान का उचित ढंग से रख-रखाव नहीं किया जा रहा था और स्थल पर अतिक्रमण भी पाया गया। स्थल पर 2010 में लगाए गए संकेत चिह्न गायब पाए गए।

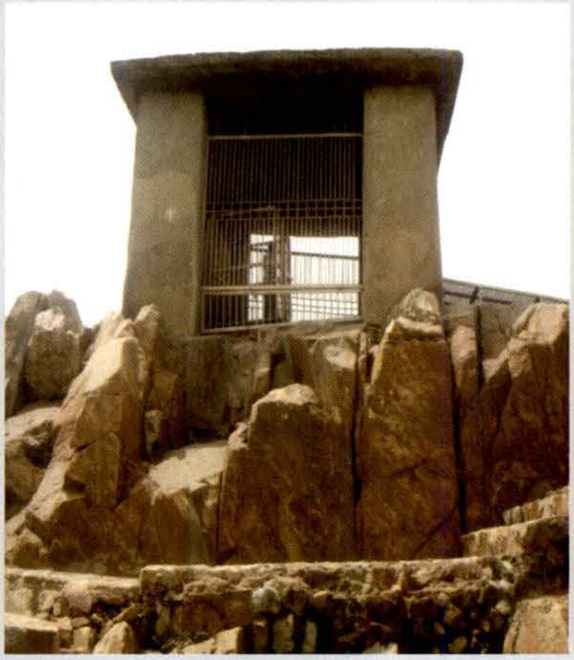

दिल्ली के परिमंडल में आवृत्त अशोक शिलालेख

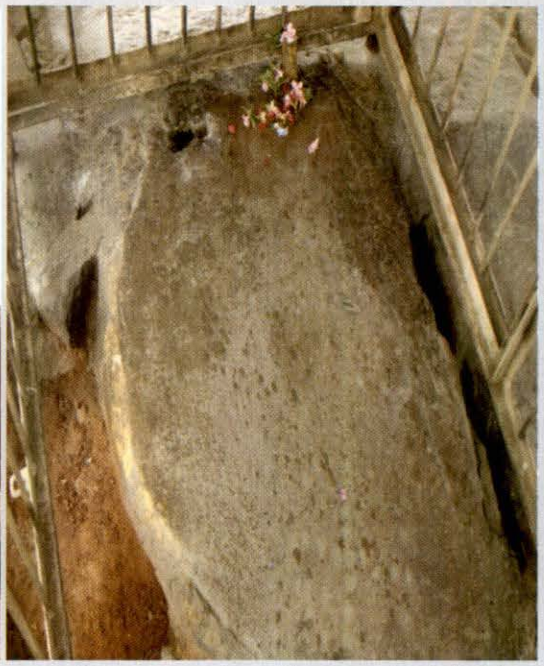

शिलालेख पर की गई धार्मिक क्रियाएं

[45] हौज खास । उप परिमंडल में कैलाश के पूर्व में

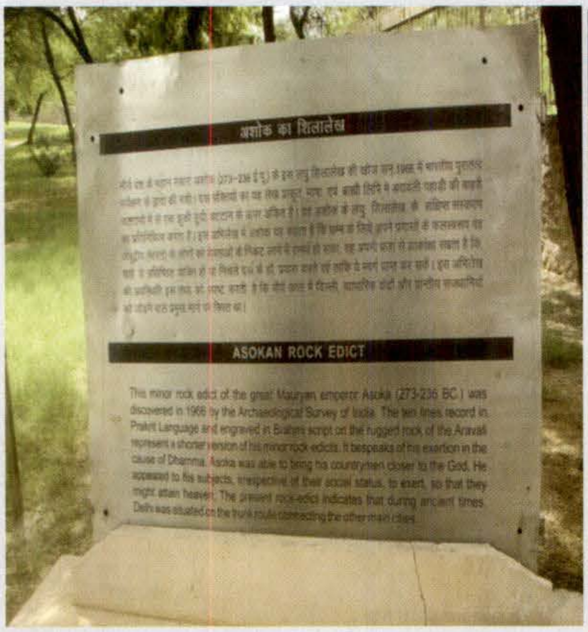


स्थल के शिलालेखों का अनुवाद

अशोक शिलालेख से गायब संकेत चिह्न

## दिल्ली में अशोक का शिलालेख

इसके विपरीत यह पाया गया कि कल्सी, देहरादून का अशोक शिलालेख का उचित ढंग से रख-रखाव हो रहा था। इसे एक गुंबद से ढंका गया था जिसमें शिलालेख सुरक्षित रहता था और आगंतुकों को शिलालेख को छूने की अनुमति नहीं थी।

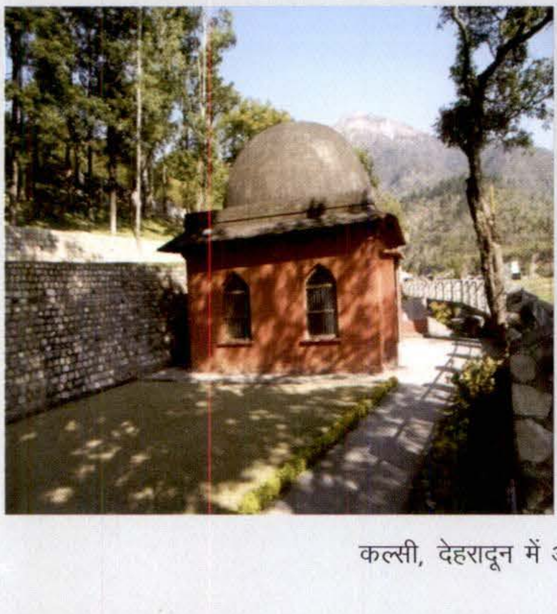

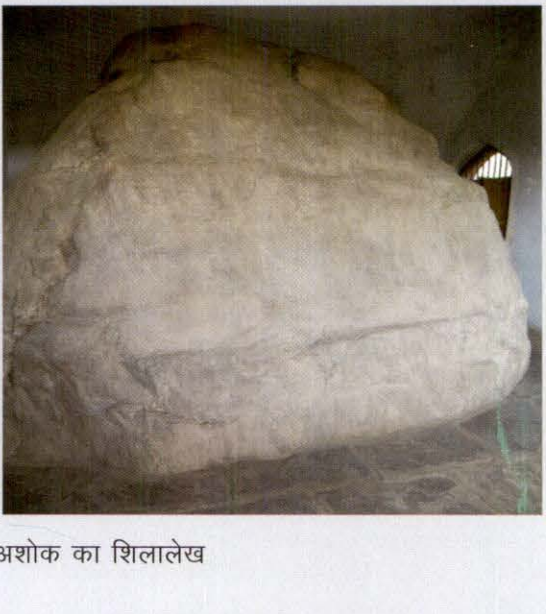

कल्सी, देहरादून में अशोक का शिलालेख

## शिलालेखों का अनुवाद

चूंकि ये शिला लेख ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, भा.पु.स. द्वारा इन शिलालेख का अनुवाद कर स्थल पर समुचित संकेतक चिह्न प्रदान करना अपेक्षित था। यद्यपि सभी अशोक शिलालेखों को पढ़ लिया और अनुवाद कर लिया गया है, दिल्ली को छोड़कर इन स्थलों पर आगंतुकों के लाभ हेतु कोई अनुवाद प्रदान नहीं किया गया था।

# अध्याय – VI

# पुरावस्तुओं का प्रबंधन

**कोई सिक्का, मूर्ति, चित्र, पुरालेख अथवा कला या शिल्प कौशल की अन्य वस्तुएं, किसी भवन या गुफा से असंलग्न कोई वस्तु, पदार्थ या प्रवस्तु जो ऐतिहासिक अभिरूचि की हो अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित पुरावस्तु, जो सौ वर्षों से कम पुराने न हो से पुरावस्तुओं में सम्मिलित होते है। इसमें कोई हस्तलेख, अभिलेख अथवा अन्य प्रलेख जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक अथवा सौन्दर्य-शास्त्रीय मूल्य के हों और जो कम से कम जिसका 75 वर्ष पुराने हो, भी शामिल है।[46]**

भा.पु.स. भारत में पुरावस्तुओं के सबसे बड़े संग्रहकों में से एक है। इसके अलावा, देश भर में विभिन्न संग्रहालयों द्वारा पुरावस्तु अर्जित एवं अनुरक्षित किये जाते है। भा.पु.स. उत्खननों के दौरान प्राप्त पुरावस्तुओं के प्रबंधन, सुरक्षा एवं प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी है। ये बहुधा कार्य-स्थल संग्रहालयों में प्रदर्शित किये जाते है। भा.पु.स. निजी व्यक्तियों तथा संगठनों के अधीन पुरावस्तुओं के पंजीकरण हेतु भी जिम्मेदार है। इसमें चोरी गये कलाकृतियों को ढूंढने के प्रयास भी सम्मिलित है।

## 6.1 नीति एवं विधान की अपर्याप्तता

### 6.1.1 मानकों एवं नीति निर्देशों का अभाव

मंत्रालय के पास पुरावस्तुओं के प्रबंधन हेतु कोई समग्र नीति नहीं थी। वस्तुओं के अधिग्रहण, परिरक्षण एवं प्रलेखन हेतु कोई मानक नहीं थे।

गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, दिल्ली में रखे पुरावस्तुओं के ट्रंक

सफदरजंग मकबरे में रखे पुरावस्तु

[46] पुरावस्तुएं एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972

किसी संग्रहालय में पुरावस्तुओं के प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद एवं यूनेस्को द्वारा जारी किये गये अनेक अंतर्राष्ट्रीय मानक उपलब्ध है। ये मानक एवं दिशानिर्देश संग्रहालय के परिचालन, परिग्रहन संख्याओं के उपयोग, संग्रहालयों के में आपदा तैयारी आदि की क्रिया विधि को स्पष्टतः परिभाषित करते है। तथापि, सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं अथवा मानकों को नहीं अपनाया गया । किसी मानक के अभाव में लिये गये निर्णयों में बहुधा वस्तुनिष्ठता, एकरूपता तथा पारदर्शिता का अभाव था जिसका विवरण आगे के पैरों में किया गया है।

पुरावस्तुएं एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम व्यक्तिगत एवं निजी संग्रहों के पुरावस्तुओं के पंजीकरण का प्रावधान करता था। तथापि पंजीकरण को अनिवार्य नहीं किया गया था। यह अधूरे प्रलेखन में परिणत हुआ और चोरी गये तथा खो गये पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति में भी बाधक बना।

### 6.1.2 पुरावस्तुएं एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की समीक्षा

हमने देखा कि भा.पु.स. एवं मंत्रालय, पु.ब.कला. अधिनियम, 1972 में संशोधन की आवश्यकता के प्रति 1987 सचेत थे। इस विषय में मंत्रालय ने 1997 में एक संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ की। मंत्रिमंडल द्वारा 2003 में एक मसौदा कैबिनेट नोट भी अनुमोदित किया गया था। तथापि, संशोधन अभी भी मंत्रालय के पास प्रक्रियाधीन था। इस प्रकार, कलाकृतियों के अवैध निर्यात एवं तस्करी को रोकने में कानून की सीमाएं बनी रही। मंत्रालय ने इस कार्य हेतु किसी प्रकार की प्रथमिकता तय नहीं की और इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी।

***अनुशंसाएं 6.1:*** *पुरावस्तुएं एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम के प्रावधानों और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों की, कानून को अधिक समसामयिक एवं प्रभावी बनाने के लिए तथा चुरायी गयी कलाकृतियों को अन्य देशों से सुगमता पूर्वक वापसी के उद्देश्य हेतु समीक्षा करनी चाहिए।*

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि पुरावस्तुएं एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में प्रस्तावित संशोधन मंत्रालय द्वारा सक्रिय विचाराधीन थे।

## 6.2 पुरावस्तुओं का अधिग्रहण, पंजीकरण एवं प्रलेखन

### 6.2.1 अधिग्रहण

भा.पु.स. एवं अन्य संग्रहालयों द्वारा पुरावस्तुओं के अधिग्रहण निम्नलिखित माध्यम से प्रभावशील होते है:

(i) पुरातत्व स्थलों के सर्वेक्षण, खोज एवं उत्खनन के दौरान पुरावस्तुओं का संग्रहण;

(ii) सीधी खरीद;

(iii) उपहार के माध्यम से;

(iv) ऋण के माध्यम से; तथा

(v) पुरावस्तुओं का अनिवार्य अधिग्रहण

भा.पु.स. ने पुरावस्तुओं की प्राप्ति मुख्यतः सर्वेक्षण, खोज तथा पुरातत्व उत्खननों के माध्यम से की थी। भा.पु.स. ने पुरातत्वों स्थलों के सर्वेक्षण, खोजों तथा उत्खननों के दौरान एकत्रित पुरावस्तुओं के भंडारण हेतु 1960 में केन्द्रीय पुरावस्तु संग्रह (के.पु.स.) की स्थापना की थी। वर्तमान में पुराना किला, दिल्ली से कार्यरत, के.पु.स. देश के विभिन्न भागों से खोजे गए एवं उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के पात्रों एवं पुराशेषों का एक समृद्ध भंडार था। हमने देखा कि के.पु.स. के पुरावस्तुओं का अधिग्रहण, प्रलेखन, भंडारण स्थितियां, प्रत्यक्ष सत्यापन एवं सुरक्षा पूरी तरह अपर्याप्त था।

**केन्द्रीय पुरावस्तु संग्रह की कलाकृतियाँ चारो अलग स्थानों पर फैली और बिखरी हुई थीं। समुचित प्रलेखन के अभाव में विशिष्ट कलाकृतियों की अवस्थिति को सुनिश्चित करना संभव नहीं था।**

पुराना किला और सफदरजंग मकबरे में रखे गये केन्द्रीय पुरावस्तु संग्रह के पुरावस्तुओं की भण्डारण स्थिति खेदजनक थी जैसाकि नीचे की तस्वीरों में स्पष्ट है:

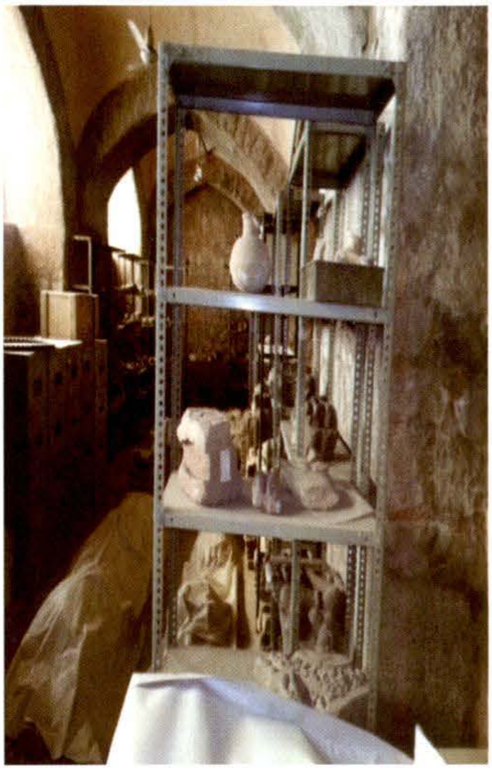

पुराना किला में रखे गये पुरावस्तुओं की अनुपयुक्त स्थिति

अनुपयुक्त स्थिति में सफदरजंग मकबरे में पुरावशेष

## 6.2.2 पुरावस्तुओं का अनिवार्य अधिग्रहण

भा.पु.स. के पास पुरावस्तुओं को अनिवार्य रूप से अधिग्रहित करने की शक्ति थी परंतु अभी तक कोई भी पुरावस्तु अनिवार्य रूप से अधिगृहित नहीं किये गये थे। पुरावस्तुओं के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के प्रोत्साहन की भी योजनाएं नहीं थीं।

## 6.2.3 संग्रहालयों द्वारा कलाकृतियों का अधिग्रहण

संग्रहालयों ने कलाकृतियों को खरीद एवं उपहार के माध्यम से अर्जित किया था। कलाकृतियों के अधिग्रहण एवं मूल्यांकन हेतु किसी प्रकार के मानकों या मापदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया था। संग्रहालयों ने कलाकृतियों के अधिग्रहण एवं मूल्यांकन हेतु कोई स्थिर नीति निर्धारित नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप, अधिग्रहण से संबंधित निर्णय अधिकतर मनमाने थे। हमने देखा कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वि.मे.हॉ.), सालारजंग संग्रहालय तथा राष्ट्रीय संग्रहालय ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कोई कलाकृति नहीं खरीदी थी।

विगत पाँच वर्षों के दौरान संग्रहालयों द्वारा किये गये अधिग्रहण निम्नवत में थे:

**तालिका 6.1: विगत पाँच वर्षों के दौरान अधिग्रहण**

| संग्रहालय | अर्जित वस्तुएं | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| **राष्ट्रीय संग्रहालय (रा.सं.)** | शून्य | कला खरीद/अधिग्रहण समिति 1997 से ही निष्क्रिय थी। |
| **एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता (ए.सो.को)** | 29 | कला खरीद समिति के माध्यम से खरीद की गयी थी जो प्रत्येक दो वर्षों में गठित होती थी। |
| **इलाहाबाद संग्रहालय (इ.सं. )** | 394 | अधिग्रहण हेतु नीति का अभाव |
| **सालार जंग संग्रहालय (सा.ज.सं. )** | शून्य | संग्रहालय ने कलाकृतियों की आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं किया था। |
| **विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वि.मे.हॉ.)** | शून्य | कला खरीद समिति को अंतिम रूप न दिया जाना |
| **भारतीय संग्रहालय (भा.सं. )** | 166 | खरीद हेतु कोई मानक प्रणाली नहीं। |

***अनुशंसाएं 6.2:** संस्थाओं को कलाकृतियों के अधिग्रहण हेतु सुसंगत अधिग्रहण नीति विकसित करनी चाहिए।*

मंत्रालय ने (मई 2013) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

## 6.2.4 वि.मे.हॉ. द्वारा ऋण पर प्राप्त किये गये चित्र

विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ने लगभग 5000 चित्रों के अधिग्रहण हेतु रविन्द्र भारती सोसायटी (र.भा.सो.), जो पश्चिम बंगाल की एक पंजीकृत सोसायटी है, से अनुबंध (दिसम्बर 2007) किया था।

हमने देखा कि 5000 चित्रों में से केवल 878 चित्रों की स्थिति-रिपोर्ट ही अब तक (नवंबर 2012) पूरी की गई थी और अब तक कोई संरक्षण कार्य शुरू नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, इन चित्रों की समुचित संरक्षण पूरा नहीं हो सका।

## 6.2.5 उपहार स्वरूप पुरावस्तुओं का अधिग्रहण

संग्रहालयों ने सुरक्षित संरक्षण हेतु उपहार एवं वस्तुओं को स्वीकार किया था। हमने देखा कि कई संग्रहालयों (नामतः रा.सं., भा.सं., ए.सो.को.) के पास उपहारों की स्वीकृति एवं मूल्यांकन हेतु कोई नीति नहीं थी। यहाँ तक कि कार्य-स्थल संग्रहालयों में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी कि

क्या कार्य-स्थल संग्रहालय पुरावस्तुओं को प्राप्त कर सकते थे और उपहार के रूप में प्रस्तावित वस्तुओं के चयन हेतु कोई मानक नहीं था।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली ने उपहार के रूप में 906 कलाकृतियाँ प्राप्त की थी। राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा उपहारों की प्राप्ति के कुछ मामलों के विवरण नीचे दिये गये हैं:



(i) भारतीय संग्रहालय ने 2010 और 2011 में क्रमशः 'कछोआ सितार', फूलों के डिजाइन से सजी 'कत्थई किनारे वाली टसर साड़ी', तथा 'सफेद धागे से कढ़ाई की हुई फूलों के डिजाइन वाली दोराखा लाल सुजनी या रजाई' उपहार स्वरूप प्राप्त की थी। तथापि, उनकी प्रामाणिकता से संबंधित कोई अभिलेख हमें उपलब्ध नहीं कराये जा सके।

(ii) अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि 10 कार्य स्थल संग्रहालयों ने उपहार/खरीद/ऋण आदि के माध्यम से 7203 कलाकृतियों को बगैर रासायनिक/वैज्ञानिक सत्यापन के प्राप्त किया था।

भा.पु.सं. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि अधिग्रहण/उपहार से कोई क्षति/ अनियमितता नहीं होनी थी। यदि वस्तु, पुरावस्तु न भी हो, तब भी इससे कार्य-स्थल के प्रदर्शन में सहायता मिलती है। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि यह स्थापित किये बगैर कि ये पुरावस्तुएं थीं, कैसे इस प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण और उनका प्रदर्शन किया जा रहा था।

(iii) केन्द्रीय पुरावस्तु संग्रह के संग्रहण में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीमा-शुल्क, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जब्त एवं अभिहृत 3979 पुरावस्तुएं शामिल हैं। इन पुरावस्तुओं को उनके मूल स्थान पर वापस करने या उन्हें उपयुक्त संग्रहालय में रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था।

***अनुशंसाएं 6.3:*** *संग्रहालयों को उपहार में प्राप्त कलाकृतियों के सुरक्षित रख-रखाव हेतु एक तंत्र विकसित करना चाहिए और उपहारों को उनके पुरावशेषीय-स्थिति स्थापित करने के उपरांत स्वीकार करने तथा उनके समुचित स्थलों या संग्रहालयों में प्रदर्शन हेतु एक नीति बनानी चाहिए।*

मंत्रालय ने (मई 2013) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अनुपालना हेतु स्वीकार कर लिया।

## 6.3 पुरावस्तुओं का पंजीकरण

पुरावस्तुएं एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अनुसार केन्द्र सरकार यह निर्धारित करेगी कि किन पुरावस्तुओं को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना चाहिए। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कलाकृतियों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। इसके अतिरिक्त अधिनियम

प्रावधान करता है कि केन्द्र सरकार अधिनियम के प्रयोजन हेतु पंजीकरण अधिकारी को नियुक्त कर सकती है।

राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावस्तु मिशन के अनुसार, देश में लगभग 70 लाख पुरावस्तुएं थे।

इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई लक्ष्य तथा समयसीमा नहीं थी। कार्य की प्रगति की मानीटरिंग भा.पु.स. अथवा मंत्रालय, किसी के द्वारा नहीं हो रही थी। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण की प्रक्रिया वैज्ञानिक परीक्षण पर आधारित नहीं थी बल्कि खुली आँखों पर आश्रित थी।

***अनुशंसाएं 6.4:*** *मंत्रालय को पुरावस्तुओं के पंजीकरण के कार्य में तेजी लानी चाहिए और पंजीकृत पुरावशेषों की प्रामाणिकता को एक समय बद्ध प्रणाली में सुनिश्चित करने की प्रक्रिया बनानी चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप पर विचार किया जा सकता है।*

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि अब तक 4.8 लाख पुरावस्तु पंजीकृत हो चुके थे और पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कोई लक्ष्य एवं समय-सीमा तय नहीं किया जा सका था, चूंकि प्रत्येक वर्ष और अधिक वस्तुएं पुरावस्तु की श्रेणी में आ रही थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लक्ष्यों एवं समय-सीमा को प्रत्येक वर्ष पंजीकृत होने वाले पुरावस्तुओं के प्राक्कलन अथवा उनकी पूर्ण संख्या के आधार पर तय किया जा सकता है।

## 6.4 प्राप्त वस्तुओं का मूल्यांकन

हमने पाया कि भा.सं., रा.सं. तथा ए.सो.को. के पास संग्रहालयों द्वारा प्राप्त/के अधीन कलाकृतियों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए प्राप्त वस्तुओं के मूल्यांकन हेतु कोई निर्धारित प्रणाली नहीं थी। इसलिए हम संग्रहालयों में कलाकृतियों की प्रामाणिकता पर किसी भी प्रकार का आश्वासन प्राप्त नहीं कर सके। भारतीय संग्रहालय ने एक चाँदी का सिक्का प्राप्त किया था जिसके मूल्यांकन के बाद वह ताँबे का सिक्का निकला।

संरक्षण पूर्व (चाँदी) संरक्षण के बाद (ताँबा)

**सर्वोत्तम प्रथाएं:**

**छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय उपहार स्वरूप वस्तुओं/कलाकृतियों की प्राप्ति में था। संग्रहालय में वस्तुओं/कलाकृतियों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की क्रिया-विधि थी। वस्तुओं को शुरूआत में संग्रहालयाध्यक्ष द्वारा परीक्षित किया जाता था और तदुपरांत उस क्षेत्र के विशेषज्ञों वाली प्रदर्शनी मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाता था तथा अंततः न्यासियों के एक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता था।**

***अनुशंसाएं 6.5:*** *संग्रहालयों को कला वस्तुओं की प्रामाणिकता के मूल्यांकन हेतु एक नीति विकसित करनी चाहिए।*

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार (मई 2013) कर लिया था।

## 6.5 कला वस्तुओं की वस्तु सूची एवं क्रम-स्थापन

### 6.5.1 कला वस्तुओं का परिग्रहण

संग्रहालयों में सभी पुरावस्तुओं को प्राप्ति के साथ-साथ समुचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। प्रत्येक पुरावस्तु की एक अलग विशिष्ट परिग्रहण संख्या हो जो परिग्रहण का वर्ष भी दर्शाती है। परिग्रहण रजिस्टर का उपयुक्त एवं नियमित अनुरक्षण संग्रहालय वस्तुओं की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु आवश्यक है।

हालांकि, हमने देखा कि परिग्रहण रजिस्टरों के अनुरक्षण के संबंध में कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। फलस्वरूप, संग्रहालय कलाकृतियों के परिग्रहण हेतु विभिन्न पद्धतियों को अपना रहे थे जिसे **अनुबंध-6.1** में देखा जा सकता है।

## 6.6 पुरावस्तुओं की संख्या में विसंगतियां

हमने भारतीय संग्रहालय तथा राष्ट्रीय संग्रहालय के पास मौजूद पुरावशेषों की संख्या में उल्लेखनीय विसंगतियां देखी थीं, जिनका नीचे विवरण दिया गया है:

**तालिका 6.2 भारतीय संग्रहालय में कलाकृतियों की संख्या में विसंगतियां**

| संग्रहालय के उत्तर के अनुसार कलाकृतियां | संग्रहालय के डाटाबेस के अनुसार कलाकृतियां | परिग्रहण रजिस्टरों के अनुसार कलाकृतियां |
|---|---|---|
| **107308** | 114271 | 94462 |

**तालिका 6.3 राष्ट्रीय संग्रहालय में कलाकृतियों की संख्या में विसंगतियां**

| विशेषज्ञ समिति को अप्रैल 1999 में उपलब्ध करायी गयी सूचना | विशेषज्ञ समिति को सितम्बर 2003 में उपलब्ध करायी गई सूचना | 2004 में विशेषज्ञ समिति की प्रत्यक्ष रिपोट के अनुसार | जुलाई 2011 में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई सूचना | सितम्बर 2011 में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई सूचना |
|---|---|---|---|---|
| 205375 | 206121 | 206713 | 206212 | 205981 |

एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के मामले में इसके पास मौजूद सोने के सिक्कों के संबंध में इसी प्रकार की विसंगति देखी गयी थी।

## 6.7 कलाकृतियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

कलाकृतियों का आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन उनकी मौजूदगी को सुनिश्चित करने के लिए और पुरावस्तुओं की अवस्था के आकलन के लिए भी आवश्यक था। विभिन्न संग्रहालयों में पुरावस्तुओं के प्रत्यक्ष सत्यापन की स्थिति बहुत खराब थी जैसाकि **अनुबंध-6.2** में विवरण दिया गया है।

## 6.8 पुरावस्तुओं का संरक्षण

पुरावशेषों का परिरक्षण एवं संरक्षण संग्रहालयों के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक था। इस गतिविधि में अनेक खामियां थीं, जैसाकि निम्नलिखित मामलों में देखा गया है:

**भारतीय संग्रहालय, कोलकाता** में गंधार स्तूप कई वर्षों से क्षयशील था परंतु पुरातत्व अनुभाग द्वारा 2008 में देखा गया था। तथापि, स्तूप के संरक्षण हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया था। संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु किसी नीति की अनुपस्थिति कलाकृतियों के क्षय का कारण बनी।

संग्रहालय द्वारा 1998-99 में ₹7.37 लाख की लागत पर प्राप्त की गयी एक चलायमान संरक्षण प्रयोगशाला लगभग बेकार पड़ी रही।

राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली के पास योग्यता-प्राप्त रासायनज्ञ वाली एक संरक्षण प्रयोगशाला थी। यह संग्रहालय राष्ट्रपति भवन तथा संसद भवन में मौजूद संग्रहालयों जैसे अनेक लघु संग्रहालयों की वस्तुओं को भी संरक्षित करता है। लखनऊ में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के बाद, इस संग्रहालय की प्रयोगशाला ने संरक्षण अनुसंधान की गतिविधियों को बंद कर दिया था। हमने देखा कि प्रयोगशाला प्रतिवर्ष संग्रहालय के कुल पुरावशेषों का केवल 0.25 प्रतिशत ही संरक्षित कर रहा था। 2007-12 के दौरान, प्रयोगशाला द्वारा 2.06 लाख में से केवल 2272 वस्तुओं का ही निदान एवं संरक्षण किया गया था।

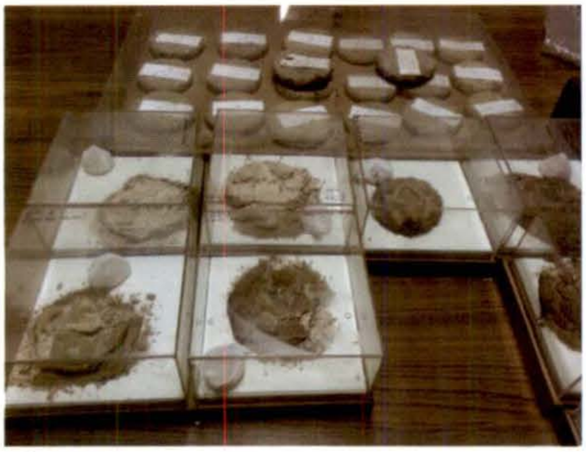

संरक्षण प्रयोगशाला में विगत 45 वर्षों से पड़ी औरेल स्टेन संग्रह की वस्तुएं

हमने देखा कि **एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता** में लगभग 40 *प्रतिशत* पाण्डुलिपियां खराब स्थिति में थीं और उन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता थी। अधिकतर मामलों में, संरक्षण हेतु प्राप्त की गयी वस्तुएं इतनी क्षतिग्रस्त थीं कि उनका नवीकरण नहीं हो सकता था।

**एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता में तैल चित्रों का नवीकरण**

**एशियाटिक सोसायटी में संरक्षण प्रयोगशाला मुख्यतः दुर्लभ पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों के नवीकरण में संलग्न थी। एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के पास 78 तैल चित्र थे। 2005-06 में इन चित्रों के नवीकरण का कार्य नोएडा स्थित एक एजेंसी को सौंपा गया था। मनमाने ढंग से चयनित इस एजेंसी द्वारा 60 चित्रों का दस चरणों में (प्रत्येक चरण में 6) नवीकरण प्रस्तावित था। तथापि, जून 2012 तक केवल 26 चित्रों का ही नवीकरण किया गया था।**

**इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद** में संरक्षण हेतु प्राप्त वस्तुओं में 1.80 *प्रतिशत* से 23.54 *प्रतिशत* तक संरक्षण कार्य शुरू किया गया था।

सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में 136 भारतीय आधुनिक चित्रों को सितम्बर 2008 से भण्डार-गृह में रखा गया था और उन्हें समुचित रूप से संरक्षित नहीं किया गया था, उन पर धूल जम गयी थी जिसके कारण उन्हें क्षति पहुँच सकती थी।

संग्रहालय ने अपने उत्तर (अगस्त 2012) में बताया कि चित्रों को इस दशा में इसलिए रखा गया था क्योंकि जगह की कमी थी और भीड़भाड़ से रोलर अस्थिर हो जाएगा। तथ्य यही हैं कि चित्रों के समुचित परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें तत्काल आवरण तथा सुविधाजनक रोलरों में टांगने की आवश्यकता थी।

**सर्वोत्तम प्रथाएं:**

**छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इसके अधीन सभी वस्तुओं का संरक्षण कार्य करने के लिए नियमित सर्वेक्षण करता है। ये सर्वेक्षण आवर्तन द्वारा दोहराये जाते थे। कलाकृतियों को उनकी दशा के अनुसार वर्गीकृत किया गया था और उपचार हेतु प्राथमिकता प्रदान की गयी थी। संग्रहालय केन्द्र वस्तु रजिस्टर में उपचार हेतु वस्तुओं की प्राप्ति और वापसी के क्रम को कालानुक्रमानुसार रखा गया था।**

कार्य-स्थल संग्रहालयों में पुरावस्तुओं के नवीकरण तथा संरक्षण हेतु कोई संरक्षण स्कंध नहीं था। संग्रहालय ने वीथियों और भण्डारों में रखी कलाकृतियों की आवधिक रूप से अवस्था तय करने के लिए कोई योजना नहीं बनायी थी।

**हजारद्वारी महल संग्रहालय (ह.दु.म.सं.), कोलकाता** परिमण्डल, की वीथि में प्रदर्शित 179 चित्रों मे से, 55 चित्र क्षतिग्रस्त स्थिति में थे। भण्डार में रखे गये 318 में से 302 चित्र भी क्षतिग्रस्त थे तथा 30 चित्रों के तत्काल संरक्षण/नवीकरण की आवश्यकता थी। ह.दु.म.सं. में 77 अरबी पाण्ड़लिपियों में से 36 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थीं और 760 फारसी पाण्डुलिपियां भी खराब दशा में थीं। हजारद्वारी महल संग्रहालय ने पाण्डुलिपियों पर जिल्द चढ़ाकर उन्हें और भी खराब कर दिया था।

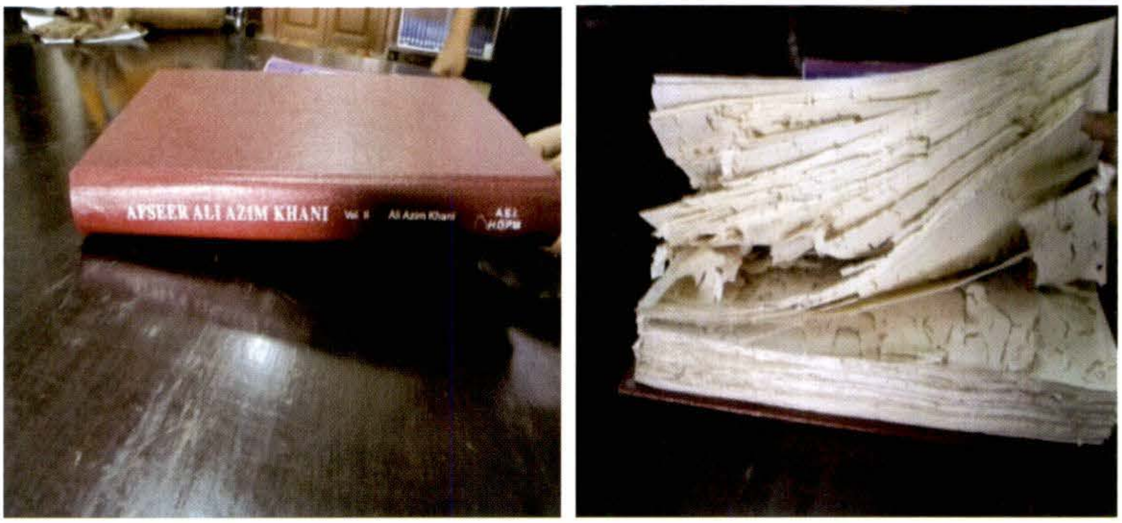


हजारद्वारी महल संग्रहालय में पाण्डुलिपियों की दशा

***अनुशंसाएं 6.6:*** *संग्रहालय को नवीकरण/संरक्षण की जरूरत वाली कला वस्तुओं की पहचान करने के लिए समुचित तंत्र विकसित करना चाहिए और उनके नवीकरण हेतु कार्यक्रम बनाना चाहिए।*

## 6.9 अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान संग्रहालयों के प्रमुख कार्यों में से एक है, जिसके द्वारा संग्रह की गई सामग्रियों एवं वस्तुओं के बारे में विभिन्न हितधारकों को उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध करायी जा सकती है।



**विदेशों में सर्वोत्तम प्रथाएं: विक्टोरिया एवं अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन**

संग्रहालय विश्व भर में सहयोगियों के साथ अपने अनुभव बाँटता है और वाह्य संस्थाओं के अनेक सहभागिताओं से भी लाभ प्राप्त करता है। यह संरक्षण एवं संरक्षण विज्ञान में ईटर्नशिप तथा कार्य नियुक्तियों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं विकास भी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सहभागिता परियोजनाएं भी नियमित आधार पर चलाई जा रही है।

**ब्रिटिश संग्रहालय**

संग्रहालय, में विस्तारित अवधि में अन्य संग्रहालय विभागों एवं अन्य संस्थाओं दोनों ही के सहयोगियों की सहभागिता से संरक्षण अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आयोजित करता है। नयी चुनौतियों और उनके समाधान हेतु संग्रहालयों, संरक्षकों एवं वैज्ञानिकों के सम्मिलित प्रयासों वाले अंतः विषय अध्ययन शुरू किए जाते है।

भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय तथा एशियाटिक सोसायटी ने कोई अनुसंधान कार्य शुरू नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, वि.मो.हॉ. ने केवल संरक्षण अनुसंधान[47] किया और वैज्ञानिक अनुसंधान[48] शुरू नहीं किया था।

हमने पाया कि भारतीय संग्रहालय वि.मे.हॉ. तथा एशियाटिक सोसायटी के पास वैज्ञानिक संरक्षण के अनुसंधान एवं विकास हेतु कोई परिष्कृत साधन एवं प्रौद्योगिकी नहीं थी। संग्रहालय में संरक्षण/नवीकरण के क्षेत्र में प्रचलित तकनीकों/प्रक्रियाओं पर कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

## 6.10 कलाकृतियों के अंकरूपण एवं प्रलेखन

### 6.10.1 भा.पु.सं. में प्रलेखन की स्थिति

भा.पु.स. में, 1947 के पूर्व देश से बाहर ले जाए गए पुरावस्तुओं का कोई प्रलेखन नहीं था और इसलिए ऐसे पुरावशेषों की पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त, हमने

---

47 संरक्षण अनुसंधान में कलाकृतियों अथवा जिनसे वह निर्मित है उन सामग्रियों के क्षय या एक पार्श्वता का अध्ययन सम्मिलित है।

48 वैज्ञानिक अनुसंधान निर्माण प्रौद्योगिकी और संग्रह की वस्तुओं के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

पु.ब.कला. अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन के पूर्व देश से बाहर ले जाये गये कला वस्तुओं के कई मामले देखे थे जिन्हें प्रलेखन के अभाव में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका था।

**विक्टोरिया एवं अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन में स्टेन संग्रह के उधार पर दिये गये पुरावस्तु**

औरेल स्टेन का संग्रह शायद मध्य एशिया कला का सबसे बड़ा संग्रह है जिसमें चीनी, तिब्बती तथा तंगुट पाण्डुलिपियां, चित्र, कपड़ों के टुकड़े, चीनी मिट्टी, बौद्ध कला वस्तुएं, प्राकृत लकड़ी के तख्ते, हजारों अन्य कला वस्तुएं एवं दस्तावेज शामिल है। अभी यह संग्रह भारत में राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय, कोलकाता तथा श्रीनगर संग्रहालय में मौजूद है। इस संग्रह की 700 वस्तुओं को भा.पु.स. द्वारा 1923 और 1933 के मध्य में वि. एवं. अ. संग्रहालय, यू.के. को उधार पर दिया गया था। अभिलेखों के अनुसार, ये पुरावशेष अभी भी "भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्वामित्म में" तथा उधार पर दी गयी थीं। हालांकि, हमें भा.पु.स. द्वारा उनकी पुनः प्राप्ति के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे।

**नज़राना सोने के सिक्के**

हैदराबाद राज्य के विलय के बाद, हैदराबाद के निजाम और भारतीय संघ के मध्य 1950 में हुए एक अनुबंध के अंतर्गत निजाम को व्यक्तिगत उपयोग हेतु कुछ गहने और ऐसी अन्य वस्तुओं को अपने पास रखने की अनुमति दी गयी थी। भूतपूर्व निजाम से सम्बद्ध दो विशालकाय "नज़राना सोने के मोहर सिक्कों" को उसके उत्तराधिकारी द्वारा अवैध रूप से हथिया लिया गया और 1988 में जिनेवा के इण्डो-स्विज बैंक में 60 लाख अमेरीकी डॉलर के ऋण के लिए प्रतिभू के रूप में गिरवी रख दिया गया था। ये निजाम को अपने पास रखने की अनुमति वाली वस्तुओं की सूची में नहीं दिखाये गये थे और न ही श्री मुकाराम जाह द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में उनके राज्यारोहण के समय ही उनकी घोषणा की गयी थी। सिक्कों के स्वामित्व पर समुचित प्रलेखन के अभाव में, भा.पु.स. सिक्कों की क्षति-पूर्ति नहीं प्राप्त कर सका। सिक्के अभी इण्डो-स्विज बैंक जिनेवा के अधिकार में हैं।

भा.पु.स. ने बताया (अक्तूबर 2012) कि अधिनियम के लागू होने के पहले जिन वस्तुओं को देश के बाहर ले जाया गया था उनकी क्षति-पूर्ति इसके नियंत्रण में नहीं थी। इसलिए उनकी क्षति-पूर्ति के लिए उन्हें अन्य देशों के सद्भाव पर निर्भर रहना पड़ रहा था।

### 6.10.2 पुरावस्तुओं के डाटाबेस का अभाव

भा.पु.स. मूर्तिकला शेडों, परिमण्डलों, भण्डारों, उत्खनन शाखाओं तथा 44 कार्य-स्थल संग्रहालयों में पुरावशेषों का संकलन और भण्डारण कर रहा था।

**हमने देखा कि संरक्षित स्मारकों के मामले में, भा.पु.स. अपने पास मौजूद पुरावशेषों की संख्या से अनभिज्ञ था क्योंकि भा.पु.स. द्वारा पुरावशेषों की कोई डेटावेस या वस्तु सूची नहीं बनायी गयी थी। भा.पु.स. मुख्यालय की पुरावशेष शाखा के पास पुरावशेषों की शाखा वार सूची उपलब्ध नहीं थीं। किसी केन्द्रीकृत सूचना के अभाव में, पुरावशेषों के गुम होने की बड़ी संभावना थी।**

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि पुरावशेषों का केन्द्रीकृत डाटा, डिजिटलीकरण प्रक्रिया के बाद ही हो बन सकती है जिस पर काम चल रहा है।

***अनुशंसा 6.7:*** *भा.पु.स. को विभिन्न स्थानों पर संचित पुरावशेषों के सभी विवरण के प्रलेखन हेतु पुरावशेषों का एक केन्द्रीकृत और डिजिटलीकृत डाटाबेस विकसित करना चाहिए।*



### 6.10.3 संग्रहालयों में प्रलेखन की स्थिति

हमने संग्रहालयों में कला वस्तुओं का निम्नस्तरीय प्रलेखन और डिजिटलीकरण देखा जो उन्हें गुम/चोरी के प्रति सुभेद्य बना रहा है।

हमने पाया कि **राष्ट्रीय संग्रहालय** की फोटोग्राफी इकाई को प्रत्येक कला वस्तुओं की तस्वीरें रखनी थीं। तथापि, संग्रहालय के पास कला वस्तुओं के रूप में प्रलेखित 205981 वस्तुओं में से 175409 व्स्तुओं की तस्वीरें थीं।

205981 कलाकृतियों में से, संग्रहालय ने केवल 2769 पाण्डुलिपियों और 2089 (एए वर्ग[49]) वस्तुओं को डिजिटलीकृत किया था।

**ए.सो.को.** के पास कई दुर्लभ प्राचीन तथा समसामयिक पाण्डुलिपियां थीं परंतु 50543 पाण्डुलिपियों में केवल 2467 पाण्डुलिपियों को मार्च 2012 तक डिजिटलीकृत किया गया था।

### 6.10.4 संग्रहालयों द्वारा डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में सूचित की गयी बाधाएं

- **एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता** ने दुर्लभ पुस्तकों के डिजिटलीकरण के कार्य को 2009 में यह कहकर रोक दिया था कि पुस्तकें डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में क्षतिग्रस्त हो गयी थीं।

- **सालार जंग संग्रहालय** ने बताया कि रंगीन स्कैनर की अनुपलब्धता के कारण केवल 4.15 *प्रतिशत* कला वस्तुओं, 59 *प्रतिशत* पुस्तकालय की पुस्तकों और 5 *प्रतिशत* पाण्डुलिपियों को ही अगस्त 2012 तक डिजिटलीकृत करने में ही वह सक्षम था।

[49] कलाकृतियों की दुर्लभतम सर्वश्रेष्ट कृतियां, अपने तरह की अकेली, नाजुक होने के कारण परिवहन योग्य नहीं आदि और सी डी प्रारूप में डिजिटलीकृत।

- **भारतीय संग्रहालय** ने कला वस्तुओं के डिजिटलीकरण हेतु काई नीति/प्रक्रिया नहीं अपनायी थी। संग्रहालय के पास इस गतिविधि को पूरा करने के लिए कोई कार्य योजना नहीं थी।

- **विक्टोरिया मेमोरियल हाल** में 28394 वस्तुओं में से 23415 वस्तुओं का आंतरिक फोटो-प्रलेखन तथा डिजिटलीकरण पूर्ण हो चुका था। इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस सॉफ्टवेयर आभासी संग्रहालय निर्माता जतन, जिसे तस्वीरों सहित वस्तुओं के विवरण को ऑनलाइन प्रदर्शित करने के लिए संस्थापित किया गया था, डाटाबेस में तस्वीरें कैद करने में सक्षम नहीं था। जनवरी 2013 तक तस्वीरों के बगैर ही 11368 वस्तुओं की प्रविष्टि की गयी थी।



लेखापरीक्षा ने पाया कि नालंदा (पटना परिमण्डल), बोधगया (पटना परिमण्डल), लोथल (बड़ोदरा परिमंडल), हलेबिदु (बेंगलुरू परिमण्डल), हम्पी (बैगलूरू परिमंडल) तथा खजुराहो (भोपाल परिमण्डल) के संग्रहालयों को छोड़कर यह कार्य और कहीं पूरा नहीं हुआ था।

किला संग्रहालय (चैन्नई परिमण्डल) में, परिग्रहण रजिस्टर के अनुसार 3661 वास्तविक रूप से उपलबध पुरावशेषों के प्रति 4111 पुरावशेष पंजीकृत थे।

भा.पु.स. ने (दिसम्बर 2012), सहमत होते हुए बताया कि विस्तृत प्रलेखन का अभाव था जिसके लिए आवश्यक कदम उठाये गये थे।

## 6.11 चोरी एवं जब्त पुरावस्तु

संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षणों के दौरान हमने पाया कि 1981 से 2012 तक स्थल संग्रहालय से 37 पुरावशेष एवं स्मारकों/स्थलों से 131 पुरावशेष चोरी हो गए थे। हमने यह भी पाया कि पटना परिमंडल से एक गरूड़ की प्रतिमा और दो बुद्ध प्रतिमा 2005 से अररिया पुलिस स्टेशन के पास पड़े हुए थे। इस प्रकार भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली के चार पुरावशेष दरियागंज पुलिस स्टेशन के पास 1989 से पड़े थे।

भा.पु.स. ने सूचित किया कि सभी लापता पुरावशेषों हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुरावस्तुओं की चोरी की रिपोर्ट के पश्चात् तुरंत सभी अभिकरणों, सीमा-शुल्क निकास चैनल तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो-इंटरपोल को छानबीन नोटिस जारी कर दिए गए थे। हालांकि, हमने पाया कि इस स्थिति में, दुनियाभर में संगठनों ने इस क्षेत्र के विद्वानों को सूचित करने एवं नीलामी घरों और व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से चोरी हुई वस्तुओं की तस्वीरें भेजने, अंतर्राष्ट्रीय कला हानि रजिस्ट्री में चोरी के बारे में सूचना की जानकारी भेजने, वेबसाइट पर ऐसी चोरी का समाचार पोस्ट करने, अंतर्राष्ट्रीय नीलामी घरों की सूची की जांच समेत कई और प्रभावी कदम उठाए थे।

हमने पाया कि भा.पु.स. ने सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय नीलामी घरों जैसे सोथबी, क्रीस्टी आदि पर बिक्री के लिए लगाए गए भारतीय पुरावस्तुओं में कभी भी भागीदारी नहीं की या सूचना एकत्रित नहीं की क्योंकि पु.क.को. अधिनियम, 1972 में ऐसा करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। हमने राष्ट्रीय महत्व के पुरावस्तुओं को विदेशों में बेचे जाने एवं प्रदर्शित किए जाने के विभिन्न उदाहरण पाए। (राजा भोज से संबंधित सरस्वती की मूर्ति, ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन में है)।

कई देशों ने अपने खजाने को वसूल करने के लिए जोर शोर से अभियान की शुरूआत कर दी थी। इस संदर्भ में इटली, ग्रीस, चीन आदि ने पहलें की थीं। मंत्रालय के पास इस प्रकार के अतिसक्रिय कार्रवाई के लिए कोई कार्यनीति नहीं थी।

अपनी जिम्मेदारियों के अंश के रूप में, चोरी किए गए या अवैध रूप से निर्यात किए कला वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए भा.पु.सं. भी एक नोडल अभिकरण था। 1976 से 2001 तक, भा.पु.स. द्वारा विदेश से या तो कानूनी तरीके से, क्षतिपूर्ति अनुबंध, स्वैच्छिक अनुबंध द्वारा या फिर मामले के निपटान के बगैर के माध्यम से पुनः प्राप्त किए। लेकिन 2001 के बाद भा.पु.सं. इस तरह की किसी भी सफलता को हासिल करने में असमर्थ था।

***अनुशंसा 6.8:*** *चुराए गए या अवैध रूप से अन्य देशों को निर्यात की गई भारतीय कला वस्तुओं की पुनः प्राप्ति हेतु अधिक ठोस दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस उद्देश्य हेतु नोडल अभिकरण के रूप में भा.पु.स. को अपने प्रयासों में अधिक सक्रिय एवं सतर्क होने की आवश्यकता है तथा मंत्रालय को इस के लिए सक्रिय कार्यनीति विकसित करने की आवश्यकता है।*

मंत्रालय ने (मई 2013) बताया कि जब भी कोई पुरावशेष विदेश में पहुँच जाती है तब भा.पु.सं. उसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है।

### 6.11.1 जब्त पुरावस्तुओं से जुड़े न्यायालयी मामले

भा.पु.स. में यह शक्ति निहित थी कि वह अपना मत दे सके कि क्या जब्त पुरावशेष प्रामाणिक है। हमने पाया कि इस कार्य में विलंब एवं अपर्याप्तताएं थीं।

i. जून 1994 में, एक आस्ट्रेलियन नागरिक, डॉ.वी.जे.ए. फ्लीन, को दिल्ली में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्राचीन सिक्कों के साथ पकड़ा गया था। भा.पु.स. द्वारा फोटोग्राफी में अत्यधिक विलंब के कारण, 18 वर्षों के बीत जाने के बावजूद भी मामला उप-न्यायाधीन था। भा.पु.स. डॉ. फ्लीन द्वारा अमेरिकी डॉलर $11,00,000 की क्षति का दावा करते हुए एक मानहानि मामले का भी सामना कर रहा था। भा.पु.स. ने बताया कि (अक्तूबर 2012) विलंब "प्रक्रियात्मक" था।

ii. नवम्बर 2010 में, भा.पु.सं. दिल्ली परिमंडल ने, आई.टी.सी. शेराटन होटल, नई दिल्ली में हो रही नीलामी की आकस्मिक जांच की और नीलामी हेतु लाए गए राजा रवि वर्मा के चार चित्रों को पुरावस्तु घोषित किया। 1979 में राजपत्र अधिसूचना द्वारा पु.ब.कला. अधिनियम, 1972 के अंतर्गत इन चित्रों को कलाकृतियां[50] घोषित किया गया था। राजा रवि वर्मा के वंशज द्वारा इस मामले को न्यायालय में ले जाया गया था। न्यायालय ने चित्रों के पंजीकरण के बारे में सूचना मांगी, जिसे भा.पु.स. न्यायालय को प्रदान करने में विफल हुआ।

दिसम्बर 2012 में भा.पु.स. को अभी तक यह निर्णय लेना था कि क्या यह राजा रवि वर्मा का मूल कार्य है और कलाकृतियों को पुरावशेष के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।



## 6.12 पुरावस्तुओं का निर्यात एवं विदेश में प्रदर्शनियों हेतु उनका स्थानांतरण

### 6.12.1 गैर पुरावस्तु प्रमाणपत्रों का प्रदान किया जाना

अधीक्षण पुरातत्वविद की अध्यक्षता में विशेषज्ञ सलाहकार समिति[51] के माध्यम से निर्यात के लिए मान्य वस्तुओं को गैर पुरावशेष प्रमाणपत्रों को जारी किया जाता है। मा.नि.,भा.पु.स. की अध्यक्षता में अपीलीय समिति उन सभी आवेदनों पर निर्णय लेता है जो कि विशेषज्ञ सलाहकार समिति की कार्रवाई से विवाद में आते हैं।

**हमने पाया कि भा.पु.स. परिमंडलों में निर्यात से पहले हेरा फेरी रोकने के लिए आवश्यक मुद्रांकन बिना ही, वस्तु के निरीक्षण मात्र के पश्चात् शुल्क रहित प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त भा.पु.स. ने इन प्रमाणपत्रों को प्रदान किए जाने के लिए किसी भी केन्द्रीकृत सूचना का अनुरक्षण नहीं किया था।**

इन नियंत्रणों की अनुपस्थिति में, गैर-पुरावशेष प्रमाणपत्र को प्रदान किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया में गलत अभ्यास की पूरी संभावना थी।

2003 में "विशेषज्ञ समिति" द्वारा दो कला वस्तुएं पुरावशेषों के रूप में घोषित की गई थीं जिसे न्यायालय में जब चुनौती दी गई तब वस्तुओं की अन्य विशेषज्ञ समित द्वारा पुनः जांच की गई जिसमें निष्कर्ष दिया कि दो वस्तुओं में से केवल एक ही पुरावशेष था। इस मामले ने गैर

---

[50] कलाकृतियाँ का अर्थ है कि पुरावशेष न होते हुए भी कोई मानव कला का कार्य, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा उसके कलात्मक या सौदर्यात्मक मूल्य को देखते हुए अधिनियम के उद्देश्य से कलामूर्ति घोषित किया गया हो, बशर्ते जब तक रचयिता जीवित हो तब तक ऐसे किसी कार्य या कला के संबंध में ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा सकती है।

[51] बाह्य विशेषज्ञों के साथ

पुरावशेष प्रमाणपत्र को प्रदान करने से पहले विस्तृत जांच शुरू किए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

### 6.12.2 भूटान में बौद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी

संस्कृति मंत्रालय की अनुमति के बिना ही भा.पु.स. ने विदेश में पुरावशेषों की प्रदर्शनी हेतु अस्थाई निर्यात की अनुज्ञा प्रदान कर दी। हमने पाया कि दिशानिर्देशों के उल्लंघन करते हुए भा.पु.स. ने 2011 में भूटान को तीन बौद्ध अवशेष भेजे थे।

भा.पु.स. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि प्रस्ताव को अंतर्मंत्रालय समिति के समक्ष नहीं रखा गया था क्योंकि उनकी बैठक प्रस्ताव को प्राप्त करने से पूर्व ही हो गई थी।

### 6.12.3 कन्वेंशन पर हस्ताक्षर न करना

हमने पाया कि 1977 में भारत ने अवैध निर्यात तथा सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व के स्थानांतरण को प्रतिबंधित करने एवं रोकने के साधन, आयात, पैरिस, 1970 के सम्मेलन का अनुसमर्थन किया। तत्पश्चात चुराई गई कला वस्तुओं की पुनः प्राप्ति के लिए कोई अन्य बहुपक्षीय या द्विपक्षीय साधन पर हस्ताक्षर या अनुसमर्थन नहीं किया गया था।

***अनुशंसा 6.9:*** *मंत्रालय को संगठन के स्वभित्व वाले पुरावशेषों के प्रबंधन हेतु एक व्यापक नीति बनानी चाहिए।*

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि भा.पु.स. पुरावशेषों पर व्यापक नीति को बनाने की दिशा में कार्य करेगा ।

## 6.13 भा.पु.स. के स्थल संग्रहालय

अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अनुसार संग्रहालय समाज की सेवा और उसके विकास के लिए एक अलाभकारी स्थायी संस्थान है जो अध्ययन, शिक्षा एवं आनन्द के उद्देश्य से आम लोगों के लिए खुला है तथा लोगों के मूर्त एवं अमूर्त साक्ष्यों एवं उनके वातावरण का अधिग्रहण, संरक्षण, अनुसंधान, संचार एवं प्रदर्शनी करता है।

1904 में स्थापित सारनाथ संग्रहालय भारत का पहला संग्रहालय था।

**स्थल संग्रहालयों में, क्षेत्र के विशिष्ट पुरातात्विक/ऐतिहासिक पदार्थ, स्थल के काफी निकट प्रदर्शित किए गए थे। यह अधिकतर स्मारक के भीतर या उत्खनित स्थलों के पास ही स्थित थे जबकि अन्य संग्रहालय अलग संस्था थे।**

मार्च 2012 को, भा.पु.स. के पास 44 स्थल संग्रहालय थे। हमने स्थल संग्रहालयों की स्थापना विकास एवं अनुरक्षण,में निम्न कमियां पाईं।

### 6.13.1 स्थल संग्रहालयों को स्थापित करने हेतु मानदंड

महानिदेशक, भा.पु.स. के निदेशक (संग्रहालय) द्वारा स्थल संग्रहालयों का प्रबंध देखा जाता है। हमने पाया कि 1960, 1977, 1998, 2010, 2012 में वृद्धि और विकास के लिए स्थल संग्रहालयों के पुनर्संगठन के प्रयास किये गये। पुरातात्विक अधिकारी (स.अ.पु. या उससे उच्च) से निरीक्षण कराकर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार भा.पु.स. स्थल संग्रहालय स्थापित किए गए थे। अन्य कोई दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं थे। वास्तविक स्थिति को स्वीकारते हुए मंत्रालय ने बताया कि अगले कुछ वर्षों में भा.पु.स. को अपने स्थल संग्रहालयों की कार्यपद्धति एवं स्थापना के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य योजना एवं नीति बनाने की जरूरत है।



***अनुशंसा 6.10:*** *भा.पु.स. को स्थल संग्रहालयों कार्य प्रणाली एवं स्थापना हेतु विस्तृत दिशानिर्देशों को विकसित करने की आवश्यकता है।*

### 6.13.2 नए स्थल संग्रहालयों की स्थापना

i. 2006 के बाद कोई नया स्थल संग्रहालय नहीं खोला गया था और नए स्थल संग्रहालय को खोलने के लिए कोई कार्य योजना/लक्ष्य भी नहीं था। नए स्थल संग्रहालयों को नहीं खोलने के लिए निधियों एवं मानव संसाधन की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया (दिसम्बर 2012)। पुरातत्विक संग्रहालय, धोलावीरा, गुजरात आखिरी संग्रहालय का जिसे 2006 में संसदीय आश्वासन के पश्चात खोला गया था। हालांकि, उत्खनित पुरावशेष अभी तक संग्रहालय को सौंपे नहीं गए थे (दिसम्बर 2012) जिससे संग्रहालय को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य को निष्फल कर दिया। भा.पु.स. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि धोलावीरा उत्खनन की रिपोर्ट लेखन प्रगति में थी तथा प्रतिवेदन के पूरा होने के पश्चात् ही चयनित पुरावस्तु संग्रहालय में स्थानांतरित किए जा सकते थे। हालांकि, उत्तर में कोई समयसीमा नहीं दर्शाई गई थी।

ii. पुरावशेष एवं संग्रहालय हेतु के.स.पु.बो. की उप-समिति ने चंद्रकेतुगढ़ (पश्चिम बंगाल), राखीगढ़ी (हरियाणा), बनावली (हरियाणा), देवघर (म.प्र.), पाटन (गुजरात) जैसे विभिन्न स्थानों पर पुरातात्विक वस्तुओं के मूल्यवान संग्रह वाले स्थल संग्रहालय खोलने की अनुशंसा की। हालांकि, दिसम्बर 2012 तक प्रगति सूचक कोई सूचना नहीं थी।

iii. पीपरवाह (उ.प्र.) और शिवपुरी (म.प्र.) में स्थल संग्रहालय खोलने का प्रस्ताव 2009 से प्रक्रियाधीन था लेकिन स्थल संग्रहालय अभी तक खोले नहीं गए थे। भा.पु.स. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि राज्य सरकारों ने जल ठहराव वाले निचले स्तर के क्षेत्र में भवनों का

निर्माण किया था तथा उन भवनों में मूल्यवान पुरावशेषों के स्थानांतरण में यही मुख्य बाधा थी। इस विषय पर उपचारी कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों से बातचीत की गई थी।

iv. ललितगिरी, ओड़ीसा का एकमात्र ऐसा स्थल था जिसमें 1985 से 1992 तक संचालित उत्खननों में चार-तह वाले ताबूत में बौद्ध अवशेष पाए गए थे। 2007 में भा.पु.स. ने बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए ललितगिरी में स्थल संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। तथापित, स्थल संग्रहालय अभी बनाया जाना था (दिसम्बर 2012) तथा भवन योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना था।



v. असम विधानसभा के अध्यक्ष ने 1998 में बमुनी पहाड़ी पर मेसनरी अवशेषों के स्थल के दौरे के दौरान, स्थल के निकट अपरिष्कृत भवन में स्थल संग्रहालय को स्थापित करने का सुझाव दिया। हमने पाया कि फरवरी 2001 से 2003 के दौरान भूमि एवं भवन के अधिग्रहण के प्रति ₹ 33.11 लाख का भुगतान किया गया था तथा 2007-08 से 2011-12 के दौरान भवन के विकास हेतु ₹ 29.13 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। हालांकि, स्थल संग्रहालय अभी तक स्थापित नहीं हुआ था।

vi. जुलाई 2000 में, फतेहपुर सिकरी में एक स्थल संग्रहालय को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ₹ 63.24 लाख का व्यय करने के बावजूद स्थल संग्रहालय नहीं खोला गया था (दिसम्बर 2012)।

vii. लखनऊ परिमण्डल में, एक स्थल संग्रहालय को स्थापित करने के लिए 2002-03 में ₹ 4.91 लाख की लागत पर एक बड़े कमरे का निर्माण किया गया था लेकिन आज तक इसे स्थापित नहीं किया जा सका था (नवम्बर 2012)।

## 6.13.3 मूर्तिकला शेड को स्थल संग्रहालय में परिवर्तित करने में विफलता

उत्खनित स्थल के सान्निध्य में पुरावशेषों को रखने के प्रयोजन स्थल संग्रहालयों का सृजन किया जाता है ताकि पुरातात्विक संदर्भ को बनाए रखा जा सके।

2009 में केन्द्रीय पुरातात्विक सलाहकारी बोर्ड की उप समिति ने 35 से अधिक मूर्तिकला एवं शेडों[52] तथा मूल्यवान पुरावशेषों वाले 38 अन्य स्थलों को स्थल संग्रहालयों में बदलने की अनुशंसा की। इस संदर्भ में हमने कोई प्रगति नहीं पाई।

स्थल दौरों के दौरान हमने मूर्तिकला शेडों की कम-उपयोगिता के मामले पाए क्योंकि पुरावस्तु उनमें नहीं रखे गए थे इस प्रकार मूर्तिकला शेडों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ।

---

[52] मूर्तिकला शेड एक ऐसी जगह है जहाँ स्थल तथा आसपास के क्षेत्र से संबंधित पुरातात्विक अवशेषों को एक शेड के नीचे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है।

हमने पाया कि पुरावस्तु स्थल/परिमंडल/मूर्तिकला शेडों में बिखरे हुए थे तथा भा.पु.स. स्थल संग्रहालयों का विकास करने में विफल रहा जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

i) वर्ष 2003-04 में कोलकाता परिमंडल में सिक्किम के रबदंतसे स्थल में एक मूर्तिकला शेड का निर्माण रबदंतसे स्थल से पाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी की दृष्टि से किया गया था। मूर्तिकला शेड के प्रदर्शनी क्षेत्र को बढ़ाने एवं उसके सुदृढ़ीकरण हेतु 2009-10 में ₹ 8.31 लाख का व्यय भी किया गया था। हालांकि स्थल दौरों के दौरान हमने पाया कि मूर्तिकला शेड के दीवार पर लगाए गए 12 शीशे के डिब्बे खाली थे तथा केवल 69 मूर्तिकला एवं 48 अन्य वस्तुएं, शेड में बिना किसी प्राप्ति संख्या के ही प्रदर्शित किए गए थे। रबदंतसे स्थल से पाए गए कुछ पुरावस्तु, भा.पु.स. के कार्यालय, सिक्किम उप-परिमंडल, गीज़ींग में परिग्रहण के बिना ही प्लास्टिक की थैली में पड़े थे।

रबदंतसे स्थल, कोलकाता परिमंडल में मूर्तिकला शेड में शीशे के डिब्बे तथा नीचे रखे गए पुरावस्तु

**बानगढ़, पश्चिम बंगाल में खाली मूर्तिकला शेड**

**2009-10 में बानगढ़ स्थल में रू 5.71 लाख की लागत से एक मूर्तिकला शेड का निर्माण किया गया था। तथापि, यह अप्रयुक्त पड़ा हुआ था। क्योंकि निकट के गांव से पाई गई एक पत्थर की मूर्तिकला, दो लकड़ी के टुकड़े तथा बानगठ उत्खनन से पाए गए कुछ टेराकोटा टाइल्स जो बिना परिग्रहसण[53] के इस मूर्तिकला शेड में रखे गए था। बानगढ़ उत्खनन से पाए गए 1246 पुरावस्तुओं में से शेष मद, परिमंडल कार्यालय, कोलकाता में रखे हुए थे।**

***अनुशंसा 6.11:*** *भा.पु.स. को उपरोक्त मूर्तिकला शेडों के उपयोग तथा स्थलों पर संग्रहालय को विकसित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।*

53 निर्धारित प्रारूप में पुरावस्तुओं का प्रलेखन

## 6.13.4 पुरावस्तुओं की स्थिति

भा.पु.स. से, एक विशेष संस्कृति, सामाजिक आर्थिक इतिहास की पहचान हेतु सभी प्रकार की कला एवं संस्कृति एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रसार, किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, हमने पाया कि पुरावशेषों को परिमण्डल कार्यालयों, उत्खनन शाखाओं, स्मारकों/स्थलों में रखा गया था जैसा कि नीचे दिया गया है। यह अवशेष उचित रूप से प्रदर्शित नहीं किए गए थेः

**तालिका 6.4 पुरावशेषों की स्थिति**

| क्र.सं. | स्थान जहाँ रखे गए थे | पुरावशेषों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | चेन्नई परिमण्डल कार्यालय | अधीचनाल्लूर, सिरूथवुर एवं मल्लयादीपती में संचालित उत्खनन से बरामद किए गए 395 पुरावशेष। |
| 2. | भोपाल परिमण्डल का भंडार कक्ष | भोपाल परिमण्डल (बुरहानपुर, जबलपुर, रायसेन, रेवा, सागर एवं साँची) के 6 उप-परिमंडलों में 3486 पुरावशेष भंडार में पड़े थे। |
| 3. | जयपुर परिमंडल एवं स्मारक स्थलों के भंडार कक्ष | स्मारक स्थल के 10265 पुरावशेषों तथा उत्खनित स्थल के 2881 पुरावशेषों का भंडार कक्षों में ढेर लगा था। |
| 4. | उत्खनन शाखा, नागपुर | 2007-09 से 2011-12 के दौरान उत्खनन में मिले 2949 पुरावशेष भंडार में रखे हुए थे। |
| 5. | बड़ोदरा परिमण्डल | 2000 से ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए पुरावशेषों का चार अलमारियों में ढेर लगा था। |
| | | दीव किले, दीव के भंडार में 228 लोहे के तोप के गोलों का ढेर लगा हुआ था।<br>2160 तोप के गोले (किले को छोड़ते समय पुर्तगालियों द्वारा छोड़ दी गई थी) परिसर/बगीचा क्षेत्र में बिखरे पड़े थे। इन्हें सूचीबद्ध भी नहीं किया गया था। |
| | | बड़ोदरा परिमण्डल के उप परिमंडल कार्यालय (पाटन) के एक भंडार कक्ष में 100 से अधिक मूर्तिकलाएं रखी हुई थी। |
| | | उप परिमण्डल, पाटन के निकट एक शेड में 300 मूर्तिकलाएं रखी हुई थीं। |
| 6. | ओड़ीसा परिमण्डल | उत्खनन शाखा द्वारा भंडार कक्ष में 5915 पुरावशेष रखे गए थे। |

| | | |
|---|---|---|
| **7.** | श्रीनगर परिमण्डल | पिछले एक से 42 वर्षों से कार्यालय परिसर में 2724 कलाकृतियों का ढेर पड़ा था। परिमण्डल में कोई स्थल संग्रहालय नहीं था। फतेहगढ़ के प्राचीन मंदिर से संबंधित मूर्ति, जिसे जमीन से खोदकर निकाला गया था, को किराए के निजी कक्ष में रखा गया था। |
| **8.** | चंडीगढ़ परिमंडल | 1028 पुरावशेष एवं 70 चांदी के सिक्कों का कार्यालय परिसर में ढेर लगा था। |
| **9.** | पटना परिमण्डल | 1978 एवं 1989 के उत्खनन में पाए गए 973 पुरावशेषों का पटना परिमंडल कार्यालय में ढेर लगा था। |
| **10.** | जयपुर परिमण्डल | 16 स्मारकों में **(ब्यौरा अनुबंध 6.3 में)** पुराने नक्काशी वाले पत्थर, स्तंभ, मूर्तियां, प्रतिमाओं जैसे पुरावशेष बिखरे हुए थे। |
| **11.** | हैदराबाद परिमण्डल | अलिखित एवं अबंद्ध प्रतिमाएं स्मारकों में पड़े थे। |
| **12.** | बेंगलुरू परिमण्डल | उत्खनित मूर्तियां एवं पुरावशेष होयसलेश्वारा मंदिर, हलेबीडु के सामने के उत्खनित स्थल तथा होयसलेष्वार मंदिर परिसर में बिखरे हुए मिले थे। इन्हें सूचीबद्ध नहीं किया गया था। |



इस प्रकार, भा.पु.स. विभिन्न मामलों में स्थल संग्रहालयों एवं मूर्तिकला शेडों को विकसित करने में विफल हुई थी।

***अनुशंसा 6.12:*** *भा.पु.स. को विभिन्न स्थलों/भंडार/परिमण्डलों/उप-परिमण्डलों में रखे हुए पुरावस्तुओं का भौतिक सत्यापन करने की आवश्यकता है ताकि वह यह सुनिश्चित किया जा सकें कि प्रत्येक उचित रूप से दर्ज, क्रमांकित, तथा अभिलिखित है।*

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि मौजूदा परिग्रहण पंजिका के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा रहा था।

## 6.13.5 चौदह बिन्दुओं वाले सुधार एवं स्थल संग्रहालयों का अद्यतनीकरण

संस्कृति मंत्रालय ने सुरक्षा, जन जागरूकता, आगंतुक सुविधा के अद्यतनीकरण तथा सभी स्थल संग्रहालयों के आधुनिकीकरण हेतु अक्तूबर 2009 में 14 बिन्दुओं वाले संग्रहालय सुधार/दिशानिर्देश जारी किए थे। हालांकि, इन्हें सभी 44 स्थल संग्रहालयों में पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि मंत्रालय इन सुधारों के क्रियान्वयन को मॉनीटर कर रहा था तथा विभिन्न संग्रहालयों के सभी प्रभारी अधिकारियों को संग्रहालय सुधारों को मूलभाव में क्रियान्वित करने के लिए निर्देश जारी किए थे। तथ्य यही है कि कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

## 6.14 कला वस्तुओं का प्रदर्शन एवं अनुरक्षण

### 6.14.1 आवर्तन नीति

संग्रहालय में प्रदर्शित कला वस्तुएं हमारे देश के समृद्ध एवं विविध धरोहर को प्रदर्शित करती हैं। जगह की कमी को देखते हुए, विश्व के सभी संग्रहालयों ने वस्तुओं के प्रदर्शनी के आवधिक आवर्तन हेतु नीति बनाई है। हमने पाया कि लेखापरीक्षा हेतु चयनित संग्रहालयों में कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए आवर्तन नीति को विकसित नहीं किया है। संग्रहालयों के प्रदर्शन विवरण नीचे दिए गए हैं।

**तालिका 6.5 कलाकृतियों के रिजर्व एवं प्रदर्शन का विवरण**

| अनुभाग का नाम | आज तक प्राप्त की गई वस्तुओं की संख्या | प्रदर्शित वस्तुओं की संख्या | रिजर्व में वस्तुओं की संख्या | रिजर्व में कुल वस्तुओं की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय संग्रहालय | 205981 | 7333 | 198252 | 96.24 |
| भारतीय संग्रहालय | 107308 | 1862 | 105446 | 98.26 |
| विक्टोरिया मेमोरियल हॉल | 33493 | 1625 | 31768 | 95.13 |
| एशियाटिक सोसायटी | 54655 | 79 | 54576 | 99.85 |

यह स्पष्ट था कि उपर्युक्त संग्रहालयों में रिजर्व में 95 प्रतिशत से अधिक वस्तुएं पड़ी हुई थी। इसके परिणामस्वरूप कला वस्तुओं की बड़ी संख्या का प्रदर्शन नहीं हुआ तथा संग्रहालय अपने मूल्यवान पुरावस्तुओं को प्रदर्शित नहीं कर पाए थे।

### 6.14.2 स्थल संग्रहालय

हमने पाया कि किसी भी स्थल संग्रहालय में रिजर्व पुरावस्तुओं को जनता को दिखाने हेतु सुगम बनाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिए कोई भी आवर्तन नीति नहीं थी। 11 स्थल संग्रहालयों में[54] 90 प्रतिशत से अधिक पुरावशेषों को रिजर्व में रखा गया था। भा.पु.स. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि स्थल संग्रहालयों में कोई एकीकृत नीति दस्तावेज नहीं था।

### 6.14.3 विभिन्न संग्रहालयों की दीर्घाओं की स्थिति

हमने पाया कि किसी न किसी कारणवश जैसे की दीर्घा के नवीकरण, रिसाव आदि के कारण सभी दीर्घाएं जनता के लिए नहीं खुली थी। जनता के लिए बंद दीर्घाएं निम्न थीः

**तालिका 6.6 बंद दीर्घाओं की स्थिति**

| संग्रहालय का नाम | दीर्घाओं की कुल संख्या | बंद दीर्घाओं की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| **राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली** | 26 | 7 | एक से लेकर नौ वर्षों की अवधि |
| **भारतीय संग्रहालय, कोलकाता** | 29 | 8 | 21 खुली दीर्घाओं में से, आठ दीर्घाओं में 2 से लेकर 23 वर्षों तक की अवधि के दौरान आवर्तन नहीं किया गया था। |
| **विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता** | 12 | 2 | सात दीर्घाओं में, शुरूआत से ही कलाकृतियों को बदला नहीं गया था। |

[54] कोंदापुर एवं नागार्जुनकोंडा (हैदराबाद परिमण्डल), नालंदा एवं सारनाथ (पटना परिमण्डल), लाल किला (दिल्ली परिमण्डल), शेख चिल्ली मकबरा (चण्डीगढ़ परिमण्डल), टिपू सुल्तान संग्रहालय (बेंगलुरू परिमण्डल), खजुराहो एवं सांची (भोपाल परिमण्डल), रत्नागिरी (भुवनेश्वर परिमण्डल) तथा कालीबंगन (जयपुर परिमण्डल)

6.14.4 विभिन्न संग्रहालयों में कलावस्तुओं के भंडारण की स्थिति निम्न तस्वीरों में दर्शाई गई है:

अन्य मदों के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय के तहखाने में पड़ी हुई वस्तुएं

राष्ट्रीय संग्रहालय के तहखाने में अनमोल प्रतिमाओं पर जमी हुई धूल

विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के भंडार कक्ष

बेनीसागर स्थल, रांची में हमने पुरावशेषों को स्टाफ क्वाटर्स में रखा हुआ पाया।

बेनीसागर के स्टाफ क्वाटर्स में पाए गए पुरावशेष

### 6.14.5 भा.पु.स. का डाटा बैंक तथा के.पु.सं., स्थल संग्रहालयों में रिजर्व मदों की स्थिति/पुरावशेषों का भंडारण

कलाकृतियों को क्षय से बचाने हेतु पर्याप्त हवा परिसंचरण तथा प्रभावी वातानुकूलन वाली उचित भंडारण की सुविधाएं आवश्यक है। हमने पाया कि रोपड़ संग्रहालय (पंजाब परिमण्डल) तथा किला संग्रहालय (चेन्नई परिमण्डल) के रिजर्व संग्रहण उचित स्थिति में संग्रहित नहीं था। अयहोल संग्रहालय (धारवाड़ परिमण्डल), चंदेरी संग्रहालय (भोपाल परिमण्डल), सारनाथ (पटना परिमण्डल) एवं नालंदा संग्रहालय (पटना परिमण्डल) में मूर्तियां पिछले आंगन में पड़ी थीं।

केन्द्रीय पुरावशेष संग्रहण (के.पु.सं.) में, पुरावशेषों हेतु वातानुकूलित परिवेश अनुरक्षित करने की कोई सुविधा नहीं थी। हमने पुराना किला, दिल्ली, के विभिन्न प्रकोष्ठों में भण्डारित कलाकृतियों के क्षय को बढ़ाने वाली रिसन एवं सिलन, उतरते हुए प्लास्टर की समस्याएं पाईं।

जून 2012 में लेखापरीक्षा द्वारा डाटा बैंक के प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान, हमने पाया कि पुराना किला से लाल किला में स्थानांतरित करते हुए, डाटा बैंक के मूल्यवान अभिलेखों (मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र) वाली 120 में से 60 पेटिकाएं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उचित जगह की अनुपस्थिति में, दीर्घा में 66 अन्य पेटिकाएं गर्मी, हवा और धूल के संपर्क में, खुली हुई रखी थीं जिससे अभिलेख खराब हो गए थे जो ठीक नहीं हो सकते थे। डाटा बैंक में अनुमानित रूप से 4.5 लाख अभिलेख थे परंतु राष्ट्रीय मिशन तथा स्मारक प्राधिकरण के डिजिटलीकरण के दौरान, केवल 3.5 लाख अभिलेख प्रस्तुत किए क्योंकि बाकि के कृन्तकों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे।



## 6.15 प्रदर्शनियां एवं बीमा दावे

संग्रहालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने संग्रहण को प्रदर्शित करना था। अधिकतर संग्रहालयों द्वारा 'कम दिखाओ लेकिन सर्वोत्तम दिखाओ' का नारा अपनाया गया था ताकि सबसे अच्छी वस्तुएं प्रदर्शित की जा सके।

दिसम्बर 2009 में **भारतीय संग्रहालय** ने सिक्के की प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें ऐतिहासिक मूल्य के 101 सिक्कों को प्रदर्शित किया गया था। हमने पाया कि इनमें सम्राट अकबर की तस्वीर वाले दो सिक्के शामिल थे जो भौतिक सत्यापन समिति (फरवरी 2009) द्वारा नकली घोषित कर दिए गए थे। इस प्रकार भारतीय संग्रहालय का इन नकली सिक्कों को प्रदर्शित करने का कार्य अनुचित था।

नकली सिक्कों की तस्वीरें

### 6.15.1 विदेश में आयोजित प्रदर्शनियां

2011 के दौरान मंत्रालय ने चीन एवं कोरिया में प्रदर्शनियां आयोजित करने का निर्णय लिया जिसे बाद में किसी न किसी कारण से रद्द कर दिया गया था। मंत्रालय ने संबंधित सरकारों के साथ कोई अनुबंध नहीं किया था।

विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों हेतु, राष्ट्रीय संग्रहालय ने डिब्बों के परिवहन, पैकिंग, संभालने एवं विनिर्माण को संभालने के लिए 'ललित कला संभालने वाले एजेंट' (ल.क.सं.ए.) को नियुक्त किया था। विदेश में भेजी गई वस्तुएं बीमाकृत थीं। विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों के दौरान निम्न कलाकृतियां क्षतिग्रस्त/गुम पाई गई थीं:

- 2006 में कोरिया (बौद्ध कला प्रदर्शनी) को भेजे गए टियेरा में बुद्ध के हाथों से लघु बहुमूल्य पत्थर (₹50 लाख की बीमा कीमत) का गुम होना,
- पत्थर की मूर्ति के सीधे हाथ की उंगलियों पर खरोंच थी तथा नाखुन के सिरे का क्षय हो गया था।
- 2010 में ब्रुसेल्स (भारत में आने का मार्ग) की प्रदर्शनी में महिला शिकारी (₹12 करोड़ का बीमा मूल्य)।

हमने पाया कि संग्रहालय अनुबंध के अनुसार ल.क.सं.ए. से क्षतिपूर्ति वसूल करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहा। हमने यह भी पाया कि भविष्य की प्रदर्शनी का अनुबंध उसी अभिकरण को दिया जा रहा था जो कि कम्पनी के प्रति अनुचित पक्षपात को दर्शाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय ने बताया (सितम्बर 2012) कि भविष्य में सम्पन्न होने वाली प्रदर्शनियों में उचित ध्यान रखा जाएगा।

***अनुशंसा 6.13:*** *संग्रहालयों को कलाकृतियों की प्रदर्शनी हेतु आवर्तन नीति अपनानी चाहिए। उन्हें आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए उचित एवं आकर्षक प्रदर्शन पद्धति हेतु तंत्र बनाना चाहिए।*

***अनुशंसा 6.14:*** *रिजर्व संग्रहण को भी आदर्श स्थिति में उचित रूप से संरक्षित एवं अनुरक्षित रखा जाना चाहिए।*

मंत्रालय ने अनुशंसा को स्वीकार किया (मई 2013)।

## 6.16 महानगरीय संग्रहालयों का आधुनिकीकरण

2004-05 में मंत्रालय ने चार महानगरीय शहरों में महानगरीय संग्रहालयों के आधुनिकीकरण हेतु योजना की शुरूआत की थी। योजना में राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय एवं छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय भी शामिल थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु भारतीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय संग्रहालय हेतु ₹100.00 करोड़ का परिव्यय चिन्हित किया गया था। संग्रहालयों से

प्रतिष्ठित सलाहकारों की मदद से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित था। हालांकि आठ वर्षों से अधिक बीत जाने के पश्चात् भी, राष्ट्रीय संग्रहालय एवं भारतीय संग्रहालय उसे प्रस्तुत करने में विफल हुआ।

मंत्रालय ने सितम्बर 2008 से जनवरी 2013 के बीच संग्रहालय को ₹15.43 करोड़ जारी किए थे। तथापि यह देखा गया था कि मंत्रालय ने संग्रहालय द्वारा किए गए कार्यों को उचित रूप से मॉनीटर नहीं किया। परियोजना के पूरा होने में विलंब अनुमानों में कई संशोधनों, परियोजना आदि पर किए गए वास्तविक व्यय से संबंधित सूचना की अनुपस्थिति आदि जैसी अनियमिताएं पाई गई।

# अध्याय – VII

# वित्तीय प्रबंधन



विभिन्न संगठनों के संचालन के लिए निधियन महत्वपूर्ण होता है। मंत्रालय द्वारा योजनागत तथा गैर-योजनागत मदों के अंतर्गत भा.पु.स. को निधि आबंटित की गई थी। मंत्रालय द्वारा निधि दो अधीनस्थ कार्यालयों जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय तथा रा.सा.स.स. अनुसंधान शाखा[55] को निधि जारी की गई थी। अन्य संग्रहालय मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति निधि, मंत्रालय का एक न्यास को मंत्रालय द्वारा एक समग्र निधि कॉरपोरेट क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, राज्य सरकार, निजी/सार्वजनिक क्षेत्र इत्यादि के सम्मिलित होने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदान की जाती थी। मंत्रालय द्वारा विभिन्न संस्थानों को जारी निधि के संबंध में नीचे विचार-विमर्श किया गया है।

## 7.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण-सम्बद्ध कार्यालय

### 7.1.1 बजट अनुमान एवं व्यय

लेखापरीक्षा की अवधि में भा.पु.स. की वित्तीय स्थिति जो बजट अनुमान एवं व्यय को दर्शाती है, को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

**तालिका 7.1: भा.पु.स. के बजट अनुमान एवं व्यय के आंकड़े**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | बजट अनुमान | | वास्तविक व्यय | |
|---|---|---|---|---|
| | योजनागत | गैर-योजनागत | योजनागत | गैर-योजनागत |
| 2007-08 | 98.00 | 185.50 | 90.88 | 185.87 |
| 2008-09 | 111.00 | 201.00 | 106.93 | 232.89 |
| 2009-10 | 111.00 | 268.70 | 126.31 | 286.39 |
| 2010-11 | 121.00 | 260.00 | 154.24 | 267.71 |
| 2011-12 | 152.00 | 287.00 | 171.58 | 275.26 |

*स्रोत: सांस्कृतिक मंत्रालय के बजट दस्तावेज*

[55] राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला (एन.आर.एल.सी.)

नीचे वर्णित चार्ट 2007-12 की अवधि में भा.पु.स. द्वारा किए गए मद-वार व्यय को दर्शाती है।

चार्ट 7.1 2007-12 की अवधि में भा.पु.स. का कार्यवार व्यय

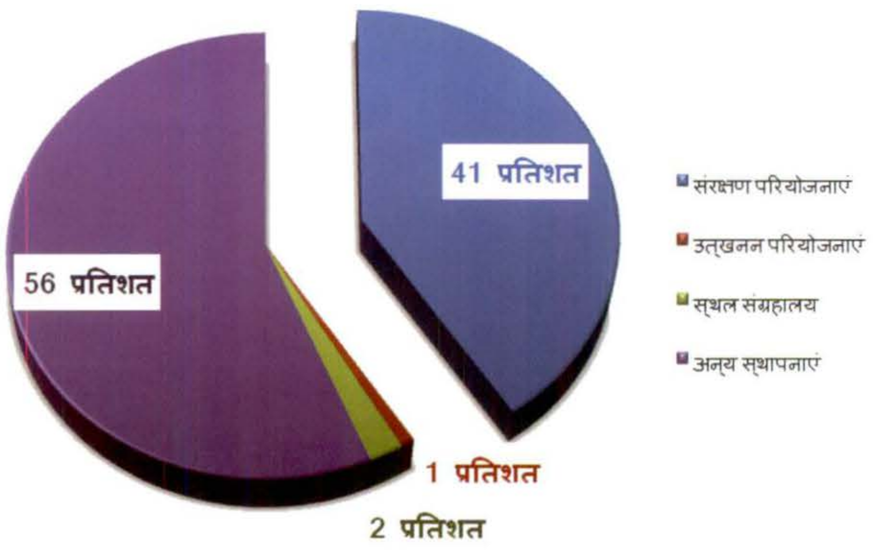


## 7.1.2 अपर्याप्त निधियन

मंत्रालय द्वारा भा.पु.स. को बजट आवंटन बिना उनकी निधि आवश्यकता तथा अवशोषण क्षमता का आकलन करके किया था। बजट आवश्यकता का आंकलन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या एवं इन स्मारकों के संरक्षण तथा परिरक्षण की आवश्यकता के आधार पर की जानी चाहिए। अपर्याप्त निधियन के परिणामों को **प्रकरण सं.2, पैरा 4.9.2 तथा पैरा 5.4.3 में** भी वर्णित है।

हमने पाया कि मंत्रालय ने भा.पु.स. द्वारा अनुमानित आवश्यक निधियों में महत्वपूर्ण कमी की, जिनका विस्तृत विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 7.2: मंत्रालय द्वारा आवंटित एवं भा.पु.स. द्वारा प्रस्तावित योजनागत बजट

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | अनुमानित आवश्यकता | वास्तविक आबंटित बजट | किया गया व्यय |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 174.05 | 98.00 | 90.88 |
| 2008-09 | 177.90 | 111.00 | 106.93 |
| 2009-10 | 176.41 | 111.00 | 126.31 |
| 2010-11 | 163.16 | 121.00 | 154.24 |
| 2011-12 | 268.94 | 152.00 | 171.58 |

इस प्रकार, भा.पु.स. द्वारा अनुमानित निधियों में कमी 26 से 44 *प्रतिशत* के बीच थी। मंत्रालय ने भा.पु.स. द्वारा प्रस्तावित बजट को कम करने का कारण नहीं बतलाया। वास्तविक आवंटन के संदर्भ में व्यय का आधिक्य 13 से 27 *प्रतिशत* के बीच था, विशेषकर अंतिम तीन वर्षों के दौरान (2009-10 से 2011-12)।

## 7.1.3 संरक्षण के लिए बजट और निधि की आवश्यकता

### 7.1.3.1 संशोधित संरक्षण कार्यक्रम (सं.सं.का.) की तैयारी

स्मारक का प्रभारी अधिकारी निरीक्षण एवं मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक निधि आवश्यकता को संबंधित परिमण्डल कार्यालय को प्रस्तुत करता है। प्रस्तावित समेकित निधि की आवश्यकता हेतु मांग, जिसे परिमण्डल कार्यालय द्वारा संरक्षण कार्य पर उपयोग किया जाना है, को संशोधित संरक्षण कार्यक्रम (सं.सं.का.) कहा जाता है। इस प्रकार, सं.सं.का., संरक्षण कार्यों के लिए परिमण्डल/शाखा-वार वार्षिक निधि आवश्यकता के अनुमान का एक साधन है। इसके पश्चात संरक्षण कार्य के लिए समस्त निधि आवश्यकता के मूल्यांकन हेतु सं.सं.का., भा.पु.स. को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

तथापि, हमने पाया कि भा.पु.स. में बजट प्रक्रिया अनुपयुक्त थी। भा.पु.स., परिमण्डलों/ शाखाओं से सं.सं.का. के रूप में प्रस्ताव प्राप्त करने की बजाय, परिमण्डलों/शाखाओं को भेजे गए बजट आवंटित आंकड़ों के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त कर रहा था।

हमने ये भी पाया कि परिमण्डल/शाखाओं द्वारा केवल कुछ मामलों को छोड़कर निधियों की आवश्यकताओं का आकलन यथोचित परिश्रम से नहीं किया गया था।

परिणामस्वरूप, भा.पु.स. ने निधियों की कमी के कारण कई मूल्यवान स्मारकों के संरक्षण की आवश्यकता की उपेक्षा की। उदाहरणतः, 110 कोस मीनारों पर विगत पाँच वर्षों में मात्र ₹ 38.33 लाख का व्यय किया गया था। संरक्षण की आवश्यकता के बावजूद कई अन्य स्थलों/स्मारकों पर कोई व्यय नहीं किया गया था। संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण ने उजागर किया कि कई कोस मीनार जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे **(प्रकरण सं. 5 का संदर्भ लें)**।

इसके अतिरिक्त, अधिकतर मामलों में संरक्षण कार्य की निधि का उपयोग छुट-पुट कार्यों जैसे चारदीवारी को उठाने, जनसाधारण सुविधाओं आदि पर किया गया। उदाहरणतः दिल्ली परिमण्डल द्वारा वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 की अवधि में विशेष मरम्मत कार्यों पर ₹ 47.51 करोड़ व्यय किए। इस राशि में से ₹ 7.66 करोड़ के कार्य सीधे तौर पर संरक्षण कार्यों से सम्बद्ध नहीं थे।



**निधि का अवरोधन - बादामी, बैंगलोर परिमण्डल**

ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कर्नाटक सरकार का राजस्व विभाग (फरवरी 2003), बादामी, बैंगलूरू परिमण्डल के अप्राधिकृत भवनों के अधिग्रहण का प्रस्ताव लेकर, महानिदेशक भा.पु.स. के पास गया। राज्य सरकार की ₹ 3.32 करोड़ की मांग के विरूद्ध भा.पु.स. ने (फरवरी 2006) में ₹ 2.72 करोड़ जारी किए। आगे नवम्बर 2009 में, राज्य सरकार ने भा.पु.स. से ₹ 6.36 करोड़ की अतिरिक्त राशि की मांग की, जिसे आगे (जुलाई 2012) बढ़ाकर ₹ 12.53 करोड़ कर दिया। राज्य सरकार ने ये भी कहा कि निधियों की प्राप्तियों के अभाव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया छोड़नी पड़ेगी। इसके पश्चात भा.पु.स. के अभिलेखों में कोई अनुवर्ती कार्रवाई दृष्टव्य नहीं होती। इससे छः वर्ष से अधिक समय के लिए ₹ 2.72 करोड़ की निधि अवरोधित है।

## 7.1.4 भा.पु.स. की प्राप्तियां

संरक्षण कार्य से सम्बद्ध रखने वाले संगठन के लिए राजस्व उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। विश्व भर के संगठन जो विरासत संरक्षण के कार्य से सम्बद्ध रखते हैं, वे स्मृति चिन्हों को बेचकर, गाइड की सेवाओं के प्रभार द्वारा, विशेष पर्यटन के विशेष प्रभारों द्वारा तथा प्रकाशनों की बिक्री कर राजस्व उत्पन्न करते हैं।

भा.पु.स. का राजस्व प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत टिकट बिक्री, प्रकाशनों की बिक्री, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा फिल्म की शूटिंग की अनुमति इत्यादि थे। तथापि, हमने भा.पु.स. द्वारा राजस्व बढ़ोत्तरी करने के प्रयासों में कमियां पाईं।

भा.पु.स. द्वारा 2007-08 से 2011-12 की अवधि में कुल ₹ 422.46 करोड़ का राजस्व उत्पन्न किया। तथापि, वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा ₹ 431.78 करोड़ की प्राप्तियों के बारे में सूचित किया। भा.पु.स. ने ना ही इस कमी के कारणों का पता लगाया और ना ही वेतन एवं लेखा कार्यालयों के आंकड़ों से मिलान किया। आगे, हमने यह भी पाया कि भा.पु.स., मुख्यालय तथा

भा.पु.स. के वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित राजस्व आंकड़ों में परिमण्डलों/उप-परिमण्डलों द्वारा अनुरक्षित राजस्व आंकड़ों में अंतर था।

### 7.1.4.1 भा.पु.स. के टिकट वाले स्मारक

प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. नियमावली 1959 (नियम 6) के अनुसार, भा.पु.स. निर्धारित प्रवेश शुल्क 15 वर्ष से अधिक उम्र के पर्यटकों से निश्चित स्मारकों को देखने हेतु वसूल किया। विभिन्न प्रकार के पर्यटकों से प्रवेश शुल्क वसूलने का विवरण नीचे तालिका में वर्णित हैः-

**तालिका 7.3: विभिन्न देशों के नागरिकों हेतु प्रवेश शुल्क की दरें**

**(राशि ₹ में)**

| | भारतीय नागरिकों एवं सार्क तथा बिम्सटेक नागरिकों के लिए | अन्य विदेशी पर्यटकों के लिए |
|---|---|---|
| **विश्व विरासत की साइटें** | 10 | 250 |
| **अन्य संरक्षित स्मारक** | 5 | 100 |

हमने पाया कि भा.पु.स. के नियंत्रणाधीन 3677 संरक्षित स्मारकों में से केवल 124 स्मारकों को फरवरी 2006 को टिकट हेतु अधिकृत किया था। आगे ऐसे स्मारकों की संख्या कम करके 116 कर दी गई थी। वर्ष 2001 में अंतिम बार इन दरों को संशोधित किया गया था तथा टिकट हेतु अंतिम स्मारक को वर्ष 1998 में अधिकृत घोषित किया गया था।

**टिकटों की बिक्री**

2007-12 की अवधि में 116 स्मारकों में टिकटों की बिक्री से ₹66.25 करोड़ से ₹95.64 करोड़ के राजस्व की वसूली हुई थी। राजस्व आंकड़ों की जांच से पता चला कि कुल राजस्व के 75 *प्रतिशत* से अधिक की वसूली मात्र 10 स्मारकों से संबंधित थी।*

भा.पु.स. वर्तमान में टिकटों की दरें बढ़ाने की प्रक्रिया में है। भा.पु.स. ने आठ संरक्षित स्मारकों से पर्यटकों को टिकट बिक्री करने से हटाने के कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, हमारे द्वारा उठाए गए विशेष मामलों का संदर्भ दिए बिना भा.पु.स. ने सूचित किया (सितम्बर 2012) कि अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे प्रचलित धार्मिक प्रथाओं इत्यादि के कारण प्रवेश शुल्क को हटा लिया गया था।

हमने पाया कि एक विशेष संरक्षित स्मारक को टिकट हेतु वर्गीकृत करने के लिए कोई विशेष मापदण्ड या दिशानिर्देश नहीं थे। इस प्रकार टिकट नियत करना या वापस लेने की प्रक्रिया का प्रतिपादन विवेकाधीन तथा तदर्थ आधार पर था।

* ताजमहल, आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरा, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली, स्मारकों के समूह, मल्लपुरम, पश्चिमी मन्दिर समूह, खजुराहो, सूर्य मन्दिर, कोणार्क तथा उत्खनित अवशेष, सारनाथ

कुछ स्मारक टिकट बिक्री हेतु अधिकृत थे जैसे दिल्ली परिमण्डल में सुल्तान गढ़ी तथा वड़ोदरा परिमण्डल में बाबा प्यारा गुफाएं जहाँ से लेखापरीक्षा की अवधि में क्रमशः ₹1550 से ₹3161 तथा ₹855 से ₹7531 का वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ। यह कम पर्यटकों के आगमन को दर्शाता है। दूसरी तरफ, श्रीनगर परिमण्डल के दो केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों जैसे धनुषाकार छतों/संरचनात्मक परिसर के समूह परिमहल श्रीनगर तथा मुगल आर्केड को भा.पु.स. द्वारा अधिक पर्यटकों के बावजूद टिकट हेतु अधिकृत नहीं किया गया था, जो इस तथ्य से स्पष्ट हो गया था कि राज्य सरकार द्वारा प्रवेश शुल्क तथा पार्किंग प्रभारों द्वारा ₹42 लाख की राशि वर्ष 2011-12 में प्राप्त की। इसी प्रकार अन्य स्मारकों जैसे लखनऊ परिमण्डल में बड़ा इमामबाड़ा, शे एवं अल्ची गोम्पा लघु परिमण्डल लेह में जहां प्रबन्धन कर रहे न्यासों ने प्रवेश टिकट लगाए थे तथा पैसा इकट्ठा किया, यद्यपि भा.पु.स. ने इन्हें टिकटों के लिए अधिकृत नहीं किया था।

भा.पु.स. ने परिमण्डल कार्यालयों से और अधिक स्मारकों को टिकट के लिए अधिकृत करने हेतु उनके सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए आग्रह (2010) किया। हमने पाया कि परिमण्डल द्वारा अपूर्ण सूचनाओं के देने के कारण भा.पु.स. और अधिक स्मारकों को 'टिकट के लिए अधिकृत' करने की श्रेणी में सम्मिलित करने हेतु असमर्थ था।

भा.पु.स., मुख्यालय द्वारा हैदराबाद परिमण्डल में एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक "बुद्ध का चट्टानों को काटकर बनाया गया स्तूप, दगबास एवं गुफाएं तथा चैत्य का टूटा हुआ ढांचा उप-भवन सहित एवं दो सटी पहाड़ियों पर अन्य प्राचीन अवशेष जिन्हें **'विशाखापत्तनम जिले'** के शंकरम के बोजन्ना कोंडा के नाम से जाना जाता है" को टिकट हेतु घोषित नहीं किया गया था। तथापि, परिमण्डल कार्यालय ने वर्ष 2005 में यह आशा करते हुए टिकटें छपवाई कि मुख्यालय कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा। स्मारक को टिकट हेतु अधिकृत नहीं किया गया था जिससे परिमण्डल द्वारा छपवाई गई टिकटें उपयोग में नहीं लायी जा सकीं। महानिदेशक भा.पु.स. ने हैदराबाद प्राधिकरण की इस गलती पर कोई कार्रवाई नहीं की।

***अनुशंसा 7.1:*** *भा.पु.स. को प्रवेश टिकटों की बिक्री करके राजस्व वसूली के दृष्टि से एक विशेष स्मारक को टिकट हेतु अधिकृत करने के लिए स्पष्ट मानदंड एवं दिशानिर्देश गठित करने चाहिए।*

मंत्रालय ने (मई 2013) सूचित किया कि स्मारक में प्रवेश शुल्क आरंभ करने के वर्तमान मानदंड, स्मारक में प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या पर आधारित थे। एक स्मारक जहाँ प्रतिदिन पर्याप्त संख्या में दर्शक पर्यटक नहीं होते वहाँ टिकट का आरंभ नहीं होता, क्योंकि पर्यटकों की संख्या के बावजूद भा.पु.स. को टिकट बिक्री हेतु पूर्ण संरचना के स्थापित करना आवश्यक था। बुनियादी ढ़ांचे का निर्माण करने पर कुल व्यय तथा प्रवेश शुल्क इकट्ठा करते समय स्मारक में टिकट आरंभ करने पर उचित ध्यान दिया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि भा.पु.स. के पास गैर-टिकट स्मारकों में पर्यटकों की संख्या का आकलन करने का विश्वसनीय तंत्र नहीं था।



### 7.1.4.2 फिल्म शूटिंग के लिए दरों का गैर-संशोधन

प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. नियमावली 1959 के नियम 42 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक संरक्षित स्मारक में फिल्म संचालन करना है, उसे महानिदेशक, भा.पु.स. से ऐसे संचालन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन माह पहले लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। महानिदेशक व्यावसायिक एवं अन्य अभिकरणों के मामले में ₹ 5000 के शुल्क के भुगतान पर फिल्म शूटिंग के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं। हमने पाया कि अभिकरण जैसे भारतीय रेल प्रतिदिन के लिए ₹ 30,000 से ₹ 1,00,000, दिल्ली मेट्रो रेल निगम ₹ 1,00,000 प्रति घंटे एवं दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लि. प्रति चार घंटे के ₹ 5,00,000, अपने-अपने परिसर में फिल्म शूट करने के लेते हैं। यहाँ तक कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा नई दिल्ली नगर पालिका अपने क्षेत्र में फिल्म शूट करने के प्रतिदिन ₹ 50,000 लेते हैं। इस प्रकार भा.पु.स. की दरें तुलनात्मक दृष्टि से अपेक्षित दरों से बहुत कम थी।

हमने पाया कि इन दरों को 1991 से संशोधित नहीं किया गया था। अकेले दिल्ली परिमण्डल में लेखापरीक्षा की अवधि में 87 फिल्म शूटिंगों की स्वीकृति दी गई थी, जिससे ₹ 2.64 करोड़ का अर्जन किया गया।

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि भा.पु.स. ने स्मारकों में फिल्म शुटिंग के लाइसेंस शुल्क के संशोधन के प्रस्ताव के पूर्व में दो बार रखा था, किन्तु यह अनुमोदित नहीं हुआ था। प्रस्तावित संशोधनों के अनुमोदन न होने के कारणों को नहीं बतलाया गया था।

***अनुशंसा 7.2:*** *भा.पु.स. को इसे पर्याप्त राजस्व स्रोत बनाने के लिए फिल्म शूटिंग हेतु दरों को संशोधित करना चाहिए।*

#### 7.1.4.3 सरकारी धन के प्रेषण में विलम्ब

पुरातत्व निर्माण कार्य कोड के अनुसार, स्मारकों एवं साइट्स से प्राप्त समस्त धन अर्थात विभागीय प्राप्तियों को नियमित रूप से ट्रेजरी चालान के माध्यम से अगले कार्य दिवस को पास के स्थानीय खजाने अथवा बैंक में जमा कर देना चाहिए। ट्रेजरी अधिकारी से प्राप्त काउंटर फॉइल को प्रत्येक माह के अंत में सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होता था। राशि को सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख के राजस्व रजिस्टर तथा रोकड़ बही में दर्ज करनी होती थी।

काउंटर क्लर्क द्वारा टिकटों की बिक्री से प्राप्त धन इत्यादि को उप-परिमण्डल प्रभारी को जमा करानी होती थी, तथा वह इसे परिमण्डल कार्यालय में जमा कराता, जहाँ से यह मान्यता प्राप्त बैंक में सरकारी खाते में जमा होती।

हमने पाया कि प्रत्येक परिमण्डल से सरकारी खाते में धन जमा करने में विलम्ब था। यह विलम्ब दो से चार वर्ष के बीच था।

44 संग्रहालयों में से, प्रवेश शुल्क टिकटों के माध्यम से 31 संग्रहालयों द्वारा प्रभारित किया गया था। हमने पाया कि 14 संग्रहालयों के मामले में धन जमा करने में देरी 15 से 180 दिनों के बीच थी।

हैदराबाद परिमण्डल में, सात लाख के डिमांड ड्राफ्ट जिन्हें 2005-12 की अवधि में स्मारकों में फिल्म शुटिंग करने के लिए प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त किया था, को सरकारी खाते में लेखापरीक्षा की समाप्ति तक जमा नहीं किया गया।

## 7.2 अधीनस्थ कार्यालय

मंत्रालय के दो अधीनस्थ कार्यालय हैं राष्ट्रीय संग्रहालय तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला जो स्मारकों एवं प्राचीन वस्तुओं के परिरक्षण एवं संरक्षण में शामिल हैं।

### 7.2.1 बजट अनुमान एवं व्यय

नीचे वर्णित तालिका लेखापरीक्षा अवधि में दोनों अधीनस्थ कार्यालयों के अनुमानित बजट एवं उसके प्रति व्यय को दर्शाती है:

**तालिका 7.4: अधीनस्थ कार्यालयों के बजट अनुमान तथा व्यय के आंकड़े**

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | राष्ट्रीय संग्रहालय | | सां.सं.सं.रा.अ.प्र. | |
|---|---|---|---|---|
| | बजट अनुमान | वास्तविक व्यय | बजट अनुमान | वास्तविक व्यय |
| 2007-08 | 18.04 | 11.02 | 3.05 | 2.91 |
| 2008-09 | 18.04 | 12.80 | 5.11 | 4.71 |
| 2009-10 | 18.92 | 13.75 | 5.90 | 5.25 |
| 2010-11 | 17.75 | 17.48 | 5.34 | 5.07 |
| 2011-12 | 18.45 | 15.23 | 5.65 | 5.72 |

*स्रोत: संस्कृति मंत्रालय के परिणाम बजट दस्तावेज*

उक्त तालिका से यह उजागर होता है कि रा.सं. तथा सां.सं.रा.अ.प्र. उनको आवंटित बजट को प्रयोग करने में विफल रहे।

## 7.3 अन्य संग्रहालय तथा संस्थाएं

संस्कृति मंत्रालय के अधीन संग्रहालयों/संस्थाओं जो स्वायत्त निकायों तथा अनुदान संस्थानों की तरह कार्य करती हैं को, अनुदान जारी किए जाते हैं। पांच संग्रहालयों तथा दो एशियाटिक संस्थाओं को मंत्रालय द्वारा जारी की गई अनुदान की प्रवृत्ति नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

**तालिका 7.5: जारी किए गए अनुदान**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | संगठन | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद (इ.सं.इ.) | 2.25 | 2.92 | 2.29 | 3.15 | 2.15 |
| 2. | एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता (ए.स.को.) | 8.01 | 10.40 | 17.23 | 14.35 | 13.70 |
| 3. | एशियाटिक सोसाइटी, मुंबई (ए.स.मुं.) | 0.35 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.78 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | भारतीय संग्रहालय, कोलकाता (भा.सं.को.) | 6.46 | 9.69 | 14.48 | 16.14 | 10.96 |
| 5. | सालार जंग संग्रहालय (सा.जं.है.) | 11.70 | 16.25 | 22.14 | 20.89 | 17.12 |
| 6. | विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता (वि.स्मा.हॉ.) | 7.20 | 7.64 | 7.69 | 9.15 | 10.63 |
| | कुल | 35.97 | 47.4 | 64.83 | 64.68 | 55.34 |

### 7.3.1 योजनागत शीर्ष से गैर-योजनागत शीर्ष में निधि का विपथन

हमने पाया कि भारतीय संग्रहालय द्वारा योजनागत अनुदान ₹ 161.09 लाख तथा ₹ 0.32 लाख को क्रमशः वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 की अवधि में गैर-योजनागत शीर्ष में अधिक व्यय की पूर्ति हेतु विपथन किया। इसी प्रकार, एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता द्वारा 2011-12 की अवधि में योजनागत शीर्ष से गैर-योजनागत शीर्ष में ₹ 221.03 लाख का विपथन किया।

### 7.3.2 अनियमित अधिक व्यय

हमने यह भी पाया कि भारतीय संग्रहालय, एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता (ए.सो.को.) तथा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वि.मे.हॉ.) द्वारा अनियमित अधिक व्यय किया गया को नीचे दर्शाया गया है:

| | |
|---|---|
| भारतीय संग्रहालय | • 2011-12 में योजनागत अनुदान ₹ 477.31 लाख के प्रति ₹ 1055.86 लाख का व्यय किया था। तथापि, इसके लिए कोइ पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त किया गया था<br>• 2007-08 से 2011-12 की अवधि में ₹ 109.41 लाख का व्यय विभिन्न शीर्षों जैसे कैम्पस विकास, लाइब्रेरी को शिफ्ट करने, कार खरीदने पर किया गया जिसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं था।<br>• ₹ 764.59 लाख का व्यय सुरक्षा, गैलरियों, शिक्षा इत्यादि पर आवंटित बजट से अधिक किया गया। तथापि, अधिक व्यय के संबंध में कारणों को दर्ज नहीं किया गया था। |

| | |
|---|---|
| **विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वि.मे.हॉ.)** | • ₹ 873 लाख के संशोधित व्यय के प्रति ₹ 1155 लाख बिना कारण बताए व्यय किए गए थे। |
| **एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता (ए.सो.को.)** | • ₹ 628.95 लाख का अधिक व्यय किया गया किंतु आधिक्य के कारण दर्ज नहीं थे।<br>• ₹ 59.12 लाख का व्यय बिना प्रावधान किए गए शीर्षों पर किया गया था। |



### 7.3.3 अवास्तविक बजट तैयारी

हमने यह भी पाया कि **विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वि.मे.हॉ.)** तथा **एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता (ए.सो.को.)** द्वारा 2007-08 से 2011-12 की अवधि में तैयार किए गए बजट अनुमान अवास्तविक थे, तथा संग्रहालय आवंटित बजट का उपयोग करने में विफल रहा जिसे नीचे दर्शाया गया है:

**तालिका 7.6: संग्रहालयों का अवास्तविक बजट**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | संग्रहालय का नाम | बजट प्रावधान | बजट आवंटन | उपयोग किया गया बजट |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वि.मे.हॉ. | 45.35 | 24.79 | 24.28 |
| 2. | एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता (ए.सो.को.) | 44.13 | 25.78 | 23.44 |

## 7.4 चिंता के अन्य विषय

### 7.4.1 टिकट में स्वचालन

भा.पु.स. ने (2009) में बार कोड सार्वजनिक प्रवेश टिकट का शुभारंभ किया था। टिकटों को भारत सरकार की सुरक्षा प्रेस, नासिक द्वारा छापा जाना था। तथापि, हमने पाया कि भा.पु.स. के किसी भी स्मारक साइट पर बार कोड रीडर मशीन को प्रदान नहीं किया गया था। वास्तव में भा.पु.स. ने बार कोड मशीनों की प्राप्ति की प्रक्रिया का आरंभ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस वजह से स्वचालित टिकट प्रणाली का आरंभ नहीं हो सका।

आगे हमने पाया कि 2005-06 में दिल्ली परिमण्डल ने स्वचालित टिकट प्रणाली की प्राप्ति तीन स्मारकों अर्थात कुतुब मीनार, पुराना किला तथा जंतर मंतर के लिए क्रमशः ₹ 8.10 लाख, ₹ 8.45 लाख तथा ₹ 11.93 लाख व्यय करके की। तथापि, स्वचालित प्रणाली केवल जंतर मंतर पर ही प्रचालित हो पाई, वह भी केवल नौ माह के लिए (अक्तूबर 2006 से जून 2007)। मामला मशीनों के क्रय करने में अनियमितता बरतने के कारण जांच-पड़ताल हेतु सतर्कता/के.अ.ब्यू. के अधीन था। इस प्रकार स्वचालित प्रणाली के गैर-क्रियान्वयन के कारण किया गया व्यय निष्फल रहा।

**आगरा परिमण्डल में भा.पु.स. ने भा.सु.प्रे. नासिक को ₹ 20 मूल्यवर्ग के 25.50 लाख टिकटों को ₹ 2 प्रति टिकट की दर पर छापने की बजाए ₹ 4 प्रति टिकट की दर से छापने हेतु भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51 लाख का अधिक भुगतान हुआ। विभाग द्वारा इस अधिक राशि के समायोजन/वापसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।**

## 7.4.2 टिकटों के भण्डारण में अन्य अनियमितताएं

कई टिकट स्मारकों में हमने पाया कि स्थाई संवर्ग में अधिक रिक्तियों के कारण अस्थाई स्टाफ का उपयोग टिकट काउंटर पर किया जा रहा था, जैसे दिल्ली परिमण्डल में, 10 टिकट स्मारकों में से दो मामलों में अर्थात सफदरजंग मकबरा तथा जंतर मंतर पर अस्थाई स्टाफ को टिकट काउंटर पर तैनात किया गया था तथा सुल्तान गढ़ी में एक स्मारक परिचर तैनात किया गया था। इसी प्रकार श्रीनगर परिमण्डल में, चार टिकट स्मारकों में से दो स्मारकों के टिकट काउंटरों पर अस्थाई स्टाफ तैनात किया गया था। अस्थाई स्टाफ द्वारा सार्वजनिक धन को संभालना स्वतः दुर्विनियोजन का एक उच्च जोखिम है।

**हमने पाया कि सक्षम प्राधिकारी ताज महल कार्यालय से ताज स्टोर को प्राप्त आठ लाख टिकटों में से केवल 6.5 लाख टिकटें बिक्री हेतु काउंटरों को जारी की गई थीं। जबकि, स्टॉक रजिस्टर में शून्य दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त, 31784 टिकटों की बिक्री से प्राप्त राजस्व में से ₹ 6.36 लाख को सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया था। इसको इंगित किए जाने पर परिमण्डल ने बताया कि कमी को दूर कर दिया गया था। उत्तर प्रमाण योग्य नहीं था, क्योंकि संबंधित दस्तावेजों के साथ ओवरराइटिंग तथा कटिंग द्वारा छेड-छाड़ की गई थी।**

2009 तक, भा.पु.स. अपने टिकट स्मारकों में बेल पंच्ड टिकटों का उपयोग करता रहा था। महानिदेशक, भा.पु.स. ने (दिसम्बर 2009) में इन टिकटों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी थी तथा निर्देश दिया कि बार कोड टिकटों की बिक्री शुरू करें **(पैरा 7.4.1 का संदर्भ लें)**। हमने पाया कि कई स्मारकों में बेल पंच्ड टिकटों का उपयोग महानिदेशक के विशेष निर्देश के उल्लंघन में किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, भा.पु.स. ने बार कोड टिकटों की प्रणाली का आरंभ करने से पूर्व परिमण्डल/स्मारकों में पड़ी पुरानी टिकटों के स्टॉक का सत्यापन नहीं

करवाया था। टिकटों के स्टॉक की जानकारी के अभाव में प्रतिबंधित टिकटों के अप्राधिकृत उपयोग के जोखिम से भरा है।

### 7.4.3 प्रयुक्त टिकटों के काउंटर फॉइल का गैर-अनुरक्षण

पुरातत्विक निर्माण कोड प्रावधान करता है कि प्रयुक्त टिकटों के काउंटर फॉइल का अनुरक्षण कम से कम तीन वर्षों तक करना चाहिए तथा इसके पश्चात् पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इन्हें नष्ट करना चाहिए। तथापि, यह पाया गया कि उप-परिमण्डल/परिमण्डल कार्यालयों द्वारा प्रयुक्त टिकटों के काउंटर फॉइल का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। दिल्ली परिमण्डल में, उप-परिमण्डल कार्यालय उसी दिन काउंटर फॉइल को नष्ट कर देते थे, जो कि पु.नि.को. की निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन था।

***अनुशंसा 7.3:*** *भा.पु.स. को टिकट स्मारकों पर टिकट तथा प्रवेश शुल्क के संग्रहण की प्रक्रिया को कारगर बनाने की आवश्यकता है।*

मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि स्मारकों पर जटिलताओं एवं पर्यटकों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए तंत्र का मजबूत करने के लिए भा.पु.स. द्वारा सलाहकार की नियुक्ति की गयी थी।

### 7.4.4 राजस्व उद्ग्रहण में विविधता लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए

मंत्रालय द्वारा स्मारकों एवं संग्रहालयों से राजस्व उद्ग्रहण के नए साधनों को आरंभ करने का कोई कदम नहीं उठाए गए। अधिकतर स्थलों पर कोई स्मृति दुकानें, अनुकूलित पर्यटन अथवा प्रभार आधार पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं जैसे कि विश्व में उत्तम अभ्यासों (ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस) में पाया जाता है।

***अनुशंसा 7.4:*** *मंत्रालय को विरासत स्थलों तथा संग्रहालय से राजस्व उद्ग्रहण के नवीन साधनों को खोजने तथा विविधता की आवश्यकता है। वैश्विक रूप से अपनाए गए उत्तम व्यवहारों के आधार पर विकल्प खोजने चाहिए।*

### 7.4.5 राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा सरकारी धन को व्यक्तिगत खाते में अनियमित रूप से रखना

प्राप्ति एवं भुगतान के नियमावली के नियम 6 के अनुसार राजस्व के रूप में सरकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त धन अथवा प्रेषित धन अथवा शासकीय देयताएं बिना किसी विलम्ब के समस्त रूप से सरकारी खाते में शामिल करने हेतु प्राधिकृत बैंक में जमा करना चाहिए।

राष्ट्रीय संग्रहालय ने एक निजी कम्पनी[56] के साथ अगस्त 2003 में ओडियो गाइड सेवाएं प्रदान करने हेतु अनुबंध किया था। ओडियो गाइड सेवाएं प्रदान करने के एवज में पर्यटकों से प्राप्त शुल्क को कंपनी तथा संग्रहालय को अनुबंध के आधार पर आपस में बांटा जाना था। हमने पाया कि ओडियो गाइड सेवाओं से प्राप्त राशि को अलग से राष्ट्रीय संग्रहालय के दो अधिकारियों के नाम पर अक्तूबर 2005 में खोले गए बचत बैंक खाते में जमा किया जा रहा था। राष्ट्रीय संग्रहालय ने अगस्त 2007 तक जमा राशि के खाते को व्यक्तिगत अधिकारियों के नाम से बंद करवा दिया तथा राष्ट्रीय संग्रहालय के नाम से दूसरा खाता खोला। सरकारी धन को अक्तूबर 2005 से अगस्त 2007 तक कर्मचारियों के नाम से व्यक्तिगत खाते में रखना एक बड़ी अनियमितता थी।

राष्ट्रीय संग्रहालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया (दिसम्बर 2011) कि अलग से बैंक खाता खोलने की अनुमति महानिदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय से ली गई थी।

### 7.4.6 लाइसेंस शुल्क की गैर-वसूली

राष्ट्रीय संग्रहालय ने तीन संगठनों अर्थात् राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, द हैण्डीक्राफ्ट एवं हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड तथा खातिरदारी केटरिंग सर्विसेस को कार्यालय में स्थान प्रदान किया था। हमने पाया कि राष्ट्रीय संग्रहालय ने शहरी विकास मंत्रालय के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार इन संस्थानों से निर्धारित बाजार दर से लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं किया गया था।



[56] मै. नैरोकास्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

# अध्याय – VIII

# श्रम शक्ति प्रबंधन



विरासत संरक्षण में शामिल किसी भी अभिकरण हेतु सुप्रशिक्षित, अनुभवी तथा पर्याप्त श्रमशक्ति की पूर्व अपेक्षित आवश्यकता है। हमने पाया कि भारत में विरासत संरक्षण के कार्यो में लगे संगठन तकनीकी श्रमशक्ति की भारी कमी का सामना कर रहे थे।

## 8.1 भा.पु.स. में श्रमशक्ति प्रबंधन

### 8.1.1 श्रमशक्ति की कमी

विभिन्न संवर्गों में तैनात कर्मचारियों की तुलना में संस्वीकृत कार्यबल की समग्र स्थिति ने स्टाफ की भारी कमी को प्रकट किया। समय के बीतने के साथ, भा.पु.स. में कार्य प्रोफाइल तथा कार्य क्षेत्र में बड़ें बदलावों को देखा गया था। इसने प्रतिकूल रूप से संगठन के निष्पादन तथा उत्पादन को प्रभावित किया। श्रम शक्ति की कमी 21.4 *प्रतिशत* से 41.7 *प्रतिशत* के बीच थी जैसा नीचे तालिका मे दिया गया है:

**तालिका 8.1 भा.पु.स. की श्रमशक्ति की स्थिति**

| क्र.सं. | पदों का वर्गीकरण | संस्वीकृत कार्यबल | भरे गए | रिक्त | रिक्तता की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वर्ग क | 235 | 137 | 98 | **41.7** |
| 2. | वर्ग ख | 459 | 328 | 131 | **28.5** |
| 3. | वर्ग ग | 1599 | 1257 | 342 | **21.4** |
| 4. | वर्ग घ | 6152 | 4275 | 1877 | **30.5** |
| कुल | | **8445** | **5997** | **2448** | **28.9** |

हमने पाया कि अपर महानिदेशक पुरातत्व के चार पद तथा संयुक्त महानिदेशक के 18 पद, जिन्हें 2011 में नव सृजित किया गया था, अपने सृजन से रिक्त पड़े थे।

### 8.1.2 संरक्षण हेतु क्षमता निर्माण

उपयुक्त प्रशिक्षण तथा परियोजना के माध्यम से स्टाफ का क्षमता निर्माण संरक्षण कार्यों के उपयुक्त निष्पादन हेतु महत्वपूर्ण है। विरासत संरक्षण हेतु पर्याप्त विशेषज्ञता, तकनीकी ज्ञान तथा गहन पर्यवेक्षण अपेक्षित है।

हमने पाया कि भा.पु.स. के पास संरक्षण कार्य हेतु पूर्ण सवंर्ग था। यह अभियन्ताओं तथा संरक्षकों के विभिन्न तकनीकी पदों के अतिरिक्त निदेशक (संरक्षण) से फोरमैन (निर्माण कार्य) के बीच विस्तृत था। उप-परिमण्डल कार्यालयों की अध्यक्षता संरक्षण सहायकों द्वारा की जा रही थी, जो सहायक/उप-अधीक्षक अभियंताओं के निर्देशन के अंतर्गत फोरमैन की मदद से स्मारकों पर संरक्षण कार्यों को पूरा करने हेतु उत्तरदायी थे। बागवानी तथा विज्ञान शाखाओं में क्रमशः पर्यावर्णीय तथा रासायनिक संरक्षण कार्यों को पूरा करने हेतु तकनीकी रूप से योग्य स्टाफ था।

### 8.1.3 तकनीकी संवर्ग में रिक्तियाँ तथा कमियाँ

तीन मुख्य संरक्षण शाखाओं के संस्वीकृत कार्यबल में मुख्य रूप से पुरातत्व विज्ञानी, अभियंता, बागवानी विशेषज्ञ तथा रासायनिक वैज्ञानिकों के तकनीकी पद सम्मलित है। यहाँ तक कि वर्ग 'घ' स्तर पर स्मारक एवं उद्यान सहायकों ने भी स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन शाखाओं की स्टाफ स्थिति निम्नानुसार थी:

**तालिका 8.2 संरक्षण शाखाओं में रिक्तियों के विवरण**

| | संस्वीकृत पद | भरे हुए पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|
| संरक्षण शाखा | 503 | 369 | 134 |
| बागवानी शाखा | 114 | 106 | 8 |
| विज्ञान शाखा | 140 | 123 | 17 |
| **कुल** | 757 | 598 | 159 |

इस प्रकार, संरक्षण कार्यों हेतु 757 संस्वीकृत पदों में से 159 पद (21 *प्रतिशत*) रिक्त थे। इसके अतिरिक्त, बागवानी शाखा में उद्यान सहायक के 1267 पदों में से 246 पद (19 *प्रतिशत*) रिक्त थे।

संसदीय स्थायी समिति ने 2005 की अपनी रिपोर्ट में भी महत्वपूर्ण तकनीकी संवर्गों में रिक्तियों पर चिंता व्यक्त की थी।

### 8.1.4 स्मारक सहायकों की कमी

भा.पु.स. के स्मारक सहायक वनस्पति निकासी, सफाई, धूल झाड़ने, झाडू लगाने, आंगतुकों को नियंत्रित करने, प्रवेश टिकटों की बिक्री में सहायता प्रदान करने आदि सहित स्मारकों के दैनिक अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी थे। भा.पु.स. के पास 3678 वर्तमान स्मारक थे। 3458 संस्वीकृत पदों में से स्मारक सहायकों के 1279 (37 *प्रतिशत*) पद रिक्त थे। परिणामस्वरूप अधिकांश स्मारकों में पूर्ण कालिक गार्ड नहीं थे। स्मारकों में चोरी, अतिक्रमण, अप्राधिकृत निर्माण आदि के मामलों,

जिन पर **अध्याय 9** में चर्चा की गई है, को कर्मचारी बल में स्मारक सहायकों की कमी के रूप में आरोपित किया जा सकता है।

### 8.1.5 कार्य का वितरण

संरक्षण सहायकों के बीच कार्य का वितरण अनियमित था, तथा कुछ मामलों में संरक्षण सहायक के पास उसके नियंत्रण के अंतर्गत भौगोलिक रूप से फैले 50 से अधिक स्मारक थे। इसने नियमित पर्यवेक्षण तथा कड़ी मॉनीटरिंग के कार्य को वास्तव में असंभव कर दिया। उदाहरणार्थ, आगरा परिमण्डल में एक संरक्षण सहायक के नियंत्रण के अंतर्गत स्मारक, परिमण्डल कार्यालय से 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक तथा विभिन्न जिलों में फैले थे।

### 8.1.6 तकनीकी स्टाफ का प्रशासनिक कार्यों हेतु उपयोग

संरक्षण सहायक (सं.स.) का संवर्ग स्मारक के अनुरक्षण, सुरक्षा तथा रख-रखाव हेतु महत्वपूर्ण संवर्ग है। हमने पाया कि सं.स. पर प्रशासनिक कार्यों अर्थात् राजस्व की दैनिक प्राप्तियां एवं जमा, सुरक्षा की मॉनीटरिंग, कानूनी मामलों को संभालना, अप्राधिकृत निर्माण को नोटिस जारी करना तथा अन्य नियमित कार्य से अधिक भार डाला गया था। इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों ने चालू संरक्षण कार्यों के प्रलेखन, निष्पादन तथा पर्यवेक्षण की उनकी मुख्य जिम्मेदारी हेतु उनके पास उपलब्ध समय को काफी हद तक कम किया।

### 8.1.7 अस्पष्ट रिपोर्टिंग: श्रेणी बद्धता

विज्ञान शाखा में तीन प्रभागीय कार्यालय (प्रत्येक की अध्यक्षता एक अधीक्षक पुरातत्वविज्ञानी रसायनज्ञ (अ.पु.र.) द्वारा की जाती है) तथा 11 क्षेत्रीय कार्यालय (जिनकी अध्यक्षता उप अधीक्षक पुरातत्वविज्ञान रसायनज्ञ (उ.अ.पु.र.) द्वारा की जाती है) थे। प्रभागीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को श्रेणीबद्ध करने हेतु कोई विशिष्ट मापदण्ड नहीं था। कुछ क्षत्रीय कार्यालय (यथा क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली) सीधे निदेशक (विज्ञान) को रिपोर्ट कर रहे थे, जबकि अन्य (यथा क्षेत्रीय कार्यालय पटना) संबंधित प्रभागीय कार्यालय को रिपोर्ट कर रहे थे। इसी प्रकार, अधिकार क्षेत्र की सीमा भी एक क्षेत्रीय कार्यालय के मुकाबले दूसरे से अलग थी। कुछ केवल एक परिमण्डल में स्मारकों की देख भाल कर रहे थे जबकि अन्य मामलों में, अधिकार क्षेत्र कुछ परिमण्डलों तक फैला था।

## 8.2 रिक्त पदों को भरने के प्रयास

### 8.2.1 समितियों की अनुशंसाएं

भा.पु.स. के श्रमशक्ति प्रबंधन की अतीत में कई समितियों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की गई थी जैसा नीचे तालिका में दिया गया है:

**तालिका 8.3 श्रमशक्ति पर समितियों की अनुशंसाएं**

| क्र.सं. | समिति | वर्ष | अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|
| 1. | व्हीलर समिति | 1965 | लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई |
| 2. | लोक सभा अनुमान समिति | 1973-74 | इन समितियों की अनुशंसाओं को जब तक अपनाया गया वह पहले ही पुरानी हो गई थीं। |
| 3. | पुरातत्व विशेषज्ञ समूह, मिर्धा समिति | 1983-84 | समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थीं |
| 4. | पांचवा केन्द्रीय वेतन आयोग | 1997 | भा.पु.स. में एक केन्द्रीय पुरातात्विक सेवा जिसमें पुरातत्व विज्ञानी, वैज्ञानिक, पुरालेखशास्त्री तथा संरक्षकों के संवर्ग शामिल हो, की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। अनुशंसाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया |
| 5. | प्रोफेसर बी.बी. लाल के अधीन समीक्षा समिति | 2001 | अनुशंसाओं को भारत सरकार द्वारा विस्तृत रूप से स्वीकार कर लिया गया था परंतु किसी भी अनुशंसा का अभी तक कार्यान्वयन नहीं किया गया |
| 6. | मोईली समिति | फरवरी2010 | अनुशंसाओं को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया |

हम इन अनुशंसाओं के गैर-कार्यान्वयन के कारणों को सुनिश्चित नहीं कर सके। इसने भा.पु.स. के कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

## 8.2.2 कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती

हमने पाया कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती को अभी भी कार्यान्वित किया जाना था (नवम्बर 2012) क्योंकि भा.पु.स. तथा कर्मचारी चयन आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु अंक मापदण्ड की प्रतिशतता के संबंध में करार को अंतिम रूप नहीं दे सके थे। परिणामस्वरूप, 178 के संस्वीकृत पदों के प्रति विभिन्न संवर्गों में 80 रिक्तियां थीं।

## 8.2.3 सलाहकारों की नियुक्ति

विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, भा.पु.स. ने सक्षम प्राधिकारी अर्थात आई.एफ.डी. से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् संरक्षण, कानूनी, मानव

संसाधन, आदि में 21 सलाहकारों की नियुक्ति भी की थी। भा.पु.स. ने 2009-10 से 2011-12 के दौरान 31 डाटा एन्ट्री आपरेटरों, आशुलिपिकों, बावर्ची आदि को आउटसोर्स भी किया था।

हमने पाया कि परिमण्डलों में ये सभी संविदात्मक नियुक्तियां नियमित कार्यालय कार्य के लिए थी न कि भ.पु.स. के मूल कार्यों के लिए। इसलिए, सलाहकारों की नियुक्ति से भी महत्वपूर्ण संवर्गों में कमियों को पूरा नहीं किया जा सका था।

### 8.2.4 भर्ती नियमावली का गैर -निर्धारण

हमने पाया कि नए सृजित अपर महानिदेशक पुरातत्व के चार पद (2011) तथा संयुक्त महानिदेशक के अठारह पद रिक्त थे, क्योंकि अभी तक भर्ती नियमावली (भ.नि.) तैयार नहीं की गई थी। आगे उप-अधीक्षक पुरातत्व अभियंता के 14 पद, एक उप-अधीक्षक पुरालेखशास्त्री (संस्कृत शिलालेख), दो वरिष्ठ कलाकारों, चार मूतिकार ग्रेड-II, दो मैकनिक तथा कई वर्ग 'घ' के पद रिक्त थे, क्योंकि भर्ती नियमावली संशोधन के अधीन थी।

पुरातत्व संस्थान को 1958-59 में स्थापित किया गया था। इसके उन्नयन के एक भाग के रूप में वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 1985 से विभिन्न वर्गों में 45 पदों के सृजन की स्वीकृति दी। इन पदों को भी भर्ती नियमावली गैर-निर्धारण के कारण भरा नहीं गया था। इस कार्य को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई थी तथा परिणामस्वरूप, पद रिक्त पड़े रहे।

## 8.3 वैज्ञानिक विभाग की स्थिति प्राप्त करने में विफलता

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित समूह की अनुशंसाओं के अनुसार, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भा.पु.स. को मई 1989 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय संस्थान के रूप में स्वीकृत किया। भा.पु.स. को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अक्तूबर 1989 की अधिसूचना के माध्यम से "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग" के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। हमने पाया कि इस उद्देश्य हेतु वेज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों, कार्यों, गतिविधियों, निदेशकों एवं मुख्य उद्यान विशेषज्ञ के अनुसंधान पर सूचना को निर्धारित प्रोफार्मा में मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना था। तथापि, भा.पु.स. नवम्बर 2012 तक यह डाटा एकत्रित करने में असमर्थ था। परिणामस्वरूप, विभाग को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के ढांचे में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

## 8.4 क्षेत्रीय महानिदेशालयों के कार्य

महानिदेशक (म.नि.) तथा फील्ड कार्यालयों के बीच अंतर्संबंध के रूप में कार्य करने की दृष्टि से पांच क्षेत्रीय निदेशकों (क्षे.नि.) को संगठित किया गया था (अप्रैल 2009)। क्षे.नि. कार्यालय का कार्य फील्ड कार्यालयों का निदेशन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना था। हमने पाया कि क्षेत्रीय

निदेशक सहायक स्टाफ के बिना कार्य कर रहे थे, तथा अधिकांश मामलों में अधीक्षक पुरातत्वविद् क्षेत्रीय निदेशकों का अतिरिक्त कार्य भार संभाल रहे थे।

इस प्रकार रिक्तियों को भरने हेतु भा.पु.स. के प्रयास अपर्याप्त पाए गए थे। मंत्रालय भी इस अत्यावश्यक मामले का निपटान करने हेतु अपेक्षित पर्यवेक्षण प्रदान करने में विफल रहा।

## 8.5 संग्रहालयों का श्रमशक्ति प्रबंधन

इसी प्रकार यह पाया गया कि संग्रहालयों में भी अपर्याप्त स्टाफ था। संग्रहालयों में संस्वीकृत तथा रिक्त पदों के विवरण निम्नानुसार थे:

**तालिका8.4रिक्त पदों की स्थिति**

| क्र.स. | संग्रहालय का नाम | संस्वीकृत पद | रिक्त पद | रिक्तियों की अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय संग्रहालय | 276 | 122 | कुछ पद 1983 से रिक्त थे |
| 2. | इलाहाबाद संग्रहालय | 86 | 15 | उपलब्ध नहीं |
| 3. | सालारजंग संग्रहालय | 166 | 39 | एक साल सात महीनों से 16 वर्ष |
| 4. | भारतीय संग्रहालय | 209 | 60 | उपलब्ध नहीं |
| 5. | विक्टोरिया मेमोरियल हॉल | 176 | 53 | चार महीनों से 25 साल एक महीने |
| 6. | एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता | 257 | 45 | चार महीनों से दो साल तीन महीने |

राष्ट्रीय संग्रहालय सितम्बर 2007 से 2011 के दौरान, एक पूर्णकालिक महानिदेशक के बिना रहा।

***अनुशंसा 8.1:*** *मंत्रालय को श्रमशक्ति की कमियों, विशेष रूप से संरक्षण संबंधी कार्यों में लगे महत्वपूर्ण संवर्गों में, का समाधान करने हेतु तुरंत कदम उठाने चाहिए।*

मंत्रालय ने सूचित किया (मई 2013) कि दीर्घ अवधि आधार पर श्रमशक्ति की कमी का निपटान करने हेतु भा.पु.स. के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

## 8.6 रा.सं.प्रा. में श्रमशक्ति प्रबंधन

### 8.6.1 सदस्यों के चयन में अनियमितताएं

रा.सं.प्रा. के पूर्णकालिक तथा अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति हेतु कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की गई थी। समिति में तीन विशेषज्ञ अर्थात् प्रोफेसर ए.जी.के. मेनन (संरक्षण विशेषज्ञ), प्रोफेसर बी.एन. गोस्वामी (सुप्रसिद्ध कला इतिहासकार) तथा श्री बाल कृष्ण दोशी (श्रेष्ठ वास्तुकार) शामिल थें। **भा.पु.स. इन तीन विशेषज्ञों के चयन के आधार के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाया।**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय) ने अपने पत्र 22 जून 2010 के माध्यम से निर्देश दिया था कि प्राधिकरण के चयन के समय अधिकतम आयु 59 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा ऐसी नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए।

तथापि, सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन की माँग करते हुए म.नि. भा.पु.स. द्वारा जारी विज्ञापन में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया था तथा उल्लेखित अधिकतम आयु 67 वर्ष थी। यद्यपि विज्ञापन में ये **'गलतियाँ'**, आवेदनों के जाँच प्रक्रिया से पहले देख ली गई थीं, तथा प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग के निर्देशों को शामिल करने के पश्चात एक नया विज्ञापन जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, फिर भी म.नि. भा.पु.स. ने गलत विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के साथ जाने का ही निर्णय लिया।

भारत सरकार (प्र.का.वि.) के निर्देशों का पालन न करने के कारण किसी भी स्तर पर दर्ज नहीं किए गए थे।

दिलचस्प बात है कि, भा.स.प्रा. के सदस्यों हेतु आवेदन, प्रमाणित अनुभव तथा अपने निम्नलिखित विषयों में विशेषज्ञता वाले श्रेष्ठ व्यवसायिकों से आमंत्रित की गई थी।

- पुरातत्व,
- देश एवं शहर योजना,
- वास्तुकला विरासत,
- संरक्षण वास्तुकला अथवा
- विधि

विषयों के इस चयन को स्पष्ट करने हेतु अभिलेख में कुछ नहीं था, विज्ञापन में न्यूनतम अनुभव के विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया था। हम "विधि" को विशेषज्ञता के एक विषय के रूप में शामिल करने के कारणों का मूल्यांकन नहीं कर सके क्योंकि इस कार्य में जटिल विधि मामले नहीं थे।

अक्तूबर 2010 में 10 समाचार पत्रों में जारी एक विज्ञापन के उत्तर में 163 आवेदन प्राप्त किए थे जिनका इन तीन विशेषज्ञों द्वारा चयन किया गया था, तथा चयन समिति द्वारा 15 चयनित उम्मीद्वारों को साक्षात्तकार हेतु बुलाया गया था। 15 चयनित उम्मीदवार वह उम्मीदवार थे जिनका चयन या तो तीनों विशेषज्ञों द्वारा या दो विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। हमने अभिलेख में चयनित उम्मीदवारों की केवल सूचियाँ पाई जिसमें 13 तथा अन्य में 15 की संख्या का उल्लेख था। तथापि, प्रोफेसर बी.एन. गोस्वामी द्वारा चयनित उम्मीवारों की सूची अभिलेख में नहीं पाई गई थी। इसकी अनुपस्थिति में, तीन विशेषज्ञों द्वारा चयनित उम्मीदवारों की वास्तविकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। यह भी अभिलेख में नहीं था कि किस आधार पर इन तीनों विशेषज्ञों द्वारा यह चयन किया गया था।

163 उम्मीदवारों की सूची भी पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं थी क्योंकि एक उम्मीदवार डा. वी.एन. परांजपे का नाम सूची में तीन बार उल्लेख किया गया था। इसके कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। कैबनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया तथा अंततः केवल एक पूर्ण कालिक तथा दो अंशकालिक सदस्यों का चयन किया।

## 8.6.2 पदों का न भरा जाना

रा.स.प्रा. हेतु तेरह पद संस्वीकृत किए गए थे, तथापि यह पाया गया कि 13 संस्वीकृत पदों में से केवल तीन पद अर्थात् सदस्य सचिव, प्रशासनिक अधिकारी तथा फोटों अधिकारी[57], भरे गए थे तथा शेष 10 पद रिक्त थे। पूर्ण कालिक कर्मचारियों के अभाव में, रा.स.प्रा. ने भर्ती अभिकरण के माध्यम से लिपिक तथा वर्ग IV स्टाफ को रखने के अतिरिक्त ₹15000/- से ₹50,000 के बीच के मासिक पारिश्रमिक वाले 19 सलाहकारों को रखा। कुछ पदों को न भरने का एक कारण उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदनों की गैर-प्राप्ति था क्योंकि भा.पु.स. में समान पदों[58] हेतु वेतनमान रा.सं.प्रा. से अधिक है। रा.सं.प्रा. ने भा.पु.स. के बराबर वेतनमानों को निर्धारित करने हेतु भा.पु.स. तथा मंत्रालय के साथ कभी मामला नहीं उठाया।

इस प्रकार, जबकि भा.पु.स. ने निष्पादन में लगभग सभी कमियों को उपयुक्त श्रमशक्ति को अरोपित किया फिर भी मंत्रालय ने परिस्थिति को सुधारने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। यह इस बात का द्योतक है कि मंत्रालय इस महत्वपूर्ण मामले पर पर्याप्त पर्यवेक्षण करने में विफल था।

---

57 सदस्य सचिव ने नवम्बर 2010 में अतिरिक्त कार्य भार संभाला है तथा मार्च 2011 में पूर्ण कार्य भर पुनः ग्रहण किया है। दोनों अन्य अधिकारी जून-जुलाई 2011 से भा.पु.स. से प्रतिनियुक्ति पर है।

58 भा.पु.स. में 4600 तथा रा.स.प्रा. में 4200 के ग्रेड वेतन वाले वास्तुशिल्पीय आरेखन अधिकारी तथा सर्वेक्षण अधिकारी के पद

# अध्याय – IX

# स्मारकों तथा परावशेषों की सुरक्षा



**एक स्थल अथवा स्मारक की सुरक्षा, उसके बचाव के लिए अनिवार्य है। भा.पु.स. को केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा अतिक्रमण अप्राधिकृत पहुंच स्थल की क्षति तथा इसके भागों की चोरी के जोखिम से बचाने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। ये संरक्षित स्थल हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं और इस कारण से उपद्रवियों द्वारा हमले तथा क्षति से संभावित स्थल भी हैं। इन स्मारकों की विभिन्न सुरक्षा आवश्यकताएं हैं। भा.पु.स. ने स्मारकों के भीतर तथा आस-पास किसी भी अप्राधिकृत निर्माण से बचने हेतु नियम तैयार किए तथा कई अधिसूचनाएं जारी की थीं।**

## 9.1 स्मारकों के भीतर तथा आस-पास अतिक्रमण तथा अप्राधिकृत निर्माण

### 9.1.1 अतिक्रमण

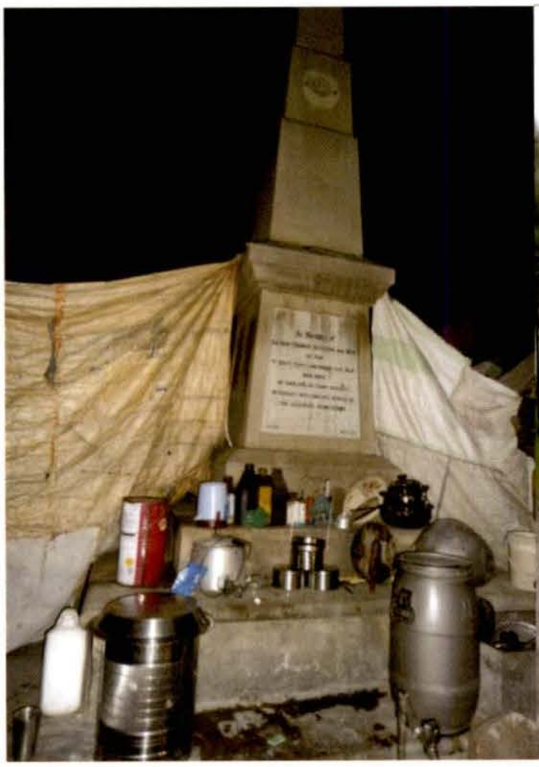

दो समाधिक्षेत्र, लखनऊ

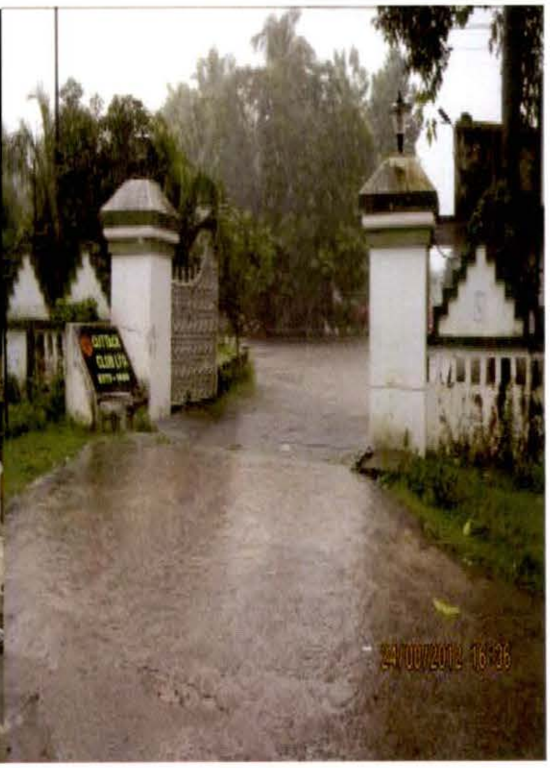

बाराबत्ती किले, कटक में कटक क्लब

प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. नियमावली 1959 के अनुसार संरक्षित स्मारक के भीतर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जिससे स्मारक के किसी भी भाग को हानि अथवा क्षति हो अथवा होने की संभावना हो। अधिनियम ने आगे प्रावधान किया है कि कोई भी व्यक्ति, संरक्षित क्षेत्र के स्वामी अथवा अधिकारी सहित, केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना संरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भी इमारत का निर्माण अथवा कोई भी खनन, उत्खनन, खुदाई, विस्फोट अथवा ऐसे क्षेत्र में इस प्रकार की प्रकृति का कोई भी कार्य अथवा किसी भी प्रकार से ऐसे क्षेत्र अथवा किसी भी भाग का उपयोग नहीं करेगा। इस प्रकार, संरक्षित क्षेत्र में कब्जा/कोई भी अन्य अप्राधिकृत गतिविधि, अतिक्रमण के रूप में जानी जाती थी।

हमने पाया कि कई केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, व्यक्तियों, निजी संगठनों, यहां तक की सरकारी विभागों द्वारा अतिक्रमण से ग्रस्त थे। भा.पु.स. ने सूचित किया (अप्रैल 2012) कि व्यक्तिगत/संगठनों द्वारा अतिक्रमण किए गए 249 स्मारक थे। तथापि, यह सूचना सही नहीं थी, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है:

परिमण्डलों के अभिलेखों की संवीक्षा में 3678 में से 1655 (45 *प्रतिशत*) चयनित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण ने प्रकट किया कि भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा सूचित 249 के स्थान पर कम से कम 546 स्मारकों में अतिक्रमण था। अतिक्रमण किए गए स्मारकों का परिमण्डल-वार विवरण **अनुबंध 9.1** में दिया गया है। इन 546 अतिक्रमणों में से सरकारी विभाग/अभिकरण 46 स्मारकों में अतिक्रमण हेतु उत्तदायी थे।

स्पष्ट रूप से, उप-परिमण्डलों ने स्मारकों में अतिक्रमण के होने के संबंध में संबंधित परिमण्डलों को सूचित नहीं किया था। इससे प्रकट होता है कि या तो उप-परिमण्डलों द्वारा स्मारकों का आवधिक रूप से निरीक्षण नहीं किया गया था या फिर अतिक्रमण उप-परिमण्डलों की साठ-गांठ से किए गए थे। आवधिक रूप से भा.पु.स. मुख्यालय हेतु उप- परिमण्डल से परिमण्डल कार्यालय को अतिक्रमण के संबंध में सूचना एकत्रित करने हेतु कोई रिपोर्ट/प्रक्रिया नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए अतिक्रमण के कुछ सबसे स्पष्ट उदाहरण निम्नलिखित हैं:

**तालिका 9.1 अतिक्रमण के मामले**

| क्र.सं. | परिमण्डल का नाम | स्मारक का नाम | चिंता का क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1. | **भुवनेश्वर** | सिसुपालगढ़ किला: (जिला ओड़िशा) | अधिसूचित क्षेत्र 562.681 एकड़ था जिसमें से केवल 0.775 एकड़ भा.पु.स. के पास था तथा शेष राज्य सरकार तथा निजी स्वामियों के पास था। राज्य सरकार ने कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित किया तथा कुछ इमारतों के |

| क्र.सं. | परिमण्डल का नाम | स्मारक का नाम | चिंता का क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| | | | निर्माण को अनुमत किया। भा.पु.स. अतिक्रमण के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने में विफल रहा।<br>भा.पु.स. राज्य सरकार के सहयोग से इन गतिविधियों को रोकने हेतु मंत्रालय स्तर तक मामले को उठाने में भी विफल रहा। |
| **2.** | **हैदराबाद** | गोलकोंडा किला | 1988 में 1951 की मूल अधिसूचना में एक संशोधन द्वारा नया किला, कुतुब शाही महल को गोलकोंडा किले में शामिल किया गया था। तथापि, इसे आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को सूचित नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने स्मारक के भीतर नया किले में डम्पिंग यार्ड के रूप में उपयोग की जाने वाली अनुमति दी जिसे बाद में गोल्फ क्लब बनाने हेतु हैदराबाद गोल्फ कोर्स को लाइसेंस दिया गया था। |
| **3.** | **जयपुर** | किले की चार दीवारी के आस-पास खाई, भरतपुर | नगर निगम, भरतपुर ने भा.पु.स. की अनुमति के बिना राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (रा.रा.स.प.नि. के माध्यम से खाई दीवार का अतिक्रमण किया तथा उसके आस-पास वर्षा तथा शहर के क्षेत्रों के गंदे पानी हेतु एक नाली का निर्माण किया। रा.रा.स.प.नि. द्वारा निर्मित नाली दोषपूर्ण थीं तथा इसे अपूर्ण छोड़ा गया था जिससे यह टूट गई तथा इससे खाई की दीवार को क्षति हुई। |
| **4.** | **कोलकाता** | मोती झील मस्जिद | स्मारक को विस्तृत अतिक्रमण तथा स्मारकों के भीतर मदरसाओं के कार्य करने के बावजूद 2011 में अधिसूचित किया गया था। मदरसा अभी भी कार्य कर रहा था तथा कुछ लोग मस्जिद के परिसर में रह रहे थे। इसने स्थल पर भा.पु.स. के नियंत्रण को प्रतिबंधित किया। |

| क्र.सं. | परिमण्डल का नाम | स्मारक का नाम | चिंता का क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 5. | कोलकाता | सिविल हाउस | स्मारक को, भवन में रह रहे 22 परिवारों को हटाए बिना 2004 में अधिसूचित किया गया था। यह परिवार अभी भी गैर-कानूनी ढंग से भवन के भागों जहां परिमण्डल कार्यालय की कोई पहुंच नहीं है, में रह रहे थे (मई 2012)। |
| 6. | त्रिशूर | बेकल किला | संरक्षित क्षेत्र पर बेकल किले में विश्राम गृह का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया था। 2001 में केरल राज्य सरकार ने मैसर्स बेकल रिसोर्ट विकास निगम (बे.रि.वि.नि.) द्वारा विश्राम गृह इमारत उन्नयन करने तथा संचालन करने हेतु इसे पर्यटन विभाग को सूपुर्द किया। बाद में राज्य लोक निर्माण विभाग ने विश्राम गृह इमारत को किराए पर बे.रि.वि.नि. को हस्तांतरित किया। इस प्रकार, इस अतिक्रमण की गई इमारत ने संरक्षित स्मारक के भीतर कार्य करना जारी रखा। |
| 7. | रायपुर | चित्तूरगढ़ किला, बिलासपुर | वन विभाग, काटघोरा प्रभाग ने सरंक्षित क्षेत्र के अंदर एक विश्राम गृह तथा इ.सी.आ. इमारत का निर्माण किया। गांववासियों द्वारा शनि मंदिर तथा हनुमान मंदिर का, तथा मंदिर ट्रस्ट समित द्वारा ज्योति भवन तथा भोग शाला का निर्माण किया गया था। यह सभी निर्माण भा.पु.स. की पूर्व अनुमति के बिना किए गए थे। |
| 8. | रायपुर | दंत्तेश्वरी मंदिर, बस्तर | संरक्षित क्षेत्र के भीतर मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक सभा कक्ष तथा पुजारियों हेतु घर तथा छत्तीसगढ़ राज्य नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा एक सोलर प्रणाली पैनल कक्ष का निर्माण किया गया था। |

| क्र.सं. | परिमण्डल का नाम | स्मारक का नाम | चिंता का क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 9. | दिल्ली | तुगलकाबाद किला | 2006 में स्थल निरीक्षण के दौरान भा.पु.स. के सुरक्षा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि स्थानीय सासंदों द्वारा तुगलाबाद किले के क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया था। 2002[59] में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद, भा.पु.स. पुलिस तथा जिला प्रशासन से सहयोग की कमी के कारण किले से अतिक्रमण को खाली कराने में विफल रहा। हमें इस कार्य के संबंध में कोई प्रमाण नहीं मिले थे कि मामले को राज्य सरकार के साथ उच्च स्तरों पर अनुसरण हेतु उठाया गया था। |



भा.पु.स. ने अतिक्रमण के कारणों को स्टाफ की अनुपलब्धता तथा राज्य सरकारों से सहयोग की कमी को आरोपित किया।

***अनुशंसा 9.1:*** *भा.पु.स. को जिला तथा पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमणों के मामलों की जांच करने हेतु प्रत्येक परिमण्डल में संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्वों के साथ एक समन्वय निकाय स्थापित करना चाहिए।*

***अनुशंसा 9.2:*** *मंत्रालय द्वारा उच्चतम स्तर पर मौजूदा अतिक्रमण मामलों की नियमित मॉनीटरिंग होनी चाहिए। राज्य सरकारी अभिकरणों अथवा भारत सरकार के अभिकरणों द्वारा अतिक्रमण का मामला उच्चतर स्तरों तक उठा कर समयबद्ध प्रकार से निपटान किया जाना चाहिए।*

मंत्रालय (मई 2013) ने राज्य तथा जिला स्तरों पर समन्वय समिति के गठन की अनुशंसा को स्वीकार किया।

### 9.1.2 वर्जित तथा नियंत्रित क्षेत्रों में अप्राधिकृत निर्माण

प्रा.स्था.पु.स्थ.अ. नियमावली, 1959 ने प्रावधान किया कि एक संरक्षित स्मारक के पास अथवा से लगे क्षेत्र की खनन कार्य अथवा निर्माण अथवा दोनों के उद्देश्य हेतु वर्जित क्षेत्र अथवा नियंत्रित क्षेत्र होने की घोषणा करने से पहले केन्द्र सरकार को एक महीने का नोटिस देना था। ऐसी अधिसूचना की एक प्रति को स्थल के पास एक सुस्पष्ट स्थान पर लगाया जाना था।

---

59 एस.एल.पी.सं. 4821/2002

आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात अधिसूचना की तिथि से एक महीने की समाप्ति के पश्चात केन्द्र सरकार को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भी भाग के खनन कार्य अथवा निर्माण अथवा दोनों के उद्देश्य हेतु एक वर्जित क्षेत्र, अथवा एक नियंत्रित क्षेत्र जैसा भी मामला हो, होने की घोषणा करनी थी।

भा.पु.स. ने संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक तथा सरंक्षित स्मारक के पास अथवा से सटे इसके परे 200 मीटर तक के क्षेत्रों को, दोनों खनन तथा निर्माण के उद्देश्यों हेतु क्रमशः वर्जित तथा नियंत्रित क्षेत्रों के होने की घोषणा की (जून 1992)।



इस संशोधन को जारी करते समय, भा.पु.स. को सभी वर्जित तथा नियंत्रित क्षेत्रों में 16 जून 1992 को तथा इसके पश्चात किए गए सभी निर्माणों की पहचान करके केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित था। तथापि, भा.पु.स. यह सूचना एकत्रित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, भा.पु.स. (दिसम्बर 2012) के पास वर्जित तथा नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर 1992 तक निर्मित इमारतों तथा इमारतें जिनका निर्माण 1992 के पश्चात किया गया था के संबंध में कोई सूचना नहीं थी। इस अनिवार्य सूचना के अभाव में संशोधन का कार्यान्वयन संदेहास्पद था।

हमने पाया कि संरक्षित स्मारकों के वर्जित तथा नियंत्रित क्षेत्रों में अप्राधिकृत निर्माण के 9122 मामले थे जैसा **अनुबंध 9.2** में दर्शाया गया है। भा.पु.स. के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 98 मामलों में अप्राधिकृत निर्माण सरकारी विभागों/अभिकरणों द्वारा किया गया था।

हमने राज्य विभागों जैसे पुलिस तथा नगर निगम के साथ गंभीर समन्वय समस्याएं भी पाईं जो अप्राधिकृत निर्माण के गैर-निष्कासन का कारण बनी। यह भी पाया गया था कि कई मामलों में भा.पु.स. अधिकारियों के उत्तम प्रयासों के बावजूद जिला प्राधिकारी तथा पुलिस सहयोग नहीं दे रही थी।

**जन्तर मन्तर दिल्ली के आस-पास किया गया निर्माण**

**अप्राधिकृत निर्माण के प्रतिकूल परिणामों का सुस्पष्ट उदाहरण जन्तर मन्तर दिल्ली है, जो एक केन्द्रीय संरक्षित क्षेत्र है, में पाया जा सकता है। जन्तर मन्तर निर्माण 1724-1734 में, स्मारक पर संस्थापित विभिन्न यंत्रों (उपकरणों) पर सूर्य किरण द्वारा सृजित परछांई का अध्ययन करके सही समय, तारों एवं सूर्य की गति तथा खगोलीय वस्तुओं की ऊंचाई एवं दिशाकोण को मापने के लिए किया गया था। तथापि, जन्तर मन्तर के पास ऊंची खड़ी इमारतों के निर्माण के कारण उस पर सूर्य किरणें पड़ना बंद हो गई थीं तथा उपकरण चलना बन्द हो गए थे।**

2002 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सलाह दी कि निर्माण के निषेध को एक दृढ़ अनुभव पर नही छोड़ा जाना चाहिए बल्कि विभाग के सचेतन तथा वास्तविक अनुप्रयोग के पश्चात वहां तक पहुंचा जाना चाहिए। न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्णय की तिथि से छः महीनों की अवधि के भीतर अपनी अधिसूचना दिनांक 16 जून 1992 की समीक्षा करने का निर्देश दिया। तथापि, दिसम्बर 2012 तक ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई थी।

**बारादरी स्थल, अर्जीमुखीपुर, स्थल**

**बारादरी स्थल में तथा आस-पास जलभराव**



रांची में बारादरी स्थल, अर्जीमुखीमपुर, स्थल से संबंधित अप्राधिकृत निर्माण का एक और उदाहरण था। प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि चीनी मिट्टी की लम्बी खनन प्रक्रिया के कारण स्मारक के आसपास पानी से भरी एक गहरी खाई[60] बन गई थी। स्मारक का एक भमिगत सैल पूर्ण रूप से गायब हो गया था तथा दो तिहाई स्मारक जलभराव के कारण खराब हो गया था। इसके अतिरिक्त, जबकि अभिलेखों के अनुसार स्मारक का क्षेत्र 3.84 एकड़ था फिर भी प्रत्यक्ष निरीक्षण में पता चला कि अधिकार क्षेत्र (घेराबंदी) के अंतर्गत लगभग 2 एकड़ से अधिक नहीं था।

अप्राधिकृत निर्माण के कुछ अन्य उदाहरण जिनमें भा.पु.स. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी निम्नानुसार थेः

[60] लगभग 20-30 फूट गहरा

**तालिका 9.2 अप्राधिकृत निर्माण के मामले**

| क्र.सं. | परिमण्डल का नाम | स्मारक का नाम | चिंता का विषय |
|---|---|---|---|
| 1. | कोलकाता | मदन गोपाल मंदिर, कूचबिहार | अप्राधिकृत निर्माण के प्र.सू.रि. केवल उप-परिमण्डल के स्टाफ सहित लेखापरीक्षा दल द्वारा संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के पश्चात ही दर्ज की गई थी। |
| 2. | कोलकाता | रसमंच विष्णुपुर | अप्राधिकृत निर्माण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल उप-परिमण्डल के स्टाफ सहित लेखापरीक्षा दल द्वारा संयुक्त भौतिक निरीक्षण के पश्चात ही दर्ज की गई थी। |
| 3. | लेह लघु परिमण्डल | हैमिस गोम्पा | हैमिस गोम्पा के स्थानीय संघ ने वर्जित तथा नियंत्रित क्षेत्र में आधुनिक संग्रहालय का निर्माण करके आधुनिक निर्माण किया। तथापि, भा.पु.स. द्वारा कोई प्र.सू.रि. दर्ज नहीं की गई थी। |
| 4. | हैदराबाद | श्री कोंदांदाराम मंदिर, पद्मामुढियाम, कुदपा | वर्जित तथा नियंत्रित क्षेत्र में मोबाइल फोन टावर खड़े करने हेतु परिमण्डल कार्यालय द्वारा प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम 1958 के प्रावधानों तथा 1992 की अधिसूचना के विरूद्ध कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (आ.प्र.प.) जारी नहीं किए गए थे। |
| 5. | | चार मीनार, हैदराबाद | स्मारक के पास मोबाइल फोन टावर तथा होर्डिंग खड़े किए गए थे। परिमण्डलों द्वारा कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। |
| 6. | | भीमेश्वर स्वामी मंदिर पुष्पगंरी कुद्दपा | परिमण्डलों ने प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध स्मारक के संरक्षित क्षेत्र से 88 मीटर की दूरी पर पर्यटन सूचना केन्द्र के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। |
| 7. | | उमा महेश्वर स्वामी मंदिर, यगान्ती, कुरनूल | राज्य धर्मादा विभाग ने भा.पु.स. की अनुमति के बिना मंदिर तथा गुफा मंदिर, दोनों संरक्षित स्मारकों, को जोड़ने वाले एक पैदल पारपुल का निर्माण किया तथा भा.पु.स. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। |

## 9.2 प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. (संशोधन एवं वैधता) अधिनियम, 2010 का कार्यान्वयन

अप्राधिकृत निर्माण के मामलों को सुलझाने तथा अधिनियम के कड़े कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु नया प्रा.स्था.पु.स्थ.अ. (संशोधन एवं वैधता) अधिनियम 2010 को लाया गया था। प्रा.स्था.पु.स्थ.अ. (संशोधन एवं वैधता) अधिनियम 2010 ने केन्द्र सरकार को वर्जित क्षेत्र में मरम्मत/नवीकरण तथा केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण/पुनर्निमाण हेतु अपेक्षित अनुमति का निपटान करने हेतु राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (रा.स्मा.प्रा.) तथा सक्षम प्राधिकरी (स.प्रा.) स्थापित करने को प्राधिकृत किया।

हमने प्रणाली में कुछ कमियां पाई जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

### 9.2.1 राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण तथा सक्षम प्राधिकरण की स्थापना

संशोधन वैधता अधिनियम, 2010 ने बताया कि केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का गठन करना था। तथापि, यह पाया गया था कि अधिसूचना केवल दिसम्बर 2011 में जारी की गई थी, अर्थात मार्च 2010 में, वैधता अधिनियम 2010 के पारित होने के 20 महीनों के बाद, वह भी वैधता अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पांच सदस्यों के स्थान पर एक पूर्ण कालिक तथा दो अंशकालिक सदस्यों के साथ जारी की गई थी।

अध्यक्ष की नियुक्ति अगस्त 2012 में अर्थात अधिनियम के पारित होने के 2 वर्षों के पश्चात की गई थी। सरकार अब तक (सितम्बर 2012 चार पूर्ण कालिक सदस्यों तथा तीन अंशकालिक सदस्यों को नियुक्त करने में विफल रही। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति में विलम्ब ने प्रतिकूल रूप से राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के कार्यों को प्रभावित किया।

वैधता अधिनियम, 2010 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार पुरातत्व निदेशक अथवा पुरात्तव आयुक्त के पद से ऊपर अथवा समान पद का अधिकारी हो जिसे सरकारी राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

### 9.2.2 राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की संस्थापना में विलम्ब

हमने पाया कि अध्यक्ष की नियुक्ति अगस्त 2012 में जाकर ही की गई थी, अर्थात अधिनियम के पारित होने के 28 महीने पश्चात सरकार अब तक (सितम्बर 2012) चार पूर्णकालिक सदस्यों तथा तीन अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति करने में विफल रही। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति में विलम्ब निश्चित रूप से प्राधिकरण की दक्षता में बाधा डालेगा।

## 9.2.3 अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदनों का संसाधन

वैधता अधिनियम 2010 की धारा 20 ग से उ तक ने स्मारक के वर्जित/नियंत्रित क्षेत्र में मरम्मत/निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (अ.प्र.प.) जारी करने की प्रक्रिया को पारिभाषित किया जो कि निम्नानुसार है:-

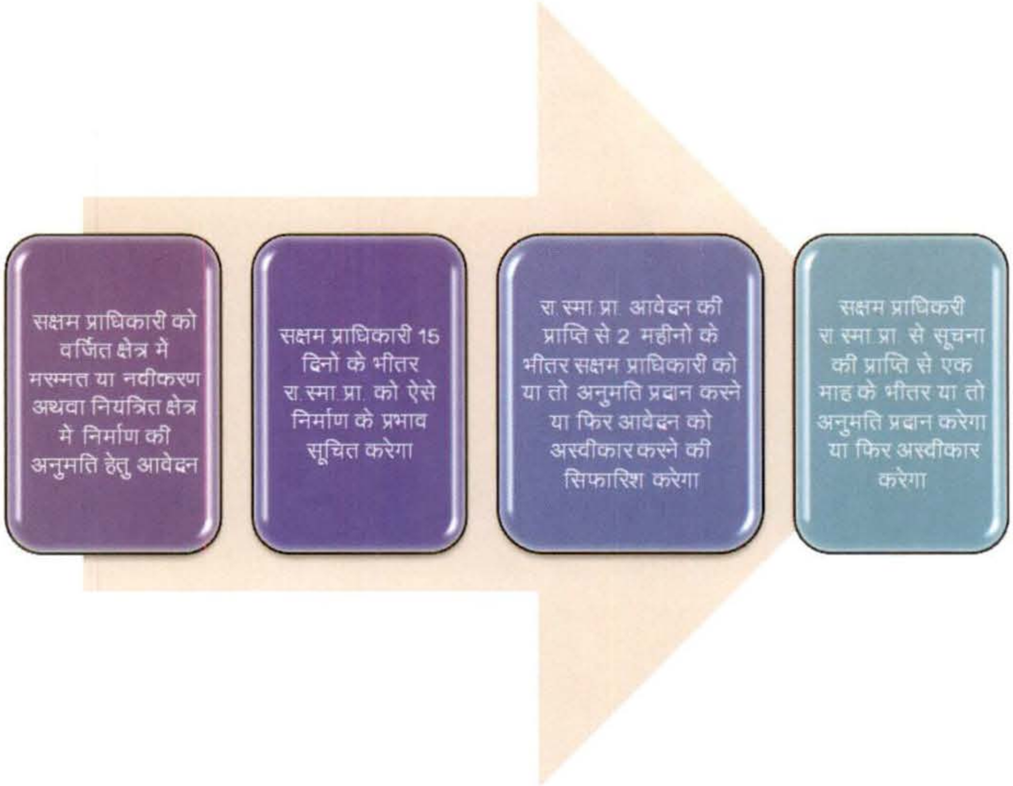


**चार्ट 9.1 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया**

31 मार्च 2012 तक, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से अनुशंसित 781 आवेदन प्राप्त किए थे। इनमें से, केवल 259 आवेदनों (33 *प्रतिशत*) को प्राधिकरण की बैठक हेतु प्रस्तुत किए गए थे। अभिलेख में 781 में से 259 मामलों के चयन के संदर्भ में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। किसी भी प्रलेखन के अभाव में हम प्रद्धति को सत्यापित करने में असमर्थ थे, जिसमें इन आवेदनों का संसाधन हेतु चयन किया गया था। कुछ आवेदनों को संसाधित करने हेतु मुख्य कारण राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के सदस्यों के चयन में विलम्ब को आरोपित किया गया था।

अधिनियम ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने/अस्वीकार करने हेतु आवेदक से प्राप्त आवेदनों का संसाधन करने के लिए समय सीमा निर्धारित करता है। निर्धारित समय सीमा के अनुसार, आवेदक को आवेदन के निवेदन से साढे तीन महीने की अधिकतम अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त होना चाहिए।

हमने 31 मार्च 2012 तक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा सिफारिश किए गए 162 मामलों में से 71 मामलों (44 *प्रतिशत*) की नमूना जांच की तथा मामलों के संविक्षा में विलम्ब पाए जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

**तालिका 9.3 राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा आवेदनों के संवीक्षा में विलम्ब**

| सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदनों की संवीक्षा | | | राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा आवेदनों की संवीक्षा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| विलम्ब के मामले | अधिनियम के अनुसार अपेक्षित समय | सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन के संविक्षा में विलम्ब | विलम्ब के मामले | अधिनियम के अनुसार अपेक्षित समय | विलम्ब की सीमा |
| **61** | 15 दिन | 7 दिन से 316 दिन | 29 | 2 महीने | 1 महीने से 12 महीने |

हमने यह भी पाया कि ऐसे विलम्बों के बावजूद सक्षम प्राधिकारी तथा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा नीवीकरण/निर्माण हेतु स्वामियों से प्राप्त आवेदनों की उचित संवीक्षा नहीं की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण कमियां थीं:

- प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, आवेदक द्वारा आवेदन से पहले ही, स्थल निरीक्षण किए गए थे,
- आवेदनों को निर्धारित प्रपत्र I में प्रस्तुत/उचित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था,
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र II के बिना, फाइलें राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई थी
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थल योजना के संलग्न किए बिना मामले प्रस्तुत किए गए थे तथा,
- प्रस्तावों को आवेदकों द्वारा अनुरोध किए उद्देश्य से अलग उद्देश्यों हेतु स्वीकृत किया गया था।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित था। सदस्य सचिव को प्रस्तावों की संवीक्षा करना तथा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को उनकी सिफारिश हेतु आगे निवेदन करने हेतु स्वीकृत करना अपेक्षित था। तथापि, इस आवश्यकता का अनुपालन राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के सदस्यों को आवेदन प्रस्तुत करने से पहले नहीं किया गया था।

हमने आगे पाया कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में विलम्ब, यदि कोई हो, तथा आवेदनों के संसाधन में विलम्बों के कारणों को मॉनीटर करने हेतु कोई सूचना प्रणाली स्थापित नहीं थी। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण अपेक्षित सूचना जैसे कि आवेदन के प्राप्ति की तिथि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की तिथि, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने आवेदन की तिथि सदस्यों की बैठक में मामले को प्रस्तुत करने की तिथि तथा सिफारिशें जारी करने की तिथि का अनुरक्षण नहीं कर रहा था।

ऊपर लाई गई प्रणालीगत कमियों की दृष्टि से हम यह निर्णय नहीं कर सके कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण तथा सक्षम प्राधिकारी दक्षता एवं प्रभावी रूप से अपने कार्यों को पूरा करने में समर्थ थे।

## 9.3 पर्याप्त सुरक्षा उपायों के निर्धारण एवं प्रावधान

व्यक्तियों जिन्होंने अप्राधिकृत निर्माण किए थे, से खतरे के अतिरिक्त भा.पु.स. को स्मारकों पर आंगतुकों से उजागर हो रहे जोखिमों से सुरक्षा करना भी अपेक्षित था। यह स्थल आंतकी हमलों तथा अन्य विनाश्क गतिविधियों से भी असुरक्षित थे।

इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु भा.पु.स. ने निम्न के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की

(i) भा.पु.स. का स्वयं का स्टाफ अर्थात स्मारक सहायक, निगरानी एवं वार्ड स्टाफ;
(ii) सरकारी सुरक्षा अभिकरण अर्थात के.औ.सु.ब.
(iii) राज्य पुलिस बल, तथा
(iv) भा.पु.स. द्वारा नियुक्त नीजि सुरक्षा गार्ड

हमने पाया कि भा.पु.स. पर्याप्त श्रमशक्ति की कमी के कारण, स्मारकों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने में असमर्थ था। 2010 में मोईली समिति को प्रदान की गई सूचना के अनुसार, लगभग 2500 संरक्षित स्मारकों में पूर्ण कालिक सुरक्षा कर्मी नहीं थे। अभिलेखों तथा प्रलेखन की खराब स्थिति के कारण भा.पु.स. हमें ऐसे स्मारकों की यर्थात संख्या प्रदान नहीं कर सका।

श्रम शक्ति प्रबंधन से संबंधित निष्कर्षों पर **अध्याय 8** में अलग से चर्चा की गई है।

### 9.3.1 सुरक्षा आवश्यकताओं का निर्धारण

भा.पु.स. द्वारा संरक्षित स्मारक तथा स्थल क्षेत्र, भू-भाग तथा संरचना आदि में सार्थक रूप से विविधता थी। भा.पु.स. ने इन प्रत्येक स्मारकों तथा स्थलों की रक्षा करने हेतु अपेक्षित सुरक्षा कर्मियों की कुल संख्या का कोई निर्धारण नहीं किया था। हमने पाया कि स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित कार्य बड़े पैमाने पर भा.पु.स. द्वारा मैसर्स एस.आई.एस. से मेहनताने पर लगाए निजी सुरक्षा गार्डों के माध्यम से किया जा रहा था। सुरक्षा निर्धारण केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

(के.औ.सु.ब.) द्वारा केवल दो स्मारकों ताजमहल, आगरा तथा लाल किला, दिल्ली के लिए ही किया गया था।

हमने पाया कि जबकि निजी सुरक्षा गार्डों को तैनात किया था फिर भी स्मारकों की स्थल योजना तथा नक्शों पर, एक स्थल का सुरक्षा निर्धारण पर कभी विचार ही नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अन्य संरक्षित स्मारकों के क्षेत्र संरचना, स्थान तथा महत्व पर भी विचार नहीं किया गया था। निजी सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता को बिना किसी समाविष्ट निर्धारण के अगस्त 2011 में 800 से 1500 तक बढ़ाया गया था। इसी समय हमारे दलों द्वारा 1468 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं पाया गया था (**अनुबन्ध 9.3** में ब्यौरे)।



भा.पु.स. ने सूचित किया कि सुरक्षा प्रबंधन की समीक्षा करने तथा निजी सुरक्षा गार्डों के निष्पादन का निर्धारण करने हेतु 2012 में एक समिति का गठन किया गया था। तथापि, समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, यदि कोई हो, सहित उनके ब्यौरे हमारी मांग के बावजूद प्रदान नहीं किए गए थे।

### 9.3.2 स्मारकों पर सुरक्षा उपकरण

हमने स्मारकों के भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया कि स्मारकों पर पर्याप्त सुरक्षा उपकरण संस्थापित नहीं किए गए थे। भा.पु.स. ने सूचित किया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सुरक्षा उपकरण का प्रापण नहीं किया गया था, न ही भा.पु.स. द्वारा ऐसे उपकरणों की कुल आवश्यकता का कोई निर्धारण किया गया था।

संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्रकट हुआ कि अधिकांश स्मारकों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं लगाए गए थे। इसमें विश्व धरोहर स्थल शामिल थे जहां भारी संख्या में विदेशी आंगतुक आते हैं। कुछ विश्व धरोहर स्थलों सहित सभी टिकट वाले स्मारकों (ताज महल, आगरा तथा लाल किला, दिल्ली के सिवाए जहां के.औ.सु.ब. तैनात थी) में कोई मेटल डिटेक्टर तथा बैगेज स्कैनर नहीं थे।

### 9.3.3 स्मारकों पर हानि/चोरी के मामले

भा.पु.स. द्वारा सुरक्षा फर्म के साथ किए गए करार के अनुसार, परवर्ती स्थल पर तैनात गार्डों की लापरवाही, संघात, कर्त्तव्य में चूक आदि को आरोपणीय स्थल पर हानियों हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी था।

भा.पु.स. ने सूचित किया (अगस्त 2012) कि उनके पास चोरी, लापरवाही, संघात, कर्त्तव्य में चूक आदि से संबंधित मामलों की कोई सूचना नहीं थी।

तथापि, हमने नौ[61] परिमण्डलों के नियंत्रण के अधीन स्मारकों में चोरी के मामले पाए। हमने यह भी पाया कि भा.पु.स. मुख्यालय ने स्मारकों पर चोरी, हानि, लापरवाही आदि के मामलों के संबंध में सूचना एकत्रित किए बिना नियमित रूप से फर्म को भुगतान किए। इस प्रकार भा.पु.स. ने करार के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना भुगतान किए थे।

**यह भी पाया गया कि उप-परिमण्डलों ने परिमण्डल कार्यालय को निजी सुरक्षा गार्डों की मासिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे भा.पु.स. मुख्यालय को प्रेषित किया गया था। भा.पु.स. मुख्यालय को इन सभी रिपोर्टों की संवीक्षा करने के पश्चात मैसर्स एस.आई.एस. को भुगतान करना था। हमने पाया कि भा.पु.स. मुख्यालय में रिपोर्टों की संवीक्षा करने की प्रणाली पूर्ण रूप से अनुपस्थित थी, तथा संबंधित परिमण्डल द्वारा असंतोषजनक निष्पादन की रिपोर्ट के बावजूद पूरे भुगतान किए गए थे।**



***अनुशंसा 9.3:*** *प्रत्येक स्मारक के लिए उसके स्थान, क्षेत्र, संरचना, कदम तथा अन्य कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा योजना होनी चाहिए। यह कार्य भा.पु.स. द्वारा मूल वास्तविकताओं के आवृतन को सुनिश्चित करने हेतु स्वयं निष्पादित किया जाना चाहिए।*

***अनुशंसा 9.4:*** *भा.पु.स. को निजी सुरक्षा फर्म की अपनी मॉनीटरिंग को सुधारना चाहिए।*

***अनुशंसा 9.5:*** *मंत्रालय को स्मारकों की पर्याप्त सुरक्षा हेतु निधियों तथा स्टाफ की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए।*

मंत्रालय (मई 2013) ने अनुशंसाओं को स्वीकार किया।

## 9.3.4 संग्रहालयों तथा स्थल संग्रहालय पर सुरक्षा प्रबंधन

कला वस्तुओं की सुरक्षा एवं रक्षा संग्रहालयों का एक महत्वपूर्ण कार्य था। तथापि, सुरक्षा मामलों का पर्याप्त रूप से निपटान नहीं किया गया था जैसा कि चर्चा की गई है:

### 9.3.4.1 सुरक्षा बलों की तैनाती

के.औ.सु.ब. को उच्च शक्ति समिति की विशिष्ट अनुशंसाओं तथा 2010-11 तथा 2011-12 हेतु ₹ 120.50 लाख के बजट आवंटन के बावजूद भारतीय संग्रहालय पर तैनात नहीं किया गया था।

भारतीय संग्रहालय तथा कोलकाता पुलिस के बीच करार के अनुसार, 27 सशस्त्र पुलिस गार्डों तथा तीन अधिकारियों को तैनात किया जाना था, तथा भारतीय संग्रहालय को तैनात

---

[61] बैंगलूरू, गुवाहटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, रायपुर, रांची, शिमला तथा त्रिसुर

सैन्य दल को आवास प्रदान करना था। तथापि, भारतीय संग्रहालय दल के केवल 12 कर्मियों को ही अस्थायी आवास उपलब्ध करा सका। इस प्रकार, संस्वीकृत बल संग्रहालय पर तैनात नहीं किया जा सका था। इसका परिणाम 2007-12 के दौरान कोलकाता पुलिस को ₹ 3.27 करोड़ के अधिक भुगतान में भी हुआ, जो कि वास्तविक तैनाती की गणना किए बिना संस्वीकृत बल पर आधारित था।

मंत्रालय ने सूचित किया (मई 2013) की भारतीय संग्रहालय पर के.औ.सु.ब. की तैनाती का मामला गृह मंत्रालय के साथ उठाया गया है।



### 9.3.4.2 सी.सी.टी.वी. कैमरा तथा अन्य सुरक्षा उपकरण

हमने पाया कि सुरक्षा उपकरणों का संग्रहालयों में संस्थापित अथवा उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि नीचे वर्णित हैः

**तालिका 9.4 संस्थापित अथवा उपयोग न किए गए सुरक्षा उपकरण**

| | |
|---|---|
| **राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली** | मुद्रासंबंधी गैलरी II में, सी.सी.टी.वी. कैमरे संस्थापित नहीं किए गए थे। एक कमरे में, जहां ओरेल स्टेन के संग्रहण से संबंधित अमूल्य पुरावशेष आरक्षित पड़े थे, कोई सी.सी.वी.टी. कैमरा नहीं लगाया गया था। |
| **भारतीय संग्रहालय, कोलकाता** | 29 गैलरियों में से 14 सी.सी.टी.वी. निगरानी के अधीन शामिल नहीं थीं। लगाए गए कैमरे भी केवल कार्य समय के दौरान ही चालू थे। इस प्रकार रात के दौरान कोई निगरानी नहीं थी।<br>अग्नि अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, गैलरी, रिर्जव/तहखाने के सभी दरवाजों हेतु इलेक्ट्रानिक मैग्नेटिक ताले, आंगतुकों का ब्यौरा रखने हेतु स्वचालित आंगतुक बायोमैट्रिक फोटोग्राफी प्रणाली आदि सहित अन्य सुरक्षा उपकरण भी नहीं लगाए गए थे। |
| **विक्टोरिया मैमोरियल हॉल, कोलकाता** | 19 सी.सी.टी.वी. कैमरों में से नौ कार्य नहीं कर रहे थे। शेष केवल कार्य समय के दौरान चालू थे।<br>12 गैलरियों में से केवल चार गैलरियां सी.सी.टी.वी. निगरानी के अधीन शामिल थीं। |
| **एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता** | लगाए गए 11 सी.सी.टी.वी. कैमरों में से किसी में भी रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी। सी.सी.टी.वी. कैमरा केवल संग्रहालय के कार्य समय के दौरान चालू थे। अतः रात के दौरान कोई निगरानी नहीं थी। |

| | |
|---|---|
| | एक बैगेज स्कैनर तथा एक पहुंच नियंत्रण प्रणाली का प्रापण किया गया था। तथापि, इन मशीनों को दिसम्बर 2012 तक नहीं लगाया गया था। |
| **इलाहाबाद संग्रहालय** | लगाए गए 32 कैमरों में से 16 कार्य नहीं कर रहे थे। |
| **नागार्जूनकोंडा स्थल संग्रहालय (हैदराबाद परिमण्डल)** | सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं लगाए गए थे। |
| **ताज संग्रहालय, आगरा परिमण्डल** | दो हूटर बक्से, चार अग्नि शमन कार्य नहीं कर रहे पाए गए थे। ₹ 41000 से दिसम्बर 2010 में खरीदा गया एक पैनासेनिक प्लाज़मा टी.वी. संस्थापित नहीं किया गया था। इसका परिणाम सी.सी.टी.वी. कैमरा की मॉनीटरिंग तथा बैकअप की गैर-बहाली में हुआ। |
| **सारनाथ संग्रहालय पटना परिमण्डल** | 13 सी.सी.टी.वी. कैमरों में से 6 कार्य नहीं कर रहे थे। |
| **कांगडा किला संग्रहालय, शिमला** | कांगड़ा किला, हिमाचल प्रदेश में स्थल संग्रहालय मे कोई सुरक्षा उपकरण नहीं था। |
| **केन्द्रीय पुरावस्तु संग्रहण, दिल्ली** | कोई सी.सी.टी.वी. अथवा अन्य कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे। |

**ताज संग्रहालय में जबकि प्रतिकृतियों को प्रदर्शित तथा सी.सी.टी.वी. द्वारा आवृत किया गया था परन्तु मूल सिक्कों को बिना सी.सी.टी.वी. आवृतन के काफी बुरी स्थिति में तिजौरी में रखा गया था।**

उपरोक्त मामलों ने इन मशीनों को सर्वोत्तम प्रकार से उपयोग किए जाने की आवश्यकता को उजागर किया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्यवान परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रणाली को पर्याप्त रूप से सुसज्जित किया गया है।

### 9.3.4.3 अग्नि सुरक्षा

भारतीय संग्रहालय में आपात स्थिति में कोई आकस्मिक प्रतिक्रिया योजना नहीं थी। संग्रहालय इमारत के विभिन्न स्थानों पर लगाए 193 अग्नि शामकों को उनकी अंतिम तिथि के बाद भी बदला/दोबारा नहीं भरा गया था, जिससे किसी भी आपात स्थिति में उपयोग हेतु ये अनुपयुक्त थे।

वि.स्मा.हॉ. के मामले में, पिछले पांच वर्षों के दौरान सुरक्षा स्टाफ के साथ केवल एक अवसर पर अग्नि शमन ड्रिल की गई थी।

### 9.3.4.4 वस्तुओं की चोरी तथा हानि के मामले

सुरक्षा में कमियां, पिछले 50 वर्षों के दौरान भा.पु.स. के स्थल संग्रहालयों से 37 कला वस्तुओं, स्मारकों/स्थलों से 131 पुरावशेषों (**पैरा 6.11** के संदर्भ में) तथा राष्ट्रीय संग्रहालय में कला वस्तुओं के 156 मामलों में चोरी/हानि का कारण बनी। राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा इन खोई हुई कला वस्तुओं का पता लगाने हेतु एफ.आई.आर. दर्ज करने के अतिरिक्त कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की थी। इस संबंध में उपलब्ध विकल्पों में वेबसाईट पर इन चोरी हुई मदों की तस्वीरें प्रदर्शित करना, मुख्य कला व्यापारियों को सचेत कर तथा अंतर्राष्ट्रीय कला नीलामी सदनों को सूचित करना शामिल है।

भारतीय संग्रहालय में संग्रहालय के अधिकारियों ने सेवानिवृत्त उप-निदेशक (2007) की ताला बंद अलमारी से एक तौलिये में लिपटे 45 अमूल्य अवशेष/शिल्पकृत्तियां वसूली। बाद में, पुरातत्व अनुभाग द्वारा सभी अवशेषों/शिल्पकृत्तियों को प्राप्त किया गया तथा सुरक्षा से रिज़व में रखा गया था।

सेवानिवृत्त उप-निदेशक की ताला लगी अलमारी से वसूले गए अवशेष/शिल्पकृत्तियां

**संग्रहालय की अलमारियों में पड़े प्राचीन सिक्के**

इसी प्रकार राष्ट्रीय संग्रहालय में भी, 2008 में संग्रहाध्यक्ष (मुद्राशास्त्रीय) की मृत्यु के पश्चात उसकी अलमारी से 15 प्राचीन सिक्कों की वसूली की गई थी। तथापि, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या वह राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रहण में से थे, क्योंकि सिक्को का पहले कोई भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया था। उसकी मृत्यु के चार वर्षों के पश्चात भी यह सिक्के मुद्राशास्त्रीय संग्रहण के वर्तमान प्रभारी के पास पड़े पाए गए थे तथा इन्हें अन्य सिक्कों के साथ स्ट्रोंग रूम में नहीं रखा गया था।

**उत्तम कार्य**

छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुम्बई में दो परती सुरक्षा अर्थात आंतरिक एवं बाह्य थी। केवल प्राधिकृत व्यक्तियों की ही संग्रहण तक पहुंच थी, तथा प्रदर्शन पर रखी शिल्पकृत्तियों की दैनिक जांच की जाती थी। प्रत्येक दिन बंद होने से पहले सभी गैलिरियों की, अधिकारी तथा सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति में जांच की जाती थी। पूरे संग्रहालय तथा परिसर में 72 कैमरे लगाए गए थे। सभी गैलरियो के प्रवेश एवं निकास को सी.सी.टी.वी. के अधीन थे। इसके अतिरिक्त 24 घण्टे मॉनीटरिंग हेतु एक विशेष नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई थी। 80 से अधिक अग्नि शमन लगाए गए थे तथा अग्निशमन प्रणाली मौजूद थी।

***अनुशंसा 9.6:*** संग्रहालयों को चोरी, क्षति एवं हानि से सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपयुक्त सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। मंत्रालय को संग्रहालयों हेतु एक समाविष्ट सुरक्षा नीति के साथ इसके नियंत्रण के अंतर्गत सभी संग्रहालयों के समान मानकों के विकास हेतु पहल करनी चाहिए।

# अध्याय – X

# जागरूकता, व्याख्या तथा सुविधाएँ



**विरासत प्रबंधन का मूल उद्देश्य इसके महत्व तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता को मेजबान समुदाय तथा आगन्तुकों तक पहुँचाना था। विरासत और सांस्कृतिक विकास का उचित और अच्छी तरह से प्रबंधित भौतिक, बौद्धिक और भावनात्मक उपयोग, एक अधिकार और एक विशेषाधिकार दोनों होता है। यह अपने साथ विरासत मूल्यों, हितों और वर्तमान मेजबान समुदाय या ऐतिहासिक संपत्तियों के मालिकों के लिए तथा उन परिदृश्यों और संस्कृतियों, जिससे वह विरासत विकसित हुई है, के प्रति सम्मान का भाव लाता है।**[62]

एक संरक्षित स्मारक या स्थल आम लोगों के लिए कोई अहम महत्व नहीं रखेगा यदि उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की व्याख्या और समझाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे। अतः केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों के संरक्षक के रूप में, भा.पु.स. के लिए दर्शकों को पर्याप्त व्याख्या, सार्वजनिक सुविधाएँ और जागरूकता प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है।

## 10.1 जागरूकता व्याख्या तथा सुविधाओं के लिए धन की व्यवस्था

जागरूकता, व्याख्या तथा सुविधाओं का निर्माण करने से संबंधित गतिविधियों के लिए भा.पु.स. का कोई विशेष बजटीय प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप इस खाते पर व्यय संरक्षण गतिविधियों के लिए आबंटित निधि से किया गया। भा.पु.स. ने स्मारकों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए व्यापक योजना तैयार नहीं की थी। परिणामस्वरूप, अधिकतर स्मारकों में इन सुविधाओं की कमी पाई गई जैसाकि **पैरा 10.5** में उल्लेखित है।

***अनुशंसा 10.1:*** *भा.पु.स. को जागरूकता, व्याख्या तथा संबंधित गतिविधियों के लिए विशेष रूप से धन निर्धारित करना चाहिए।*

सभी संरक्षित स्मारकों के लिए समान रूप से लागू सुविधाओं और व्याख्या सेवाओं के लिए मापदंड निर्धारित होने चाहिए।

---

[62] विरासत महत्व के स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्यटन चार्टर के पर्यटन प्रबंधन को 1999 में अं.स्मा.स्थ.प. द्वारा अपनाया गया।

## 10.2 स्थलों की व्याख्या

**विरासत संरक्षण को सरंक्षण, व्याख्या तथा पर्यटन विकास कार्यक्रम की आवश्यकता थी जो किसी विशेष जगह के विरासत महत्व के विशिष्ट लेकिन प्रायः जटिल या विरोधाभासी पहलुओं की एक व्यापक समझ पर आधारित हों।**



स्थलों की व्याख्या के लिए भा.पु.स. के प्रयास अधिकतर संकेतक और सूचना पट्ट उपलब्ध कराने तक ही सीमित थे। भा.पु.स. ने अपने स्मारकों पर तीन तरह के संकेतक तथा सूचना पट्ट प्रदान किए :

i. **स्मारक का नाम**

ii. **संरक्षण सूचना पट्ट :** स्थल का संरक्षित स्मारक घोषित करते हुए तथा निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र संबंधित नियम हेतु और स्मारक में एवं इसके आसपास अनधिकृत गतिविधियों के संचालन करने पर जुर्माने से संबंधित,

iii. **सांस्कृतिक सूचना पट्ट:** हिंदी और अंग्रेजी में स्मारक के इतिहास का वर्णन करना। कुछ स्थानों में इन सांस्कृतिक सूचना पट्ट में स्थलों से जुड़ी लोक कथाओं एवं परंपराओं का भी उल्लेख किया गया।

यद्यपि केवल तीसरी तरह के संकेतक ने ही स्थलों की व्याख्या प्रदान की, प्रथम दो श्रेणियां भी आगंतुकों को स्थलों से परिचित कराने में उतनी ही महत्वपूर्ण थी। हमने इन तीनों तरह के संकेतकों में सुस्पष्ट कमियों को पाया।

अ) कई स्मारकों में स्मारक के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। दिल्ली परिमण्डल में कुछ उदाहरण निकोल्सन कब्रिस्तान, डी मेरो कब्रिस्तान, नाई-का-कोट, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में अज्ञात गुंबद, पालम में प्राचीन मस्जिद शामिल थे। स्मारक के नाम के अभाव में अधिकतर आगंतुकों द्वारा उसे पहचानने में मुश्किल होती है।

ब) इसी प्रकार, यह देखा गया कि कई जगहों पर संरक्षण साइन बोर्ड ठीक तरह से नहीं लिखे गए थे। कुछ जगहों पर ये उपलब्ध ही नहीं थे। इस प्रकार साइन बोर्ड के अभाव में अतिक्रमण और क्षति का खतरा बढ़ गया था, क्योंकि इनमें से अधिकतर संरक्षित स्थल सुरक्षित नहीं थे।

2461[63] स्मारकों की हमारी जाँच में 1198 स्मारकों के संरक्षित साइन बोर्ड ही ठीक पाए गए। जो कि **पैरा 10.1** में उल्लेखित है।

---

[63] इसमें 12 परिमण्डलों के समस्त स्मारकों तथा शेष परिमण्डलों में भौतिक रूप से जाँच किए गए स्मारकों का वर्णन **अनुबंध-10.1** में वर्णित है।

सांस्कृतिक सूचना पट्ट पर हमारा अवलोकन **पैरा 10.3.1** में दिया गया है।

## 10.3 संकेतक स्थापित नहीं

हमने पाया कि ज्यादातर परिमण्डल उनके नियंत्रण/अधीन वाले स्मारकों पर साइन बोर्ड की खरीद पर व्यय कर रहे थे। फिर भी कई स्थानों पर इन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा था। कुछ निदर्शी उदाहरण नीचे दिए गए है:

**तालिका 10.1 संकेतक स्थापित नहीं**

| परिमण्डल का नाम | व्यय (₹ लाख में) | टिप्पणी |
|---|---|---|
| **आगरा** | 8.11 | कन्नौज में संकेतक चौकीदार के घर में पड़े पाए गए। |
| **लखनऊ** | 12.68 | मथुरा में संकेतक स्टोर रूम में पड़े पाए गए। |
| **शिमला** | 19.67 | संकेतक स्थापित नहीं किए गए थे तथा परिमण्डल कार्यालय में पड़े थे। |
| **चेन्नई** | 73.12 | 411 संरक्षण सूचना पट्ट स्थापित नहीं किए गए थे तथा परिमण्डल कार्यालय में पड़े थे। |

**कनकली टीला, मथुरा तथा पुराना किला, कन्नौज में पड़े हुए सूचना पट्ट**

स्मारकों की संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण में यह भी पता चला कि दिल्ली परिमण्डल में, स्मारकों में संकेतक स्थापित करते समय, उचित ध्यान नहीं रखा गया। यह पाया गया कि 'छोटी गुमटी' का संकेतक एक अन्य स्मारक नामित 'संकरी गुमटी' में लगा दिया गया और 'संकरी गुमटी' का

संकेतक 'छोटी गुमटी' में लगा दिया गया था। हमारे समूह के द्वारा बताने के बावजूद भी इसे ठीक नहीं किया गया।

## 10.3.1 सांस्कृतिक नोटिस बोर्ड के माध्यम से स्मारक की व्याख्या

सांस्कृतिक नोटिस बोर्ड के माध्यम से स्मारकों की व्याख्या आगंतुकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अधिकतर स्थलों में, स्थल की जानकारी का कोई अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं था। स्मारकों के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से यह पता चला कि, हमारे द्वारा निरीक्षित 2461 स्मारकों में से, 1153 संरक्षित स्मारकों में भा.पु.स. द्वारा सांस्कृतिक सूचना पट्ट स्थापित नहीं किए गये थे। (विवरण **अनुबंध 10.1** में दिया गया है)

हमने दिल्ली परिमण्डल में सफदरजंग मकबरे के सांस्कृतिक सूचना पट्ट में वर्तनी तथा अन्य तथ्यात्मक गलतियों को पाया। जून 2012 में, हमारे द्वारा बताए जाने पर परिमण्डल ने इसे बदलने के लिए हटा दिया। सूचना पट्ट नवम्बर 2012 तक पुनः स्थापित नहीं किया गया था।

इसी प्रकार की विसंगति दिल्ली परिमण्डल में लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद में देखी गई जहाँ हिन्दी और अंग्रेजी के सूचना पट्ट ने मस्जिद के निर्माता के बारे में परस्पर विरोधी जानकारी दी।

संकेतक जो दिखा रहा है कि मस्जिद नवाब कुदसिया बेगम ने बनवाई जो कि अहमद शाह की माँ थी।

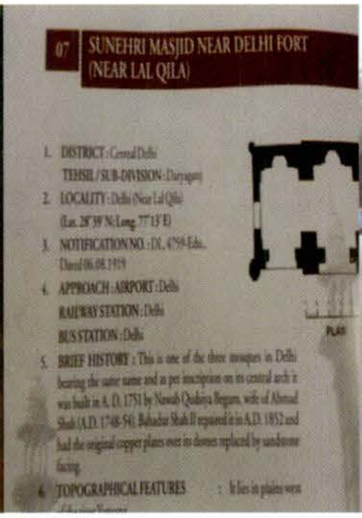


सूची जो दिखा रही है कि मस्जिद नवाब कुदसिया बेगम ने बनवाई जो कि अहमद शाह की बीबी थी।

विसंगति की ओर इशारा करने के पश्चात हिन्दी सूचना पट्ट को हटा लिया गया।

***अनुशंसा 10.2:*** *यह अनुशंसा की जाती है कि संकेतक अधिष्ठापन की अच्छी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए। हमारी राय में, सांस्कृतिक सूचना पट्ट स्थानीय भाषाओं में भी होने चाहिए। विश्व विरासत स्थलों सहित महत्वपूर्ण स्थलों पर सूचना पट्ट विश्व की प्रमुख भाषाओं में होने चाहिए। इसी प्रकार, बौद्ध स्थलों के लिए सूचना पट्ट स्थलों पर आने वाले दर्शकों के अनुसार प्रासंगिक भाषाओं में प्रदर्शित किए जाने चाहिए।*

## 10.3.2 स्मारकों पर स्थल व्याख्याकार (गाइड) की सुविधा

समारकों पर सूचना पट्ट में स्मारक का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया गया है। तथापि, स्थलों की मुख्य विशेषताओं तथा महत्व को समझने के लिए गाइड की सेवाएँ आवश्यक थीं। जटिल स्थलों, जो कि फैले हुए थे, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, हम्पी, अजंता ऐलोरा की गुफाएँ, के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ पर्याप्त गाइड की सुविधा हो। हमने देखा कि इन स्थलों पर गाइड सुविधाएँ प्रदान करने या निगरानी में भा.पु.स. की कोई भूमिका नहीं थी। केन्द्र और राज्य सरकारें व्यक्तियों के इतिहास और स्मारकों के ज्ञान के विश्लेषण के पश्चात गाइड का लाइसेंस प्रदान कर रही थी। प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. नियम 1959 के तहत भा.पु.स. द्वारा गाइडों को लाइसेंस प्रदान करने का प्रावधान था, तथापि भा.पु.स. द्वारा ऐसे कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए थे। इस निष्क्रियता के लिए कोई लिखित कारण उपलब्ध नहीं थे।

भा.पु.स. ने (2006) में विश्व विरासत स्थलों में अलग-अलग भाषाओं जैसे हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पैनिश, जर्मन आदि में ऑडियो गाइड की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया था। हालाँकि, पिछले छह वर्षो के दौरान भा.पु.स. ने, सीमित भाषाओं में, केवल पाँच विश्व विरासत स्थलों-आगरा का किला, खजुराहो, साँची, कुतुब मीनार और लाल किला में ही ऑडियों गाइड की सुविधा प्रदान की।

***अनुशंसा 10.3:*** *भा.पु.स. को पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से, स्थानीय समुदाय के लोगों को गाइड के रूप में प्रशिक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। परिमण्डल कार्यालयों को स्थलों के वर्णन का एक प्रामाणिक संस्करण प्रदान करना चाहिए जिसका विभिन्न भाषाओं में अनुकूलित तथा अनुवाद किया जा सके।*

***अनुशंसा 10.4*** *भा.पु.स. को आगंतुकों की विशेष सुविधा हेतु स्मारक/स्मारकों के समूह के दौरे के लिए विशेष निर्देशित दौरे को डिजाइन करने की व्यवहार्यता का आंकलन करना चाहिए।*

## 10.3.3 स्थलों पर प्रकाशनों की उपलब्धता

आधिकारिक नक्शे, गाइड पुस्तकें एवं अन्य प्रकाशन, स्मारकों के बारे में समझ बढ़ाने और उनकी व्याख्या में एक उपयोगी संसाधन का काम करते हैं। आगंतुकों की सुविधा के लिए स्थलों के पास उपलब्ध होने चाहिए। भा.पु.स. का प्रकाशन प्रभाग अनेक स्मारकों पर कई तरह की विवरणिकाएँ, पर्चे तथा गाइड पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है जो कि परिमण्डल कार्यालयों को स्मारकों के प्रकाशन काउंटर पर बिक्री हेतु वितरित की जाती है। भा.पु.स. ने प्रकाशन काउंटरों पर बिक्री से वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 2.24 करोड़ अर्जित किए।

हमने पाया कि बंगलौर परिमण्डल में 12 टिकट स्मारकों में किसी में भी प्रकाशन काउंटर नहीं था। यहाँ तक कि दिल्ली परिमण्डल में भी पाँच टिकट स्मारकों में कोई प्रकाशन काउंटर नहीं था।

भा.पु.स. मुख्यालय के पास प्रकाशन काउंटरों की कुल संख्या के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं थी। तथापि, आठ परिमण्डलों के बारे में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, केवल 37 प्रकाशन काउंटर थे। प्रत्येक स्थल में प्रकाशन काउंटर की अनुपस्थिति से न केवल राजस्व की हानि होती है अपितु, मुख्यतः आगंतुक, स्मारकों के बारे में उपयोगी संदर्भ से भी वंचित रह जाते हैं।



### 10.3.3.1 प्रकाशन सामग्री का अपर्याप्त वितरण

भा.पु.स. मुख्यालय के पास, प्रकाशन सामग्री का परिमण्डल कार्यालयों तक समुचित वितरण हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी। अभिलेखों का प्रबंधन भी घटिया था।

हमने पाया कि, कुछ प्रकाशन बिना किसी औचित्य के, असंबंधित परिमण्डल को भेजे जा रहे थे, उदाहरणतः आगरा परिमण्डल में तथा उसके आसपास की विश्व विरासत स्थलों पर साहित्य सामग्री उपलब्ध कराने के बजाय, भा.पु.स. मुख्यालय ने महाबलीपुरम पर सामग्री की आपूर्ति कर दी। परिणामस्वरूप, सामग्री का उपयोग नही किया जा सका तथा यह भंडार कक्ष में पड़ी रही। इसी तरह भा.पु.स. मुख्यालय द्वारा कुछ प्रकाशन कोलकता परिमण्डल में माँग के बिना ही भेज दिए गए। गुवाहाटी परिमण्डल के लिए जारी की गई अतिरिक्त पुस्तकें भी अनुपयोगित तथा क्षतिग्रस्त पाई गई।

भा.पु.स. मुख्यालय ने सामग्री के वितरण के लिए परिमण्डल कार्यालयों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सुनिश्चित नहीं किया। परिणामस्वरूप, भा.पु.स. प्रकाशन की बिक्री कम हुई तथा, आवश्यकता के आंकलन के अभाव में, कई प्रकाशन काउंटरों पर पुस्तकें अप्रयुक्त पड़ी रही। विवरण **अनुबंध 10.2** में दिया गया है।

भा.पु.स. ने वितरण की तदर्थ प्रथाओं के लिए कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया। हमने इस कारण को अविश्वसनीय पाया क्योंकि प्रकाशनों के वितरण के लिए कोई प्रक्रिया तथा निर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे।

### 10.3.3.2 स्थलों पर मानचित्र की उपलब्धता

भा.पु.स. के स्थल कई एकड़ में फैले हुए थे। इनमें स्मारकों, किलों और गुफाओं के समूह शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर स्थलों में कुछ विश्व विरासत स्थल भी शामिल हैं, भा.पु.स. ने आगंतुकों को कोई स्थल नक्शे प्रदान नहीं किए।

## 10.4 स्थानीय समुदाय की भागीदारी

मेजबान समुदाय के लोगों के बीच विरासत की व्याख्या और शिक्षा कार्यक्रमों को स्थानीय स्थल व्याख्याकारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्यक्रम द्वारा उनमें अपनी विरासत के प्रति ज्ञान और आदर को बढ़ाने तथा स्थानीय लोगों को इनकी देखभाल तथा संरक्षण में रूचि के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्यटन और संरक्षण गतिविधियों द्वारा मेजबान समुदाय[64] को लाभ होना चाहिए।



हमने पाया कि मंत्रालय और भा.पु.स. ने जन जागरूकता और समर्थन बनाने के लिए किसी भी विशेष कार्यक्रम को ईजाद करने के लिए नगण्य प्रयास किए। हमने पाया कि इन स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण में स्थानीय समुदाय को शामिल करने में भा.पु.स. की विफलता की वजह से कई जगहों पर स्थानीय समुदाय ने इन स्थलों को बनाए रखने के लिए भा.पु.स. के प्रयासों का विरोध किया। स्थानीय समुदाय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ बातचीत का कोई औपचारिक मंच नहीं था।

## 10.5 स्मारकों पर आगंतुकों के लिए सुविधा

अं.स्मा.स्थ.प. चार्टर के अनुसार विरासत स्थलों का संरक्षण तथा पर्यटन नियोजन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगंतुक का अनुभव सार्थक, संतोषजनक तथा मुखर हो।

स्मारकों को आगंतुक अनुकूल बनाने हेतु भा.पु.स. से बुनियादी सुविधाएं यथा पेयजल, शौचालय, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रैम्प (ढलान), ब्रेल भाषा में नोटिस बोर्ड आदि उपलब्ध कराने की आशा थी। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 ने सार्वजनिक भवनों में रैम्प तथा पहिया कुर्सी उपयोगकर्ताओं के लिए शौचालयों के अनुरूपण की व्यवस्था प्रदान की है।

### 10.5.1 सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति

संयुक्त प्रत्यक्ष परीक्षण तथा 2461 स्मारकों के परिमण्डल में उपलब्ध जानकारी से यह पता चला कि भा.पु.स. अपने संरक्षित स्मारकों में बुनियादी सार्वजनिक सुविधाएँ प्रदान करने में विफल रहा है जैसा कि निम्न तालिका से देखा जा सकता है:

[64] अं.स्मा.स्थ.प. का अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्यटन चार्टर।

तालिका 10.2 स्मारकों में सार्वजनिक सुविधाएँ

| सुविधाएँ | स्मारकों की संख्या जिनमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। | अनुपलब्धता का प्रतिशत |
|---|---|---|
| पेयजल | 1781 | 72 |
| शौचालय | 2030 | 82 |
| पहिया कुर्सी | 2247 | 91 |
| रैंप | 2293 | 93 |
| ब्रेल साइन बोर्ड | 2448 | 96 |
| शिकायत पंजिका | 2268 | 92 |



इन बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण इन स्थलों पर आगुंतकों का आना प्रभावित हुआ तथा आगंतुकों के अनुभवों की गुणवत्ता भी कम कर दी। इसके अलावा, भिन्न रूप से सक्षम आगंतुकों के लिए सुविधाओं का अभाव विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 का उल्लंघन करता है। इन स्मारकों पर रैंप और पहिया कुर्सी की कमी इस तरह के आगंतुकों के लिए इन स्थलों तक पहुँच को प्रतिबंधित करेगी। निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि बहुत कम स्थल इस तरह के विशेष वर्ग आगंतुकों के लिए "बाधा मुक्त" थे।

## 10.5.2 सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भा.पु.स. के प्रयास

भा.पु.स. ने (जनवरी 2009 में) एक गैर लाभकारी संगठन 'स्वयम्' के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया और आरंभ में उन्हें तीन साल के लिए अपना उपयोग सलाहकार नियुक्त किया। गैर सरकारी संगठन (गै.स.सं.) को सभी स्मारकों/स्थलों को, अंतराष्ट्रीय मानकों और दिशा-निर्देशों और विशिष्ट स्वदेशी कारकों के अनुसार, कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने के लिए भा.पु.स. को (निःशुल्क) परामर्श प्रदान करना था।

प्रथम चरण में, गै.स.सं. को नई दिल्ली, आगरा (उ.प्र.) तथा गोवा के विरासत स्थलों में पहुँच लेखापरीक्षा करनी थी तथा पहुँच में बाधा की पहचान और उचित सुझाव तथा रणनीतियों की सिफारिश करनी थी। इसके बाद, भा.पु.स. को गै.स.सं. की सिफारिशों पर अमल करने के लिए प्रत्येक स्थल के लिए एक संयुक्त कार्य योजना बनानी थी। गै.स.सं. ने पाँच स्मारकों[65] की अपनी पहुँच लेखापरीक्षा, विभिन्न सुझावों के साथ, भा.पु.स. को जुलाई/अगस्त 2010 में प्रस्तुत की।

---

65 एत्माद-उद्-दौला, आगरा; मरियम का मकबरा, आगरा; आगरा किला; डीग महल, राजस्थान तथा पुराना किला, दिल्ली

हमने पाया कि दिसम्बर 2012 तक भा.पु.स. ने गै.स.सं. की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की थी।

### 10.5.3 स्मारकों तक उपागमन-सड़क का अभाव

संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण से पता चला कि कई संरक्षित स्मारक थे जिन तक पहुँचना, उपागमन-सड़क के अभाव में, असान नहीं था। इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए भा.पु.स. ने, संबंधित नगर निगम के अधिकारियों के साथ समन्वय से, कोई सुधारात्मक कदम की शुरूआत नहीं की।

वास्तव में, कुछ स्मारकों में, भा.पु.स. के अधिकारियों द्वारा स्मारकों के नियमित प्रत्यक्ष निरीक्षण के अभाव की वजह से, परिमण्डल/उप-परिमण्डल स्तर पर जानकारी अनुपलब्ध थी। उपागमन-सड़क के अभाव के कुछ उदाहरण नीचे वर्णित है:

**तालिका 10.3 स्मारकों तक पहुँच मार्ग का अभाव**

| क्र.सं. | परिमण्डल | स्मारक का नाम |
|---|---|---|
| 1. | आगरा | कछवा का टीला, ममीरपुर |
| 2. | | बनिया की बारात, ललितपुर |
| 3. | | टेम्पल फ्लैट समतल छत वाला मंदिर, उर्वरा, महोबा, |
| 4. | | घुगुवा का मठ, बरूआ सागर, झांसी |
| 5. | | कोस मीनार, मथुरा |
| 6. | | बुद्धिष्ट विहार, परवनाबिहार, फर्रूखाबाद |
| 7. | | प्राचीन स्थल, कटारी खेरा, फर्रूखाबाद |
| 8. | | सेहगढ़ खेरा का टीला, अलीगढ़ |
| 9. | दिल्ली | नाई का कोट |
| 10. | श्रीनगर | अखंड मंदिर, खरू |
| 11. | | स्तूप टिसेरू (लेह) |
| 12. | राँची | जामी मस्जिद, हदफ |
| 13. | | बेनीसागर टैंक |
| 14. | पटना | कहलगाँव का शिला मंदिर |
| 15. | | सासाराम का रोहतास गढ़ किला |
| 16. | | बिजयगढ़ का पक्की चिनाई किला, सोनभद्र |
| 17. | कोलकाता | मालदा का बारकोना डियूल स्थल |
| 18. | | रेजीडेंसी सेमेटरी, बाबुल बोना |
| 19. | गुवाहाटी | श्री बी.जे. स्टोव की कब्र |
| 20. | | लेफिटनेंट क्रेसवेल का मकबरा |

1984 में मिर्धा समिति ने कहा था कि यह एक दुखद तथ्य है कि कई महत्वपूर्ण स्मारक, बारहमासी सड़कों के अभाव में, बरसात के मौसम में दुर्गम हो जाते हैं। भा.पु.स. को राज्य सरकार को स्मारकों तक पक्की सड़क बनाने हेतु यथासंभव प्रयास करने चाहिए ताकि भा.पु.स. पूर्ण वर्ष उनका नियमित निरीक्षण कर सके।

फिर भी, इस सुझाव को दिए 28 वर्ष होने के पश्चात भी यथास्थिति बनी हुई है। मंत्रालय की ओर से उपागमन-सड़क की जरूरत का आंकलन करने और उचित स्तर पर राज्य सरकारों के साथ आवश्यक कदम उठाने की कोई पहल नहीं की गई थी।

### 10.5.4 ऑनलाइन तथा अग्रिम टिकटों की सुविधा

दुनियां भर में, अक्सर घूमने वाले स्थलों के लिए टिकटों की अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा अपनाई जाती है। कई देशों ने दर्शकों की सुविधा के लिए, एक ही शहर/एक ही क्षेत्र में स्थित स्थलों के समूह के लिए कम कीमत पर संयुक्त टिकट पेश करते हैं।

भा.पु.स. ने पिछले पाँच वर्षो के दौरान टिकटों की बिक्री से ₹ 400 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। 2007-08 से 2011-12 के दौरान करीब ₹ 1.65 करोड़ विदेशी पर्यटकों ने स्मारकों का दौरा किया। तथापि, भा.पु.स. ने और अधिक पर्यटकों को स्थलों में आने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू करने की संभावना का पता नहीं लगाया। इससे सरकारी खाते में राजस्व के समय पर प्रेषण में मदद मिलेगी। यहाँ तक की टिकट काउंटरों पर, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से, टिकट खरीदने की कोई सुविधा नहीं थी।

***अनुशंसा 10.5: मंत्रालय और भा.पु.स. को जल्द से जल्द, आवश्यक सुरक्षा नियंत्रण के साथ, देश भर के सभी टिकट स्थलों के लिए ऑनलाइन टिकट सुविधा शुरू करनी चाहिए।***

## 10.6 संग्रहालयों में व्याख्या की सुविधा

हमने देखा कि संग्रहालयों में व्याख्या की सुविधा भी अपर्याप्त थी जैसा कि नीचे दिया गया है:

### 10.6.1 केऑस्क की गैर-स्थापना

भारतीय संग्रहालय ने (मार्च 2010) विज्ञान संग्रहालय की राष्ट्रीय परिषद (एन.सी.एस.एम.) के साथ ₹ 1.80 करोड़ रूपये की लागत से, 18 केऑस्क सहित, प्रदर्शन उपकरण की आपूर्ति के लिए समझौता किया। इस राशि में मल्टीमीडिया केऑस्क विकसित करने हेतु रा.वि.संग्र.प. का ₹ 30.32 लाख का परामर्श शुल्क शामिल था। नियम और शर्तों के अनुसार संग्रहालय ने ₹ 1.81 करोड़ की पूरी अनुबंध राशि अग्रिम में साइंस सिटी रा.वि.संग्र.प. को 31 मार्च 2010 में

भुगतान कर दी। परियोजना के पूरा होने की तिथि दिसंबर 2010 थी जिसमें सामग्री और तस्वीरों जो कि संग्रहालय द्वारा केऑस्कों में प्रदर्शित करनी थी, को समय पर प्रस्तुत करना शामिल था।

हमने देखा कि ₹ 22.18 लाख लागत के उपकरण (खरीदे हुए साफ्टवेयर को छोड़कर) साइंस सिटी, रा.वि.संग्र.प. तथा बिरला इंस्टीटयूट प्रौद्योगिकी मिशन की अभिरक्षा में था। कुछ उपकरणों की वारंटी अवधि समाप्त हो चुकी थी। रा.वि.संग्र.प. ने बताया कि कई अनुस्मारक तथा भारतीय संग्रहालय के अधिकारियों के साथ कई बैठकों के बावजूद, उन्होंने कोई भी आंकड़े तथा तस्वीरें, जो कि केऑस्कों को विकसित करने के लिए जरूरी थी, प्रदान नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, निदेशक, सांइस सिटी ने बताया कि भारतीय संग्रहालय से आंकड़े के अभाव में उनके लिए परियोजना को पूरा करना संभव नहीं होगा क्योंकि रा.वि.संग्र.प. के द्वारा काम पर लगाए गए विक्रेताओं को पहले ही समापन पत्र दिया जा चुका है।

**भारतीय संग्रहालय में पड़े उपकरण**

इस प्रकार, आंकड़े और तस्वीरें उपलब्ध कराने में भारतीय संग्रहालय की ओर से विफलता, केऑस्कों के न स्थापित होने में फलित हुई जिससे जनता की जागरूकता में वृद्धि न हो सकी।

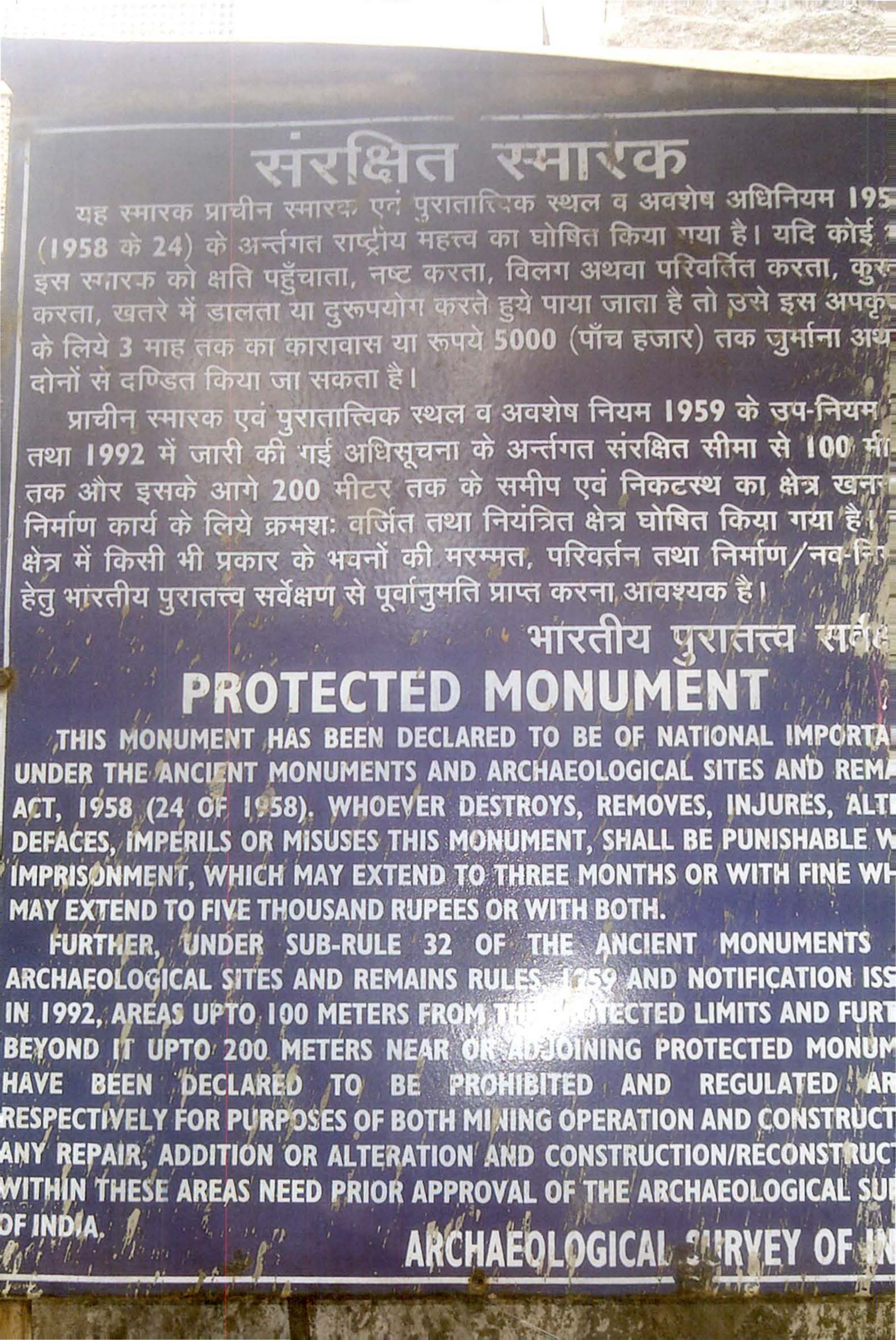
संरक्षित स्मारक
यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 195
(1958 के 24) के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित किया गया है। यदि कोई
इस स्मारक को क्षति पहुँचाता, नष्ट करता, विलग अथवा परिवर्तित करता, कुरू
करता, खतरे में डालता या दुरूपयोग करते हुये पाया जाता है तो उसे इस अपकृ
के लिये 3 माह तक का कारावास या रूपये 5000 (पाँच हजार) तक जुर्माना अथ
दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल व अवशेष नियम 1959 के उप-नियम
तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत संरक्षित सीमा से 100 मी
तक और इसके आगे 200 मीटर तक के समीप एवं निकटस्थ का क्षेत्र खन
निर्माण कार्य के लिये क्रमशः वर्जित तथा नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है।
क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवनों की मरम्मत, परिवर्तन तथा निर्माण/नव-नि
हेतु भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
भारतीय पुरातत्त्व सर्वे
PROTECTED MONUMENT
THIS MONUMENT HAS BEEN DECLARED TO BE OF NATIONAL IMPORTA
UNDER THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMA
ACT, 1958 (24 OF 1958). WHOEVER DESTROYS, REMOVES, INJURES, ALT
DEFACES, IMPERILS OR MISUSES THIS MONUMENT, SHALL BE PUNISHABLE W
IMPRISONMENT, WHICH MAY EXTEND TO THREE MONTHS OR WITH FINE WH
MAY EXTEND TO FIVE THOUSAND RUPEES OR WITH BOTH.
FURTHER, UNDER SUB-RULE 32 OF THE ANCIENT MONUMENTS
ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS RULES 1959 AND NOTIFICATION ISS
IN 1992, AREAS UPTO 100 METERS FROM THE PROTECTED LIMITS AND FURT
BEYOND IT UPTO 200 METERS NEAR OR ADJOINING PROTECTED MONUM
HAVE BEEN DECLARED TO BE PROHIBITED AND REGULATED AR
RESPECTIVELY FOR PURPOSES OF BOTH MINING OPERATION AND CONSTRUCT
ANY REPAIR, ADDITION OR ALTERATION AND CONSTRUCTION/RECONSTRUCT
WITHIN THESE AREAS NEED PRIOR APPROVAL OF THE ARCHAEOLOGICAL SU
OF INDIA.
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF IN

# अध्याय –XI

# शासन एवं चेतावनी संकेतों के प्रति असंवेदनशीलता



**मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ संगठनों के कार्यों की समीक्षा कई बार बाहरी दल एवं प्राधिकारियों द्वारा की गई है। यातायात, पर्यटन एवं संस्कृति की स्थायी संसदीय समिति ने भी कई बार भा.पु.स. एवं राष्ट्रीय संग्रहालय के प्राचीन विरासत के संरक्षण के अपर्याप्त प्रयासों के संदर्भ में टिप्पणी की थी।**

**दूसरे प्राधिकारी संगठनों जैसे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने भी अपने प्रतिवेदनों/आदेशों में इस विषय का संज्ञान लिया है।**

**हमने पाया कि मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ संगठनों ने इन चेतावनी संकेतों के प्रति पूर्ण असंवेदनशीलता दिखाई। इन कमियों के निराकरण हेतु कोई बड़ी उपचारी कार्यवाही या तरीके में परिवर्तन नहीं देखा गया। यदि कहीं कुछ कार्य शुरू भी किए गए थे तो भी इन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने में, संगठनात्मक इच्छा शक्ति की कमी थी। हमने जनवरी 2013 तक इन सोसाईटीयों/समूहों द्वारा कुछ अनुशंसाओं तथा उन पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही का विश्लेषण किया।**

## 11.1 अप्रभावी प्रशासन एवं मंत्रालयों का प्रबंधन

संस्कृति मंत्रालय का कार्य सभी प्रकार के कला एवं संस्कृति को संरक्षण देना एवं उसको बढावा देना है। मंत्रालय, इस अधिदेश की प्राप्ति में प्राचीन विरासतों, ऐतिहासिक स्थलों एवं पुराने स्मारकों के देखभाल एवं सरक्षण को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मदद से पूर्ण करती है। इसी तरह मंत्रालय कुछ संग्रहालयों की भी देखभाल करती है जहां कि बहुमूल्य संग्रह उपलब्ध हैं। निम्नलिखित विषयों पर, हमने मंत्रालय के कार्य में कमियाँ पाई:

### 11.1.1 नीति निर्धारण में अपर्याप्तता

जैसा कि पिछले अध्यायों में टिप्पणी की गई है, कई संगठन बिना किसी पर्याप्त नीति, विधि या मानदंड के कार्य कर रहे थे। नीति की अपर्याप्तता की वजह से वर्षों से इन संगठनों की कार्य कुशलता पर असर पड़ रहा था। फिर भी हमने पाया कि मंत्रालय की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया था, ताकि समय-समय पर नीतियों में बदलाव लाया जा सकें और सही तरीके से उनकी निगरानी की जा सके जैसा कि **चार्ट 11.1** में नीचे दिर्शाया गया है:-

**चार्ट 11.1 नीतियों को अन्तिम रूप देने हेतु सक्रिय तरीके का अभाव**

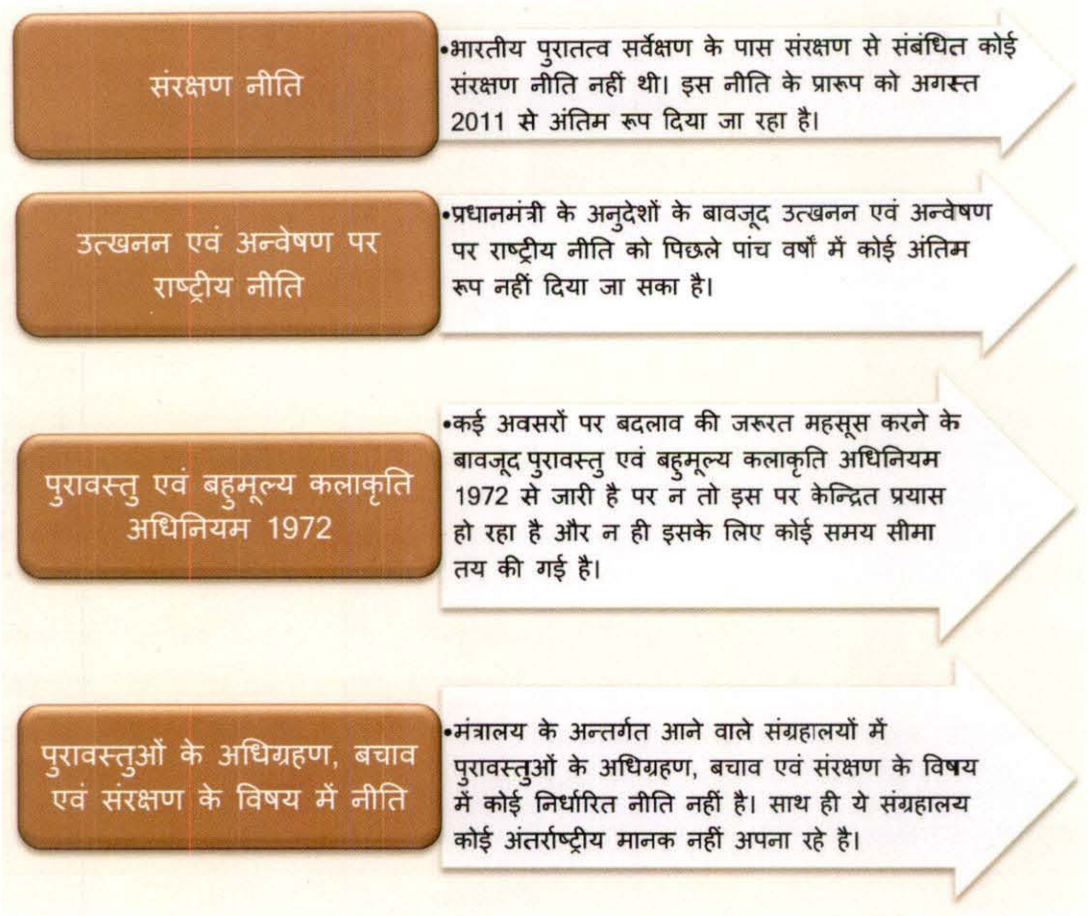


इसके बावजूद, मंत्रालय इन कार्यों की समीक्षा करने तथा इन नीतियों/विधियों को बनाने में तेजी दिखाने में असमर्थ रहा है। विभिन्न संस्थाओं एवं न्यायालयों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं संग्रहालयों की कार्यशैली में काफी कमियाँ पाई पर मंत्रालय ने अपने स्तर पर प्रशासन में सुधार लाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया।

## 11.1.2 अनुचित वित्तीय प्रबंधन

मंत्रालय ने बिना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वित्तीय जरूरतों को जाने हुए उसे बजट प्रदान किया। संरक्षण के लिए जरूरतों की समीक्षा करनें के लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए थे साथ ही भारत की समेकित निधि के अलावा किसी और स्रोत से भी निधि हासिल करने की कोशिश नहीं की गई थी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की आय प्राप्ति के मुख्यतः प्रयास टिकटों की बिक्री एवं शूटिंग हेतु ली गई फीस तक सीमित थे। मंत्रालय द्वारा कोई प्रयास या दिशानिर्देश प्रदान नहीं किए गए जिससे अंर्तराष्ट्रीय स्तर के आय प्राप्ति प्रक्रिया को, जिसमें की स्मृति चिह्न दुकानें, स्थान के विषय में एक निर्धारित यात्रा एवं यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल हैं, को अपनाकर स्मारकों

से आय में वृद्धि की जा सके। वस्तुतः वर्तमान तरीके में भी, नवीनीकरण जिसमें कम्प्यूटर के माध्यम से टिकट लेना या समय-समय पर शूटिंग की फीस में बदलाव करने जैसे प्रयास की कोशिश नहीं पाई गई।

मंत्रालय ने इस क्षेत्र में कोई नेतृत्व नहीं दिखाया। पुराने स्मारक राष्ट्रीय धरोहर हैं लेकिन उनसे होने वाली आय की क्षमता की न तो पहचान की गई न ही उसे समझा गया।



## 11.1.3 अपर्याप्त प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा निगरानी

मंत्रालय के पास अपनी कोई सूचना प्रणाली या प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली नहीं है और सभी प्रश्न या समस्याएं जो इसके संगठनों से संबंधित हैं सीधे इन संगठनों को निपटान हेतु भेज दी जाती हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि वे संगठन मंत्रालय की भुजाओं के रूप में काम करते हैं। हमने पाया कि संगठन जैसे राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावस्तु मिशन के कार्यों की प्रगति संबंधी निगरानी नहीं हो रही है। कई एजेन्सियों के द्वारा उठाये गए कदम एवं शुरू की गई परियोजनाएं जिनको इस लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया है दशकों से अधूरी पड़ी थी और मंत्रालय समय-समय पर इनकी निगरानी करने में विफल रहा। मजे की बात यह है कि किसी विशेष स्थान या ऐतिहासिक स्मारकों की उपेक्षा के विषय में संसद, किसी अतिमहत्वपूर्ण व्यक्ति या विशेषज्ञ द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय का जवाब केवल उस स्थान के विषय में सीमित रहा न कि एक प्रक्रियात्मक परिवर्तन नीति पर, जिससे सभी ऐतिहासिक स्थलों का उत्थान हो सके। किसी विशेष स्थल के संदर्भ में भी मंत्रालय का हस्तक्षेप और आश्वासन काफी हद तक अप्रभावी पाया गया जैसा कि कंगनहल्ली **(संदर्भः मामला अध्ययन 6)**की स्थिति से स्पष्ट है।

अपूर्ण परियोजनाओं, जिन पर मंत्रालय को ध्यान देना है, की सूची निम्नवत है:-

**चार्ट 11.2 अपूर्ण परियोजना/कार्य जिसमें मंत्रालय के निगरानी का अभाव**

**भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण**

- सूची अद्यतन करने हेतु संरक्षित स्मारकों का सर्वेक्षण
- संरक्षित स्मारकों के केन्द्रीयकृत एम.आई.एस. का विकास
- अधिसूचना रद्द करने हेतु लम्बित मामलों पर निर्णय
- अतिक्रमण के मामलों पर राज्य सरकारों का हस्तक्षेप
- संरक्षित स्मारकों की सूची का प्रकाशन
- उत्खनन एवं अन्वेषण की राष्ट्रीय नीति
- पुरावस्तु एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 में संशोधन
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्य संहिता एवं संरक्षण मैनुअल को अद्यतन करना
- आन-लाइन टिकट बिक्री का कार्यान्वयन
- फिल्म शूटिंग एवं प्रवेश टिकट की दरों में बढ़ोतरी
- पुरावस्तुओं का पंजीकरण

**संग्रहालय**

- 14 सूत्री संग्रहालय सुधारों का कार्यान्वयन
- कलात्मक वस्तुओं के अधिग्रहण, परिग्रहण, संरक्षण एवं चक्रावर्तन के मानकों का निर्धारण
- कला वस्तुओं का डिजिटीकरण
- कला वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन - गणना का मिलान
- चोरी के मामलों की छानबीन

**राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण**

- केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को श्रेणियों में बांटना
- प्रत्येक संरक्षित स्मारक हेतु उपनियमों को बनाना

**राष्ट्रीय संस्कृति निधि**

- चल रहे कार्यों का निरीक्षण
- निधि उगाही गतिविधियों को प्राथमिकता

**पुरावस्तुओं एवं स्मारकों का राष्ट्रीय मिशन**

- स्मारकों व पुरावस्तुओं का डाटाबेस तैयार करना

## 11.1.4 चेतावनी संकेतों के प्रति असंवेदनशीलता

विभिन्न विशेषज्ञ समितियों, लेखा प्रतिवेदनों एवं न्यायिक आदेशों द्वारा दी गयी विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वन की प्रक्रिया की भी मंत्रालय द्वारा निगरानी नहीं की गई। इस संदर्भ में सभी मंचों द्वारा गंभीर चिंता जताने के बावजूद मंत्रालय द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिए उठाये गये कोई ठोस कदम दिखाई नहीं दिए। विभिन्न चेतावनी संकेतों के बावजूद, इनमें से ज्यादातर समस्याएं वर्षों से अभी तक जस की तस हैं। इनका ब्यौरा आगे आने वाले अनुच्छेदों में दिया गया है।

हमने पाया कि मंत्रालय द्वारा इन संबद्ध, अधीनस्थ एवं स्वायत्त संस्थानों को दिए गए दिशानिर्देश एवं आदेश बेतरतीब एवं परस्पर विरोधी थे। निर्देशों का प्रलेखन अधूरा था और कार्यान्वयन संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रालय का कोई दिशानिर्देश नहीं था। इसका इन संगठनों की दक्षता एवं प्रभावशीलता पर प्रभाव पड़ा।

मंत्रालय ने जवाब दिया (जून 2013) कि संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में कार्यरत पुरातत्व विज्ञान की केन्द्रीय सलाहकार समिति द्वारा केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को सुरक्षित रखने एवं उसके रख-रखाव से संबंधित सलाह एवं सुझाव दिये जाते हैं। मंत्रालय नीतियों के बारे में मार्गदर्शन करता है जिसका क्रियान्वयन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। साथ ही मंत्रालय सभी महत्वपूर्ण विषयों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गये कार्यों का नियमित रूप से निगरानी एवं निरीक्षण करता है।

तथापि, अपूर्ण परियोजनाओं की दशा मंत्रालय के निगरानी तंत्र में कमी को दर्शाती है। ऐसी कोई प्रणाली नजर नहीं आती जहां कि ये संगठन लंबित विषयों/परियोजनाओं पर मंत्रालय को नियमित रूप से जवाब देते हों। इसके अलावा, संरक्षण नीति तथा उत्खनन एवं अन्वेषण की राष्ट्रीय नीति का अभाव, मंत्रालय के जवाब को पुष्ट नहीं करता।

## 11.2 विभिन्न प्रतिवेदनों की सिफारिशों पर कार्य

**तालिका 11.1 पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मूल्यांकन के लिए विभिन्न समितियों का वर्णन**

| समिति का नाम (वर्ष) | बनाने का कारण | अध्यक्ष | प्रतिवेदन/सिफारिश देने का वर्ष |
|---|---|---|---|
| **पुरातत्व विज्ञान पर विशेषज्ञों का समूह** | पेशेवर तरीके से अध्ययन करना और एक कार्य योजना तैयार करना जिसकी मदद से भारत के ऐतिहासिक स्थलों को बहुपक्षीय कारणों से नष्ट होने से बचाया जा सके, विशेषतः पर्यावरण प्रदूषण एवं कलाकृति ध्वसन से | श्री रामनिवास मिर्धा, संसद सदस्य | 1984 |
| **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कार्य पर परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट** | | श्री नीलोत्पल बासु, संसद सदस्य | 2005 |
| **संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई समिति** | प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम 1958 में सुधारों के प्रभाव की समीक्षा करना जिसमें कीप्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अध्यादेश 2010 (सुधार एवं सत्यापन) का प्रभाव भी शामिल है। | श्री एम. वीरप्पा मोइली, कानून एवं न्याय मंत्री | 2010 |

यह पाया गया कि मिर्धा समिति द्वारा 1984 में की गई सिफारिशों का ज्यादातर मामलों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग/मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया गया। इसी तरह के मामलों को 20 साल के अंतराल के बाद, वर्ष 2005 में संसदीय स्थायी समिति द्वारा फिर से उठाया गया। इनमें से ज्यादातर मामले अभी भी लंबित हैं।



**तालिका 11.2 विभिन्न समितियों के सिफारिशों का विवरण**

| विषय | मिर्धा समिति (1984) | संसदीय स्थायी समिति (2005) | मोइली समिति (2010) |
|---|---|---|---|
| **भा.पु.स. के संगठन और उसके विधायिका में बदलाव** | भा.पु.स. को लोक प्रशासन की शाखा नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि इसे एक शैक्षिक संस्थान समझा जाए जिसके पास महत्वपूर्ण कार्य है और इसे एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान का दर्जा मिलना चाहिए जो अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो। हालांकि भा.पु.स. को एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान घोषित करने के लिए अधिसूचना 1990 में जारी की गई पर इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। | समिति इस बात को जानकर हैरान थी कि मंत्रालय द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की और भा.पु.स. में प्रशासनिक दुर्दशा को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया कीभा.पु.स. को एक वैज्ञानिक एवं तकनीकि संस्थान घोषित करने की अधिसूचना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। समिति ने इस बात के लिए दुख जताया कि मंत्रालय और भा.पु.स. द्वारा कोई अन्दरूनी कार्यवाही नहीं हुई जिससे कि वह एक वैज्ञानिक एवं तकनीकि संस्था का फायदा उठा सके। | यह अधिनियम पूर्ण रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या और भारत के शहरीकरण का जवाब नहीं था। यह हमारे प्राचीन स्मारकों को संरक्षण देने में असमर्थ है। भा.पु.स. के मानव शक्ति एवं संसाधनों में कमी की वजह से एक कमजोर अधिनियम बनाया गया। |
| **वर्ष 2012 में हमने पाया कि भा.पु.स. अभी भी मंत्रालय के नियमित संबद्ध कार्यालय की तरह कार्य कर रहा था। ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई थी जिससे कीभा.पु.स. को एक वैज्ञानिक विभाग का दर्जा हासिल हो।** | | | |
| **उत्खनन एवं अन्वेषण** | • उत्खनन एवं अन्वेषण से संबंधित योजना में कमी | • भा.पु.स. को उत्खनन के लिए स्थानों के चुनाव के लिए बनाए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा उत्खनन के | • बड़ी परियोजनाओं के अनुमानित लागत के कुछ प्रतिशत का आरक्षण एक |

| विषय | मिर्धा समिति (1984) | संसदीय स्थायी समिति (2005) | मोइली समिति (2010) |
|---|---|---|---|
| | | लिए स्थान तय करने का आधार वैज्ञानिक एवं तकनीकी होनी चाहिए न कि किसी बाहरी कारणों से यह निर्णय लिया जाना चाहिए।<br>भा.पु.स. को यह पक्का करना चाहिए कि जब तक विशेष उत्खनन चल रहा है और जब तक वहां कार्य पूरा न हो इसमें लगे अधिकारियों का स्थानांतरण न हो। | अनिवार्य जरूरत होना चाहिए ताकि पुरातत्व प्रलेखन को अनुबंधित आधार पर पूरा किया जा सके।<br>यह प्रक्रिया कई देशों में अपनाई जा रही है और इसके परिणामस्वरूप पुरातत्व कार्यों के कार्यान्वयन एवं प्रकाशन को तेजी से किया जा सकता है। |
| **वर्ष 2012 में हमने पाया कि उत्खनन से संबंधित कार्यों पर खर्च भा.पु.स. के कुल बजट का मात्र एक प्रतिशत था। रिपोर्ट के लेखन एवं उसे प्रकाशित करने के कार्य में उल्लेखनीय देरी थी। अधिकारियों का स्थानातरण रिपोर्ट पूर्ण होने से पहले किया जा रहा था और भा.पु.स. द्वारा शुरू किए गए उत्खनन के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई विशेष योजना या दिशा नहीं थी।** | | | |
| **ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण** | • वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम विशेष प्रयोजन के अनुसार होना चाहिए जैसे कोस मीनार आदि के लिए योजना<br>• महत्वपूर्ण स्थलों को पहचान कर उनका संरक्षण जिसमें पर्यावरण संरक्षण भी शामिल हो, करते हुए उनका समेकित विकास करना चाहिए। | • भा.पु.स. ने समिति को बताया कि एक संपूर्ण संरक्षण नियम पुस्तिका को दसवें पंचवर्षीय योजना के दौरान संकलित किया जाएगा।<br>• राशि का ज्यादा व्यय स्थल विकास एवं सौंदर्यीकरण की बजाय स्थलों के संरक्षण/बचाव में किया जाना चाहिए।<br>• भा.पु.स. को टिकटवाले और बिना टिकटवाले स्थानों को एक जैसा समझना चाहिए और इनके अवसंरचना के विकास और स्थलों के संरक्षण/सुरक्षित रखने के साथ पर्यटकों के | • संरक्षण के बड़े कार्य सिर्फ विश्व धरोहर स्थलों और टिकट वाले स्मारकों तक सीमित थे।<br>• ऐसे कई स्थल हैं जिन्हें पिछले 20 से 30 वर्षों में स्थल संरक्षण के नाम पर एक रूपया भी नहीं मिला। |

| विषय | मिर्धा समिति (1984) | संसदीय स्थायी समिति (2005) | मोइली समिति (2010) |
|---|---|---|---|
| | • संरक्षण कार्य के लिए भा.पु.स. का नया नियम पुस्तिका एवं भा.पु.स. की स्वयं की दर सारणी होनी चाहिए।<br>• किसी स्थल के रख-रखाव की रोजनामचा प्रस्तुति जिसमें कि वहां क्या-क्या कार्य हुए की जानकारी हो ताकि उसे भविष्य में संदर्भित किया जा सके।<br>• पुरातत्व संरक्षण पर अनुसंधान के लिए एक विशेष इकाई की आवश्यकता। | लिए व्यापक सुविधा प्रदान करनी चाहिए। | |

**वर्ष 2012 में हमने पाया कि पुरातत्व स्मारकों के संरक्षण के लिए कोई एकीकृत/वर्गीकृत कार्यक्रम नहीं है। प्रत्येक स्थल पर किए गए रख-रखाव से सबंधित कार्यों के लिए कोई रोजनामचा पुस्तक नहीं थी। संरक्षण नीति पुस्तिका का अद्यतन नहीं हुआ था और भा.पु.स. ने अपनी दर सारणी का विकास नहीं किया था भा.पु.स. अभी भी सर जॉन मार्शल द्वारा प्रकाशित नीति पुस्तिका पर भरोसा कर रही थी। अनुसंधान एवं पुरातत्व संरक्षण के लिए कोई विशेष इकाई नहीं थी। पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं की दशा विश्व धरोहर स्थलों की तुलना में बिल्कुल संतोषजनक नहीं थी। (वर्णन अध्याय 3 और अध्याय 10 में)**

| विषय | मिर्धा समिति (1984) | संसदीय स्थायी समिति (2005) | मोइली समिति (2010) |
|---|---|---|---|
| स्मारकों की सुरक्षा | भा.पु.स. के पास कम से कम 9000 ऐतिहासिक स्थल परिचारक हो और उनका स्वयं का एक सुरक्षा दल होना चाहिए। | • स्थल परिचारक के 10000 पद।<br>• सुरक्षा पर व्यय अर्थात के.औ.सु.ब. और एस.आई.एस. का भार गृह मंत्रालय को उठाना चाहिए और इस विषय पर एक उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। | • स्मारकों के अतिक्रमण एवं विनाश पर चिंता प्रकट करते हुए समिति ने बताया कि गुम हुए इमारतों की संख्या भा.पु.स. द्वारा दी गई संख्या अर्थात 35 से भी ज्यादा थी। |
| **वर्ष 2012 में हमने पाया कि ज्यादातर भा.पु.स. की इमारतें अभी भी पूर्णकालिक सुरक्षा गार्ड के बगैर थी। इमारतें दिन प्रतिदिन समुचित सुरक्षा इंतजामों के अभाव में अतिक्रमण का शिकार हो रही थी। (विवरण अध्याय 9 में)** | | | |
| मानव संसाधन | • निदेशक के वर्तमान पद का अद्यतन कर संयुक्त महानिदेशक बनाया जाए और स.प्रा. के पद को निदेशक में परिवर्तित किया जाए।<br>• सर्कल स्तर पर स्टाफ की संख्या उचित ढंग से बढ़ाई जानी चाहिए जिसमें तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्मिक शामिल हैं।<br>• मुख्यालय पर एक जन संपर्क अधिकारी होना चाहिए। | • जरूरत के अनुसार अभी भी भा.पु.स. के पास संरक्षण कैडर एवं उद्यान कैडर में आवश्यकतापूर्ति हेतु मानव संसाधन की कमी महसूस की जा रही थी। | • समिति ने बताया कि बहुत सारे मामलों में इमारतों को खतरों को उनके संस्थागत संरक्षकों द्वारा नजर अंदाज किया गया जिनमें मानव संसाधन एवं वित्त की कमी थी।<br>• कई ऐसी स्थितियां थी जहां पर स.प्रा. 80 से ज्यादा ऐतिहासिक स्मारकों का प्रबंधन देख रहे थे, इस वजह से उनसे इतने अधिक ऐतिहासिक स्थलों पर |

| विषय | मिर्धा समिति (1984) | संसदीय स्थायी समिति (2005) | मोइली समिति (2010) |
|---|---|---|---|
| | • अभियांत्रिकी कैडर में ज्यादा पदों की सिफारिश की गई जो कि संरक्षण और इमारतों को सुरक्षित रखने के काम को अच्छे से संभाल सके। | | नियमित अंतराल पर जाना और निरीक्षण करना अपेक्षित नहीं था। |

**वर्ष 2012 में हमने पाया कि भा.पु.स. के पास मानव संसाधन की काफी कमी थी। तकनीकि रूप से समर्थ कार्मिक जो संरक्षण का कार्य करते थे उनकी भी काफी कमी थी। कुछ विशेष संरक्षण इकाईयाँ जैसे कि अंतर जलीय पुरातत्व विज्ञान, मानव संसाधन की कमी के कारण काम नहीं कर रहे थे। (विवरण अध्याय 4 में)**

उपर दिए गए बिंदुओं के अलावा, इन समितियों द्वारा कुछ और मामलों को भी सामने लाया गया:-

| विषय | रामनिवास मिर्धा कमेटी की सिफारिशें |
|---|---|
| **ऐतिहासिक स्मारकों का निरीक्षण** | प्रत्येक स्मारक का परिमण्डल के एक अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए और निदेशालय को निदेशकों पर बल देना चाहिए कि वो प्रत्येक वर्ष में 50 इमारतों का निरीक्षण करें। साथ ही प्रत्येक स्मारक के लिए संरक्षण टिप्पणी बनाई जानी चाहिए और अलग-अलग गार्ड फाईल में लगाई जानी चाहिए। |
| **स्थल योजना की उपलब्धता** | परिचारक के पास एक स्थल योजना होनी चाहिए ताकि वह भा.पु.स.की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण से खतरे की रिपोर्ट दे सकें। |
| **अभिलेख केन्द्र** | 2-3 अभिलेख केन्द्र होने चाहिए जहां कि ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित सारे दस्तावेज हों जिसमें रूचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए फोटो, चित्र आदि उपलब्ध हों। |
| **जन सुविधाएं** | अधिक ऐतिहासिक स्मारकों पर टिकट लगाया जाना चाहिए और टिकट के दाम बढ़ाने चाहिए। जन सुविधा, प्रकाश की भरपूर व्यवस्था आदि की जानी चाहिए और भा.पु.स. के सहयोग से पर्यटन विभाग द्वारा इनकी देखभाल की जानी चाहिए। |

**हमने पाया कि इनमें से किसी भी सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया और न ही इन पर उच्च स्तर पर विचार किया गया। ऐतिहासिक स्थलों के निरीक्षण में कमी और उनका दस्तावेजीकरण अभी भी चिंता का विषय है। मूल दस्तावेज जैसे कि स्थल का नक्शा/योजना भी ज्यादातर मामलों में उप-परिमंडल स्तर पर उपलब्ध नहीं थे (विवरण अध्याय 2 और 9 में)**

न तो मंत्रालय और न ही भा.पु.स. हमें दस्तावेज उपलब्ध करा पाए या भरोसा दिला पाए कि इन मामलों पर विचार किया जा रहा है और इन सिफारिशों के आधार पर कुछ बदलाव की कोशिश की गई थी । हमारी लेखापरीक्षा ने जमीनी स्तर पर इसकी पुष्टि की कि इनमें से ज्यादातर मामले सही हैं, और अभी भी इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

## 11.2.2 राष्ट्रीय संग्रहालय पर समितियों की सिफारिशें

"राष्ट्रीय स्मारक की कला वस्तुओं के समाविष्ट वैज्ञानिक एवं प्रत्यक्ष सत्यापन" के उद्देश्य हेतु 199 में श्री वरदराजन की अध्यक्षता के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई तथा वर्ष 2004 में प्रस्तुत की गई थी। आगे 2011 में, श्री सीताराम येचूरी द्वारा अध्यक्षता की एक संसदीय स्थायी समिति ने भी राष्ट्रीय संग्रहालय के कार्य में कमियों को इंगित किया।

| विषय | वर्ष 2004 में वरदराजन समिति की सिफारिशे | वर्ष 2011 में येचूरी समिति की सिफारिशे |
|---|---|---|
| **प्रलेखन** | समस्त वस्तुओं का डिजिटाइजेशन एवं कम्प्यूटीकरण दिसम्बर 2009 तक होना चाहिए। | सूचना प्रणाली का कम इस्तेमाल हुआ। तेजी से कार्य करने के लिए डिजिटाइजेशनको महत्व दिया जाना चाहिए। |
| **भौतिक सत्यापन** | प्रत्येक अनुभाग के 20 *प्रतिशत* पुरावस्तुओं का हर वर्ष सत्यापन होना चाहिए ताकि 5 वर्षों में सभी का सत्यापन हो जाए। | विश्वास करना मुश्किल है कि 2003 से कलात्मक वस्तुओं का सत्यापन नहीं हुआ। समिति को डर है कि जब सत्यापन होगा तब कुछ वस्तुएं गुम पायी जाएगी। |
| **वर्ष 2003 के बाद वास्तविक सत्यापन नहीं हुआ।** | | |
| **सुरक्षा** | सुरक्षा एक की छत्र-छाया में होना चाहिए और इसका प्रबंधन एक एजेंसी के पास होना चाहिए। | संग्रहालय द्वारा सबसे अच्छी तकनीक के इस्तेमाल को सुरक्षित रखने में होना चाहिए। |
| **प्रदर्शनी** | दीर्घाओं में प्रदर्शित चीजों को समय-समय पर बदला जाना चाहिए। | लंबे समय का प्रदर्शन-सारणी होना चाहिए और इसे व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए। |
| **कोई सुनिश्चित प्रदर्शन-सारणी नहीं बनायी गयी (विवरण अध्याय 6 में)** | | |
| **मानव संसाधन** | अत्यावश्यक रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। | महानिदेशक के पद को ज्यादा आकर्षक बनाया जाए। मंत्रालय |

| विषय | वर्ष 2004 में वरदराजन समिति की सिफारिशे | वर्ष 2011 में येचूरी समिति की सिफारिशे |
|---|---|---|
| | | की तरफ से रिक्त पदों को भरने के काम में दिलचस्पी की कमी। अतिरिक्त महानिदेशक एवं संयुक्त महानिदेशक के पदों को सृजित करना चाहिए। |
| **अतिरिक्त महानिदेशक (ए.डी.जी.) और संयुक्त महानिदेशक (जे.डी.जी.) के पदों को ना ही संस्वीकृति मिली तथा ना ही इन्हें भरा गया । मानव संसाधन की कमी लेखापरीक्षा के दौरान भी सामने आई। (विवरण अध्याय 8 में)** | | |
| **अभिग्रहण** | कला अर्जन समिति का पुनर्गठन हो और इसे अप्रैल 2004 से काम शुरू कर देना चाहिए। | निष्क्रिय अधिग्रहण समिति के कार्य न करने के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए और जल्द से जल्द समिति को बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। |
| **कला क्रय समिति अभी भी निष्क्रिय थी और उसे दुबारा बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये थे। (वर्णन अध्याय 6 में)** | | |
| **दीर्घाओं को बंद करना** | — | 26 में से 7 दीर्घाएं बंद थीं और उन्हें बंद करने के कारण संतोषजनक नहीं थें। इन दीर्घाओं के पुररूद्धार के लिए कोई निर्धारित दिशानिर्देश नहीं थे। |
| **भवनों का रख-रखाव** | — | के.लो.नि.वि. के कार्य निष्पादन पर निगरानी की जानी चाहिए और अगर जरूरत हो तो दूसरी एजेंसियों को भी रख-रखाव का काम दिया जा सकता है। |
| **संकेत पट्ट** | — | संकेत पट्ट और लेबल अनाकर्षक और बहुत छोटे थे। साथ ही अनुवाद में भी गलतियां थीं। |
| **मध्य एशियन वस्तुएं (सी.ए.ए.)** | 700 सी.ए.ए. जो कि वि. तथा ए. संग्रहालय लंदन में रखे हैं के बारे में सही निर्णय लिया जाना चाहिए और उनकी डिजिटल तालिका उनसे हासिल करनी चाहिए। | — |

| विषय | वर्ष 2004 में वरदराजन समिति की सिफारिशे | वर्ष 2011 में येचूरी समिति की सिफारिशे |
|---|---|---|
| **राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा वि. तथा ए. संग्रहालय, लंदन से संपर्क करने की और 700 सी.ए.ए. वस्तुओं के बारे में जानकारी हासिल करने की कोई कोशिश नहीं की गई।** | | |
| **उपहार गृह** | इसे आकर्षक प्रतिकृतियों से हमेशा भरा रहना चाहिए। | -- |
| **गैर पुराकालीन सामान** | गैर पुराकालीन सामानों को रा.आ.क.गै. या कला संग्रहालयों में स्थानांतरित कर देना चाहिए। | -- |



## 11.3 ऐतिहासिक इमारतों के बारे में न्यायालय के आदेश

देश के कई न्यायालयों ने धरोहर संरक्षण एवं इन संगठनों के कार्यशैली से संबंधित मामलों का संज्ञान लिया है। हमने पाया कि ऐसे कई मौके थे जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्देश के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया। उनमें से कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

### 11.3.1 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर कार्यवाही नहीं

(अ) भा.पु.स. की अपील पर, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय[66] सुनाया जिसमें कि उसने कर्नाटक सरकार द्वारा 1976 मे जारी की गई उन अधिसूचनाओं को खारिज किया जिससे कि कर्नाटक सरकार ने 43 राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों को कर्नाटक वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया था। तथापि, अधिनियमों को रद्द करने के लिए कदम उठाने के बजाय, भा.पु.स. ने कर्नाटक सरकार से प्रार्थना की कि एक संयुक्त सर्वेक्षण करके इन स्मारकों की 2008 से स्थिति का पता लगाया जाए। यह संयुक्त सर्वेक्षण 2013 जनवरी तक नहीं हो पाया था। कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2004 में और 6 इमारतें जो कि बिदर, बेलगाम और गुलबर्गा में है को वक्फ की संपत्ति बताते हुए अधिसूचित किया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के 2004 के निर्णय के बाद किया गया है। मंत्रालय या भा.पु.स. द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ब) तेनकैलाशनाथ मंदिर जो कि त्रिसूर परिमंडल में एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है, के पास लोग उत्सव मनाने के लिए पटाखे छुड़ाते हैं जिसकी वजह से मंदिर के भित्ति चित्र को नुकसान पहुंच रहा था। वर्ष 2005 में, सर्वोच्च न्यायालय ने

[66] सी.ए. नं. 16899/96

निर्णय दिया कि त्यौहारों के मौसम में धार्मिक उत्सवों के दौरान पटाखों के रसायनिक समीकरण की वजह से ध्वनि का स्तर 125 डेसीबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन भा.पु.स. ने ऐसी कोई प्रणाली नहीं अपनाई जिससे कि जिला प्रशासन के सहयोग से इस समस्या का समाधान हो सके। भा.पु.स. के पास अपनी खुद की कोई प्रणाली नहीं थी जिससे वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करवा सकें। हमने पाया कि उत्सव में इस्तेमाल होने वाले पटाखों से अभी भी संरक्षित मंदिर के छत को नुकसान पहुंच रहा था।

### 11.3.2 राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर कोई कार्यवाही नहीं

भा.पु.स.अपने संरक्षित स्थलों से, न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अतिक्रमण हटाने में असमर्थ थी। जिला और राज्य प्रशासन से सहयोग न मिलना, भा.पु.स. द्वारा दिया गया मुख्य कारण था। तथापि, हमने पाया कि भा.पु.स. ने एक पूर्णकालिक समाधान के लिए इस समस्या को मंत्रालय तक नहीं पहुंचाया। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

अ) फरवरी 2004 में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद, जैसलमेर किला, राजस्थान, के संरक्षित क्षेत्र से 66 गैरकानूनी संरचनाओं को हटाया नहीं जा सका।

ब) अहमदाबाद उच्च न्यायालय का आदेश, जो कि पुरातन स्थल, गोहिलवाड़ टिम्बो, अमराली, बड़ोदरा परिमंडल पर अतिक्रमण को हटाने से संबंधित था, का क्रियान्वयन नहीं किया गया।

ग) वर्ष 2002, में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने 16 जून 1992 की उस अधिसूचना पर पुनर्विचार करे जिसमें उसने निषिद्धवं नियमित क्षेत्रों को पारिभाषित किया है और साथ ही कहा कि नियमित क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए भा.पु.स. से अनुमति लेने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय की यह भी राय थी कि निर्माण कार्य को रोकने के लिए केवल कड़े नियमों का होना जरूरी नहीं है बल्कि सोझ-समझकर और दिमाग का उपयोग कर एक सही नियम बनाना चाहिए। तथापि, जनवरी 2013 तक ऐसी कोई समीक्षा शुरू भी नहीं हुई है।

## 11.4 लेखापरीक्षा के प्रति असंवेदनशीलता

भा.पु.स. को भारत के संगठित निधि से बजट मिलता है इसलिए, हम समय समय पर भा.पु.स. के मुख्यालय, परिमंडलों और शाखाओं की लेन-देन लेखापरीक्षा करते है। हमने नियमित रूप से अनियमितताएं देखीं।

हमने "कलात्मक वस्तुओं के परिरक्षण और जीर्णोद्वार " जो कि भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और ऐशियाटिक सोसाईटी कोलकाता से संबंधित था, की समीक्षा की थी,

जिसका प्रकाशन वर्ष 2005 के नियंत्रक महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन संख्या 4 (सिविल) में हुआ। तथापि, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमें यह जानकर चिंता हुई कि ज्यादातर अनियमितताएं और कमियां अभी भी अपने जगह पर विद्यमान थीं।

## 11.5 लोगों द्वारा संदर्भ देना

कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां कि लोक प्रतिनिधियों, संरक्षको और प्रतिष्ठित व्यक्तियों नेभारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्य करने के तरीकों की तरफ उंगली उठाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तथ्यों का पता लगाने के लिए भी कोई कार्यवाही नहीं की। उनमें से कुछ उदाहरण जो कि अभिलेखों के जांच के समय सामने आए:

क) भा.पु.स. ने राज्य सरकार के साथ चन्द्रमौलेश्वर मंदिर, उन्कल धारवाड़ मंडल को एक पर्यटन स्थल के रूप से विकसित करने के लिए, संयुक्त सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद एक पुनरूद्धार योजना जिसकी कुल लागत ₹14.75 करोड़ थी, बनाई गई। इस राशि का बंटवारा 37:63 के अनुपात में कर्नाटक सरकार और भारत सरकार के बीच हुआ। बाद में वर्ष 2010 में इसे बदलकर 50:50 के अनुपात में कर दिया गया। चूंकि इस संदर्भ में कोई प्रगति नहीं हो रही थी इसलिए सितम्बर 2011 में श्री प्रहलाद जोशी, संसद सदस्य ने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस संबंध में उचित कार्यवाही करने का आग्रह किया। पर इसके बावजूद लेखापरीक्षा खत्म होने तक भी (दिसम्बर 2012)इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

ख) ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार ने अप्रैल 2013 में संस्कृति मंत्री को बौद्ध स्थल कंगनहल्ली की स्थिति के बारे में सूचना दी। उन्होंने कहा कि स्थल का संरक्षण केवल कागजों पर है और पुरातत्व संरक्षण के आड़ में वहां कलाकृतियों का ध्वसन हो रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थल पर एक संग्रहालय हो और एक-एक पत्थर जो कि वहां मौजूद है, उसका दस्तावेजीकरण हो। साथ ही स्थल का पुनर्निर्माण संवेदनशील एवं वैज्ञानिक तरीके से हो। उनके हस्तक्षेप और बार-बार स्थल के दौरे के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई।

ग) इसी तरह की टिप्पणी ग्रामीण विकास मंत्री ने हसन शाह सूरी और शेर शाह सूरी के मकबरों की खराब स्थिति के बारे में की थी, जो कि पटना मंडल के सासाराम, रोहतास में स्थित है। उन्होंने बावड़ी गंदगी और विकृत दीवारों की खराब स्थिति की ओर उंगली उठाई और कहा कि रख-रखाव की स्थिति वीभत्स थी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग विशेषज्ञों एवं संसदीय सोसाईटीयों के सिफारिशों को सही तरीके से अनुपालन करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप बिना पर्याप्त वित्त और मानव संसाधन केभा.पु.स. अपने कार्यों को पूरा करने में अक्षम रहा। भा.पु.स. की इन कमियों का मुख्य कारण मंत्रालय का इन खतरनाक संकेतों के प्रति संवेदनशीलता की कमी रही।

# अध्याय – XII

# निष्कर्ष



भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस निष्पादन लेखापरीक्षा को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसके अंतर्गत भा.पु.स. के कई उद्देश्यों, प्रक्रियाओं और परिणामों के कई पहलुओं की समीक्षा की गई। भा.पु.स. की सबसे बड़ी असफलता, उसके मूल कार्य पुरातत्व विज्ञान, जिसमें उत्खनन, सर्वेक्षण और उत्खनन की रिपोर्टों को प्रकाशित करना है, के संदर्भ में पाई गयी। वर्तमान में भा.पु.स. का उत्खनन पर व्यय कुल बजट के एक प्रतिशत से भी कम था। हमने पाया कि भा.पु.स. के पास उत्खनन स्थलों के चुनाव, काम को खत्म करने की अवधि और उत्खनन की खोजों को प्रकाशित करवाने संबंधी कोई नीति नहीं थी। परिणास्वरूप, प्रमुख स्थानों जैसे कि धोलावीरा, सान्घोल, राखीगढ़ी, श्रावस्ती, मथुरा के उत्खनन के दशकों बीत जाने के बाद भी उनकी रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। कई मामलों में इन उत्खननों का नेतृत्व कर रहे पुरातत्वविद, अब भा.पु.स. के साथ नहीं है। कुछ मामलों में, पुरातत्वविदों की मौत हो चुकी है। परिणामस्वरूप, खोज में मिली पुरानी वस्तुओं का कोई हिसाब किताब नहीं है और कहीं-कहीं तो उत्खनन के स्थल का नामोनिशान तक नहीं मिल रहा है।

हमने पाया कि योजनाबद्ध कार्यशैली की अनदेखी की जा रही थी। खोज और संरक्षण भा.पु.स. के महत्वपूर्ण कार्य है, तथापि इन क्षेत्रों के लिए कोई विस्तृत नीति नहीं बनाई गई थी। परिणामस्वरूप संरक्षण के लिए किए गए उपाय अत्यंत अपर्याप्त थे। हमने पाया कि अपने मुख्य कार्यों के लिए भा.पु.स. अभी भी 1923 में प्रकाशित नीति पुस्तिका पर निर्भर था। इस दस्तावेज को अद्यतन नहीं किया गया था। भा.पु.स. के महत्वपूर्ण प्रकाशन जैसे "भारतीय पुरातत्व विज्ञान एक पुनरीक्षण" लंबे वर्षों से लंबित पड़े थे।

ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों के प्रभावी बचाव के लिए नीतियों को अद्यतन करना, वस्तु सूची का प्रकाशन और इमारत के पूर्ण विवरण से संबंधित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। तथापि इन क्रियाकलापों को संबंधित इकाइयों द्वारा पूर्ण नहीं किया गया था। राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारक और पुरावस्तु मिशन भी अपने कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने में असफल रहा। इस मिशन में दिशा दृष्टि तथा सही नीति की कमी थी।

इन कमजोरियों के प्रसंगवश, ऐतिहासिक स्थलों पर अतिक्रमण और गैरकानूनी निर्माण को बढ़ावा मिला। विस्तृत योजना के अभाव में और संगठन की कमजोरियों की वजह से भा.पु.स. की तीन प्रमुख इकाइयों के बीच कोई तालमेल नहीं था जोकि इमारत की संरचना, रसायनिक और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जिम्मेदार थीं। संरक्षण की सफलता की जिम्मेदारी व्यक्तिगत पहल पर छोड़ दी गई थी और इस विषय पर समग्र विभागीय सोच का नितान्त अभाव था।

जहां तक भा.पु.स. के वित्तीय प्रबंधन का सवाल है, हमने पाया कि भा.पु.स. को दी गई निधियां बिल्कुल अपर्याप्त थीं, तथापि उनकी तरफ से या संस्कृति मंत्रालय की तरफ से इसको बढ़वाने या धनोपार्जन के तरीकों की खोज करने के लिए कोई पहल नहीं की गई थी। श्रम शक्ति प्रबंधन में सबसे बड़ी कमी मानव संसाधन की थी जिसकी वजह से कार्यों का पर्यवेक्षण न के बराबर था और सुरक्षा अपर्याप्त थी।

भा.पु.स. पुरानी पुरावस्तु एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने में असमर्थ था और पुरानी कलात्मक वस्तुओं के गैरकानूनी निर्यात की घटनाऐं जोरों पर थी। इस अधिनियम में बदलाव हेतु प्रस्तावित न्यायिक सुधार वर्षों से लंबित पडे थे।

हमने संग्रहालयों की कार्यशैली में उल्लेखनीय कमियाँ देखीं। संग्रहालयों के पास कलात्मक वस्तुओं के अधिग्रहण, संरक्षण तथा दस्तावेजीकरण करने के लिए कोई मानक या निर्देश चिन्ह नहीं थे। हमने जिस भी संग्रहालय का लेखापरीक्षण किया, वहां पर अधिग्रहण की गई वस्तु की सत्यता की जांच करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी। अधिग्रहित कलात्मक वस्तुओं के दस्तावेजीकरण की कमी तथा डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल करने में असफलता और साथ ही साथ वस्तुओं के भौतिक सत्यापन न हो पाने के कारण, इन कलात्मक वस्तुओं के गुम या गायब होने की संभावना बढ़ गयी थी। इन संग्रहालयों में प्रभावी सुरक्षा एवं निगरानी प्रणाली का अभाव, सुरक्षा तंत्र की निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है।

हमने यह भी देखा कि बहुत सारी कमियां जिनका संबंध भा.पु.स. की कार्यशैली से है, उनको विशेषज्ञ/संसदीय समितियों ने अपने सिफारिशों में इंगित किया था। इसके बावजूद, यह खेद का विषय है कि संस्कृति मंत्रालय ने इन चेतावनी संकेतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी राय में, शीघ्रातिशीघ्र ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे कि भा.पु.स. का जीर्णोद्धार हो ताकि वह अपने निर्धारित कार्यों को पूरा कर सके और अपने पुराने गौरव को हासिल कर सके।



**नई दिल्ली**
**दिनांकः 2 अगस्त 2013**

**(रॉय मथरानी)**
**महानिदेशक लेखापरीक्षा,**
**केन्द्रीय व्यय**

*प्रतिहस्ताक्षरित*

**नई दिल्ली**
**दिनांकः 5 अगस्त 2013**

**(शशि कान्त शर्मा)**
**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

# अनुबंध

## अनुबंध 1.1
## (पैरा 1.1 के संदर्भ में)

# लेखापरीक्षा की गई इकाईयों तथा उनके कार्यों का विवरण

| क्र.सं. | संग्रहालय का नाम | कार्य |
|---|---|---|
| 1. | भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) | भा.पु.स. के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:<br>• पुरातात्विक अवशेषों एवं उत्खननों का सर्वेक्षण;<br>• केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों का अनुरक्षण एवं संरक्षण;<br>• पुरालेखीय तथा मुद्राशास्त्रीय संरचनाओं का विकास;<br>• स्थल संग्रहालयों का स्थापन तथा पुनः संगठन;<br>• विदेशों में खोज यात्राएं करना; तथा<br>• पुरातत्व में प्रशिक्षण तथा तकनीकी अध्ययन प्रतिवेदनों का प्रकाशन तथा अनुसंधान कार्य. |
| 2. | राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली (रा.सं.) | राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इस संग्रहालय को 1949 में स्थापित किया गया था तथा यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यहाँ 2.06 लाख से अधिक उत्कृष्ट कलाकृतियां तथा प्रागेंतिहासिक काल से लेकर 5,000 वर्षों से अधिक के पुरावस्तु थे। संग्रहालय, कला वस्तुओं के अभिग्रहण तथा संरक्षण, प्रदर्शनियों एवं शिक्षा गतिविधियों के आयोजन, भारतीय मूर्तिकला के उत्कृष्ट प्रतिकृतियों का उत्पादन, दृश्य-श्रव्य एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों, संरक्षण की नवीनतम प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय संग्रहालयों तथा अन्य संग्रहालय/संस्थानों के संग्रहालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, कला एवं संस्कृति का प्रकाशन करने के महत्वपूर्ण कार्यों में लगा था। पुरातत्व, शस्त्र एवं कवच, सज्जा, कला, मध्य एशिया, चित्रकारी, पूर्व कोलम्बियन एवं पश्चिमी कला, हस्तलिपि, गहने, नृविज्ञान, मुद्राशास्त्र तथा पुरालेखशास्त्र जैसे पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 11 संग्रहण विभाग थे, जिन्हें 26 गैलरियों में प्रदर्शित किया गया था। |
| 3. | भारतीय संग्रहालय, कोलकता (भा.सं.) | भा.सं. की स्थापना 1814 में की गई थी तथा यह एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपनी किस्म का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना संग्रहालय है। संग्रहालय भारतीय तथा पार भारतीय वस्तुओं, दोनों का एक भण्डार था। इसमें छः वर्ग थे जो सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक शिल्प-तथ्यों की 35 गैलरियों में बंटे थे। |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता (वि.मे.हॉ.) | वि.मे.हॉ. को विक्टोरिया मेमोरियल अधिनियम, 1903 के तहत स्थापित किया गया था तथा 1935 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में रेखाचित्रों एवं चित्रकारी, सिक्कों एवं पदकों, शस्त्र एवं कवच, पुस्तक एवं हस्तलिपियों आदि का संग्रहण था। इसमें कैमरा आने से पहले वाले दिनों के इतिहास को स्पष्टता से प्रदर्शित किया गया है। |
| 5. | एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता (ए.सो.को.) | एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी तथा 1984 में इसे राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में चित्रकलाओं, हस्तलिपियों, सिक्कों आदि का बड़ा संग्रहण था। भारत तथा विदेश के विभिन्न भागों के पाठकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा आंगतुकों को सहायता प्रदान करता है। |
| 6. | सलारजंग संग्रहालय, हैदराबाद (स.जं.सं.) | स.जं.सं. को 1951 में स्थापित किया गया था तथा 1961 में इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। इसमें लगभग 48000 वस्तुओं, 40528 पुस्तकों तथा 8556 हस्तलिपियों का संग्रहण है। 14607 वस्तुओं तथा सभी पुस्तकों एवं हस्तलिपियों को 38 गैलरियों तथा एक पुस्तकालय के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय के संग्रहणों के मुख्य भाग को नबाव मीर यूसफ अली खान, आमतौर पर सलारजंग 111 के रूप में जाना जाता है, जो हैदराबाद राज्य के शासकों के उस समय के प्रधान मंत्री, द्वारा उपार्जित किया गया था। इसलिए उनके पश्चात संग्रहालय को उनका नाम दिया गया था। |
| 7. | इलाहबाद संग्रहालय, इलाहबाद (इ.सं.) | इलाहबाद संग्रहालय की स्थापना 1931 में की गयी तथा 1985 में इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था। इस संग्रहालय में 70121 वस्तुओं का संग्रहण था तथा अपने संग्रहण को प्रदर्शित करने हेतु 18 गैलरियां थीं। संग्रहालय में गुप्त काल तथा आरंभिक मध्यकाल की मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूनों के प्रभावी संग्रहण थे। इनके अतिरिक्त संग्रहालय द्वारा संगठित सेमीनार, प्रदर्शनियां और अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ भी की जाती हैं। |
| 8. | एशियाटिक सोसाइटी, मुंबई (ए.सो.मु.) | रॉयल एशियाटिक समिति की बॉम्बे शाखा की स्थापना, भाषाओं, दार्शनिक प्रणाली, कला तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान में अध्ययन तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ, 1804 में स्थापित बॉम्बे साहित्यिक समिति को ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैण्ड |

| | | |
|---|---|---|
| | | की रॉयल एशियाटिक समिति के साथ मिलाकर, 1826 में की गई थी। सोपरा (बौद्ध) अवशेष तथा एक बड़ी रत्न तिजौरी जिसमें कुछ स्वर्ण पुष्पों, भिक्षा कटोरे के टुकडों तथा 11830 प्राचीन सिक्कों सहित आठ अनुपम बौद्ध कांस्य, तांबे, चांदी, रत्न क्रिस्टल एवं सोने के अवशेष की संदूकची शामिल थी, एशियाटिक सोसाइटी, मुंबई के अधिकार में थे। |
| **9.** | छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुंबई (छ.शि.म.वा.सं.) | पहले प्रिंस ऑफ वेल्स संग्राहलय के नाम से विख्यात, इस संग्रहालय की स्थापना किंग जॉर्ज V के भारत दौरे के दौरान 20वीं सदी के प्रारम्भ में की गई थी। संग्रहालय में प्राचीन इतिहास की 50,000 प्रदर्शनीय वस्तुओं के साथ-साथ, विदेशी वस्तुएं भी हैं। इसमें प्राचीन सिंधू घाटी की शिल्पकृतियां तथा गुप्त काल के अवशेषों के कुछ उत्कृष्ट संग्रहण थे। यह संग्रहालय एक निजी संगठन था परंतु मंत्रालय की योजना 'महानगरों में संग्रहालयों के सुदृढ़ीकरण' के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर चुका था। |
| **10.** | राष्ट्रीय संस्कृति निधि, दिल्ली (रा.सं.नि.) | 1996 में भारत सरकार ने भारतीय प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा अमूर्त विरासत के उन्नयन, रक्षा तथा संरक्षण करने के कार्य में कॉरपोरेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठन, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के योगदान तथा आवेदन को समर्थ बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय संस्कृति निधि (रा.सं.नि.) की स्थापना की। राष्ट्रीय संस्कृति निधि को ₹ 19.50 करोड़ की प्रारम्भिक कोर्पस निधि प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय संस्कृति निधि को संरक्षित अथवा अन्य प्रकार से स्मारकों के संरक्षण, अनुरक्षण, प्रोत्साहन, रक्षा, बचाव तथा उन्नयन हेतु निधियों का सृजन तथा उपयोग करना था। विरासत संरक्षण परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय संस्कृति निधि में दोनों मूर्त तथा अमूर्त विरासत के क्षेत्र में सभी स्तरों पर स्टाफ तथा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। यह पाया गया कि दानकर्ता, रा.सं.नि. तथा कार्यान्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की कमी के कारण परियोजनाएं अपरिवर्तनीय रूप से विलम्बित थीं। |

| | | |
|---|---|---|
| **11.** | राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावस्तु मिशन, दिल्ली (रा.स्मा. एवं पु.मि.) | 2003 में प्रधान मंत्री ने, समाविष्ट प्रलेखन तैयार करने तथा एक डाटाबेस सृजित करने हेतु एक मिशन की स्थापना करने की घोषणा की। 2007 में (अनुवर्ती रूप से) राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावस्तुओं मिशन का प्रारम्भ किया गया था। मिशन को प्रकाशित एवं अप्रकाशित संसाधनों तथा पुरावस्तुओं के माध्यम से असंरक्षित विरासत, स्थलों तथा पुरावस्तुओं के दस्तावेज तथा उपयुक्त रूप से डाटाबेस तैयार करने हेतु, पांच वर्षों के लिए स्थापित किया गया था। |
| **12.** | राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (रा.स्मा.मि.), दिल्ली तथा सक्षम प्राधिकरण | 1958 के प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम को संशोधन करके एक नया प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. (संशोधन एवं वैद्यता) अधिनियम 2010 लागू किया गया था। इस अधिनियम ने वर्जित क्षेत्र (संरक्षित क्षेत्र से 100 मीटर) में मरम्मत एवं नवीकरण करने तथा नियंत्रित क्षेत्र (वर्जित क्षेत्र से 200 मीटर) में मरम्मत एवं नवीकरण हेतु 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' को जारी करने के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण तथा सक्षम प्राधिकरण स्थापित करने हेतु भारत सरकार को प्राधिकृत किया। पहले यह कार्य परिमण्डल कार्यालयों द्वारा पूरा किया जा रहा था। रा.स्मा.प्रा. को सभी केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों हेतु विरासत उप नियम तैयार एवं स्वीकृत करना तथा इन्हें संसद में प्रस्तुत करना भी अपेक्षित था। ये उपनियम संरक्षित स्मारकों पर किसी भी निर्माण, विशेषरूप से राष्ट्रीय महत्व की बड़ी परियोजनाओं के प्रभाव को निर्धारित करने में मदद करेंगे। |
| **13.** | राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (रा.सा.स.सं.अ.) | 1976 में स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधानशाला (रा.सा.स.सं.अ) सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को समर्पित एक वैज्ञानिक संस्थान था। अनुसंधानशाला ने संरक्षण की सामग्रियों तथा पद्धतियों में अनुसंधान संशोधित संरक्षण एवं विकास में प्रशिक्षण प्रदान करती है तथा संरक्षण में ज्ञान का प्रसार करती है, तथा निरोधक संरक्षण के क्षेत्र में कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। अनुसंधानशाला ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संरक्षण तथा सांस्कृतिक सम्पत्ति के विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु पद्धतियों का विकास तथा मानकीकरण भी करती है। अनुसंधानशाला के लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नानुसार थेः<br>• संरक्षण की अच्छी पद्धतियों के विकास हेतु अनुसंधान।<br>• कला एवं पुरातत्व सामग्रियों का तकनीकी अध्ययन। |

| | | |
|---|---|---|
| | | • संग्रहालय, पुरातत्व विभागों तथा अन्य संस्थानों को तकनीकी सहायता।<br>• प्रशिक्षण, प्रलेखन, प्रकाशन, अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क आदि।<br>1986 में दक्षिणी क्षेत्र हेतु रा.सा.सं.सं.अ.प्र. का एक क्षेत्रीय केन्द्र नामतः क्षेत्रीय संरक्षण प्रयोगशाला, को मैसूर, कर्नाटक में स्थापित किया गया था। उत्तर-पूर्वी, पश्चिम-पूर्व तथा मध्य भारत में क्षत्रीय केन्द्रों को स्थापित करने की योजना भी प्रक्रिया में थी। |

# अनुबंध 1.2

**(पैरा 1.2.1 के संदर्भ में)**

# प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम तथा पु.क.स्व. अधिनियम के प्रावधान के विवरण

## प्राचीन स्मारक, स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 तथा प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. (संशोधन एवं वैद्यता) अधिनियम 2010

### स्मारक की रक्षा हेतु अधिसूचना

- केन्द्र सरकार एक राजपत्रित अधिसूचना जारी करके एक स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यह कम से कम सौ वर्ष पुराना होना चाहिए।
- केन्द्र सरकार प्रत्येक अधिगृहित स्मारक का अनुरक्षण करेगी।

### संरक्षित स्मारक तथा उसके आसपास निर्माण

- संरक्षित क्षेत्र के स्वामी अथवा अधिभोगी सहित कोई भी व्यक्ति, केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना संरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भी इमारत का निर्माण अथवा खनन, उत्खनन, विस्फोटन अथवा इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा।
- कोई भी व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र (संरक्षित क्षेत्र से 100 मीटर) में कोई निर्माण नहीं करेगा तथा वह केवल राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अनुशंसाओं पर सक्षम प्राधिकरण से अनुमति के पश्चात ही मरम्मत/नवीकरण कर सकता है।
- नियंत्रित क्षेत्र (निषिद्ध क्षेत्र से 200 मीटर) में निर्माण/पुर्ननिर्माण करने हेतु राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अनुशंसाओं पर सक्षम प्राधिकरण से अनुमति अपेक्षित थी।
- राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अनुसंशाओं पर केन्द्र सरकार निषिद्ध /नियंत्रित क्षेत्र को बढ़ा सकती है।
- सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण दो वर्षों से अधिक तक कारावास अथवा ₹एक लाख तक जुर्माना अथवा दोनों सहित दण्डनीय होगा।
- केन्द्र सरकार, यदि चाहे तो, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि, स्मारक अथवा पुरातत्व स्थल अथवा अवशेष राष्ट्रीय महत्व के नहीं रहे।

### संरक्षित तथा असंरक्षित क्षेत्र में उत्खनन

- महानिदेशक भा.पु.स. से लाईसेंस प्राप्त प्राधिकृत व्यक्ति ही संरक्षित क्षेत्र में उत्खनन का कार्य कर सकते है।

- उत्खनन का कार्य लाईसेंस में नामित निदेशक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत किया जाएगा जो कार्यों की कम से कम तीन चौथाई अवधि के लिए स्थल पर उपस्थित होना चाहिए।
- लाइसेंसधारी उत्खनन कार्य की समाप्ति के पश्चात एक संक्षिप्त रिपोर्ट महानिदेशक भा.पु.स. को प्रस्तुत करेगा तथा अगर अवधि तीन महीनों से अधिक है तो तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। महानिदेशक भा.पु.स. इन प्रतिवेदनों को प्रकाशित कराएगा। प्रत्येक लाइसेंसधारी जल्द से जल्द, निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- असंरक्षित क्षेत्र में उत्खनन केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती।
- किसी भी पुरावस्तु को हटाने के लिए लिए महानिदेशक भा.पु.स. से हटाने की प्रस्तावित तिथि से तीन महीने पहले मांग की जानी चाहिए।
- अधिसूचना जारी करने के पश्चात, पुरातात्विक अधिकारी के सिवाय, कोई भी व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र तथा नियंत्रित क्षेत्र में खनन अथवा निर्माण, जैसे कार्य, लाईसेंस के नियम एवं शर्तों के सिवाए, प्रारम्भ नहीं करेगा।

## पुरावस्तु तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972

केन्द्र सरकार अधिसूचना के द्वारा पुरावस्तु का विशेष रूप से उल्लेख कर सकती है, जिन्हें पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे पुरावस्तु का स्वामित्व, नियंत्रण अथवा अधिकार रखते हैं, को पुरावस्तु का पंजीकरण कराना चाहिए तथा एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए। ऐसे पुरावस्तुों का अंतरण भी भा.पु.स. को सूचित किया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार, स्वामी को उचित प्रतिपूर्ति अदा करने के पश्चात, किसी भी पुरावस्तु अथवा बहुमूल्य कलाकृति को अधिगृहित कर सकती है।

केन्द्र सरकार किसी भी स्थान में प्रवेश एवं तलाशी तथा किसी भी पुरावस्तु अथवा बहुमूल्य कलाकृति को अधिकार में ले सकती है जिनके संबंध में अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है।

भा.पु.स. यह घोषित करने हेतु अंतिम प्राधिकारी हैकि कोई भी वस्तु पुरावस्तु है अथवा नहीं।

केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरण/प्राधिकरण के सिवाए कोई भी व्यक्ति किसी भी पुरावस्तु अथवा बहुमूल्य कलाकृति का निर्यात नहीं कर सकता।

कोई भी व्यक्ति पुरावस्तु को बेचने अथवा बेचने का प्रस्ताव करने का व्यवसाय अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इस उद्देश्य हेतु जारी लाईसेंस के बिना नहीं कर सकता है।

**अनुबंध 1.3**
**(पैरा 1.3.5 के संदर्भ में)**

## भौतिक रूप से निरीक्षित स्मारकों के विवरण

| क्र.सं. | परिमण्डल का नाम | भौतिक रूप से निरीक्षित स्मारक की सं. |
|---|---|---|
| 1. | आगरा | 61 |
| 2. | औरंगाबाद | 39 |
| 3. | बैंगलूरू | 116 |
| 4. | भोपाल | 111 |
| 5. | भवनेश्वर | 20 |
| 6. | चण्डीगढ़ | 60 |
| 7. | चेन्नई | 105 |
| 8. | देहरादून | 32 |
| 9. | दिल्ली | 121 |
| 10. | धारवाड़ | 121 |
| 11. | गोवा | 21 |
| 12. | गुवाहाटी | 38 |
| 13. | हैदराबाद | 44 |
| 14. | जयपुर | 122 |
| 15. | कोलकाता | 83 |
| 16. | लखनऊ | 90 |
| 17. | मुंबई | 27 |
| 18. | पटना | 125 |
| 19. | रायपुर | 24 |
| 20. | रांची | 11 |
| 21. | शिमला | 14 |
| 22. | श्रीनगर | 41 |
| 23. | त्रिशूर | 16 |
| 24. | बड़ोदरा | 213 |
| **योग** | | **1655** |

### अनुबंध 2.1
### (पैरा 2.5 के संदर्भ में)
## लुप्त हुए स्मारकों का विवरण

| परिमण्डल का नाम | राज्य का नाम | स्मारकों की संख्या | स्मारकों के नाम |
|---|---|---|---|
| **आगरा** | उत्तर प्रदेश | 7 | (i) ओनला रेलवे स्टेशन स्थल, बरेली<br>(ii)मिट्टी के किले में ले. कर्नल जॉन गुथ्री का मकबरा, फर्रूखाबाद<br>(iii) प्राचीन मूर्तियां, नक्काशी, चित्र, स्मृति चिन्ह, शिलालेख, पत्थर और इसी तरह की वस्तुएँ, मथुरा<br>(iv) कटरा टीले का भाग जो कि नजुल पट्टेदारों के अधिकार में नहीं है, जहाँ पर पूर्व में केशव देव मंदिर था, जिसे गिराकर, इस जगह पर औरंगजेब की मस्जिद बनाई गई, मथुरा<br>(v) किला चाँदपुर फोर्ट स्मारक, बिजनौर।<br>(vi) किला रेलवे स्टेशन, हाथरस के निकट स्मारक<br>(vii) प्राचीन ब्रिटिश कब्रगाह, बिजनौर |
| **औरंगाबाद** | महाराष्ट्र | 5 | (i) जोर्वे, अहमदनगर में जरासंघ नगरी<br>(ii) अरसोदा, गढ़चिरोली में पत्थर वृत्त<br>(iii) चमोरशी, गढ़चिरोली में 20 शिला स्मारकों या समाधि-स्थल का समूह<br>(iv) निलदहो में पत्थर वृत्त,<br>(v) तकलघाट, नागपुर में पत्थर वृत्त, |
| **बैंगलुरू** | कर्नाटक | 3 | (i) पूर्व-ऐतिहासिक स्थल, कित्तूर (ii) पूर्व-ऐतिहासिक स्थल, चिक्का-जाला, (iii) पूर्व-ऐतिहासिक स्थल, हेज्जल |
| **भोपाल** | मध्यप्रदेश | 2 | (i) शिलालेख (ii) भित्तिचित्र बछाँव चित्रकला, गहिरा, रीवा |
| **चण्डीगढ़** | हरियाणा | 2 | (i) शाहबाद में कोस मीनार, (ii) मुजेसर में कोस मीनार, |
| **चेन्नई** | तमिलनाडु | 3 | (i) एक जैन मूर्ति (ii) प्राचीन नगर प्राचीर (iii) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | डेविड येल और जोशेफ हिनमर का मकबरा |
| **देहरादून** | उत्तराखण्ड | 2 | (i) खेरा की बाँदी, रूड़की तथा(ii) कुटुम्बरी मंदिर, द्वाराहाट, अल्मोड़ा |
| **दिल्ली** | दिल्ली | 15 | (i) शेरशाह का दिल्ली का मोती द्वार, मौजा बाबरपुर, बजीदपुर (ii) पूल चादर, मौजा चौकरी, मुबारकबाद (iii) अलीपुर कब्रगाह, अलीपुर शिविर भूमि (iv) बाराखम्भा कब्रगाह, इम्पीरियल शहर (v) कैप्टन मैक बर्नेट और अन्य जो किशनगंज आक्रमण में मारे गये थे, का मकबरा, किशनगंज (vi) निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास तीन गुम्बदों वाला मकबरा (vii) सीज बैटरी स्थल शिलालेख जिस पर लिखा है- "सही आक्रमण, लेफ्टीनेंट एफ.आर. मानसेल, आर.ई. डायरेक्टिंग इंजीनियर, सं.1 बैटरी-राइट, मेजर जेम्स बृंद, आर.ए. कमाडिंग, आर्मामेंट पांच 18 पाउंर्डसः 18 इंच तोप शांत मोरी बेस्टियन को " पुलिस लाइन में अस्पताल के पूर्व में (viii) सीजबैटरी स्थल अग्रलिखित शिलालेख के साथ "सं. ‖ बैटरी-राइट, मेजर एडवर्ड काये, आर.ए., कमाण्डिंग आर्मामेण्ट-टू 18 पाउण्डर्स, सात 8 इंच के तोप, कश्मीर गढ़ को तोड़ने के लिए " कर्जन हाउस परिसर (ix) इंचला वाली गुमटी, गाँव मुबारकपुर कोटला (x) टीला जिसे जोगा बाई के नाम से जाना जाता है और जो जामिया नगर की तरफ सर्वे प्लाट न. 167 में समाविष्ट है (xi) शम्सीतालाब दोनों प्रवेश द्वारों के साथ, महरौली। (xii) निकॉलसन की मूर्ति, इसका मंच, चारों ओर से घेरे हुए बगीचे, रास्ते और घेरे हुए दीवार, कश्मीरी गेट के बाहर (xiii) सीज बैटरी स्थल, कुदसिया मस्जिद बाग (xiv) सीज बैटरी स्थल, कुदसिया मस्जिद बाग, (xv) सत्य नारायण भवन। |
| **धारवाड़** | कर्नाटक | 1 | (i) बीजापुर में नन्दीकेश्वर शिलालेख, |
| **गुवाहाटी** | असम | 6 | (i) ताम्र मंदिर के खण्डहर (ii) बादशाह शेरशाह की बंदूकें (iii) लेफ्टीनेट क्रेसवेल का मकबरा, गोलपारा (iv) भैरवी की मूर्तिकला, कामाख्या पहाड़ी (v) चूमेरी अहाता की मूर्तिकला, तेजपुर (vi) यू-मावथोह-दूर का पत्थर स्मारक, शिलांग। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| हैदराबाद | आन्ध्रप्रदेश | 8 | (i) टीले पर प्राचीन बौद्ध अवशेष और ब्राह्मी शिलालेख (ii) मूर्तियां, नक्काशियां, चित्र अथवा अन्य इसी प्रकार की वस्तुएँ (iii) प्राचीन अवशेषों वाली नागार्जुनकोण्डा की पहाडियाँ (iv) प्राचीन टीलों पर मूतियां, नक्काशियां, चित्र (v) मूतियां, नक्काशियां, चित्र तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुएँ जो मस्जिद के आस-पास पाई गई हैं (vi) वृहत् पुराकालीन स्मारक (vii) टीला-डिब्बा सं.1 से 5 (viii) टीला, नागुलावरम्। |
| जयपुर | राजस्थान | 3 | (i)बरन मंदिर, शिलालेख नगर, टोंक (ii) पुरातात्विक स्थल (iii) ज्योरा के अवशेष, निलोध। |
| कोलकता | प. बंगाल | 7 | (i) टीला और सूर्य की मूर्ति (ii) जैन मूर्ति वाला टीला (iii) वृक्ष के नीचे महिषासुर का वध करते हुए माँ दुर्गा का चित्र (iv) मंदिर स्थल जो अब केवल एक टीले द्वारा प्रदर्शित है (v) एक टीला जिस पर नन्दी चित्र है (vi) गणेश और नन्दी के चित्र वाला एक टीला (vii) नादिया किला के खण्डहर, पश्चिम बंगाल। |
| लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 9 | (i) वृहत् मंदिर के अवशेष, रामनगर चित्रकूट (ii) बंद कब्रगाह, कटरा नाका, बांदा (iii) साण्डी खेरा कहे जाने वाला वृहत खण्डहर स्थल, पाली, शाहाबाद, हरदोई (iv) कब्रगाह, जालौन (बस स्टैण्ड), जालौन, जालौन (v) गनर बर्किल का मकबरा, रंगाव,मेहरोनी, ललितपुर (vi) इमामबाड़ा अमीन-उद दौला, लखनऊ(vii) लखनऊ-फैजाबाद मार्ग पर 3, 4 और 5 मील की दूरी पर तीन मकबरे, लखनऊ (viii) 6 एवं 7 मील की दूरी पर, जहरौला रोड़, लखनऊ में कब्रगाह (xi) गऊघाट, लखनऊ में कब्रगाह |
| मुंबई | महाराष्ट्र | 3 | (i) पुराना यूरोपीय मकबरा, पुणे (ii) एक बुर्ज, अगरकोट (iii) मण्डपेश्वर, बोरीवली में बड़ी निगरानी मिनार के साथ लगे पहाड़ की गुफा के ऊपर पुतगाली मठ |
| श्रीनगर | जम्मू एवं कश्मीर | 3 | (i) शीतला,नारद, ब्रह्मा और राधा-कृष्ण (बसोहली)की पत्थर नक्काशी (ii) विश्वेश्वर गुफा |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | मंदिर और अन्य गुफा मंदिर (बसोहली) (iii) शेर पर सवार देवी की पत्थर नक्काशी। |
| **वड़ोदरा** | गुजरात | 2 | (i) प्राचीन स्थल, सेजकपुर, सुरेन्द्रनगर (ii) ऐतिहासिक स्थल सं. 431 से 435, वड़ोदरा |
| **पटना** | बिहार | 11 | (i) 1000 ई. के तीन लघु लिंग मंदिर वृतों के खण्डहर, अहूगी मिर्जापुर (ii) पहाड़ी के पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी छोर पर महापाषाण के साथ तीन स्थल, चन्दौली (iii) ट्रेजरी बिल्डिंग पर स्मरण पुस्तक, वाराणसी (iv) तेलिया नाला का बौद्ध खण्डहर, वाराणसी (v) बरगद का उपवन जो अपने में प्राचीन भवन के चिन्हों को समाहित किए हुए है, अमावे, बलिया (vi) डीह या किले का खण्डहर, जिसे सूरी का राज कहा जाता है, गाजीपुर (vii) ईंट के खण्डहर का टीला, साहिया, कुशीनगर (viii) विशाल टीलों की श्रृंखला, गोरखपुर (ix) दुर्ग प्राचीर के अवशेष और टीला जिसे रानी का महल नाम से जाना जाता है तथा जो पुराने किले में स्थित है जिसे किल्ला बिहार शरीफ, नालंदा केनाम से जाना जाता है, (x) बड़ा डीह या टीला, चोतिओं, कसिया, कुशीनगर (xi) खण्डहरों का ढेर जिसे श्रेया कहा जाता है, कुशीनगर |
| | | **92** | |

**अनुबंध 2.2**
**(पैरा 2.6.3 के संदर्भ में)**

## उन मामलों का विवरण जहाँ अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई थी

| परिमण्डल | स्मारक का नाम |
|---|---|
| **हैदराबाद** | प्राचीन स्थल, पुसलपाडु, जिला-प्रकासम |
| **पटना** | लम्बा टीला, जिला चंदौसी, उत्तर प्रदेश |
| | वृहत आयाताकार टीला, जिला-चंदौसी, उत्तर प्रदेश |
| | खण्डर का लघु शक्वाकार टीला जिसे देवी- का स्थान कहा जाता है, जिला चंदौसी, उत्तर प्रदेश |
| | प्राचीन बौद्ध स्थल जिसे चौखण्डी स्तूप के रूप में जाना जाता है, जिला-चंदौसी, उत्तर प्रदेश |
| **कोलकाता** | सेंट जॉन्स चर्च |
| **भोंपाल** | कमलापति महल और संलग्न क्षेत्र, भोपाल |
| | वराह की मूर्ति (विष्णु वराह), महादेव की छवि और अन्य हिन्दू और जैन देवताओं की आकृति जो चार टीलों पर और बरगद के पेड़ के नीचे फैली हुई है; कटनी |
| | नक्काशी किए हुए पत्थर के चबूतरे पर शिव मंदिर तथा पत्थर के 8 जैन चित्र, कटनी |
| | लड़की- का-टीला, कटनी |
| | चित्रित शिला शरण स्थल, दो बौद्ध स्तूप तथा अन्य अवशेष, शिहोर, मध्य प्रदेश |
| | कंकाली देवी मंदिर स्थल जिसमें इसके पास के देवी मंदिर और खण्डर मंदिर शामिल है, कटनी, मध्य प्रदेश |
| **गुवाहाटी** | प्राचीन टीला जिसे श्याम सुन्दर पहाड़ी कहते हैं |
| | पूजाखोला, त्रिपुरा |
| **त्रिशुर** | तनकैलासनाथ मंदिर |
| | शिव मंदिर, थिरूवनचिकुलम |

**अनुबंध 2.3**
**(पैरा 2.6.8 के संदर्भ में)**

## पुरावस्तुएँ जो संरक्षित स्मारक के रूप में हैं

| क्र.सं. | परिमण्डल कार्यालय | जिला | स्मारक का नाम |
|---|---|---|---|
| **1.** | गुवाहाटी | सिब सागर | सिब सागर जलाशय के किनारे अहोम कालीन 8 तोप, सिब सागर |
| | | सिब सागर | शिव मूर्ति, जॉय सागर |
| | | तिन सुकिया | सम्राट शेरशाह की बंदूक, सादिया |
| | | तिन सुकिया | मुगल नव्वारा से संबंधित दो कुण्डों वाली बंदूकें, सादिया |
| **2.** | पटना | पटना | टैंक |
| **3.** | रायपुर | बस्तर | गणेश मूर्ति |
| **4.** | बड़ोदरा | दीव | बांगली |
| **5.** | धारवाड़ | बीजापुर | परकोटा पर एवं ट्राफी में सभी पुरानी बंदूकें |
| **6.** | मुंबई | शोलापुर | महादेव पाषाण |
| | | थाणे | नक्काशी किए गए पाषाण |
| **7.** | जयपुर | भरतपुर | लूटी हुई बंदूकें |
| | | भरतपुर | संगमरमर झोला |
| | | भरतपुर | कच्चा बैग |
| **8.** | चेन्नई | तंजावुर | बड़ी तोप (रामगोपाल तोप) पहले परकोटे में तथा वार्ड iii के टी.एस. सं. 608 में बैस्टीयन |
| | | वेल्लोर | तोप |
| **9.** | लखनऊ | महोबा | पांच पूर्णकाय हाथी की मूर्ति |
| | | जौनपुर | छोटे हाथी पर सवार विशाल शेर के पत्थरों का समूह। यह अकबर पुल पर स्थित है |
| **10.** | कोलकता | बांकुरा | डलमडाल बंदूक और वह स्थान जहाँ पर यह स्थित है |
| | | मुर्शिदाबाद | जहाँ कोसा बंदूक |

**अनुबंध 2.4**
**(पैरा 2.8.2 के संदर्भ में))**

## स्मारकों या इसके भागों की अप्राधिकृत समाप्ति

| क्र.सं. | परिमण्डल का नाम | स्मारक का नाम |
|---|---|---|
| **1.** | **भोपाल** | मन मंदिर महल, ग्वालियर |
| **2.** | | उदयगिरी में गुफा सं. 20 |
| **3.** | | भीम वेटिका, विश्व विरासत स्थल |
| **4.** | | हम्माम के कुछ भाग, बुरहानपुर |
| **5.** | **दिल्ली** | सफदरजंग का मकबरा |
| **6.** | | नजफ खान का मकबरा |
| **7.** | | जंतर मंतर |
| **8.** | | कुतुब मीनार |
| **9.** | | लाल किला |
| **10.** | | मुण्डा गुम्बद |
| **11.** | | सकरी गुमटी |
| **12.** | | लाल गुम्बद |
| **13.** | | काले खाँ का मकबरा |
| **14.** | | लाल गुम्बद, चिराग दिल्ली |
| **15.** | | सुन्दर बुर्ज |
| **16.** | **धारवाड़** | बीदर किला |
| **17.** | | विट्ठल परिसर, हम्पी |
| **18.** | **गोवा** | सेण्ट फ्रांसिस ऑफ असीसी का मठ |
| **19.** | **हैदाराबाद** | मनचिकालू के बौद्ध अवशेष |
| **20.** | | चारमीनार का एक भाग |
| **21.** | **लखनऊ** | सपाट छत वाला मंदिर, महोबा और लखनपुर टीला, हमीरपुर |
| **22.** | **रायपुर** | विट्ठल परिसर का सभा-मण्डप |
| **23.** | **शिमला** | खण्डहर किला, कांगड़ा |

## अनुबंध 3.1
### (पैरा 3.1 के संदर्भ में)
# विश्व विरासत स्थलों की सूची

| क्र.सं. | स्थल का नाम | अंतर्विष्ट के वर्ष | राज्य |
|---|---|---|---|
| I सांस्कृतिक स्थले (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में) | | | |
| 1. | अजन्ता गुफाएँ | 1983 | महाराष्ट्र |
| 2. | एलोरा गुफाएँ | 1983 | महाराष्ट्र |
| 3. | आगरा का किला | 1983 | उत्तर प्रदेश |
| 4. | ताजमहल | 1983 | उत्तर प्रदेश |
| 5. | सूर्य मंदिर, कोणार्क | 1984 | उड़ीसा |
| 6. | स्मारकों के समूह, महाबलीपुरम | 1984 | तमिलनाडु |
| 7. | गोवा गिरजाघर एवं मठ | 1986 | गोवा |
| 8. | मंदिरों का समूह, खजुराहो | 1986 | मध्य प्रदेश |
| 9. | स्मृति अवशेषो के समूह, हम्पी | 1986 | कर्नाटक |
| 10. | स्मारकों के समूह, फतेहपुर सीकरी | 1986 | उत्तर प्रदेश |
| 11. | मंदिरों के समूह, पट्टाड्कल | 1987 | कर्नाटक |
| 12. | ऐलीफेंटा गुफाएँ | 1987 | महाराष्ट्र |
| 13. | तंजावुर, गंगईकांडचोलपुरम तथा दारासुरम के महान जीवंत चोल मंदिर | 1987 & 2004 | तमिलनाडु |
| 14. | सांची के बौद्ध स्मारक | 1989 | मध्य प्रदेश |
| 15. | हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली | 1993 | दिल्ली |
| 16. | कुतुबमीनार परिसर, दिल्ली | 1993 | दिल्ली |
| 17. | भीमबेटका की प्राक्-ऐतिहासिक शैल गुफाएँ | 2003 | मध्य प्रदेश |
| 18. | चंपानेर पावगढ के पुरातात्विक उद्यान | 2004 | गुजरात |
| 19. | लालकिला परिसर, दिल्ली | 2007 | दिल्ली |
| II रेल मंत्रालय के संरक्षण में | | | |
| 20. | भारत के पर्वतीय रेलमार्ग (दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका-शिमला) | 1999, 2005, 2008 | पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश |

| क्र.सं. | स्थल का नाम | अंतर्विष्ट के वर्ष | राज्य |
|---|---|---|---|
| **21.** | छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस) | 2004 | महाराष्ट्र |
| **III बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के संरक्षण में** | | | |
| **22.** | महाबोधि मंदिर बोधगया | 2002 | बिहार |
| **IV राजस्थान राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संरक्षण में** | | | |
| **23.** | जंतर-मंतर, जयपुर | 2010 | राजस्थान |
| **V प्राकृतिक स्थलें (वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के संरक्षण में)** | | | |
| **24.** | काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | 1985 | असम |
| **25.** | मानस वन्य-जीव अभ्यारण्य | 1985 | असम |
| **26.** | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | राजस्थान |
| **27.** | सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | पश्चिम बंगाल |
| **28.** | नंदादेवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान | 1988, 2005 | उत्तराखण्ड |
| **29.** | पश्चिमी घाट | 2012 | केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश |

अनुबंध 3.2
(पैरा 3.2.2 के संदर्भ में)

# विश्व विरासत स्थल हेतु अंतरिम सूची के अंतर्गत शामिल स्मारक

| क्र.सं. | स्मारक/स्थल के नाम | अंतरिम सूची में अंतर्विष्टि की अवधि |
|---|---|---|
| 1.[67] | प्राचीन बौद्ध स्थल, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश | जुलाई, 1998 |
| 2. | भीतरकणिका संरक्षण क्षेत्र | मई, 2009 |
| 3. | बौद्ध मठ परिसर, अल्ची, लेह, अल्ची चोस-कोर के नाम से ज्ञात | जुलाई 1998 |
| 4. | चर्चगेट-मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का विस्तार | जनवरी 2009 |
| 5. | दिल्ली-एक विरासत शहर | मई 2012 |
| 6. | राष्ट्रीय मरूद्यान | मई 2009 |
| 7. | धौलावीरा-एक हड़प्पा नगर, गुजरात, जिला कच्छ | जुलाई 1998 |
| 8. | नालंदा के उत्खनित अवशेष | जनवरी 2009 |
| 9. | गोलकोंड़ा किला, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश | जुलाई 1998 |
| 10. | उच्च हिमालय राष्ट्रीय उद्यान | मई 2009 |
| 11. | मांडू के स्मारकों के समूह, मध्य प्रदेश | जुलाई 1998 |
| 12. | हेमिस गोम्पा | जुलाई 1998 |
| 13. | राजस्थान के पहाड़ी किले | दिसम्बर 2010 |
| 14. | अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर | मार्च 2011 |
| 15. | कांगनचेनजोगा राष्ट्रीय उद्यान | मार्च 2006 |
| 16. | मत्तानचेरी महल, एर्नाकुलम, केरल | जुलाई 1998 |
| 17. | कश्मीर की मुगल वाटिकाएँ | दिसम्बर 2010 |
| 18. | नामदफा राष्ट्रीय उद्यान | मार्च 2006 |
| 19. | न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान | मई 2009 |
| 20. | ओक ग्रोव स्कूल | जनवरी 2009 |
| 21. | रानी की वाव (द क्वीन्स स्टैपवेल), पाटन, गुजरात | जुलाई 1998 |
| 22. | असम में ब्रहमपुत्र नदी की मध्य-धारा में स्थित माजुली नदी द्वीप | मार्च 2004 |

[67] भूरा रंग की प्रविष्टियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणद्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलोंकोदर्शातीहै।

| क्र.सं. | स्मारक/स्थल के नाम | अंतरिम सूची में अंतर्विष्टि की अवधि |
|---|---|---|
| **23.** | शांति निकेतन | **जनवरी 2010** |
| **24.** | भारत में रेशम मार्ग स्थल | **जनवरी 2010** |
| **25.** | श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर, पंजाब | **जनवरी 2004** |
| **26.** | विष्णुपुर के मंदिर, पश्चिम बंगाल | **जुलाई 1998** |
| **27.** | भारत के पर्वतीय रेलमार्ग का विस्तार कांगड़ा घाटी रेलमार्ग | **जनवरी 2009** |
| **28.** | भारत की महाराजा रेल | **जनवरी 2009** |
| **29.** | माथेरान पर्वतीय रेलमार्ग (भारत के पर्वतीय रेलमार्ग का विस्तार) | **नवम्बर 2005** |
| **30.** | हैदराबाद गोलकोंडा किला के कुतुब शाही स्मारक, कुतुब शाही मकबरे, चारमीनार | **सितम्बर 2010** |
| **31.** | मुंबई का द विक्टोरियन एण्ड आर्ट डेको एनासैम्बल (विक्टोरिया काल के कला सज्जा का सामूहिक दृश्य, मुंबई) | **मई 2012** |
| **32.** | शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम, बिहार | **जुलाई 1998** |
| **33.** | चंडीगढ़ में ली कॉर्बुजियर के नगरीय एवं पुरातत्विक कार्य | **अक्तूबर 2006** |
| **34.** | वन्य गर्दभ अभ्यारण्य, कच्छ का लघु रण | **मार्च 2006** |

### अनुबंध 3.3
### (पैरा 3.4 के सदर्भ में)
## 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के लिए विश्व विरासत स्थलों की सामान्य सूचनाए

| स्थल के नाम | संरक्षण पर व्यय (₹ करोड़ में) | भारतीय दर्शक (संख्या लाख में) | विदेशी दर्शक (संख्या लाख में) | राजस्व (₹ करोड़ में) | सुरक्षा प्रहरियों की संख्या | अतिक्रमण के मामलों की संख्या | अनाधिकृत निर्माण क मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य मंदिर ओडिशा | 2.82 | 93.07 | 0.44 | 9.91 | 52 | शून्य | शून्य |
| खजुराहों, मध्य प्रदेश | 3.19 | 11.26 | 4.35 | 9.43 | 9 | शून्य | 628 |
| भीमबेटका, मध्य प्रदेश | 0.29 | गैर प्रवेश शुल्क स्मारक | | | 20 | 1 | शून्य |
| बौद्ध स्मारक, साँची, मध्य प्रदेश | 0.73 | 8.49 | 0.47 | 1.85 | 2 | शून्य | 49 |
| ताजमहल, उत्तर प्रदेश | 72.71 | 172.94 | 30.55 | 84.9 | 275 | शून्य | 33 |
| फतेहपुर सिकरी, उत्तर प्रदेश | 53.94 | 16.29 | 10.18 | 24.87 | 46 | शून्य | 194 |
| आगरा किला, उत्तर प्रदेश | 46.3 | 70.55 | 17.52 | 47.94 | 45 | शून्य | 7 |
| हम्पी, कर्नाटक | 14.87 | 22.35 | 1.65 | 6.26 | 79 | 2 | 41 |
| अजंता गुफाएँ, महाराष्ट्र | 7.19 | 15.4 | 1.17 | 4.97 | 42 | शून्य | शून्य |
| एलोरा गुफाएँ, महाराष्ट्र | 4.67 | 37.78 | 1.02 | 7.15 | 42 | शून्य | शून्य |
| ऐलिफेंटा गुफाएँ, महाराष्ट्र | 0.59 | 12.98 | 0.93 | 4.05 | 29 | शून्य | शून्य |
| महाबलीपुरम, तमिलनाडु | 2.5 | 47.27 | 3.42 | 12.94 | 14 | शून्य | 39 |
| चोल मंदिरें, तंजावुर | 3.19 | गैर प्रवेश शुल्क स्मारक | | | 18 | शून्य | 64 |
| चंपानेर, पावागढ़, गुजरात | 3.48 | 4.62 | 0.08 | 0.48 | 66 | 1 | 107 |
| पट्टाड़कल, कर्नाटक | 0.78 | 13.22 | 0.28 | 1.83 | 22 | शून्य | शून्य |
| गोवा की गिरजाघरें, गोवा | 3.71 | गैर प्रवेश शुल्क स्मारक | | | 7 | शून्य | शून्य |
| लालकिला, दिल्ली | 14.51 | 117.16 | 7.45 | 25.59 | 436 | 2 | 13 |
| कुतुब मीनार, दिल्ली | 5.72 | 121.21 | 14.24 | 47.73 | 57 | 1 | शून्य |
| हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली | 2.77 | 17.51 | 11.23 | 30.13 | 67 | शून्य | |

**अनुबंध - 3.4**
**(पैरा 3.4 एवं 3.5 के संदर्भ में)**

## विश्व विरासत स्थलों पर अनियमितताओं का विवरण

| अनियमितता/ अनुपलब्धता | स्मारकों/स्थलों की संख्या | स्मारक/स्थलों के नाम |
|---|---|---|
| **स्थल का नक्शा एवं उप-परिमंडल अधिसूचना की प्रति के पास** | 5 | कुतुब मीनार, हुमायूँ का मकबरा, हम्पी, महान जीवंत चोल मंदिर तंजावुर एवं महाबलीपुरम। |
| **दीर्घावधि योजना** | 14 | हम्पी, सांची, भीमबेटका, खजुराहो, महाबलीपुरम, चोलमंदिर, एलिफेंटा गुफाएं, एलोरा, कुतुबमीनार, लालकिला, हुमायुं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी एवं ताजमहल। |
| **पेयजल** | 1 | गोवा के गिरजाघर। |
| **लॉकर** | 11 | अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, फतेहपुर सीकरी, महाबलीपुरम, भीमबेटका एवं पट्टडकल, गोवा के गिरजाघर, हम्पी, कोणार्क सूर्य मंदिर, चंपानेर। |
| **विक्लांगों के लिए सुविधा** | 6 | लालकिला, हुमायुं का मकबरा, चोलमंदिर, तंजावुर, महाबलीपुरम, भीमबेटका एवं हम्पी। |
| **प्रकाशन** | 4 | हम्पी, गोवा के गिरजाघरों, चोल एवं मंदिर पट्टडकल। |
| **निरीक्षण एवं रख रखाव** | 6 | आगरा का किला, पट्टडकल, गोवा के गिरजाघर, लालकिला, कुतुब मीनार एवं हुमायुं का मकबरा। |
| **सुरक्षा उपकरण (हस्तधारितधातु संसूचक एवं क्रमवीक्षक)** | 7 | पट्टडकल, चंपानेर एवं गोवा के गिरजाघर, भीमबेटका, चोलमंदिर, तंजावुर,, महाबलीपुरम, ऐलीफेंटा |
| **सी.सी.टी.वी.** | 16 | कोणार्क सूर्य मंदिर, हम्पी, पट्टड़कल, गोवा के गिरजाघर, चंपानेर, भीमबेटका, चोल मंदिर, महाबलीपुरम, ऐलीफेंटा, एलोरा एवं अजंता, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायुं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी एवं आगरा का किला। |
| **विद्युत संसूचक उपकरण** | 8 | हुमायुं का मकबरा, आगरा का किला, ऐलीफेंटा, महाबलीपुरम, भीमबेटका, सांची एवं हम्पी |

| | | |
|---|---|---|
| **गाइड सेवाएं** | 19 | लाल किला, हुमायुँ का मकबरा, कुतुब मीनार, अजंता, एलोरा, ऐलीफेंटा, चोल मंदिंर तंजावुर, महाबलीपुरम, खजुराहो, भीमबेटका, सांची, गोवा के गिरजाघर, हम्पी, पट्टड़कल, कोणार्क सूर्य मंदिर, चंपानेर, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। |
| **ऑडियो गाइड** | 14 | लाल किला, हुमायुं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, भीमबेटका, हम्पी, पट्टडकल, अजंता, एलोरा, ऐलीफेंटा, महाबलीपुरम, चोल मंदिरे तंजावुर, गोवा के गिरजाघर, कोणार्क सूर्य मंदिर, चंपानेर। |
| **अतिक्रमण** | 5 | हम्पी, चंपानेर, भीमबेटका, लाल किला, कुतुब मीनार |
| **अनधिकृतनिर्माण** | 10 | खजुराहो, सांची, फतेहपुर, ताजमहल आगरा का किला, हम्पी, चोल मंदिर तंजावुर, महाबलीपुरम, चंपानेर एवं लाल किला |
| **आंशिक रूप से बंद स्मारक** | 9 | आगरा का किला, लालकिला, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता, भीमबेटका, गोवा के गिरजाघर, हम्पी एवं कोणार्क सूर्य मंदिर। |

**अनुबंध -4.1**
**(पैरा 4.7 के संदर्भ में)**

## भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय संस्कृति निधि की परियोजनाओं का विवरण

| क्र.स | परियोजना का नाम | सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि | सहमति पत्र का उद्देश्य | परियोजना के प्रायोजक | कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में) | प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में) | परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में) | परियोजना की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हुमायुं का मकबरा, नई दिल्ली | 16.4.1999 | संरक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन, पेयजल की व्यवस्था की पुनर्स्थापना एवं वाटिकाओं के पुनर्नवीकरण के अलावा प्रकाशीकरण | आगा खाँ ट्रस्ट, जेनेवा एवं मेसर्स ओबरायँ ग्रुप ऑफ होटेल्स, नई दिल्ली | 30.46 | 30.46 | 0.16 | पूर्ण |
| 2. | शनिवारवाड़ा भवन, पुणे | 22.1.2001 | शनिवारवाड़ा भवन, पुणे के वैभव का पुनर्निमाण एवं आसपास के वातावरण का विकास। | पुणे नगर निगम | 96.03 | 96.03 | 27.94 | पूर्ण |
| 3. | जंतर मंतर, नई दिल्ली | 11.10.2000 | जंतर-मंतर नई दिल्ली का सरंक्षण एवं सवृंद्धि | मेसर्स एपीजे सुरेन्द्र होटेल्स लिमिटेड | 10.00 | 16.50 | 6.37 | परियोजना शुरू होने के 12 वर्ष पश्चात भी पूरी नहीं की जा सकी। परियोजना कार्यान्वयन समिति को रोशनी एवं संकेत पट्ट की व्यवस्था इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए परियोजना सलाहकार संस्था के चयन जैसी मदों की |

| क्र.स | परियोजना का नाम | सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि | सहमति पत्र का उद्देश्य | परियोजना के प्रायोजक | कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में) | प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में) | परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में) | परियोजना की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | जानकारी नहीं थी, और यह केवल दानकर्ताओं द्वारा ही प्रबंधित किये जाते थे। सहमतिपत्र 5 साल के लिए ही वैध था तथा इसका नवीनीकरण नहीं किया गया। |
| 4. | ताजमहल, आगरा | 21.6.2001 | परिरक्षण एवं उन्नयन, ताजमहल, आगरा | मेसर्स इंडियन होटेल्स कंपनी लिमिटेड, भा.पु.स. | 187.00 | 104.00 | 0.03 | सहमति-पत्र की वैधता 25 वर्ष थी। दानकर्ता ने सूचित किया कि उन्होनें इस पर प्रतिबद्ध संपूर्ण राशि व्यय कर दी थी, और वे इसके लिए अन्य कोई अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने की स्थिति मे नहीं थे और इस परियोजना को बंद करना चाहते थे। महानिदेशक, भा.पु.स. से दिसम्बर 2010 में तत्कालीन स्थिति के विषय में प्रतिवेदन मांगा गया था, जो अब तक लंबित था। (फरवरी 2013) |
| 5. | 1. कुतुब मीनार, दिल्ली<br>2.सूर्य मंदिर, कोणार्क ओड़िशा | 30.3.2001 | विकास एवं संरक्षण | भारतीय तेल निगम (भा.ते.नि.) | 4000.00 | 2700.00 | 110.83 | भारतीय तेल निगम से प्राप्त की गई 26.00 करोड़ ₹ की राशि को भारतीय तेल संघ (आई.ओ.एफ.) को हस्तांतरित |

| क्र.स | परियोजना का नाम | सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि | सहमति पत्र का उद्देश्य | परियोजना के प्रायोजक | कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में) | प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में) | परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में) | परियोजना की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. कन्हेरी महाराष्ट्र<br>4. हम्पी, कर्नाटक<br>5. खजुराहो, मध्य-प्रदेश का विकास कार्य। | | | | | | | किया गया था एवं भारतीय तेल निगम को कर-छूट प्रमाण पत्र दिया गया था, लेकिन स्थल पर कोई विकास कार्य शुरू नहीं हुआ। स्मारक की स्थिति में भी भा.पु.स. एवं भारतीय तेल संघ दोनों के द्वारा परिवर्तन किया गया। राष्ट्रीय वन संरक्षण, भारतीय तेल निगम के साथ सहमति पत्र के पुनर्नवीकरण के पक्ष में नहीं था। |
| 6. | जैसलमेर किला, राजस्थान | 13.8.2003 | जैसलमेर किले का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार | विश्व स्मारक कोष (1.96 करोड़)<br>भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (4.00 करोड़) | 596.00 | 600.00 | 515.27 | यद्यपि सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर एक अंर्तराष्ट्रीय संस्था के साथ किया गया था, फिर भी, न तो किसी विधि विशेषज्ञ से सलाह ली गई, न ही कोई समय सीमा इत्यादि तय की गई थी। यद्यपि एक संयुक्त खाता खोला गया था, तथापि विश्व स्मारक कोष के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के बिना भुगतान किया गया। |

| क्र.स | परियोजना का नाम | सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि | सहमति पत्र का उद्देश्य | परियोजना के प्रायोजक | कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में) | प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में) | परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में) | परियोजना की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | मृदा-विश्लेषण, भौगोलिक अध्ययन तो किये गये थे, लेकिन सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर के 9 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी जमीनी स्तर पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। |
| 7. | लोदी मकबरा, नई दिल्ली | 10.1.2006 | लोदी वाटिका स्मारकें-<br>1 सिकंदर लोदी का मकबरा।<br>2 शीश गुम्बद<br>3 बड़ा गुम्बद मस्जिद।<br>4 मोहम्मद शाह का मकबरा तथा<br>5 अठपुला (पुराना लोदी पुल) | मेसर्स भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली | 100.00 + 50.00 (परिरक्षण कार्य की समाप्ति के पश्चात् पांच वर्ष के लिए अनुरक्षण) | 50.00 | 27.33 | कार्य का अत्यधिक भार होने के कारण भा.पु.स. ने कार्य लेने से मना कर दिया था तथा इस कार्य को इनटैक को सौंपा गया था। इनटैक के साथ किसी भी औपचारिक कार्य आदेश/सहमति पर हस्ताक्षर नहीं किये गये। इनटैक द्वारा किए गए कार्य का जब भा.पु.स. ने पुनर्निरीक्षण किया तो इसे काफी निम्न स्तर का पाया। इनटैक सुधार कार्य करने के लिए सहमत था तथा उसने राशि की दूसरी किश्त उपलब्ध कराने की मांग की लेकिन भा.पु.स. ने कोई अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराने से पहले सुधार कार्य को पूरा करने को |

| क्र.स | परियोजना का नाम | सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि | सहमति पत्र का उद्देश्य | परियोजना के प्रायोजक | कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में) | प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में) | परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में) | परियोजना की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | कहा। इस मामले पर आगे कोई प्रगति नहीं पायी गई। |
| 8. | लौरिया नंदन गढ़ परियोजना | 18.12.2007 | लौरिया नंदन गढ़, चंकी गढ़, तथा रामपुरवा, पश्चिमी चंपारण, बिहार का विकास। | मैसर्स बोकारो स्टील प्लांट | 50.00 | 25.00 | 25.04 | दानकर्ता से प्राप्त भुगतान पहले चालू खाते में रखा गया था जिसका रूपांतरण बाद में मई 2010 में बचत खाते में कर दिया गया। सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर के पांच वर्ष बीत जाने के पश्चात भी जमीनी स्तर पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। सहमति-पत्र की वैधता दिसम्बर 2012 तक थी। सहमति-पत्र की पुनरावृति के कोई प्रयास नहीं किये गये ।<br>राष्ट्रीय संस्कृति निधि ने सूचित किया कि अगम्यता एवं कार्य की स्थिति को देखते हुए, भा.पु.स. ने चयनित स्मारक के बदलाव का सुझाव दिया था। |
| 9. | गोल गुम्बद, बीजापुर | 22.2.2008 | गोल गुम्बद, बीजापुर का पुनरूत्थान। | मेसर्स स्टेट ट्रेडिंग कॉर्प लिमिटेड | 50.00 | 10.00 | 11.40 | परियोजना के लिए सलाहकार का चयन कर लिया गया था। जमीनी स्तर पर अब तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। |

| क्र.स | परियोजना का नाम | सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि | सहमति पत्र का उद्देश्य | परियोजना के प्रायोजक | कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में) | प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में) | परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में) | परियोजना की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | वजीरपुर का गुम्बद, नई दिल्ली | 28.3.2008 | वजीरपुर का गुम्बद, मुनीरका नई दिल्ली का पुनरूत्थान | मेसर्स पी.ई.सी. लिमिटेड | 25.00 | 16.00 | 1.48 | सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके थे, लेकिन तीन वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात् भा.पु.स. ने परियोजना के प्रायोजक से चयनित स्मारक परिवर्तित करने को कहा। राष्ट्रीय संस्कृति निधि ने कभी आपत्ति नहीं की और अगस्त 2011 में एक परिशिष्ट जारी कर "युसुफ कत्तल" के सुधार कार्य का उत्तरदायित्व ले लिया। कार्य अभी भी प्रगति पर था, जबकि सहमति-पत्र की वैधता केवल तीन वर्ष थी तथा उसका पुनर्नवीकरण नहीं किया गया था। |
| 11. | कृष्णा मंदिर, हम्पी | 12.6.2008 | कृष्णा मंदिर हम्पी का संरक्षण | हम्पी संस्थान, कर्नाटक | 400.00 | 40.00 | 34.68 | कोई ठोस कार्य शुरू नहीं हुआ, सलाहकार के कार्य क्षेत्र के विषय क्षेत्र को सुनिश्चित करना अभी भी बाकी था। |
| 12. | हिडिम्बा देवी परियोजना | 15.7.2008 | हिडिम्बा देवी मंदिर, मनाली का पुनरूत्थान | युनाईटेड कॉमर्शियल बैंक, चंडीगढ़ | 20.00 | 20.00 | 22.27 | स्थल पर वास्तविक कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। सहमति-पत्र का एक परिशिष्ट जारी किया गया। |

| क्र.स | परियोजना का नाम | सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि | सहमति पत्र का उद्देश्य | परियोजना के प्रायोजक | कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में) | प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में) | परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में) | परियोजना की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | तुगलकाबाद किला परियोजना | 13.4.2009 | तुगलकाबाद किला, नई दिल्ली का पुनरूत्थान | मेसर्स भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) | 30.00 | 30.00 | 32.95 | सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर के दो वर्ष पश्चात् भा.पु.स. ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर स्मारक में बदलाव का प्रस्ताव किया। राष्ट्रीय संस्कृति निधि ने न तो इस पर कोई आपत्ति की, न ही इस विषय पर कोई परिशिष्ट जारी किया। |
| 14. | इब्राहिम रोजा परियोजना | 11.12..2009 | इब्राहिम रोजा परियोजना तथा गोल गुम्बद बीजापुर के वाटिकाओं का विकास | नौरस न्यास, कर्नाटक | 30.00 | 15.00 | 15.40 | कार्य का कार्यान्वयन चार वर्षों के अंदर तीन चरणों में किया जाना था। अभी तक केवल प्रथम चरण का कार्य ही समाप्त हुआ है। |
| 15. | मांडू, विक्रमशिला तथा ललितगिरि/ धौली | 22.12.2009 | संरक्षण कार्य | मेसर्स राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड | 500.00 | 50.00 | 55.67 | सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर के दो वर्ष पश्चात, भा.पु.स. ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड से जोगेश्वरी के स्थान पर विक्रमशिला स्मारक लिये जाने का निवेदन किया। कार्य प्रगति पर था। |
| 16. | शिव मंदिर, अम्बरनाथ | 25.2.2010 | प्राचीन शिव मंदिर, अम्बरनाथ का संरक्षण कार्य। | मेसर्स नागरिक सेवा मंडल अम्बरनाथ | 22.31 | 22.31 | 22.31 | स्थल पर वास्तविक कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ था। |

| क्र.स | परियोजना का नाम | सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि | सहमति पत्र का उद्देश्य | परियोजना के प्रायोजक | कुल प्रतिबद्ध राशि (₹ लाख में) | प्रायोजक का योगदान 31.03.2012 तक (₹ लाख में) | परियोजना लेखा मे शेष 31.03.2012 को (राशि लाख में) | परियोजना की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | अहोम स्मारक | 29.6.2010 | चार अहोम स्मारकों के रख-रखाव तथा पुनर्नवीकरण का कार्य। | तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम | 238.00 | 30.00 | 15.59 | परियोजना कार्यान्वयन समिति ने अगस्त 2011 में अपने सम्मेलन में यह फैसला किया कि परियोजना का कार्यान्वयन क्षेत्रीय निदेशक, पूर्व एवं उनके दल के द्वारा होना चाहिए। यह भी निर्णय हुआ कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कर्मचारियों के अनुबंध के आधार पर नियोजन के लिए अधीक्षक पुरातत्वविद्, गुवाहाटी मंडल भारतीय रोजगार कार्यालय से मांग करेगा। |
| 18. | हजारद्वारी भवन | 13.7.2010 | हजारद्वारी महल पश्चिम बंगाल का दत्तक ग्रहण | भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता शाखा | 75.00 | 20.00 | 21.03 | स्थल पर वास्तविक कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। |
| 19. | शोर मंदिर, महाबलीपुरम | 19.4.2011 | शोर मंदिर महाबलीपुरम में शौचालयों का निर्माण कार्य | भारतीय जहाज पत्तन निगम(शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) | 40.00 | 6.00 | 0.25 | राष्ट्रीय संस्कृति निधि ने कहा कि कार्य शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। |

## अनुबंध- 4.2
### (मामला अध्ययन 5 के संदर्भ में)

# संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान कोस मीनारों की स्थिति

| क्र.स. | कोस मीनारों का नाम | स्थिति उप-परिमंडल/परिमंडल | उप-परिमंडल पर उपलब्ध अधिसूचना की प्रति | उप-परिमंडल के पास स्थल के नक्शे की उपलब्धता | सुरक्षा सूचना पट्ट | सांस्कृतिक सूचना पट्ट | पहुँच मार्ग | अतिक्रमण | प्रतिबंधित/नियमित क्षेत्र में निर्माण | 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत | 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत पर व्यय (राशि ₹ में) | रसायनिक उपचार की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कोस मीनार, चीमा कलाँ (जिला जालंधर) | नकोदर/चंडीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | शून्य | हाँ |
| 2. | कोस मीनार, बीर पिंड (जिला जालंधर) | नकोदर/चंडीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | शून्य | हाँ |
| 3. | कोस मीनार, नकोदर (जिला जालंधर) | नकोदर/चंडीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हॉ | नहीं | शून्य | हाँ |
| 4. | कोस मीनार, दक्षिणी जहांगीर (जिला जालंधर) | नकोदर/चंडीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | शून्य | हाँ |
| 5. | कोस मीनार, दक्षिणी धाड़ा खानपुर (जिला जालंधर) | नकोदर/चंडीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | शून्य | हाँ |

| क्र.स. | कोस मीनारों का नाम | स्थिति उप-परिमंडल/ परिमंडल | उप-परिमंडल पर उपलब्ध अधिसूचना की प्रति | उप-परिमंडल के पास स्थल के नक्शे की उपलब्धता | सुरक्षा सूचना पट्ट | सांस्कृतिक सूचना पट्ट | पहुँच मार्ग | अतिक्रमण | प्रतिबंधित/ नियमित क्षेत्र में निर्माण | 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत | 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत पर व्यय (राशि ₹ में) | रसायनिक उपचार की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | कोस मीनार, कोहंद (जिला करनाल) | थानेसर/चंडीगढ़ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | शून्य | नहीं |
| 7. | कोस मीनार, घरौंदा दक्षिण (जिला करनाल) | थानेसर/चंडीगढ़ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | शून्य | नहीं |
| 8. | कोस मीनार, घरौंदा उत्तर (जिला करनाल) | थानेसर/चंडीगढ़ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | शून्य | हाँ |
| 9. | कोस मीनार, कुटैल (जिला करनाल) | थानेसर/चंडीगढ़ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | शून्य | हाँ |
| 10. | कोस मीनार, तीरावारी उत्तर (जिला करनाल) | थानेसर/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | शून्य | हाँ |
| 11. | कोस मीनार, भेनी कलां (जिला करनाल) | थानेसर/चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | 3,36,507 | नहीं |
| 12. | कोस मीनार, दाहा (जिला करनाल) | थानेसर/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | शून्य | हाँ |

| क्र.स. | कोस मीनारों का नाम | स्थिति उप-परिमंडल/ परिमंडल | उप-परिमंडल पर उपलब्ध अधिसूचना की प्रति | उप-परिमंडल के पास स्थल के नक्शे की उपलब्धता | सुरक्षा सूचना पट्ट | सांस्कृतिक सूचना पट्ट | पहुँच मार्ग | अतिक्रमण | प्रतिबंधित/ नियमित क्षेत्र में निर्माण | 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत | 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत पर व्यय (राशि ₹ में) | रसायनिक उपचार की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | कोस मीनार, नमस्ते चौक, करनाल | थानेसर/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | 2,37,008 | नहीं |
| 14. | कोस मीनार, करनाल सिटी | थानेसर/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | 2,12,990 | नहीं |
| 15. | कोस मीनार, तीरावारी दक्षिण (जिला करनाल) | थानेसर/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | शून्य | हाँ |
| 16. | कोस मीनार सं. 11, मवई (फरीदाबाद) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | 30,736 | नहीं |
| 17. | कोस मीनार, ख्वाजा सराय (फरीदाबाद) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | 81,212 | नहीं |
| 18. | कोस मीनार सं. 18 अलापुर (जिला पलवल) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | 97,513 | नहीं |
| 19. | कोस मीनार सं. 15 सीकरी (जिला पलवल) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | 3,63,925 | नहीं |

| क्र.स. | कोस मीनारों का नाम | स्थिति उप-परिमंडल/ परिमंडल | उप-परिमंडल पर उपलब्ध अधिसूचना की प्रति | उप-परिमंडल के पास स्थल के नक्शे की उपलब्धता | सुरक्षा सूचना पट्ट | सांस्कृतिक सूचना पट्ट | पहुँच मार्ग | अतिक्रमण | प्रतिबंधित/ नियमित क्षेत्र में निर्माण | 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत | 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत पर व्यय (राशि ₹ में) | रसायनिक उपचार की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | कोस मीनार सं. 17 गुधपुरी (जिला पलवल) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | 4,02,308 | नहीं |
| 21. | कोस मीनार सं. 19, (जिला-पलवल) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | 3,23,106 | नहीं |
| 22. | कोस मीनार सं. 20, खुसरोपुर (जिला पलवल) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | 3,62,265 | नहीं |
| 23. | कोस मीनार सं. 21, खेडा सराय (जिला पलवल) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | 3,35,517 | नहीं |
| 24. | कोस मीनार सं. 22, औरंगाबाद (जिला पलवल) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | शून्य | नहीं |
| 25. | कोस मीनार सं. 25, बनचारी (जिला पलवल) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | 3,95,272 | नहीं |
| 26. | कोस मीनार सं. 24, बनचारी (जिला पलवल) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | शून्य | नहीं |

| क्र.स. | कोस मीनारों का नाम | स्थिति उप-परिमंडल/ परिमंडल | उप-परिमंडल पर उपलब्ध अधिसूचना की प्रति | उप-परिमंडल के पास स्थल के नक्शे की उपलब्धता | सुरक्षा सूचना पट्ट | सांस्कृतिक सूचना पट्ट | पहुँच मार्ग | अतिक्रमण | प्रतिबंधित/ नियमित क्षेत्र में निर्माण | 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत | 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत पर व्यय (राशि ₹ में) | रसायनिक उपचार की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | कोस मीनार सं. 23, खटेला (जिला पलवल) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | शून्य | नहीं |
| 28. | कोस मीनार सं. 16, गुधपुरी (जिला पलवल) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | 4,41,454 | नहीं |
| 29. | कोस मीनार सं. 27, भुलवाना (जिला पलवल) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | शून्य | नहीं |
| 30. | कोस मीनार सं. 26, होडल (जिला पलवल) | नारनौल/ चण्डीगढ़ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | शून्य | नहीं |
| 31. | कोस मीनार, मथुरा-दिल्ली मार्ग, मथुरा की सीमा से 3 मील, 5.175 फर्लांग | मथुरा-दिल्ली मार्ग | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | शून्य | हाँ |
| 32. | कोस मीनार या मुगल माइल | चिड़ियाघर दिल्ली | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | शून्य | हाँ |

| क्र.स. | कोस मीनारों का नाम | स्थिति उप-परिमंडल/ परिमंडल | उप-परिमंडल पर उपलब्ध अधिसूचना की प्रति | उप-परिमंडल के पास स्थल के नक्शे की उपलब्धता | सुरक्षा सूचना पट्ट | सांस्कृतिक सूचना पट्ट | पहुँच मार्ग | अतिक्रमण | प्रतिबंधित/ नियमित क्षेत्र में निर्माण | 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत | 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत पर व्यय (राशि ₹ में) | रसायनिक उपचार की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्टोन, दिल्ली | | | | | | | | | | | |
| 33. | कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित | अजमेर-जयपुर मार्ग | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | शून्य | हाँ |
| 34. | कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित | अजमेर-जयपुर मार्ग | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | 41,786 | हाँ |
| 35. | कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित | चुगरा, अजमेर | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | शून्य | हाँ |
| 36. | कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित | कैर, अजमेर | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | 17,567 | हाँ |
| 37. | कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित | छत्री, अजमेर | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | शून्य | हाँ |
| 38. | कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित | खानपुर, अजमेर | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | शून्य | हाँ |

| क्र.स. | कोस मीनारों का नाम | स्थिति उप-परिमंडल/ परिमंडल | उप-परिमंडल पर उपलब्ध अधिसूचना की प्रति | उप-परिमंडल के पास स्थल के नक्शे की उपलब्धता | सुरक्षा सूचना पट्ट | सांस्कृतिक सूचना पट्ट | पहुँच मार्ग | अतिक्रमण | प्रतिबंधित/ नियमित क्षेत्र में निर्माण | 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत | 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत पर व्यय (राशि ₹ में) | रसायनिक उपचार की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित | होशियारा, अजमेर | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | शून्य | हाँ |
| 40. | कोस मीनार, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित | होशियारा, अजमेर | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | शून्य | हाँ |

**अनुबंध 5.1**
**(पैरा 5.4.1 के संदर्भ में)**

## प्रस्तावित खुदाई स्थलों की तालिका जिसके संदर्भ में सिफारिश न किए जाने का कोई कारण नहीं दिया गया है।

| क्र.सं. | स्थल का नाम | कार्यालय | निदेशक | कार्य का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भीमबेटका शैल चित्रकारी जिला रायसेन, मध्य प्रदेश | प्राक-इतिहास शाखा नागपुर | डी. भेंगरा | अन्वेषण |
| 2. | मेलघाट क्षेत्र, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र | प्रागैतिहास शाखा नागपुर | निदेशक डी. भेंगरा | अन्वेषण |
| 3. | वैश्या टेकरी, जिला-उज्जैन, मध्य प्रदेश | भोपाल परिमंडल | के.के.मुहम्मद | उत्खनन |
| 4. | जिला भिवानी में अन्वेषण, हरियाणा | चंडीगढ़ परिमंडल | के.पी. एस. भदूरिया | अन्वेषण |
| 5. | फिरोजपुर झिरका तहसील में मेवात क्षेत्र, जि. गुडगाँवा में अन्वेषण | चंडीगढ़ परिमंडल | के.पी. एस. भदूरिया | अन्वेषण |
| 6. | असंध, जिला करनाल हरियाणा में स्तूप उत्खनन (1/10/2/2007-ई.ई.) | चंडीगढ़ परिमंडल | के.पी. एस. भदूरिया | उत्खनन |
| 7. | गोपाकापट्म उत्तरी गोवा में प्रारंभिक संयुक्त खोज और ट्रायल ट्रेंचेज | गोवा परिमंडल | एन तालेर | अन्वेषण/खुदाई |
| 8. | कायावरोहन, जिला बड़ोदरा गुजरात में उत्खनन | बड़ोदरा परिमंडल | शिवनन्दा वी | उत्खनन |
| 9. | खान मस्जिद ढोलका, अहमदाबाद के सामने उत्खनन | बडौदरा परिमंडल | शिवनन्दा वी | उत्खनन |
| 10. | विद्याधरपुर,तहसील कटक सदर, जिला कटक, ओड़िशा | ओड़िशा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर ओड़िशा | सी.वी. पटेल | उत्खनन |
| 11. | नरसिंहपुर और आसपास के इलाके, जिला कटक ओड़शा | ओड़िशा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर ओड़िशा | सी.बी. पटेल | उत्खनन |
| 12. | पंचगाव, पुराना शहर भुवनेश्वर जि. खुर्दा ओड़िशा | उड़ीसा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर ओड़िशा | सी.बी. पटेल | उत्खनन |
| 13. | डोयलोपार ढाका बीचकन्ड़ी मौजा बीचकन्ड़ी, जे.एल.नं. 125, जी.पी. सबलपुर, ब्लाक -ग्रामसलिका,पी.एस. वर्वान (मुर्शिदाबाद) पश्चिम बंगाल | निदेशक, पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय, पश्चिम बंगाल | अमल रॉय | उत्खनन |
| 14. | खारीहाट, बेलन घाटी, मिर्जापुर, जिला, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद ईकाई | प्रकाश सिन्हा | उत्खनन |
| 15. | चतुर्भुज नाला गाँधीसागर खेल अभयारण्य में, भानपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश | भारत का शैल समाज, आगरा | गिरिराज कुमार | उत्खनन |

| क्र.सं. | स्थल का नाम | कार्यालय | निदेशक | कार्य का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 16. | साबरमती नदी घाटी, जिला आनंद, खेडा, अहमदाबाद, गॉधीनगर, मेहसाना और साबरकंठा गुजरात में | उत्खनन शाखा-V | एस एन केसरवानी | उत्खनन |
| 17. | बीबी का मकबरा, औरंगाबाद के सामने के क्षेत्र की उत्खनन | उत्खनन शाखा-V | के.वीरभद्र राव | उत्खनन |
| 18. | भीटा जिला, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश | लखनऊ मंडल लखनऊ | आई.डी. द्विवेदी | उत्खनन |
| 19. | इरीक जिला झाँसी, उत्तर प्रदेश | लखनऊ मंडल लखनऊ | आई.डी. द्विवेदी | उत्खनन |
| 20. | उत्तर प्रदेश में घाघरा मैदानों के पार खोज, साथ में परीक्षण खाईयाँ एवं क्षेत्र की घिसाई | लखनऊ परिमंडल लखनऊ | - - - | उत्खनन/अन्वेषण |
| 21. | रूआम जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड | लखनऊ परिमंडल लखनऊ | टी.जे. वैद्या | उत्खनन |
| 22. | कबराकाला, जिला पलामू, झारखंड | लखनऊ परिमंडल लखनऊ | टी.जे. वैद्या | उत्खनन |
| 23. | कुन्नातूर जिला तिरून्नेलवेली, तमिलनाडू | त्रिसूर परिमंडल | एन. नम्बीराजन | उत्खनन |
| 24. | फनीगिरी (वी.) तिरूमलगिरी (एम.) नालगोंडा जिला | पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, हैदराबाद | जी.वी. रामाकृष्णाराव | उत्खनन |
| 25. | जगथीपाडू (वी.) पोलाकी (एम.)श्री काकुलम जिला | पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग | - - - | उत्खनन |
| 26. | मानिकेश्वरम (वी.)अडक्की (एम.)प्रकाशम जिला | पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग | - - - | उत्खनन |
| 27. | गाँव उदयपुर, विधुना जिला औरैया | पुरातत्व विभाग, उत्तर प्रदेश | आर.के.श्रीवास्तव | उत्खनन |
| 28. | मऊ जिला बाँदा, उत्तर प्रदेश में अन्वेषण | पुरातत्व विभाग | राम नरेश पाल | अन्वेषण |
| 29. | बलम, बाद्यादा, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश | पुरातत्व विभाग | जे.एन. पाण्डेय | उत्खनन |
| 30. | हेतापट्टी, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश | पुरातत्व विभाग | जे.एन.पाल | उत्खनन |
| 31. | तुर्की बुर्ज गाँव कोरी, पोझा और मुर्गिया, जिला, वैशाली, बिहार के आसपास के क्षेत्रों में अन्वेषण | बिहार पुराविद् परिषद पटना | सी.पी.सिन्हा | अन्वेषण |
| 32. | सभी नौ बौद्ध स्थलों (नवली-देवलीपल, कायामा, तारापुर, काँटीगड़िया, वज्रगिरी, नेवलपुर और काँकी (राधानगर किला) पर अन्वेषण एवं उत्खनन | ओड़िशा समुद्री संस्थान और दक्षिण-पूर्वी एशिया अध्ययन, भुवनेश्वर, ओड़िशा | डी.आर. प्रधान | अन्वेषण एवं उत्खनन |

**अनुबंध 5.2**
**(पैरा 5.8.1 के संदर्भ में)**

## लंबित खुदाई प्रतिवेदनों की तालिका
## कार्यरत अधिकारियों द्वारा बड़े स्तर पर उत्खनन

| क्र.सं. | उत्खनन का स्थान एवं समय | उत्खनन के निदेशक | जवाबदेह पुरातत्वविद | महीना/वर्ष जब पहली बार कार्य को आबंटित किया गया था | कार्य को दुबारा आबंटित किया गया |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | चिचाली, जिला उत्तरी निमार 1998-99, 1999-2000 | एस.के.मित्रा, अ.पु. | एस.के.मित्रा, एस.ए. उत्खनन शाखा-I, नागपुर | अप्रैल 2005 | अगस्त 2010 |
| 2. | हम्पी, जिला बेल्लारी, कर्नाटक, 1975-76, 76-77, 78-79, से 2000-01 | एस.आर.राव | के.पी. पुनाचा, संयुक्त महानिदेशक (सेवानिवृत्त) | अप्रैल 2005 | दिसम्बर 2009 |
| 3. | मथुरा, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश 1954-55, 73-74 से 1976-77 | एम. वेंकटरमय्या | ए.के.सिन्हा, निदेशक (रा.सां.नि.) | मार्च 2006 | अगस्त 2010 |
| 4. | श्रावस्ती, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, 1958-59, 1986-97, 1998-99, 2000-01, 2001-02 | के.के. सिन्हा | नीरज कुमार सिन्हा, ए.ए., राँची परिमंडल | अप्रैल 2005 | |

## कार्यरत अधिकारियों द्वारा छोटे स्तर पर खुदाई

| क्र.सं. | स्थल, उत्खनन पूर्ण होने की तारीख और उत्खनन का कार्य समय | उत्खनन निदेशक | जवाबदेह पुरातत्वविद् | कार्य आबंटन की तारीख | आबंटन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बाराबती किला, जिला कटक, ओड़िशा 1989-90 से 96-97 | बी.के. सिन्हा | के.पी.राव अ.पु. हैदराबाद परिमंडल | जून 2005 | दिसम्बर 2010 |
| 2 | दौलताबाद, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र 1984-85, 85-86, 87-88, 88-89, 2004-05, 05-06 | सी.एल.सूरी | एस.के. मित्रा अ.पु. उत्खनन शाखा-I नागपुर | जून 2005 | मार्च 2011 |
| 3 | फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश 1976-77 से 79-80,82-83 से 88-89 | जे.पी. श्रीवास्तव | के.पी. पुनाचा, संयुक्त महानिदेशक (सेवानिवृत्त), पुनः आबंटन, श्री जे.पी. श्रीवास्तव, अधीक्षक पुरातत्वविद् (सेवानिवृत्त) | जून 2005 | अप्रैल 2010 |
| 4 | काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तरांचल 1965-66,1970-71,2001-03 | वाई. डी. शर्मा | डी.वी. शर्मा क्षेत्रीय निदेशक, कोलकाता। | जून 2005 | फरवरी 2010 |
| 5 | केसरिया, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार, 1997-98 से 2000-01 | के.के. मोहम्मद | के.के. मुहम्मद अ.पु. दिल्ली परिमंडल | अक्तूबर 2005 | फरवरी 2010 |
| 6 | कोल्हुआ, जिला मुजफ्फरपुर बिहार 1976-77, 89-90 से 93-94,95-96 to 98-99 | विजयकान्त मिश्रा | के.के. मोहम्मद, एस.ए. दल्ली परिमंडल (पुर्नाबंटन अरिवंद मंजुल, उप अ.पु. पटना, उत्खनन शाखा) | अक्तूबर 2005 | मई 2011 |
| 7 | कुन्नात्तूर जिला काँचीपुरम, तमिलनाडु 1956-57,57-58 | वी.डी. कृष्णास्वामी | सत्यभामा बद्रीनाथ अ.पु. चेन्नई परिमंडल | | नये सिरे से खुदाई के लिए वर्ष 2010 में खुदाई शाखा-VI मैसूर की तरफ से पहल |

| क्र.सं. | स्थल, उत्खनन पूर्ण होने की तारीख और उत्खनन का कार्य समय | उत्खनन निदेशक | जवाबदेह पुरातत्वविद् | कार्य आबंटन की तारीख | आबंटन तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | मदरपुर, जिला-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, 2000-01 | डी.वी. शर्मा | डी.वी. शर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, कोलकाता | | जनवरी 2010 |
| 9 | नालंदा जिला बिहार शरीफ, बिहार 1975-76 से 1979-80, 1981-83 | विजयकांत मिश्र | के.के. मोहम्मद अ.पु., दिल्ली सर्कल | अक्तूबर 2005 | नए उत्खनन के लिए कार्य 2010 में शुरू किया गया। |
| 10 | पैठन, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र 1997-98, 98-99 | जे.वी.पी. राव | जे.वी.पी. राव, (अब दिवंगत अतः प्रतिवेदन डा. डेरेक केनेट द्वारा प्रस्तुत किया गया)। | जनवरी 2005 | जनवरी 2007 पुनःआवंटित तारीख मार्च 2010 |
| 11 | राजगीर, जिला बिहार शरीफ, बिहार 1953-54,54-55,57-58,58-59,61-62,62-63,74-75,99-00,00-01 | डी.आर. पाटिल | के.के. मोहम्मद अ.पु., दिल्ली परिमंडल। | अक्तूबर 2005 | मार्च 2010 |
| 12 | राजपत खालसा, जिला कूच बिहार, प.बंगाल 1998-99 से 1999-2000 | एस.बी. ओटा | एस.बी.ओटा, क्षेत्रीय निदेशक, भोपाल | जून 2006 | दिसम्बर 2009 |
| 13 | संकिसा, जिला फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश, 1995-96,96-97 | बी.आर.मणि | बी.आर.मणि, संयुक्त महानिदेशक | जनवरी 2005 | मार्च 2010 |
| 14 | सीमाथन, जिला अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर 1977-78,78-79,80-81 | एच.के. नारायण | जी.एस.गौर, स.अ.पु. जम्मू परिमंडल | अप्रैल 2005 | दिसम्बर 2009 |
| 15 | सीसानिया, जिला-बस्ती, उत्तर प्रदेश 1995-96,96-97 | बी.आर.मणि | बी.आर. मणि, संयुक्त महानिदेशक | जनवरी 2005 | |

## सेवा निवृत्त अधिकारियों द्वारा वृहत स्तर पर उत्खनन

| क्र.सं. | स्थल, उत्खनन की अवधि | उत्खनन निदेशक | उत्खनन निदेशक/रिपोर्टिंग पुरातत्वविद् | आबंटित/ पुनःआवंटित तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रामापुरम, जिला-कुर्नुल, आंध्रप्रदेश 1980-81 से 1983-84 | बी. नरसिम्हय्या | स्वर्गीय डॉ. बी. नरसिम्हय्या (पुनः आवंटित डॉ. के. इस्माईल) | पुनःआवंटित तिथि जनवरी 2011 |
| 2 | धौलावीरा, जिला-कच्छ, गुजरात | आर.एस.बिष्ट | आर.एस.बिष्ट, (सेवानिवृत्त) | पुनःआवंटित तिथि दिसंबर, 2009 |
| 3 | बाणावली, जिला-फतेहाबाद, हरियाणा, 1983-84 से 86-87 | आर.एस.बिष्ट, | आर.एस.बिष्ट, (सेवानिवृत्त) | अगस्त 2011 |
| 4 | हर्ष- का-टीला, धानेसर, जिला-कुरुक्षेत्र, हरियाणा 1987-88, 89-90 | बी.एम. पाण्डेय | बी.एम. पाण्डेय (सेवानिवृत्त) | जनवरी 2010 |
| 5 | बुर्जहोम, जिला-श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर 1960-61 से 68-69, 71-72,73-74 | टी.एन. खजांची | यह कार्य डॉ. आर.एस. फोनिया, निदेशक स्मारकों और पुरावस्तुओं पर राष्ट्रीय मिशन को पुनआर्बंटित किया गया। | जून 2009 |
| 6 | बाणाहल्ली, जिला-कोलार, कर्नाटक, 1973-74,83-84,85-86,86-87 | एस.बी. सुदर्राजन | स्वर्गीय डॉ. बी. नरसिम्हय्या, (पुनःआवंटित श्री पी.एस. श्रीरमन, किला संग्राहल, चेन्नई परिमण्डल | मई 2010 |
| 7 | संघोल, जिला-लुधियाना, पंजाब 1986-87 से 1990-91 | सी. मार्गबन्धु | सी. मार्गबन्धु (सेवानिवृत्त) | सितम्बर 2010 |
| 8 | अयोध्या, जिला-फैजाबाद एवं भारद्वाज आश्रम, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश | बी.बी.लाल | बी.बी. लाल (सेवानिवृत्त) | |

| क्र.सं. | स्थल, उत्खनन की अवधि | उत्खनन निदेशक | उत्खनन निदेशक/रिपोर्टिंग पुरातत्वविद् | आबंटित/ पुनःआवंटित तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 9 | हुलास, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 1978-79 से 1982-83 | के.एन. दीक्षित | के.एन. दीक्षित (सेवानिवृत्त) | सितम्बर, 2009 (पुनआर्बंटित तिथि मई, 2010) |
| 10 | राखीगढ़ी, जिला- हिसार, हरियाणा 1997-98 से 1999-2000 | अमरेन्द्र नाथ | अमरेन्द्र नाथ (सेवानिवृत्त) | अप्रैल, 2008 (पुनआर्बंटित तिथि दिसम्बर, 2010) |

## सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा लघु स्तर पर उत्खनन

| क्र.सं. | स्थल, उत्खनन की अवधि | उत्खनन निदेशक | उत्खनन निदेशक/रिपोर्टिंग पुरातत्वविद् | अवंटित तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रोपड़, जिला- अम्बाला, पंजाब 1953-54 एवं 54-55 | वाई.डी. शर्मा | के.एन. दीक्षित (सेवानिवृत्त) | मई 2010 |
| 2 | मानसर, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र, 1994-95,95-96 | अमरेन्द्र नाथ | अमरेन्द्र नाथ (सेवानिवृत्त) | अप्रैल, 2008 पुनआर्बंटित तिथि (सितम्बर 2010) |

## प्रस्तुत प्रतिवेदनों के मामले
## वृहत्त स्तर उत्खनन

| क्र.सं. | स्थल, उत्खनन पूर्ण होने की तारीख, उत्खनन अवधि | रिपोर्टिंग पुरातत्वविद् | कार्य आबंटन तिथि | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सतधारा, जिला- रायसेन, 1993-94,95-96 से 97-98,99-00 | नारायण व्यास,अ.पु.., मंदिर सर्वेक्षण परियोजना (उत्तर) | जून 2005 | प्रतिवेदन मार्च 2008 में प्रस्तुत |
| 2 | उदयगिरी, जिला- जयपुर, ओड़िशा 1985-86,86-87,87-88,88-89,97-98 से 2001-02 | बी. बन्दोपाध्याय, अ.पु.., कोलकाता परिमण्डल | अप्रैल 2005 | प्रतिवेदन प्रसतुत एवं प्रकाशित 2007 में। |
| 3 | ललितगिरी, जिला- कटक, ओड़िशा 1985-86 से 1990-91 | जे.के. पटनायक, अ.पु. कोणार्क संग्रहालय। | अप्रैल 2005 | फरवरी 2010 में प्रतिवेदन प्रस्तुत। |

## प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के मामलों की सूची
## लघु स्तर उत्खनन

| क्र.सं. | स्थल, उत्खनन पूर्ण होने की तिथि, उत्खनन की अवधि | रिपोर्टिंग पुरातत्वविद् | कार्य आबंटन तिथि | लंबित रहने का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री सूर्यपहाड़, जिला-गोलपारा, असम 1992-93, 93-94, 95-96से 2000-01 | जितेन्द्र दास, अ.पु., हैदराबाद परिमण्डल। | अप्रैल 2005 | प्रतिवेदन मार्च 2009 में प्रस्तुत |
| 2. | लाल कोट एवं किला राय पिथौरा, दिल्ली 1957-58, 58-59, 59-60, 64-65, 91-92 से 94-95 | बी.आर. मणि, संयुक्त महानिदेशक | जनवरी 2005 | प्रतिवेदन मई 2007 में प्रस्तुत |
| 3. | चंदौर, जिला-दक्षिण गोवा, गोवा 1999-91, 2000-01, 01-02 | जे.वी.पी. राव (दिवंगत) | जून 2004 | प्रतिवेदन प्रस्तुत |
| 4. | हाथब, जिला- भावनगर, 2001-02, 02-03 | शुभ्रा प्रमाणिक, अ.पु., रा.स्मा.पु.मि. | अप्रैल 2005 | मई 2007 में प्रतिवेदन प्रस्तुत |
| 5. | लचूरा, जिला- भीलवाड़ा, राजस्थान, 1997-98, 98-99 | बी.आर. मीणा, अ.पु. (बी.एस.पी.) दिल्ली | | मई 2007 में प्रतिवेदन प्रस्तुत |
| 6. | कानागणाहल्ली, जिला-गुलवर्ग, 1993-94, 96-97, 97-98, 99-00, 00-01, 01-02 | के.पी. पुनाचा, निदेशक (संग्रहालय एवं पुरावस्तुएँ) | जून 2005 | मई 2010 में प्रतिवेदन प्रस्तुत |
| 7. | बेकल फोर्ट, जिला-कसरगोड़े, 1997-98 से 2001-02 | नाम्बिराजन, त्रिसूर परिमण्डल, | अक्तूबर 2006 | प्रतिवेदन प्रस्तुत और 2009 में प्रकाशित |
| 8. | बेसनगर, जिला- विदिशा, मध्यप्रदेश 1963-64 से 1965-66, 1975-76, 76-77 | नारायण ब्यास, अ.पु., मंदिर सर्वेक्षण परियोजना (उत्तरी ) | जून 2005 | मार्च 2009 में प्रतिवेदन प्रस्तुत |
| 9. | खजुराहो, जिला-छत्तरपुर, 1980-81, 81-82, 82-83, 85-86 से 88-89 | पी.के. मिश्रा, अ.पु. पटना परिमण्डल | जून 2005 | मई 2010 में प्रतिवेदन प्रस्तुत |

| क्र.सं. | स्थल, उत्खनन पूर्ण होने की तिथि, उत्खनन की अवधि | रिपोर्टिंग पुरातत्वविद् | कार्य आबंटन तिथि | लंबित रहने का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 10 | मामल्लपुरम, जिला- काँचीपुरम, तमिलनाडु, 1990-2000 से 2000-01 | के.टी. नरसिम्हा, अ.पु., (अब सेवानिवृत्त) | | जनवरी 2006 में प्रतिवेदन प्रस्तुत |
| 11. | सांची, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश 1993-94, 95-96 से 97-98, 99-00 | ए.के. सिन्हा, अ.पु., स्मारक तथा श्री एस.वी.ओटा, अ.पु. राष्ट्रीय मिशन | अप्रैल 2005 | कार्य को श्री नारायण व्यास, स.अ. मंदिर सर्वेक्षण परियोजना, उत्तर को पुनः सौंपा गया है तथा रिपोर्ट 2008 में पुस्तुत की। |
| 12 | गोलबई ससन, गोलबई, जिला पुरी, ओडिशा 1990-91 से 91-92 | ए.के. पटेल, उप. स.अ., रायपुर परिमण्डल | सितम्बर 2006 | रिपोर्ट दिसम्बर 2007 में प्रस्तुत की गई है। |
| 13 | धालेवन, जिला मान्सा, पंजाब 1999-2000,01-02 | मधुबाला, अ.पु. उत्खनन शाखा-II | अप्रैल 2005 | रिपोर्ट मार्च 2011 में प्रस्तुत की गई है |
| 14 | ओजियाना, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान 1999-2000 से 2000-01 | बी.आर मीना, अ.पु. तथा डॉ. अलोक त्रिपाठी | जनवरी 2005 | रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। |
| 15 | गुदीयाम, जिला त्रिरूवल्लौर 1962-63, 63-64 | एस.बी. ओटा, निदेशक, राष्ट्रीय मिशन | अगस्त 2006 | रिपोर्ट अगस्त 2008 में प्रस्तुत की गई है |
| 16 | बोक्सानर, जिला पश्चिम त्रिपुरा 2001-02 | जमाल हसन, अ.पु. देहरादून परिमण्डल | जून 2005 | रिपोर्ट अगस्त 2008 में प्रस्तुत की गई है |
| 17 | भीता, जिला इलाहबाद, उत्तर प्रदेश 1995-96, 1996-97, 97-98 | फरवरी 2007 में श्री इंदुप्रकाश, स.अ.पु. तथा ए.ए. हाश्मी स.पु. लखनऊ परिमण्डल | जून 2005 | रिपोर्ट जुलाई 2009 में प्रस्तुत की गई है |
| 18 | भीचाबील्ली टीला, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश 1999-2000 | डी.वी. शर्मा, अ.पु., दिल्ली परिमण्डल | जनवरी 2005 | रिपोर्ट मई 2008 में प्रस्तुत की गई है |
| 19 | तमलूक, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल 1954-55, 73-74 | एस.बी. ओटा, निदेशक, राष्ट्रीय मिशन | अगस्त 2006 | रिपोर्ट जून 2008 में प्रस्तुत की गई है |

| क्र.सं. | स्थल, उत्खनन पूर्ण होने की तिथि, उत्खनन की अवधि | रिपोर्टिंग पुरातत्वविद् | कार्य आवंटन तिथि | लंबित रहने का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 20 | श्यामसुदंर टीला, जिला दक्षिण त्रिपुरा 1984-85, 98-99 से 2000-01 | जी.सी. चौले, (सेवानिवृत्त) | | रिपोर्ट दिसम्बर 2005 में प्रस्तुत की गई है |
| 21 | ठकरानी टिला, पश्चिम पिलाक, जिला दक्षिण त्रिपुरा | जी.सी. चौले, (सेवानिवृत्त) | | रिपोर्ट 2005 में प्रस्तुत की गई है |
| 22 | गुफकराल, जिला पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर 1981-82 | ए.के शर्मा (सेवानिवृत्त) | | रिपोर्ट अक्तूबर 2008 में प्रस्तुत की गई है |

## अनुबंध5.3
## (पैरा 5.8.1 के संदर्भ में)

# मामलों की सूची जहाँ उत्खनन/अन्वेषण रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं

### फील्ड सत्र 2007-08

| क्र.सं. | स्थल का नाम | कार्यालय | निदेशक | कार्य की प्रकृति | रिपोर्ट की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बाराबात्ती किला, जिला कटक ओडिशा | का. शाखा IV, भुवनेश्वर | पी.के. त्रिवेदी | उत्खनन | रिपोर्ट प्रस्तुत की गई |
| 2. | कौशांबी से कपिलवस्तु तक अन्वेषण सहित परीक्षण खाई एवं परिच्छेद घिसाई | लखनऊ परिमण्डल | आई.डी. द्विवेदी | अन्वेषण | रिपोर्ट प्रस्तुत की गई |

### फील्ड सत्र 2008-09

| 1. | सैरंग लुल, त्वांग/धलेश्वरी नदी की उपनदी, जिला लुशई हिल्स, मिजोरम में अन्वेषण (1/14/2008-ई.ई.) | पूर्व-ऐतिहासिक, शाखा नागपुर | डी. भेंगरा | अन्वेषण | रिपोर्ट प्रस्तुत की गई |
|---|---|---|---|---|---|
| | कौशाम्बी से कपिलवस्तु, जिला कौशाम्ब, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, संतकबीर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, उ.प्र. तक तीर्थ यात्रा मार्ग स्थापित करने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण | लखनऊ परिमण्डल | आई.डी. द्विवेदी | अन्वेषण | रिपोर्ट प्रस्तुत की गई |

### फील्ड सत्र 2009-10

| क्र.स. | प्रस्ताव | कार्यालय | निदेशक | कार्य की प्रकृति | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बानगढ़, गंगारामपुर, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल में उत्खनन | कोलकाता परिमण्डल | टी.जे. वैद्या | उत्खनन | रिपोर्ट प्रस्तुत |
| 2. | लाथिया, जमनिया के निकट, जिला गाजीपुर, उ.प्र. में उत्खनन | का. शाखा III, पटना | बी.आर. मणि | उत्खनन | रिपोर्ट भा.पु.प्र. में प्रकाशित |
| 3. | सेंगाल्लुर एवं वदाकीपट्टी मनप्पराारी, त्रिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु | टी.एस.पी. (एस.आर.) चेन्नइ | डी.दयालन | उत्खनन | रिपोर्ट प्रस्तुत |

| क्र.स. | प्रस्ताव | कार्यालय | निदेशक | कार्य की प्रकृति | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | कौशाम्बी से कपिलवस्तु तक तीर्थ यात्रा मार्ग स्थापित करने हेतु अन्वेषण सहित जिलें कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ, सुलतानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, (उ.प्र.) में परीक्षण परिच्छेद घिसाई/खाई की खुदाई | लखनऊ परिमण्डल | आई.डी. द्विवेदी | अन्वेषण | रिपोर्ट प्रस्तुत |
| 5 | बांकी से सोनपुर, ओड़िशा में मध्य महानदी घाटी के दाहिने किनारे में अन्वेषण | का. शाखा IV, भुवनेश्वर | जी. महेश्वरी | अन्वेषण | रिपोर्ट प्रस्तुत |
| 6 | कदवाह, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश का अन्वेषण | टी.एस.पी. भोपाल | के. लॉर्दूस्वामी | अन्वेषण | रिपोर्ट प्रस्तुत |
| 7 | पूर्व पांड्यों. मुत्तरयारों, इरूक्कवेलों, पांड्यों के अंतर्गत अन्य जागीरदारों एवं सरदारों के गुफा मंदिरों का सर्वेक्षण | टी.एस.पी. चैन्नई | डी.दयालन | पुरातात्विक सर्वेक्षण | रिपोर्ट प्रस्तुत |

## फील्ड सत्र 2010-11

| क्र.सं. | प्रस्ताव | कार्यालय | निदेशक | कार्य की प्रकृति | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बानगढ, गंगारामपुर, जिला दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल में उत्खनन (1/45/2/2005-ई.ई.) | कोलकाता परिमण्डल | टी.जे. वैद्या | उत्खनन | रिपोर्ट प्रस्तुत |
| 2. | बांकी से सोनपुर, ओड़िशा में मध्य महानदी घाटी के दहिने किनारे में अन्वेषण | का. शाखा IV, भुवनेश्वर | जी. महेश्वरी | अन्वेषण | रिपोर्ट प्रस्तुत |

अनुबन्ध 6.1
(पैरा 6.5.1 के संदर्भ में)

## परिग्रहण रजिस्टर को बनाये रखने के तरीके

| क्र.सं. | संग्रहालय का नाम | परिग्रहण रजिस्टर के प्रबंधन की प्रणाली |
|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय संग्रहालय | केन्द्रीय परिग्रहण रजिस्टर के साथ-साथ विभिन्न खण्डों एवं वस्तुओं के रजिस्टरों को बनाना। परिग्रहण रजिस्टर उचित ढंग से नहीं बनाये गये थे। पाण्डुलिपि अनुभाग के परिग्रहण रजिस्टर में असंगतियाँ देखी गई जिसके कारण वर्तमान पदधारी द्वारा मार्च 2008 में सेवानिवृत्त हुए क्यूरेटर से प्रभार ग्रहण नहीं किया गया। |
| 2. | भारतीय संग्रहालय | परिग्रहण रजिस्टर को मद-वार/खण्ड-वार तथा केन्द्रीकृत परिग्रहण रजिस्टर के अनुसार बनाना। परिग्रहण रजिस्टर पूर्ण नहीं थे। कई मामलों में आयु का विवरण और वस्तुओं की स्थिति तथा उनकी दशाओं का विवरण लिपिबद्ध नहीं था। कहीं-कहीं परिग्रहण रजिस्टर में क्रमांक नहीं लिखे थे जिससे यह निर्धारण करने में कठिनाई हुई कि उस संग्रहालय के संग्रह में कुल कितनी वस्तुएँ थी। किसी भी वस्तु के लिए अनन्य संस्था नियत नहीं हुई थी। विभिन्न अनुभागों के अपने स्वयं की परिग्रहण संख्यायें होने के कारण संख्याओं में पुनरावृत्ति हुई है। |
| 3. | विक्टोरिया मेमोरियल हॉल | केन्द्रीकृत परिग्रहण रजिस्टर के साथ-साथ विभिन्न खण्डों/मदों के लिए अलग रजिस्टर बनाना। 5000 वस्तुएँ रवीन्द्र भारती संस्था से सन् 2011 के दौरान स्थायी ऋण के रूप में ली गई था जिन्हें अभी तक परिग्रहीत नहीं किया गया यद्यपि इसे 31 मार्च 2011 तक पूरा करना था। |
| 4. | एशियाटिक सोसाईटी, कोलकाता | मद-वार/खण्ड-वार परिग्रहण रजिस्टर को बनाना तथा केन्द्रीकृत परिग्रहण रजिस्टर को नहीं। कई वस्तुएँ प्राप्ति के पश्चात् भी लम्बे समय तक संबंधित रजिस्टर या डाटाबेस में परिग्रहण के लिए लंबित थीं, जैसे 55 वस्तुएँ जिसमें से 19 पाण्डुलिपियाँ हैं जो भंडार रजिस्टर में पाई गई, परिग्रहीत किए जाने के लिए लंबित थीं। ये वस्तुएँ 2009 के दौरान एशियाटिक सोसाईटी की अलमारी में पाई गई थीं और कहीं भी अभिलिखित नहीं थीं। कुल 54655 कला वस्तुओं में से 15205 वस्तुएँ (28 *प्रतिशत*) परिग्रहित नहीं थीं। |
| 5. | इलाहाबाद संग्रहालय | कुल 70121 वस्तुओं में से 34000 वस्तुएँ (48 *प्रतिशत*) परिग्रहित नहीं थीं। |

**अनुबन्ध 6.2**
**(पैरा 6.7 के संदर्भ में)**

# कलाकृतियों के भौतिक सत्यापन का विवरण

| | |
|---|---|
| भारतीय संग्रहालय | **इस संग्रहालय का भौतिक सत्यापन सन् 2005 में शुरू हुआ था। समय सीमा कई बार बढ़ाई गई और वर्तमान में यह अक्तूबर 2013 तक बढ़ाई गई है। लेकिन यह पाया गया कि केवल 38 प्रतिशत कला वस्तुएँ ही मार्च 2012 तक प्रमाणित की गई थी।** |
| **राष्ट्रीय संग्रहालय** | राष्ट्रीय संग्रहालय का अंतिम भौतिक सत्यापन, विशेषज्ञ समिति द्वारा 1998 से 2003 के दौरान किया गया था और न्यायालय के आदेशों के निर्देशानुसार यह प्रतिवेदन 2004 में सौंपा गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा कई कमियाँ इंगित की गई। सन् 2003 के बाद कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। |
| **एशियाटिक सोसाईटी कोलकाता** | केवल दुर्लभ चाँदी और तांबे के सिक्कों को छोड़कर, सभी वस्तुएँ प्रमाणित की गई। ऐसे सिक्कों की निश्चित संख्या की जानकारी संस्था को नहीं थी क्योंकि ऐसे सिक्कों को न तो कभी गिना गया और न ही इसका भौतिक सत्यापन किया गया। |
| **विक्टोरिया मेमोरियल हॉल** | सामान्यतया प्रमाणीकरण के लिए विशेषज्ञ समितियाँ वस्तुओं के प्रमाणिकता, शुद्धता और अन्य पहलू जो आरोप्य हों की पुष्टि करते हैं। लेकिन कुल 28394 कला वस्तुओं में से 18979 वस्तुएँ पुरातन और सही मूल्य के संदर्भ में अभी भी अप्रमाणित थीं। |
| **राष्ट्रीय संग्रहालय** | पाण्डुलिपि अनुभाग के पास 14143 पाण्डुलिपियों के संग्रह थे (8718 अरबी एवं फारसी के तथा 5425 संस्कृत के)। हमने पाण्डुलिपियों का यादृच्छिक रूप से चयन कर प्रत्यक्ष सत्यापन किया, और पाया कि पाण्डुलिपियों की जो संख्या रजिस्टर में अंकित थी और जो वास्तव में विद्यमान थी उन में बहुत अन्तर था। |
| **कार्यस्थल संग्रहालय** | लेखापरीक्षा के दौरान हमने जाना कि कई कार्यस्थल संग्रहालयों जैसे हजारद्वारी महल संग्रहालय (कोलकाता परिमण्डल), तामलुक संग्रहालय (कोलकाता परिमण्डल), रोपड़ संग्रहालय (चंडीगढ़ परिमण्डल), कूच बिहार भवन संग्रहालय (कोलकाता परिमण्डल), नागार्जुन कोण्डा संग्रहालय (हैदराबाद परिमण्डल), हम्पी संग्रहालय (बेंगलुरू परिमण्डल), नालंदा संग्रहालय (पटना परिमण्डल) ने पिछले पाँच वर्षों में भौतिक सत्यापन नहीं कराया था। वस्तुतः नागार्जुन कोण्डा संग्रहालय का अंतिम भौतिक सत्यापन सन् 1997 में हुआ था, नालंदा में सन् 1999 में और हम्पी संग्रहालय में सन् 2004 में हुआ था। इन संग्रहालयों से पुरावस्तुओं की चोरी के जोखिम को हमारे द्वारा इंकार नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय पुरातात्विक संग्रह के भौतिक सत्यापन के लिए कोई तंत्र ही नहीं था। |

**अनुबंध 6.3**
**(पैरा 6.13.4 के संदर्भ में)**

## जयपुर परिमण्डल के उन स्मारकों की सूची जहाँ पुरावस्तुएँ बिखरी हुई थीं

| क्र.सं. | स्मारक | स्थान | जिला |
|---|---|---|---|
| 1. | चित्तौड़गढ़ का किला | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ |
| 2. | कुंभलगढ़ का किला | कुंभलगढ़ | राजसमंद |
| 3. | युपा स्तंभ | बादवा | बारण |
| 4. | जोगनी-जोगना मंदिर | धौलपुर/सोने-का-गुर्जा | धौलपुर |
| 5. | प्राचीन खण्डहर | दालसानगर (गंगाधर) | झालावाड़ |
| 6. | प्राचीन मंदिर, मूर्ति और शिलालेख | शारगढ़ | बारण |
| 7. | प्राचीन खण्डहर और संरचनात्मक अवशेष | कृष्णाविलास | बारण |
| 8. | चंद्रभागा के पास स्थित है प्राचीन मंदिर | झालरापाटन | झालावाड़ |
| 9. | मंदिर, किला दीवार एवं मूर्तियाँ | दरा या मुकंदरा | कोटा |
| 10. | शिव और कुंद का मंदिर | बादोली | चित्तौड़गढ़ |
| 11. | सास बहु मंदिर | नागदा | उदयपुर |
| 12. | शिव मंदिर और खण्डहर | अरथूना | बांसवाड़ा |
| 13. | किला, मंदौर | मंदौर | जोधपुर |
| 14. | प्राचीन स्थल | लोद्रुवा पाटन | जैसलमेर |
| 15. | काला पहाड़ मंदिर | टोडाराय सिंह | टोंक |
| 16. | पीपा जी का मंदिर | टोडाराय सिंह | टोंक |

अनुबंध 9.1
(संदर्भ पैरा 9.1.1)

## स्मारकों पर अतिक्रमण का विवरण

| परिमण्डलों के नाम | राज्य जहां स्मारक हैं | अतिक्रमण का शिकार हुए स्मारकों की संख्या | सरकारी विभाग द्वारा अतिक्रमण |
|---|---|---|---|
| आगरा | उत्तर प्रदेश | 13 | 2 |
| औरंगाबाद | महाराष्ट्र | 17 | 1 |
| बैंगलुरू | कर्नाटक | 10 | शून्य |
| भोपाल | मध्य प्रदेश | 4 | शून्य |
| भुवनेश्वर | ओड़िसा | 15 | 1 |
| चण्डीगढ़ | पंजाब | 15 | 5 |
| चेन्नई | तमिलनाडू | 30 | शून्य |
| देहरादून | उत्तराखण्ड | 1 | 1 |
| दिल्ली | दिल्ली | 21 | 2 |
| धारवाड़ | कर्नाटक | 13 | |
| गुवाहाटी | असम | 5 | 3 |
| हैदराबाद | आन्ध्र प्रदेश | 27 | शून्य |
| जयपुर | राजस्थान | 237 | 6 |
| कोलकाता | प. बंगाल | 6 | शून्य |
| लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 66 | 7 |
| मुम्बई | महाराष्ट्र | 14 | 4 |
| पटना | बिहार/उत्तर प्रदेश | 17 | 1 |
| रायपुर | छत्तीसगढ़ | 5 | शून्य |
| श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | 18 | 11 |
| त्रिशूर | केरल/तमिलनाडू | 2 | 1 |
| वड़ोदरा | गुजरात | 20 | 1 |
| | | **546** | **46** |

## अनुबंध 9.2
## स्मारकों पर अनधिकृत निर्माण का विवरण
**(संदर्भ पैरा 9.1.2)**

| परिमण्डल का नाम | राज्य जहां स्मारक है | अनधिकृत निर्माण की संख्या | सरकारी संस्था द्वारा |
|---|---|---|---|
| **औरंगाबाद** | महाराष्ट्र | 633 | 36 |
| **बैंगलुरू** | कर्नाटक | 1343 | - |
| **भोपाल** | मध्य प्रदेश | 1550 | - |
| **चण्डीगढ़** | पंजाब | 612 | - |
| **देहरादून** | उत्तराखण्ड | 377 | - |
| **दिल्ली** | दिल्ली | 723 | 23 |
| **धारवाड़** | कर्नाटक | 358 | - |
| **गोवा** | महाराष्ट्र | 43 | - |
| **हैदराबाद** | आंध्र प्रदेश | 1123 | 11 |
| **जयपुर** | राजस्थान | 239 | - |
| **कोलकाता** | प. बंगाल | 76 | - |
| **लखनऊ** | उत्तर प्रदेश | 1290 | - |
| **मुम्बई** | महाराष्ट्र | 200 | 14 |
| **पटना** | बिहार/उत्तर प्रदेश | 343 | - |
| **रायपुर** | छत्तीसगढ़ | 54 | - |
| **राँची** | झारखण्ड | 3 | - |
| **शिमला** | हिमाचल प्रदेश | 155 | 14 |
| | | **9122** | **98** |

**अनुबंध 9.3**
**(संदर्भ पैरा 9.3.1)**

## उन स्मारकों का विवरण जहाँ कोई सुरक्षा कार्मिक नियुक्त नहीं थे।

| क्र.सं. | परिमण्डल का नाम | राज्य जहां स्मारक है | सुरक्षा कार्मिक नियुक्त नहीं थे। |
|---|---|---|---|
| **1.** | आगरा | उत्तर प्रदेश | 55 |
| **2.** | औरंगाबाद | महाराष्ट्र | 3 |
| **3.** | बंगलुरू | कर्नाटक | 30 |
| **4.** | भोपाल | मध्य प्रदेश | 284 |
| **5.** | भुवनेश्वर | ओड़िशा | 4 |
| **6.** | चण्डीगढ़ | पंजाब | 123 |
| **7.** | चेन्नई | तमिलनाडू | 158 |
| **8.** | देहरादून | उत्तराखंड | 1 |
| **9.** | दिल्ली | दिल्ली | 106 |
| **10.** | धारवाड़ | कर्नाटक | 153 |
| **11.** | गोवा | महाराष्ट्र | 7 |
| **12.** | गुवाहाटी | असम | 47 |
| **13.** | हैदराबाद | आंध्र प्रदेश | 118 |
| **14.** | जयपुर | राजस्थान | 3 |
| **15.** | कोलकाता | प.बंगाल | 35 |
| **16.** | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 80 |
| **17.** | मुम्बई | महाराष्ट्र | 6 |
| **18.** | पटना | बिहार/उत्तर प्रदेश | 180 |
| **19.** | राँची | झारखण्ड | 7 |
| **20.** | रायपुर | छत्तीसगढ़ | 16 |
| **21.** | श्रीनगर | जम्मू एवं कश्मीर | 39 |
| **22.** | त्रिशुर | केरल/तमिलनाडू | 13 |
| | **कुल** | | **1468** |

**अनुबंध 10.1**

**(पैरा 10.2 एवं 10.3.1 के संदर्भ में)**

## स्मारकों पर जनसुविधाओं की उपलब्धता का विवरण

| क्र.सं. | परिमण्डल का नाम | राज्य का नाम | स्मारकों की संख्या | पेयजल उपलब्धता | शौचालय की उपलब्धता | पहियेदार कुर्सी की उपलब्धता | रैंप की उपलब्धता | उचित सूचना पट्ट की उपलब्धता | स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचना बोर्ड प्रदर्शित | शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | आगरा | उत्तर प्रदेश | 60 | 22 | 11 | 7 | 9 | 40 | 12 | 8 |
| **2.** | औरंगाबाद | महाराष्ट्र | 168 | 79 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6 |
| **3.** | बंगलुरू | कर्नाटक | 208 | 78 | 20 | 10 | 3 | 209 | 181 | शून्य |
| **4.** | भोपाल | मध्य प्रदेश | 292 | 141 | 136 | 88 | 88 | 108 | 124 | शून्य |
| **5.** | भुवनेश्वर | ओड़िशा | 78 | 5 | 5 | 3 | 1 | 78 | 78 | 5 |
| **6.** | चण्डीगढ | पंजाब | 58 | 12 | 18 | 8 | शून्य | 15 | 17 | शून्य |
| **7.** | चेन्नई | तमिलनाडू | 104 | 12 | 18 | 11 | 1 | 26 | 14 | 2 |
| **8.** | देहरादून | उत्तराखण्ड | 30 | 15 | 22 | 3 | 3 | 3 | नहीं | शून्य |
| **9.** | दिल्ली | दिल्ली | 106 | 7 | 7 | 4 | 4 | 43 | 48 | 3 |
| **10.** | धारवाड़ | कर्नाटक | 299 | 43 | 35 | 20 | 20 | 192 | 60 | 142 |
| **11.** | गोवा | महाराष्ट्र | 21 | 7 | 6 | 3 | 4 | 21 | 21 | शून्य |
| **12.** | गुवाहाटी | असम | 79 | 21 | 22 | 2 | शून्य | 65 | 44 | 4 |
| **13.** | हैदराबाद | आंध्रप्रदेश | 37 | 8 | 7 | 3 | 3 | 35 | 2 | अनुपलब्ध |
| **14.** | जयपुर | राजस्थान | 122 | | | | | | 80 | |

| क्र.सं. | परिमण्डल का नाम | राज्य का नाम | स्मारकों की संख्या | पेयजल उपलब्धता | शौचालय की उपलब्धता | पहियेदार कुर्सी की उपलब्धता | रैंप की उपलब्धता | उचित सूचना पट्ट की उपलब्धता | स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचना बोर्ड प्रदर्शित | शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.** | कोलकाता | पश्चिम बंगाल | 136 | 77 | 36 | 10 | 2 | 115 | 106 | नहीं |
| **16.** | लखनऊ | उत्तर प्रदेश | 83 | 28 | 14 | | | | 32 | |
| **17.** | मुम्बई | महाराष्ट्र | 24 | 27 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 6 |
| **18.** | पटना | बिहार | 182 | 13 | 18 | 5 | शून्य | 148 | 65 | शून्य |
| **19.** | रायपुर | छत्तीसगढ़ | 47 | 25 | 8 | 4 | 1 | 40 | 2 | 8 |
| **20.** | शिमला | हिमाचल प्रदेश | 40 | 23 | 5 | 1 | शून्य | शून्य | 35 | शून्य |
| **21.** | श्रीनगर | जम्मू एवं कश्मीर | 38 | 15 | 16 | 1 | 2 | 8 | 28 | शून्य |
| **22.** | त्रिशूर | केरल | 36 | 19 | 10 | 14 | 10 | 36 | 32 | 9 |
| **23.** | बड़ोदरा | गुजरात | 213 | 3 | 3 | 15 | 15 | | 148 | |
| | | | **2461** | **680** | **431** | **214** | **168** | **1198** | **1153** | **193** |

**अनुबंध 10.2**
**(संदर्भ पैरा 10.3.3.1)**

## प्रकाशन सामग्रीजो अनप्रयुक्त रही

| क्र.सं. | परिमण्डल | उन पुस्तकों की संख्या जो अनबिकी रहीं |
|---|---|---|
| 1. | राजस्थान | 45543 |
| 2. | थानेश्वर, चण्डीगढ़ | 10676 |
| 3. | ओड़िशा | 54774 |
| 4. | हैदराबाद | 87771 |
| 5. | बंगलुरू | 21883 |
| 6. | धारवाड़ | 26963 |
| 7. | कोलकाता | 50215 |
| 8. | गुवाहाटी | 10303 |
| | कुल | 308128 |

# शब्दावली

| | |
|---|---|
| **भा.पु.स.** | भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण |
| **पु.क.को. अधिनियम** | पुरावशेष तथा कला कोष अधिनियम |
| **पु.क.को. नियमावली** | पुरावशेष तथा कला कोष नियमावली |
| **वि.ध.मा.प.स.** | विश्व धरोहर मामले परामर्श समिति |
| **अ.म.नि.** | अपर महानिदेशक |
| **अ.खा. सं. न्या.** | आगा खान संस्कृति न्यास |
| **इ.सं.** | इलाहबाद संग्रहालय |
| **प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. (संशोधन एवं अधिनियम)** | प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, (संशोधन एवं अधिनियम) 2010 |
| **प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. अधिनियम** | प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 |
| **प्रा.स्मा.पु.स्थ.अ. नियमावली,** | प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष नियमावली, 1958 |
| **सं.अ.पु.** | सहायक अधीक्षक पुरातत्वविद |
| **भा.पु.स. मुख्यालय** | भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय |
| **ए.सो.को.** | एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता |
| **ले.का.स.** | लेखा कार्य संहिता |
| **बीमस्टक देश** | बंग्लादेश, नेपाल, भुटान, श्रींलंकर थाईलैण्ड भारत तथा म्यांमार |
| **बे.रि.पि.नि.** | बेकल रिसोर्ट विकास निगम |
| **सं.स.** | संरक्षण सहायक |
| **स.प्रा.** | सक्षम प्राधिकारी |
| **के.पु.प.बो.** | केन्द्रीय पुरातत्व परामर्स बोर्ड |
| **के.पु.सं.** | केन्द्रीय पुरावशेष संग्रह |
| **के.अ.ब्यू.** | केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो |
| **स.स.प्र.यो.** | समग्र संरक्षण प्रबंधन योजना |
| **सी.सी.टी.बी.** | बंद परिपथ दूर दर्शन |
| **प्र.सं.वि.के.** | प्रगत संगणन विकास केन्द्र |
| **के.औ.सु.ब.** | केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल |
| **के.लो.नि.वि.** | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग |
| **छ.रा.न.ऊवि.अ.** | छत्तीसगढ़ राज्य नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण |
| **छ.शिम.वा.स.** | छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय |
| **के.स.आ.** | केन्द्रीय सर्तकता आयोग |

| | |
|---|---|
| म.नि. | महा निदेशक |
| दि.प्रा.अ.स. | दिल्ली प्रादेशिक अग्रवाल सम्मेलन |
| उ.आ.पु. | उप अधीक्षक पुरातत्त्विद |
| उ.आ.पु.रा. | उप अधीक्षण पुरातत्वभ् रासायनविद |
| उ.अ.उ.वि. | उप अधीक्षक उद्यान विशेषज्ञ |
| उ.अ.पु. | उप अधीक्षक पुरातत्वविद |
| व्य.वि.स. | व्यय वित्त् समिति |
| अ.अ. | अभिरूचि-अभिव्यक्ति |
| प्र.सू.रि. | प्रथम सूचना रिपोर्ट |
| बै.सू.प्र. | वैश्विक सूचना प्रणाली |
| भा.स. | भारत सरकार |
| भू.वे.रा. | भू.वेधी राडार |
| भू.स्थि.नि.प्र. | भूमंडलीय स्थिति-निर्धारण प्रणाली |
| वै.वै.सं. | वैश्विक वैश संगठन |
| ह.पु.म.स. | हजारद्वारी महल संग्रहालय |
| भा.पु.स. | भारतीय पुरातत्व एक समीक्षा |
| भा.सां.सं.प.न.अ.के. | भारतीय सांस्कृतिक संपत्ति का परिक्षण एवं नवीकरण अध्ययन केन्द्र |
| अं.स्मा.स्थ.प. | अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद |
| स.वि.वि. | समेकित वित्त विभाग |
| इं.गां.रा.क.के. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र |
| भा.सं. | भारतीय संग्रहालय |
| स.प्र.यो. | समेकित प्रबंधन योजना |
| भा.रा.क.सा.ध.न्या. | भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास |
| भा.सु.प्रै. | भारतीय सुरक्षा प्रैस |
| अं.प्रा.प्रा.सं.सं.सं. | अंतराष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ |
| जा.अं.स.बै. | जापान अंतराष्ट्रीय सहकारिता बैंक |
| सं.म.नि. | संयुक्त महानिदेशक |
| जा.अं.स.अ. | जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता अभिकरण |
| सू.प्र.प्र. | सूचना प्रबंधन प्रणाली |
| स.ज्ञा. | समझौता ज्ञापन |
| म.प.वि.नि. | महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम |
| गै.पु.प्र. | गैर पुरावशेष प्रमाणपत्र |
| रा.सा.नि. | राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि |
| रा.वि.सं.प. | राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद |

| | |
|---|---|
| रा.रा.क्षे. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र |
| रा.प.अ.अ.सं. | राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान |
| रा.आ.क.दी. | राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा |
| गै.स.सं. | गैर सरकारी संगठन |
| रा.स्मा. | राष्ट्रीय संग्रहालय |
| रा.स्मा.प्रा. | राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण |
| रा.स्मा.पु.मि. | राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेंष मिशन |
| अ.प्र. | अनापत्ति प्रमाणपत्र |
| रा.सां.सं.सं.अ.प्र. | राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला |
| ब.सा.मू. | बकाया सार्वभौमिक मूल्य |
| वे.ले.का. | वेतन एवं लेखा कार्यालय |
| प.का.स. | परियोजना कार्यान्वयन समिति |
| स्था.भा.प्र. | स्थायी भारतीय प्रतिनिधि |
| र.भा.सं. | रबीन्द्र भारती संस्था |
| सं.सं.का. | संशोधित संरक्षण कार्यक्रम |
| प्र.नि. | प्रादेशिक निदेशक |
| रा.रा.स.वि.नि. | राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम |
| अ.पु. | अधीक्षण पुरातत्वज्ञ |
| सार्क | दक्षिण एशियार्ड सहयोग संघ (बंग्लादेश, नेपाल, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान एवं भारत) |
| अ.पु.र. | अधीक्षण पुरातत्वज्ञ रसायनज्ञ |
| अ.पु.अ. | अधीक्षण पुरातत्विक अभियंता |
| रा.स्त.का.स. | राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति |
| स्थ.प्र.यो. | स्थल प्रबंधन योजना |
| स्थ.प्र.यो. | स्थल प्रबंधन योजना |
| वि.म. | विशेष मरम्मत |
| क.च.आ. | कर्मचारी चयन आयोग |
| स.रा.रा.व.सा.स. | संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन |
| वि.एंव अ. | विक्टोरिया एवं अलबर्ट |
| वी.आई.पी. | अति महत्वपूर्ण व्यक्ति |
| वि.मे.हॉ. | विक्टोरिया मेमोरियल हॉल |
| वि.ध.के. | विश्व धराहर केन्द्र |
| वि.ध.स्थल | विश्व धरोहर स्थल |

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2013-14
वेबसाइट: www.cag.gov.in

स्मारकों तथा पुरावस्तुओं के परिरक्षण तथा संरक्षण का निष्पादन लेखापरीक्षा